खण्ड-372, अंक-6
मंगलवार, 29 श्रावण, शक संवत् 1907
(20 अगस्त, 1985 ई0)

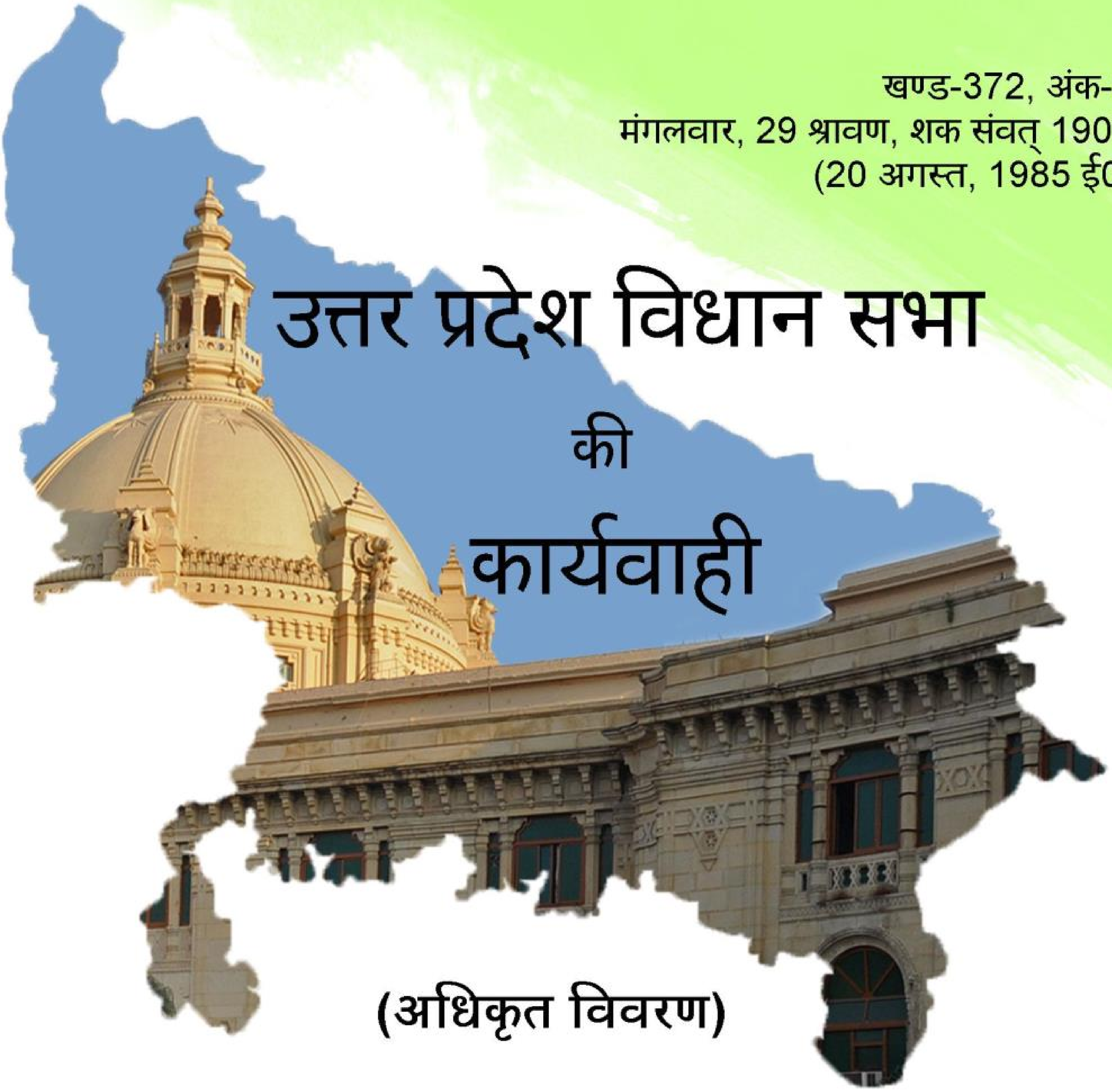

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 372 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क—ख
प्रश्नोत्तर	1—80
भूतपूर्व सदस्य, श्री भगवती प्रसाद वर्मा के निधन पर शोकोद्गार	
दारुलशफा डिस्पेन्सरी में दवाई न मिलने तथा हड़ताल के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	80—36
अतारांकित प्रश्न सं0 85 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	86
दातागंज जिला बदायूं के विवादग्रस्त भूमि का शीघ्र सीमांकन कराये व्यवस्था का प्रश्न	86
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	87—88
सीतापुर जिले के रेउसा ब्लाक में 33 के0 वी0 सब-स्टेशन बनाने में विलम्ब होने से क्षति की जांच एवं शीघ्र बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद मेरठ के अन्तर्गत किठौर-मवाना मार्ग पर उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के अभाव से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
फतेहपुर, बाराबंकी के कतिपय गांवों में घाघरा नदी के कटान से खतरा होने तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
आजमगढ़ जनपद के कतिपय गांवों में हैजे व मलेरिया के भयंकर प्रकोप से जन-जीवन की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
दातागंज जिला बदायूं के विवाद ग्रस्त भूमि का शीघ्र सीमांकन कराये जाने तथा अवैधानिक कब्जा हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड पर प्रभावी दबाव डालकर जालौन जिले के कोंच रेलवे स्टेशन को बन्द न किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
ग्राम नौहाई थाना कालीजंर, बांदा में पड़ी डकैती में घायलों के इलाज में डाक्टरों द्वारा लापरवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91

विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत नर्सों के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा अन्याय एवं मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	92
जनपद फैजाबाद के क्षेत्र कटेहरी में स्थित 'श्रवण क्षेत्र' और 'श्रृंगी ऋषि आश्रम' से पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	92
फैजाबाद के गोसाईगंज भीटी रोड पर मड़हा नदी पर बने पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	92
फैजाबाद के गोसाईगंज भीटी रोड पर मड़हा नदी पर बने पुल के औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	92
क्षेत्र कटेहरी, फैजाबाद के मड़हा (तमसा) आदि नदियों को गहरी और सीधी करके उनका गहरीकरण करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	93
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	93—110
1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग, अनुदान संख्या 22-नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	110-176
राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के गठन के संबंध में संकल्प (पारित)	177-178
श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, सदस्य विधान सभा, सीतापुर के विदेशी नागरिक होने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	179—181
दैनिक अखबार 'प्रतिदिन' के विरुद्ध उठाये गये सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	181
कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मन्त्री श्री रघुवीर सिंह यादव के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	181
खाद्य एवं रसद मन्त्री श्री वासुदेव सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	182

विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
डा0 के0 एस0 कपूर, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	182
परिवहन मन्त्री राजकुमार संजय सिंह को प्रादेशिक डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	183—184
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	185
बरेली के श्री रामनाथ यादव की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	185—188
दिनांक 19 अगस्त, 1985 को नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार की गयी सूचना को संशोधित किये जाने की सूचना	189
बाराबंकी के लोनी कटरा थाने के सिपाहियों द्वारा विकलांग एवं अनाथ युवती के साथ बलात्कार की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	189—199
बांध के निर्माण के संबंध में नियम 49 के अंतर्गत चर्चा	199—202
नस्थियां	203—217

विधान सभा गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा

मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	बंशीधर राज, श्री	खीरी
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	बद्री सिंह, श्री	जालौन
एहतिशाम वली खां, श्री	बहराइच	बलवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
औसान सिंह, श्री	इटावा	बालेश्वर, श्री	देवरिया
कनक सिंह, श्री	गाजियाबाद	बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
किशन सिंह तड़ागी, श्री	नैनीताल	भीखा राम, श्री	आजमगढ़
कृष्णा रावत, कुमारी	लखनऊ	भृगुनाथ भट्ट, श्री	गोरखपुर
केसरी सिंह, कर्नल	बस्ती	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	मानपाल सिंह एडवोकेट,	एटा
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
डूंगर सिंह, श्री	हमीरपुर	मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़	मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर		वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
नंगाराम, श्री	खीरी	रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	रजनीकान्त, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	राजकिशोर सिंह, श्री	वाराणसी
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	राजवती देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
नारायन दत्त, श्री	नैनीताल	राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
पुरुषोत्तम लाल, श्री	इलाहाबाद	राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
फूल कुंवर, श्री	मुरादाबाद	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विमला सिंह, श्रीमती	गाजियाबाद
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शॉनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	बलिया
शिवेन्द्र सिंह उर्फ रिंग बाबू, श्री	गोरखपुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संजय सिंह, राजकुमार	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह, चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हर नारायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

नोट :—1—श्री अरुण कुमार सिंह—सहकारिता मन्त्री ।

2—श्री सिब्ते रजी—शिक्षा मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त, 1985 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मैनपुरी, शिकोहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग

****1—श्री राम नरेश—(अनुपस्थित)**

क्या न्याय मन्त्री बतायेंगे कि शिकोहाबाद जिला मैनपुरी स्थित आउट स्टेशन कुंसिफ पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जनता की लम्बे समय से चली आ रही मांग को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है ? अभी तक इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही हुयी है ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

बार एसोसिएशन, शिकोहाबाद से तथा जन-प्रतिनिधियों से ऐसी मांग पत्र शासन में अवश्य प्राप्त हुये हैं और इन मांग पत्रों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय से भी विचार प्राप्त किये गये हैं। अभी तक माननीय उच्च न्यायालय ने भी शिकोहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की संस्तुति नहीं की है। उच्च न्यायालय का यह अभिमत प्राप्त हुआ है कि जब तक न्यायालय/कार्यालय भवन, हवालात, सब जेल तथा आवासीय भवनों का निर्माण शिकोहाबाद में नहीं कर लिया जाता और अभियुक्तों को जिला जेल से ले आने तथा उन्हें वापस भेजने की समुचित व्यवस्था नहीं कर ली जाती तब तक शिकोहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं है।

(मूल प्रश्नकर्ता सदस्य श्री रामनरेश के अनुपस्थित रहने पर)।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न के बारे में सदस्य जी की चिट्ठी आ गई है कि इस प्रश्न को इस सोमवार के स्थान पर अगले सोमवार के लिए स्थगित कर दिया जाए। वह स्थगित किया गया।

वाराणसी एवं कानपुर में गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या

**2—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार को यह सूचना है कि जनपद वाराणसी तथा कानपुर में गंगा नदी में ऐसे पदार्थ जमा हो गए हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त ही हानिकारक हैं ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से पदार्थ हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

शासन वाराणसी एवं कानपुर में हो रहे गंगा प्रदूषण की समस्या से भिज्ञ एवं उसके प्रति पूर्णतः जागरूक है। वाराणसी एवं कानपुर नगरों में गंगा नदी के जल में कार्बनिक तत्व तथा जीवाणु पाये जाते

हैं। राज्य सरकार द्वारा इस समस्या के निवारण हेतु केन्द्र सरकार के गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर और बनारस में गंगा नदी में कुछ ऐसी धातु पाई गई हैं, जिनसे मानव जीवन के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान है और वह कौन-कौन सी धातु हैं ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने अपने बोर्ड के द्वारा दोनों महानगरों के गंगा जल का परीक्षण कराया है ? और कराया है तो वह किस तारीख को और उसकी रिपोर्ट क्या है ? नहीं कराया है तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय जल आयोग ने जनपद कानपुर का 2-1-84 को एक सर्वेक्षण किया था, जिसके आधार पर अप स्ट्रीम में लेड 800, डाउन स्ट्रीम में 900, मैंगनीज 320, कैडमियम 100, कापर 10 और सिलवर 20 पार्ट प्रति बिलयन था ? यह रिपोर्ट क्या सरकार की जानकारी में है और इसके अलावा क्या 84 में केन्द्रीय जल आयोग ने कानपुर और बनारस के बारे में डी0 ओ0 और बी0 डी0 ओ0 टैस्ट कराया था ? यदि कराया था तो उसकी रिपोर्ट क्या है, उसे भी आप बता दीजिए ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां, भारत सरकार के जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किये हैं, इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्णतया ज्ञान है और यही कारण है कि इसमें जो भी इस तरह के मेटल्स हैं, जिनकी उपलब्धि है वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, यह मेटल्स कानपुर में खासकर गर्मियों में ज्यादा पाए गये हैं। बनारस में जहां इन्डस्ट्रियल उत्प्रवाह होता है, उसमें यह ज्यादा है। इसकी रोकथाम के लिए शुद्धीकरण की कार्यवाही को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको ले लिया है और आपने जो बी0 ओ0 डी0 आदि के बारे में पूछा है, प्रदेशीय प्रदूषण बोर्ड ने जांच कार्यवाही की है और उसके अनुसार वाराणसी में अप स्ट्रीम में बी0 ओ0 डी0 की मात्रा विन्टर में 5.90 तथा समर में 6.49 थी।

सिंधी घाट वाराणसी में जो है वहां विन्टर में 6.30 और समर में 8.37 था वाराणसी में डाउन स्ट्रीम में विन्टर में 5.85 और समर में 6.38 था। मान्यवर, इसी तरह से कानपुर में बी0 ओ0 डी0 विन्टर में 14.15 था और 16.39 समर में था। जो सरसैया घाट है वहां पर 9.73 विन्टर में था और 15.69 समर में था। इसी तरह से भगवतदास घाट में 18.60 विन्टर में था और 3.15 समर में था। तो मान्यवर, इस तरह का सर्वे अक्सर कराया जाता है। प्रदूषण बोर्ड जो सर्वे करता है वह उन स्थानों का करता है जहां पर नदी में उत्प्रवाह मिलता है चाहे वह सीवरेज का हो या इन्डस्ट्रीज का हो। कानपुर में इन्डस्ट्रीज के उत्प्रवाह की प्राब्लम है और वाराणसी में जनरल सीवेज की प्राब्लम है।

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि वाराणसी में नगर के मल-मूत्र को राजघाट से आगे ले जाकर गिराने

और उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करने की योजना थी लेकिन मशीन के खराब हो जाने के कारण सारा दूषित जल गंगा नदी में इस समय गिरता है। यदि हां तो इसको ठीक कराने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमान्, गंगा नदी के सम्बन्ध में वाराणसी में 1964-65 में कुछ सीवरेज को पम्प करके सीवेज फार्म तक पानी ले जाने का प्रोग्राम बनाया गया था और 5 पम्प लगाये गये थे। उनको मेन्टीनेन्स के लिये नगर पालिका को दे दिया गया था लेकिन वह मेन्टेन नहीं कर पायी और पम्प खराब हो गये। उसके बाद फिर एक योजना बनायी गयी 96 लाख रुपये की और जल निगम को धन आवंटित किया गया। उन्होंने पम्पों को ठीक कराकर लगभग कम्पलीट कर लिया है। विद्युत के कनेक्शन का काम भी निपट गया है। यह फर्स्ट फेज की योजना है। उसके बाद जो दूसरी योजना, जो लगभग 3 करोड़ रुपये की होगी जिसमें 17 नालों को डाइवर्जन करके पम्प लगाकर पानी को साफ करके सीवेज फार्म में भेजा जायगा। यह योजना एक्शन प्लान के अन्तर्गत है जिस पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में काम किया जाना है।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कानपुर के घाटों का नाम लिया। मेरी निश्चित जानकारी है कि सरसैया घाट और भगवत दास घाट पर गंगा नदी विगत 10 साल से वहां नहीं है। नदी वहां से बहुत दूर चली गयी है। सरसैया घाट से 4 कि0 मी0 और भगवतदास घाट से 3 कि0 मी0 दूर गंगा नदी चली गयी है। तो जब नदी 4-3 कि0 मी0 दूर है तो परीक्षण कहां कराया गया। दूसरी बात माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गंगा नदी में जो प्रदूषण है तो क्या पानी में इस तरह की धातुयें मिली हैं जिनसे कैंसर रोग कानपुर के अन्दर ज्यादा फैल रहा है। सारी मशीनें खराब होने के कारण नगर महापालिका का सारा गन्दा पानी नदी में गिराया जा रहा है तो इसके लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह सही है कि इन घाटों से नदी काफी दूर है। जो बहुत सारे हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। इनका सारा उत्प्रवाह नदी में मिलता है जिससे गन्दगी होती है। लेकिन यह स्थान उसी घाट से जाने जाते हैं। आपने जो कैंसर की बात कही है तो जो भी धातुओं की मात्रा वहां पायी गयी है उसमें किसी धातु से कैंसर रोग डेवलप हो सकता है इस तरह की जानकारी नहीं आयी है। कैंसर की बीमारी की उत्पत्ति कैसे होती है यह अभी वैज्ञानिकों का विचारणीय प्रश्न है। और आपने एक तीसरा प्रश्न पूछा कि इस सारे उत्प्रवाह को डाइवर्ट करने के लिए क्या योजना है। इसमें 15 किलो मीटर की जो नदी की लैन्थ है, उसमें 17 नाले डाइवर्ट होकर मिलते हैं। इसके लिए गंगा एक्शन प्लान में भारत सरकार द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है और गंगा में गिरने वाले नालों को मोड़े जाने एवं इनके पानी का सीवेज फार्म पर उपयोग के लिए व्यवस्था की जा रही है। कानपुर का उत्प्रवाह जहां पर मिलता है,

उसके लिए सीवेज पम्पिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाने एवं पम्पिंग का पुनरोद्धार की योजना बनायी गयी है और उसका इक्स-पेन्शन किया जा रहा है ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । असेम्बली चल रही है और कोई भी कैबिनेट स्तर का मन्त्री मौजूद नहीं है । क्या इस समय मान्यवर, कैबिनेट चल रही है ?

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह मुद्दा मैंने जो मामला उठाया यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । एक कैबिनेट स्तर का मंत्री तो मान्यवर, सदन में उपस्थित रहना ही चाहिए । आखिर हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के समय में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूँ कि लाल तौर से काशी के घाट पर दूसरे प्रदेशों से जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, वहां पर एक धार्मिक स्थान है, वहां पर लाशों को फेंकने और जलाने का काम होता है, मान्यवर, जिनकी संक्रामक रोगों से मृत्यु हो जाती है, उनको भी वहां पर फेंका जाता है, जिससे उसके जो कीटाणु होते हैं, उससे बीमारी फैल जाती है । इसके लिए माननीय मन्त्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, संक्रामक रोगों से मृत्यु हो जाने वाली लाशों से तो बीमारी फैलती ही है, लेकिन जो स्वस्थ आदमियों की लाशें होती हैं, उन्हें भी अगर नदी में फेंका जाता है, तो उससे भी पाल्यूशन हो जाता है । इसीलिए नदी में लाशों के प्रवाहित करने को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक शव-दाह गृह के निर्माण हेतु नगर महापालिका को अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है और शवदाह गृह बन रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, अगर कोई लाश नहीं फेंकने दें, तो परम्पराओं का क्या होगा ?

श्री सत्यप्रकाश—

मान्यवर, क्या बनारस में गंगा में जल के प्रदूषण को रोकने के लिए नगर महापालिका, वाराणसी, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी डी० एल० डब्लू०, वाराणसी को क्या सरकार उत्तर प्रदेश के जल प्रदूषण बोर्ड को यह निर्देश देगी कि वह इन तीनों संस्थाओं को नोटिस दे कि वह अपना औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट गंगा जल में न गिरायें और गिरायें तो शुद्धीकरण के बाद गिरायें । क्या इस तरह की नोटिसें इन तीनों संस्थाओं को सरकार देगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

काशी विश्वविद्यालय में बहुत पुराना उत्प्रवाह संयंत्र है, लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत कम है । उसका रख-रखाव ठीक न होने के कारण वह बन्द पड़ा है । आठ

मिलियन लीटर प्रति दिन विश्वविद्यालय का जल प्रवाह है। उस पुराने उत्प्रवाह सन्यन्त्र को ठीक कराया जा रहा है और नये उत्प्रवाह सन्यन्त्र की व्यवस्था के लिए भारत सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही है। जो आपने डीजल के बारे में कहा, उसके लिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा सीवू शुद्धिकरण व्यवस्था के लिए लिखा गया है, जब तक यह व्यवस्था नहीं हो जाती है, नगर महापालिका द्वारा उनके उत्प्रवाहों को सीवेज फार्म में पहुंचाने की व्यवस्था हेतु विचार किया जा रहा है।

जो नोटिस की बात है, वक्त-वक्त पर निर्देशित किया गया है। नगर-पालिका के जितने उत्प्रवाह हैं उसके लिये गंगा एक्शन प्लान बनाया गया है। सेकेन्ड प्लान में 3 करोड़ रुपया की योजना है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]।

प्रदेश में व्याप्त पेयजल संकट के निवारण हेतु की गयी व्यवस्था

*1—श्री सुरेन्द्र दत्त द्विवेदी, कुंवर मानवेन्द्र सिंह—(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्याप्त पेयजल के भारी संकट से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री नारायन दत्त—

इस वर्ष प्रदेश में व्याप्त पेयजल संकट के निदान हेतु 326 ग्रामों में टैंकर द्वारा, 59 ग्रामों में खच्चरों द्वारा, 636 ग्रामों में 864 इन्डिया मार्क2 हैण्ड पम्प लगाकर 169 ग्रामों में पाइप लाइन द्वारा तथा 25 ग्रामों में अस्थाई पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त 18 नगरों में टैंकरों द्वारा तथा 28 नगरों में 282 इन्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल व्यवस्था की गई।

प्रदेश में पेयजल संकट के निवारण हेतु सेना से ली गयी सहायता

*2—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल-मई, 85 में प्रदेश के सूखाग्रस्त जनपदों में पेयजल के संकट को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने सेना से सहायता ली ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों में ? क्या यह सत्य है कि उक्त सहायता केवल पर्वतीय जनपदों में ही पहुंचाई गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

जी हां। सेना से 26 कॅनवस टैंक लिये गये थे।

सेना से प्राप्त 26 कॅनवस टैंकों में से 10 पर्वतीय जनपदों को, 11 झांसी मण्डल को उपलब्ध कराये गये तथा शेष 5 कॅनवस टैंकों को सुरक्षित रखा गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

कौन सा जवाब दे रही हैं, नागपुर और कानपुर को मिला रही हैं।

श्रीमती पद्मा सेठ—

गलती हो गई, क्षमा करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि पर्वतीय जनपद कौन-कौन हैं और मई, अप्रैल में कौन-कौन जिले में सूखा आया था और वहां के लिये सरकार ने क्या सेना से सहायता मांगी थी और वह नहीं मिली। क्या यह सहायता पर्वतीय जनपद के लिये मांगी गयी थी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

इसमें पर्वतीय जनपद दिया नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपने क्या जवाब दिया ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

सूचना की आवश्यकता है, तो स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है, मंगलवार के लिये।

श्री विजय सिंह राणा—

5 साल में आ जायेगा।

सहकारी चीनी मिल, रसड़ा बलिया के चीनी स्टाक सम्बन्धी विवाद

*3—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल रसड़ा, बलिया में चीनी का 1982-83 का स्टाक सड़ रहा है ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है तथा जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी नहीं। उक्त चीनी मिल द्वारा वर्ष 1982-83 में उत्पादित चीनी लेवी कोटा में से 1589 बोरा चीनी सेन्ट्रल एक्साइज विभाग द्वारा उत्पादन कर सम्बन्धी एक विवाद उत्पन्न होने के कारण अटैच कर ली गयी है जिसके फलस्वरूप इसकी बिक्री नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विवाद विचाराधीन है।

अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मैंने यह प्रश्न किया था कि सहकारी चीनी मिल रसड़ा, बलिया में चीनी का 1982-83 का स्टाक सड़ रहा है ? इस सन्दर्भ में इन्हें यह उत्तर देना चाहिए था कि स्टाक सड़ रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, आपने प्रश्न करने के आदेश दिये हैं तो मैं फिर माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि चीनी मिल रसड़ा और सेन्ट्रल एक्साइज विभाग के बीच उत्पादन कर न देने के सम्बन्ध में झगड़ा किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नई चीनी मिलें लगाई जाती हैं, उनको कुछ इन्सेन्टिव दिये जाते हैं। उसमें एक इन्सेंटिव यह भी था कि 65 प्रतिशत लेवी की और 35 प्रतिशत फ्रीसेल की चीनी रहेगी लेकिन यह जो रसड़ा की चीनी मिल थी इसका फ्रीसेल 73 परसेन्ट था और लेवी सिर्फ 27 प्रतिशत थी। परन्तु 26-2-76 द्वारा जो इन्सेन्टिव घोषित किये गये थे, उसमें उत्पादन शुल्क व अतिरिक्त शुल्क 20 प्रतिशत कर दिया गया था, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा नवम्बर, 1976 में फिर इसे 15 प्रतिशत कर दिया गया लेकिन 1977 में एक दूसरा नोटिफिकेशन केन्द्र सरकार द्वारा हुआ जिसमें 12 1/2 प्रतिशत की दर से यह शुल्क कर दिया गया। यह डिस्प्यूट जो शुरू हुआ एक्साइज वालों का कहना था कि 35/76 के नोटिफिकेशन के आधार पर एफ0 सी0 आई0 को जो लेवी चीनी बिक्री की गयी उस पर उत्पादन शुल्क 15/20 परसेन्ट के हिसाब से देना चाहिए था परन्तु इन्होंने साढ़े 12 परसेन्ट के हिसाब से दिया। इस पर फिर मिल द्वारा हाईकोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। अन्त में इस मामले पर निर्णय एक्साइज वालों के पक्ष में गया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, प्रश्नकर्ता का जो मूल प्रश्न था उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया कि जो स्टाक चीनी मिल में मौजूद था उस सब की कैमिकल जांच करवायी गयी या नहीं। यदि हां, तो क्या वह चीनी अखाद्य थी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया था कि चीनी सड़ रही है, ऐसा नहीं है, चीनी सड़ती नहीं है, हां इसमें मुंआस्चर पैदा हो सकता है। चीनी और नमक सड़ते नहीं हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने सड़ने का नाम नहीं लिया, मैंने तो यह कहा था कि चीनी की कैमिकल जांच करायी गयी या नहीं और वह चीनी अखाद्य थी या नहीं ? क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैंने मूल प्रश्न का उत्तर दिया कि चीनी सड़ती नहीं है, उसमें मुआस्चर जरूर आ सकता है और जब रि-प्रासेस कर लिया जाता है तो यह मुआस्चर भी चला जाता है, तो इसे हम इग्जामिन कराकर रि-प्रासेस करा लेंगे।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, जो रसड़ा चीनी मिल की फ्री सेल की चीनी है, क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि बलिया में उसे न बेचकर दूसरे जिलों में उसे भेज दिया जाता है और दूसरे जिलों की चीनी बलिया में आती है। तो कैरिज का अनावश्यक व्यय बढ़ता है। क्या बलिया की चीनी बलिया में ही बेचने के आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, यह लंबी की चीनी एफ0 सी0 आई0 लेती हैं, वह जहां चाहें भेज सकती हैं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, एक प्रश्न मेरा भी हैं।

श्री अध्यक्ष—

पाण्डेय जी, रात 11.00 बजे तक सदन बैठ रहा हैं, हमारे कर्मचारी थक रहे हैं। अब आगे चलें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त सारांशित प्रश्न]

भारतीय टेलीफोन उद्योग में मुस्लिम बुदरहुड संस्था द्वारा जारी किया गया कलेण्डर में विक्षत भारत का नक्शा

*1—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सरकार को जानकारी हैं कि भारतीय टेलीफोन उद्योग में सक्रिय मुस्लिम बुदरहुड संस्था ने इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि0, रायबरेली के पते से वर्ष 1985 का जो कलेण्डर जारी किया हैं उसके दिसम्बर मास में ग्लोब का चित्र हैं जिसमें विक्षत भारत को चित्रित किया गया हैं और कश्मीर तथा जूनागढ़ को भारत से बाहर दिखाया गया हैं ? यदि हां, तो दोषी लोगों को दण्डित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)—

जी हां।

उक्त कलेण्डर के निर्माता ताज कम्पनी तुर्कमान गेट, दिल्ली हैं। अतः उनके विरुद्ध डिप्टी कमिश्नर पुलिस (आई), स्पेशल ब्रान्च, दिल्ली व डायरेक्टर आफ प्राजीक्यूशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सतर्कता सुनिश्चित की जा रही हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, जहां तक मेरी जानकारी हैं, यह मुस्लिम बुदरहुड संस्था अमेरिका से वित्तीय आर्थिक सहायता पाती हैं और इस संस्था ने मान्यवर, जानबूझ कर भारत का नक्शा गलत छापा। केस आफ एक्शन रायबरेली में हुआ। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें ऐसी क्या परेशानी थी, जबकि राज्य सरकार ने उसमें क्रिमिनल आफेंस को कमिट किया हैं कि उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत करने में सक्षम नहीं हुई। दूसरे माननीय मंत्रीजी ने कहा कि उनके विरुद्ध डिप्टी कमिशनर पुलिस (आई), स्पेशल ब्रान्च, दिल्ली व डायरेक्टर आफ प्राजीक्यूशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं तो, वह आवश्यक कार्यवाही क्या हैं। अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया या नहीं और प्राजीक्यूटर द्वारा इस बारे में कोशिश हुई या नहीं ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य, फैजाबाद ने यह कहा है कि क्रिमिनल आफेंस यहां पर किया गया, तो इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि इसकी कोई जानकारी नहीं है कि क्रिमिनल आफेंस यहां पर हुआ या दिल्ली में हुआ। कलेक्टर दिल्ली में पकड़ा गया है। अतः डिप्टी कमिश्नर पुलिस (आई), स्पेशल ब्रांच, दिल्ली व डायरेक्टर आफ प्राजीक्यूशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा गया है। इसकी जांच चल रही है। जो तथ्य सामने आयेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मसला है। गलत नक्शा छप करके भारत के जो अभिन्न अंग हैं, उनको गलत दिखाया जाय, यह महत्वपूर्ण मसला है। जो उत्तर आया है, उसके संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि यह मामला इस प्रश्न के बाद माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आया था उसके पहले आया और दूसरी बात यह कि अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा रजिस्टर किया गया या नहीं। उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में, जहां यह केस किया जा रहा है, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, यह सवाल यहां आने से पहले इसकी जानकारी अखबारों के जरिये से मिली और इसके बारे में इण्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट ने न्याय विभाग से पूरी जानकारी चाही। यह प्रकरण 1985 में शासन को दिया गया। इस पर परीक्षण हुआ। न्याय विभाग ने कहा कि इसमें पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो तो इस मामले में धारा 124(ए) भारतीय दंड संहिता धारा 2, क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट एक्ट 1961 एवं धारा 4 टेररिस्ट एण्ड डिसरप्टिव (प्रिवेंशन) एक्ट, 1985 के अन्तर्गत अपराध के लिये चालान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में धारा 95 एवं 108 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भी आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा सकती है। तो मान्यवर, यह मामला न्याय विभाग के पास है। जांच चल रही है। जैसे ही कोई बात सामने आयेगी, उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य की जायगी।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, क्रिमिनल एक्ट के अनुसार जब किसी प्रदेश की सीमा में इस प्रकार की क्रिमिनल घटना होती है, तो वहां की सरकार कार्यवाही करती है। इस संबंध में उ0 प्र0 सरकार और रायबरेली के जिला प्रशासन ने क्या कार्यवाही की। क्या उनको गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं कि रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर इस घटना को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में जैसा कि उत्तर में बताया गया है दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है। इस घटना में हमारी सरकार और भारत सरकार मिलकर कार्यवाही कर रही है। जितना चिंता माननीय सदस्य को है,

उससे कहीं ज्यादा चिंतित मान्यवर, यह सरकार है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

जो आपत्तिजनक साहित्य का प्रकाशन होता है, मान्यवर जिलाधिकारी ही कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित हो जाने के बाद जब जिलाधिकारी की संज्ञान में मामला आया तो न्याय विभाग से परामर्श की क्या आवश्यकता थी। उन्हें अपने विवेक से ही कार्य करना चाहिये था। यदि लीगल एडवाइज आवश्यक ही थी, तो वे वहां के डी0 जी0 सी0 की राय ले सकते थे। राज्य सरकार को संदर्भित क्यों किया गया ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिलाधिकारी की बात कही है। मान्यवर, यह मामला आसान नहीं है। इसको गम्भीरता से सरकार ने लिया है। इस पूरी घटना के परिपेक्ष्य में न्याय विभाग से आवश्यक कार्यवाही के लिए परामर्श लिया गया।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, आप प्रश्न देखें। पहले भाग में इसमें पूरी स्थिति वर्णित है। इसमें रायबरेली के पते पर यह निश्चित प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि "जी हां"। मान्यवर, जो काज आफ ऐक्शन है वह रायबरेली जिले के अन्तर्गत है। भले ही अपराधी लोग जो हैं, बाहर होने के कारण, अभी गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं लेकिन मुकदमा कायम क्यों नहीं किया गया ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरतापूर्वक लिया है और किसी भी तथ्य को छिपाना नहीं चाहती। मान्यवर, जो दूसरा प्रश्न था कि मुकदमा क्यों नहीं दायर किया गया। मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हमारी सरकार और भारत सरकार मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं। इसमें जैसे ही वांछित जानकारी उपलब्ध होगी, हम इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, क्रिमिनल ला में यह गुंजाइश है कि जहां क्राइम होगा, वहीं उसकी रपट दर्ज होगी।

चूंकि यह घटना रायबरेली जनपद से संबंधित बतायी गयी है, इसलिए प्राइमाफेसी केस उत्तर प्रदेश का बनता है। क्रिमिनल ला की इस दफा को मद्दे नजर रखते हुये, क्या आप क्रिमिनल ला में तबदीली करने जा रहे हैं। जब मान्यवर, प्राइमाफेसी केस बन गया है, तो उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई ?

मेरी जानकारी को सही मानते हुये चूंकि इसमें दिल्ली का जिक्र आया है, दिल्ली के बड़े लोगों द्वारा इस मामले को दबवाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस शख्स का कांग्रेस आई से ताल्लुक है और इस बिना पर आप कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा।

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो दूसरा सवाल किया है वह बिलकुल निराधार है और गलत है। पहला जो सवाल किया गया है, अभी यही साबित नहीं हो पाया है कि यह काम दिल्ली में हुआ या फिर यहां जब यह साबित हो जायेगा उसके बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसकी अन्तिम तीन पंक्तियों में लिखा है कि "राज्य द्वारा आवश्यक सतर्कता सुनिश्चित की जा रही है।" मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या आवश्यक सतर्कता सुनिश्चित की जा रही है, इसे वह स्पष्ट कर दें ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसकी पूरी जांच कर रही है। हमारा इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट इसकी बराबर जानकारी कर रहा है और शासन भी भारत सरकार से इस संबंध में लगातार सम्पर्क किये हुये है। जब हमारी पूरी कार्यवाही हो जायेगी, तो तब हम इस आदरणीय सदन को उससे अवगत करा देंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मूल प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जितने भी अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनमें से किसी का भी संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी की ओर से नहीं आ रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय श्री तिवारी जी का यह पहली जून का सवाल है और आज जवाब आ रहा है कि सतर्कता बरती जा रही है। यह भी कहा गया कि प्रश्न के आने से पहले ही इस मामले की जानकारी शासन को हो गई थी। इस गम्भीर मामले की छानबीन के बाद कुछ नाम तो प्रकाश में आ गये होंगे, उन्हें आप बता दें। हमारी जानकारी के अनुसार इसमें कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण लोगों का हाथ है।

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, अभी जांच चल रही है। मामला बहुत गम्भीर है। जांच के दौरान यहां पर बताना उचित नहीं होगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ? इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सतर्कता के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो निर्देश जारी किये गये हैं, वे क्या हैं ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, इन्टेलीजेन्स को सतर्क कर दिया गया है और उसी के आधार पर हम पूरी कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि कलेन्डर बरामद हुये ये कलेन्डर कहां पर बरामद हुये और किसके पास से बरामद हुये ? दूसरा, हर ऐसी चीज का कोई मुद्रक होता है और प्रकाशक होता है । इस बात को भी खुद तस्लीम किया गया है कि रायबरेली के पते पर मुस्लिम बुदरहुड द्वारा ये कलेन्डर भेजे गये थे, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाशक वही थे । आपने यह भी कहा कि कलेन्डर ताज कम्पनी के हैं, इसका मतलब यह है कि ताज कम्पनी उसकी मुद्रक है तो अभी तक इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैं कई बार माननीय सदस्यों को बता चुका हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है और जांच के बाद ही कार्यवाही की जायेगी ।

[दिनांक 20 अगस्त, 1985 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मथुरा, मुहल्ला धौलीप्याऊ के व्यापारी के घर मारा गया छापा एवं पकड़ी गयी अवैध दवाइयां

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि दिनांक 27 व 28 अक्तूबर, 1984 को रात्रि को जिला प्रशासन, मथुरा ने थाना कोतवाली के अंतर्गत मुहल्ला धौलीप्याऊ में स्थित एक व्यापारी के घर छापा मारकर लाखों रुपये की अवैध दवाइयां व अन्य सामान बरामद किया था ? यदि हां, घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? शासन ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मानव जीवन की दवाइयों से संबंध रखती है । 27 व 28 अक्टूबर, 1984 की बात है । जितने भी सरकारी अस्पतालों में दवाइयां थी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन 4 स्टेटों की दवाइयां एक ही स्थान में मिली । पुलिस का छापा पड़ा, लाखों की दवाइयां थीं सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी शामिल हैं इसमें, आरोप लगा रहा हूं उनके ऊपर, मामले को दबाने के लिए यह जवाब दिया है नहीं तो कोई औचित्य नहीं है और 15 दिन बाद सत्र शायद समाप्त हो जायेगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा और आपका परीक्षण चाहूंगा कि इस सवाल को इसी सत्र में 2-4 दिन बाद इसका उत्तर दे देंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

सूचना बहुत शीघ्र करायी जायगी और जैसे ही आयेगी, माननीय सदस्य को दे दी जायेगी ।

श्री वेनी प्रसाद वर्मा—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, इसी सत्र में दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

हां ।

डा0 दिनेश जौहरी—

सब रोगियों को नकली दवायें मिल रही हैं और आप मुझे पूछने की इजाजत नहीं दे रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के ठेकेदारों से सामग्री पर ली जाने वाली जमानत की धनराशि

*2—डा0 शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उ0 प्र0 जल निगम द्वारा मैटीरियल की कीमत पर भी ठेकेदारों से जमानत राशि जमा कराने का निर्णय लिया गया है, जबकि इससे पूर्व ठेकेदारों द्वारा किया जाने वाले निर्माण कार्य के मूल्य पर ही जमानत राशि जमा कराने का प्राविधान था ? यदि हां, तो इस परिवर्तन के कारण क्या हैं और इसका औचित्य क्या है ? क्या यह भी सही है कि इस परिवर्तन के कारण छोटे ठेकेदारों को ठेका लेना असम्भव हो गया है ? यदि हां, तो मैटीरियल पर जमानत राशि जमा कराने के इस नियम में परिवर्तन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा कब तक इस नियम में परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह है कि पूर्व में जब ठेकेदारों को पाइप व स्पेशल्स आदि सामग्री बिना जमानत राशि के दी जाती थी तो कार्य पूर्ण होने पर बची हुई सामग्री ठेकेदारों द्वारा वापस न किये जाने के कारण उसके लेखा जोखा रखने एवं कार्य को सुचारु रूप से कराने में कठिनाई अनुभव की गई ।

जी नहीं, कार्य को सुचारु रूप से कराने के उद्देश्य से ठेकेदारों की तकनीकी क्षमता व आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुये ठेकेदारों की चार श्रेणियां निर्धारित की गयी हैं । जिसके अन्तर्गत छोटे ठेकेदार भी अपनी क्षमता व आर्थिक स्थिति अनुसार कार्य प्राप्त कर सकते हैं ।

अतः नियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

सचिवालय में प्रतिसार निरीक्षकों एवं सूबेदारों का लिया गया साक्षात्कार

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय में 2 प्रतिसार निरीक्षकों एवं 4 सूबेदारों की नियुक्ति हेतु 19-4-85 को साक्षात्कार लिया गया है ? यदि हां, तो सचिवालय सुरक्षा गार्ड की सेवा नियमावली का उल्लंघन कर उक्त साक्षात्कार का औचित्य क्या है ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

प्रश्नगत साक्षात्कार दिनांक 19-4-85 को नहीं, अपितु दिनांक 20-4-85 को लिया गया था और यह केवल प्रतिसार निरीक्षक के एक एवं सूबेदार (उप निरीक्षक) के दो पदों के लिए ही लिया गया था ।

उपर्युक्त साक्षात्कार उत्तर प्रदेश सचिवालय (सुरक्षा) एवं (अग्नि शमन) सेवा नियमावली, 1980 के नियमों के अंतर्गत लिया गया था और ऐसा करने में नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन नहीं किया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

सचिवालय के पहरुआ हैं यह सुरक्षा गार्ड । क्या मंत्री जी को जानकारी है कि सुरक्षा गार्डों ने 20 जून को सामूहिक

रूप से बैठक करके यह निर्णय लिया और शासन से अनुरोध किया कि यहां पर आर0 आई0 प्रतिसार निरीक्षक की नियुक्ति बाहर से न करके उन्हीं लोगों के बीच में से की जाय ?

श्री हुकुम सिंह—

जो ज्ञापन की बात कही, वह तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो नीति है वह मैंने बता दी आप को ।

श्री राम आसरे वर्मा—

सुरक्षा गार्डों से सम्बन्धित जो सेवा नियमावली है उसमें प्रोन्नति करने का प्राविधान है या नहीं ? अगर है तो फिर बाहर से प्रतिसार निरीक्षकों की नियुक्ति का औचित्य क्या है ?

श्री हुकुम सिंह—

प्राविधान है लेकिन यह भी है कि यदि सचिवालय के सुरक्षा रक्षक जो कार्यरत हैं उनमें से प्रोन्नति होने वाले पद के लिए उपयुक्त न हों तो बाहर से भी नियुक्ति की जा सकती है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा नियमावली के मुताल्लिक है । एक ही बात नहीं है, वेतन की भी बात होती है और वेतन इनका पुलिस कर्मचारियों से बहुत कम है, पुलिस वालों को अपनी तनख्वाह से बाहर भी मिल जाता है और उनका गुजर-बसर हो जाता है, तो क्या मंत्री जी उनकी नियमावली में यह तब्दीली करेंगे कि उनकी भी तनख्वाह बढ़ जाय ताकि वह भी अपना गुजारा ठीक से कर सकें ? क्योंकि पुलिस वालों की तरह से इनकी बाहर की कोई आमदनी नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह—

जितना भी वेतन है, यह वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करता है । जो वेतन आयोग की सिफारिश थी, उसी के अनुसार ही वेतन तय किया गया है । अगर आप पूछना चाहते हैं तो जो वेतन हम दे रहे हैं, उसकी सूची दे सकते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

विधान सभा सचिवालय में सूबेदार का पद नहीं है लेकिन वहां है, तो क्या विधान सभा सचिवालय में भी सूबेदार का पद सृजित किया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह—

जहां तक विधान सभा या विधान भवन रक्षकों का प्रश्न है, ऐसी परम्परा रही है कि प्रश्न नहीं पूछे जाते, यह आपके अधिकार की बात है, जो आप चाहते हैं, वही होता है ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

नियमावली में प्राविधान है कि अगर इनमें से योग्य न हों, प्रोन्नति के लायक न हो, तो बाहर से भी किया जाता है, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया था और क्या इस बात की परीक्षा कर ली गयी थी कि जो मौजूदा गार्ड हैं, उनमें से कोई भी उस पद पर प्रोन्नत होने लायक नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह—

"उपयुक्त" शब्द मैंने कहा, "लायक" वाली बात दूसरी हो जाती है । एलिजिबि-

लिटी को देखते हुये सुनिश्चित कर लिया गया था, इसीलिये बाहर से लिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

जानना चाहूंगा कि भविष्य में जब कभी भी आर0 आई0 की नियुक्ति हो, उस समय सुरक्षा गार्डों में से ही नियुक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

यह तो नियमों में प्राविधान है ही । पहले पदोन्नति वाली बात है, उनमें उपयुक्त नहीं पाये जाने पर बाहर से नियुक्ति का प्राविधान है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जो सचिवालय के सुरक्षा गार्ड हैं, उनका वेतन पुलिस के बराबर है लेकिन विधान सभा सचिवालय के गार्डों का पुलिस के बराबर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित प्रश्न यहां नहीं पूछे जा सकते, यह मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है ।

सरकारी कताई मिल, अमरोहा, जिला मुरादाबाद का क्षतिग्रस्त भवन

*4—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 17-5-83 को रात्रि 8 बजे अमरोहा, जिला मुरादाबाद में करोड़ों रुपयों की लागत से बनाई जा रही सूती मिल जिसे राजकीय निर्माण निगम बना रहा है, की प्रोडक्शन हाल के पश्चिमी साइड की दीवाल गिर गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ? क्या इसकी जांच कराई गयी और दोषी व्यक्तियों को सजा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

जी हां, 13-14 मई, 1983 की रात्रि को अचानक आये तूफान में राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाई जा रही सहकारी कताई मिल अमरोहा के प्रोडक्शन हाल के पश्चिमी साइड की दीवार के ऊपरी भाग (लिन्टल लेबेल बेड के ऊपर) के 43 में से 13 पैनेल पलट गये थे । परियोजना प्रबन्धक की जांच रिपोर्ट के अनुसार इसमें किसी का दोष नहीं पाया गया अतः सजा देने का प्रश्न नहीं उठा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, यह निर्माण निगम एक कीमती इमारत बना रहा था । इसकी इतनी चौड़ी दीवारें होती हैं कि हाथ भी नहीं फैल पायेंगे । यह हवा से गिर गया । अधिकारियों का जो जवाब आया, मन्त्री जी ने पढ़ सुनाया । जवाब के अलावा भी बुद्धि रखते हैं, उसे भी प्रयोग कर लिया करें । मैं यह जानकारी चाह रहा था कि यह इतनी चौड़ी दीवार, जहां हाथों को फैला दें तो भी पूरे न हो पाये, वे हवा से गिर गयीं जैसे तूफान का उन्होंने जिक्र किया है । मैं जानना चाहूंगा कि जिस मसाले, रेत, सीमेण्ट या मिट्टी से वे बनी थी, उसकी कैमिकल एनालिसिस रिपोर्ट क्या है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

ये दीवारें नहीं होती हैं सपोर्ट देने के लिए पैनेल होते हैं, ये 43 बने थे, इसके ऊपर सपोर्टिंग बीम पड़ती है 13-14 की

रात्रि को तूफान आ गया बहुत जोर का तूफान था यह एक्ट आफ गाड है इसमें किसी का कोई बस नहीं है, उनमें से 13 क्योंकि सपोर्टिंग बीम नहीं थी, गिर पड़े और टूट गये ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

सपोर्टिंग बीम की बात माननीय मन्त्री जी ने कही, सपोर्टिंग बीम सरिया, सीमेण्ट और कन्क्रीट से बनती है, यह बहुत मजबूत होती है । इनके कहने का मतलब यह हुआ कि बीम थी, सपोर्टिंग बीम नहीं लग सकी थी । यदि ऐसा था तो दीवारों के गिरने का क्या औचित्य था ? जो चीज गिरी, उसकी कैमीकल एनालिसिस हुई ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा, जांच की गयी थी, 1 : 7 का मसाला था । क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी, लगभग दो हजार रु0 से नीचे ही थी कुल हरजाने की । जांच करायी गयी, कोई ऐसा दोष नहीं पाया गया तूफान की वजह से 13 गिर गये थे, टूट गये थे ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, मुझे मालूम है कि अमरोहा में कोई तूफान नहीं आया और उसके बावजूद दीवार गिर गयी ऐसा क्यों ? इसके पीछे मामला कुछ और है कि जब तूफान भी नहीं आया तो फिर दीवार क्यों गिर गयी, क्या इस मामले में आपको कोई रिपोर्ट मिली है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय बर्क जी, मालूम देता है कि वह दीवार लखौड़ी ईंट की बनी रही होगी ।

अल्मोड़ा में शक्तेश्वर महादेव के निकट विन्सर गाड़ पर पुल का निर्माण

*5—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शक्तेश्वर महादेव पैदल पुल पत्रालय बाड़ेछिना विकास खण्ड मैसियाछाना, जनपद अल्मोड़ा कब स्वीकृत हुआ है ? क्या उसके दोनों ओर के अपरामेन्ट (पोलर) बने हैं ? यदि हां, तो पुल अब तक न बनने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी और कब तक पुल का निर्माण हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)—

जनपद अल्मोड़ा में शक्तेश्वर महादेव के निकट विन्सर गाड़ पर 24 मीटर विस्तार का पैदल पुल वर्ष 1978 में स्वीकृत हुआ । पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा यातायात के लिए खोला जा चुका है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरी इस जानकारी को सुनिश्चित मान कर कि पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाले जितने मार्ग हैं उसके बीच में नाला और गदेरा पड़ जाते हैं लेकिन उन पर पुल न होने से मार्ग का ठीक से उपयोग नहीं किया जा पाता है । क्या माननीय मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्र की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये मार्ग की स्वीकृति के साथ ही साथ पुलों की स्वीकृति पर भी विचार करके उसे बनवायेंगे ?

श्री गुलाब सिंह—

माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, इसे माना जायेगा ।

(श्री काशी सिंह ऐरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कह तो रहे हैं कि सुझाव अच्छा है और माना जायेगा ।

श्री सोनपाल सिंह, भागेपुर, थाना गुलावटी, बुलन्दशहर की जलने से मृत्यु

***6—श्री किरनपाल सिंह—**

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सोनपाल सिंह पुत्र मथन सिंह, निवासी भागेपुर, थाना गुलावटी, जनपद बुलन्दशहर को 2-3-1984 को जलाकर घायल कर दिया गया था । जिसकी मृत्यु 22-3-1984 को हो गयी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी—

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 2-3-84 को दुर्घटनावश श्री सोनपाल सिंह जल गया था जिसे उपचार हेतु मेडिकल कालेज मेरठ में भर्ती कराया गया । वहां दिनांक 22-3-84 को उसकी मृत्यु हो गयी । थाना मेडिकल कालेज, मेरठ की पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर थाना गुलावटी, जनपद बुलन्दशहर की पुलिस द्वारा दरियाफ्तहाल पंजीकृत करके जांच की गयी । जांच से किसी अपराध का होना नहीं पाया गया ।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मृतक 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जिन्दा रहा अस्पताल में, तो क्या पुलिस ने उसका कोई बयान लिया ? यदि बयान लिया, तो वह क्या था ?

श्री जफर अली नकवी—

पुलिस ने इसका बयान नहीं लिया बल्कि उसकी अपने रिश्तेदारों से बात हुई थी और उन्होंने ही पुलिस को बयान दिया ।

श्री किरन पाल सिंह—

दरियाफ्तहाल में मुकदमा कायम कर दिया, मारने वाला बाहर घूम रहा है । मृतक जब जिन्दा था तो क्या पुलिस को उसका बयान नहीं लेना चाहिये था ?

श्री जफर अली नकवी—

पुलिस को कोई बयान नहीं दिया क्योंकि वह बयान देने की स्थिति में नहीं था ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि कोई बयान नहीं लिया गया लेकिन कोई जांच तो की गयी होगी ? तो उस जांच की क्या रिपोर्ट आयी ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, 26-4-84 को थाना गुलावठी के बाबूराम इंसपेक्टर ने तफतीश की थी । और उस तफतीश में उसको यह मालूम हुआ कि कढाव में गिरकर वह व्यक्ति मरा है । इस संबंध में जिन लोगों ने

उसको उठाया उन्होंने अपना बयान दिया और उसकी पत्नी ने भी यह बात कही कि वह नशे में था, इसलिए ऐसी बात हुई ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जो गम्भीर अवस्था में होता है, दुर्घटना से होता है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन करते हैं । इस सम्बन्ध में पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैंने पहले कहा कि वह बयान देने की स्थिति में नहीं था, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं हुई ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक सब-इन्सपेक्टर ने जांच की और यह पाया कि कढ़ाव में गिरकर मरा तो यह सवाल नहीं पैदा होता कि किसी ने मारा और मंत्री ने जांच भी करायी यह समझकर कि मरा है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इससे पहले वह 2 तारीख को दाखिल हुआ और 22 तारीख को मरा है, तो इसके बयान लेने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गयी या डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं कराया गया और इस महत्वपूर्ण मामले को जानबूझ कर छिपाया गया और ये जांच रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं जब उसकी मृत्यु होने की थी, तो क्यों नहीं उन्होंने अस्पताल में जाकर बयान लिया, क्या मामला है ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, यह बड़ा सीधा सादा मामला है, उसकी पत्नी ने, उसके मामा ने, उन सब लोगों ने बयान दिया है कि वह नशे की हालत में गिरा और मर गया । इस संबंध में उसके बयान की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

श्री सूर्य प्रताप साही—

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर मामला है, इसमें स्थानीय पुलिस ने काफी लीपापोती की है, क्या इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच कराने के आदेश देंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । (कई सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, एक आदमी मार दिया गया और एक महीने बाद पुलिस पहुंची तफतीश करने के लिए । उसी स्थान पर कुछ महीने पहले एक युवक और मारा गया था । मान्यवर, इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करावें ।

(प्रश्न संख्या 9 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने सुन लिया है उसका जवाब आ गया ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें, आप अगर कनविन्स हो जायें तो मुझे कुछ नहीं कहना है । इसमें मामला यह है कि इन्होंने उनकी पत्नी से पूंछ लिया कि कढ़ाव में गिर कर मरा । लेकिन मैं मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2 तारीख से 22 तारीख तक उस मरने वाले का क्यों नहीं बयान लिया गया, इसका

जवाब नहीं आया है ? यह जवाब दिलवा दें, मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

त्रिलोक चन्द्र जी, हादसा या एक्सीडेन्ट भी होते हैं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मैं कहता हूं कि बयान क्यों नहीं लिया गया 20 दिन तक ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह सम्मानित माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है और उस पर फाइनल रिपोर्ट लग गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे हैं, उनकी भावना का आदर कीजिए, उसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करा दीजिए ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, अभी जो प्रश्न किया है, उसके सम्बन्ध में एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक आदमी गम्भीर घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल किया गया, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिली अस्पताल में उसका इलाज चलता रहा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गयी और उसका पोस्टमार्टम किया गया तब पुलिस को जानकारी मिली और मुकदमा कायम किया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय किरनपाल सिंह का यह रवैया मुनासिब नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह—

पोस्टमार्टम इस आधार पर हुआ कि जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी और पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को जानकारी दी गयी और मुकदमा कायम किया गया । माननीय सदस्य के पास अगर निश्चित जानकारी है, तो वह दे दें, मैं जांच करा लूंगा ।

*7—श्री मित्रसेन—

[दिनांक 23-7-85 को अता0 प्र0 सं0 63 द्वारा उत्तरित]

*8—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[दिनांक 13-8-85 को ता0 प्र0 संख्या 4 द्वारा उत्तरित]

कलेक्ट्रेट, हरदोई में छात्रों पर कथित लाठी चार्ज

*9—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1985 में हरदोई कलेक्ट्रेट के परिसर में छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज की घटना घटी ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही किसके आदेश से की गयी ? क्या सरकार उक्त मामले की मजिस्टीरियल जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं पाया गया कि माह मार्च, 1985 में हरदोई कलेक्ट्रेट के परिसर में छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज की घटना घटी । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

कोई प्रश्न नहीं करना है ।

लखीमपुर खीरी, थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा श्री आबिद हुसैन रिजवी, निवासी संकटा देवी, को मारने पीटने की घटना

*10—श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी लखीमपुर स्थित थाना कोतवाली पुलिस चौकी संकटा देवी में दिनांक 11-5-84 को 30 वर्षीय आबिद हुसैन को पुलिस ने पकड़ा और मारा-पीटा और उसकी मौत दिनांक 14-5-85 को मेडिकल कालेज, लखनऊ में हो गयी ? यदि हां, तो आबिद हुसैन की मौत का कारण क्या है ? क्या उसकी मौत पुलिस के मारने से हुई तथा क्या उसकी गिरफ्तारी किसी वांछित अपराध में हुई थी ? यदि हां, तो वह कौन सा अपराध है ?

श्री जफर अली नकवी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11-5-85 को मुखबिर की सूचना पर श्री संतोष कुमार त्रिवेदी उपनिरीक्षक थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ श्री आबिद हुसैन रिजवी पुत्र श्री सादिक हुसैन रिजवी निवासी संकटादेवी जनपद लखीमपुर खीरी को 7-30 बजे सायं संकटादेवी मंदिर के निकट, कस्बा लखीमपुर में एक अवैध तमंचा व दो जिन्दा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को चोटें आयीं। दिनांक 12-5-85 को प्रातः 7-45 बजे डाक्टरी परीक्षण हेतु अभियुक्त को जिला चिकित्सालय खीरी में भर्ती कराया गया। दिनांक 13-5-85 को उसे मेडिकल कालेज लखनऊ ले जाया गया जहां पर दिनांक 14-5-85 को 2·15 बजे दिन में उसकी मृत्यु हो गयी।

आबिद की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, इसके संबंध में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है। प्रश्नगत घटना के संबंध में मैजिस्टीरियल जांच भी प्रचलित है।

पुलिस द्वारा श्री आबिद हुसैन की गिरफ्तारी अवैध तमंचा रखने तथा पुलिस दल पर फायर करने के अपराध में की गई।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि आबिद हुसैन अंसारी जिसको पुलिस के द्वारा 11-5-1985 को 7 बजकर 30 मिनट पर पकड़ा जाना बताया गया है और चोटों के दौरान गिरफ्तारी हुई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब इतनी चोटें 11-5-1985 को हुई हों और उसको दूसरे दिन 12 तारीख को 7 बजकर 45 मिनट पर अस्पताल में दाखिल किया गया, तो इतना विलम्ब जो हुआ उसका कारण क्या था ? दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि उसके शरीर पर कितनी चोटें आयी थीं और उनकी प्रकृति क्या थी, नेचर आफ इन्जरी क्या था ? तीसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आयी थीं उसकी गिरफ्तारी के दौरान, यदि हां तो किस तरह की चोटें आयीं और उनका नेचर क्या था ? दूसरा सवाल मैं यह करना चाहता हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष—

आप एक दर्जन सवाल करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा ? एक सवाल कीजिए और उत्तर लीजिये।

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, किस सवाल का उत्तर दूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप अपना सवाल दुहरा दें ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैंने यह कहा कि उसकी गिरफ्तारी 11-5-85 को सायंकाल 7-30 बजे हुये और 12 तारीख को 7-45 बजे प्रातः उसको अस्पताल में दाखिल किया गया दूसरे दिन उसकी मौत हो गई । मैं यह जानना चाहता हूं कि 12 घन्टे बाद उसे अस्पताल में क्यों भेजा गया क्यों देरी की गई ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, उसको पहले स्थानीय डाक्टर को दिखाया गया और उसके बाद जब चोटें ज्यादा दिखाई दीं तो अस्पताल में भेजा गया । मान्यवर, मेरे पास चोटों की लिस्ट है ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गिरफ्तारी के समय जो रिपोर्ट बनी जो जी0 डी0 में चोटें दिखाई गई हैं वह क्या हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोटें दिखाई गई हैं वह क्या हैं ? उन दोनों में क्या अन्तर है ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, पोस्टमार्टम के अनुसार दाहिने जांघ में चोट, हाथ में चोट, पैर में चोट, मुंह और नाक में खून, पेट में चोट, पेशाब की थैली में चोट, सिर में कंजेशन और मरने का कारण ब्रेन हेमरेज ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, जी0 डी0 में जो चोटें दिखाई गई हैं, वे क्या हैं ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, जी0 डी0 इस समय नहीं हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि पुलिस वालों ने यह हत्या की है और यह हत्या का मामला है । 11 तारीख को जब उसे हवालात में बन्द किया गया तो उस समय जी0 डी0 में कोई चोट नहीं लिखी गई । यह उसमें दर्ज है । जब उसके पेट में लात मारी गई तो उससे उसकी पेशाब की थैली फट गई । उसकी जांघ में और सिर में चोट आई जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई । इससे साफ जाहिर है कि पुलिस वालों ने उसकी हत्या की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक पुलिस के खिलाफ आपने क्यों कार्यवाही नहीं की ? इस तरह से पुलिस वाले खुले आम हत्या कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन पुलिस कर्मियों को तुरन्त सस्पेंड करके उनके विरुद्ध 302 का मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेजेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो बात कही है मैं उनकी बात से पूर्णतः संतुष्ट हूं । क्योंकि यह मामला लखीमपुर का है और इसमें मैंने भी हस्तक्षेप किया था । इसलिये मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की है । इसके तहत जब यह मामला सामने आया तो उसके बाद इन्सपेक्टर

को सस्पेंड किया गया और बाद में उसके खिलाफ पहले 323 की रिपोर्ट की गई और बाद में जब उसकी मृत्यु हो गई तो 304 का मुकदमा दायर किया गया। मान्यवर, सबसे पहले हमने उनका ट्रांसफर किया और बाद में सस्पेंशन किया। जब उसके बाद हम संतुष्ट नहीं हुये और हमने यह महसूस किया कि ज्यादती हुई है इसलिये हमने इसकी सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी के आदेश दिये हैं। साथ ही साथ मैजिस्टीरियल जांच भी चल रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसके संबंध में मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। जब आपने उन्हें मुअत्तल कर दिया तो आपने यह मान लिया कि वह दोषी हैं। फिर आपने 302 का मुल्जिम दिखाकर उसे जेल में क्यों नहीं भेजा ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैंने बताया कि जो प्रार्थना-पत्र उन्होंने दिया था, उसमें हमने नहीं माना कि वह दोषी हैं लेकिन उनके प्रार्थना-पत्र को मानते हुए कि उन्होंने ऐसी कार्यवाही की होगी, उस पर हम सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी करा रहे हैं। सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश हो गये हैं जैसे ही जांच पूरी होगी उसमें अगर कोई दोषी पाया गया तो 304 को बदल कर 302 हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

फौरन उनको जेल क्यों नहीं भेज दिया गया ?

(प्रश्न संख्या 12 पुकारे जाने पर)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

[xxx]

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं नहीं लिखा जायेगा।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

न लिखा जाय, सुना तो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है बुनियाद हुसैन साहब (व्यवधान) मंत्री जी ने बताया कि सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द कर दिया गया है, सारी कार्यवाही हो रही है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

सब लोग बहाल कर दिये गये हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

यह कोई तरीका नहीं है।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

जो निलम्बित हुए थे, सब को बहाल कर दिया गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा सब लोग मुअत्तल कर दिये गये हैं और माननीय सदस्यों का कहना है कि अब कोई मुअत्तल नहीं है। तो क्या इस समय वे लोग जिनको आपने मुअत्तल किया वे मुअत्तल हैं या नहीं ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मुझे बताया गया है इन्सपेक्टर जिसके खिलाफ कार्यवाही हुई है, वह सस्पेंड कर दिया गया है (व्यवधान)

नोट—[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुहम्मद आजम खां—

यह क्या तमाशा है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले उनको सुन लीजिये । माननीय मंत्री जी आप उत्तर दें ।

श्री जफर अली नकवी—

मैंने बताया कि इन्सपेक्टर सस्पेंड है । अगर माननीय सदस्य की जानकारी ऐसी है कि सस्पेंड नहीं है तो मैं आश्वस्त करता हूं कि उनको पूरी रिपोर्ट दूंगा । कोई बिना सस्पेन्ड किये नहीं छोड़ा जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

इस तरह सदन को गुमराह किया जा रहा है । इसका ठीक जवाब दिलवायें । गलत सूचना दी गयी है आप कहते हैं मुझे बताया गया तो किसने बताया ?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, हमें संरक्षण दीजिये । पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जी0 डी0 की रिपोर्ट मेरे पास है (व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

कोई आदमी सस्पेंड नहीं है ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मैं कहना चाहता हूं कि जी0 डी0 में दिखाया गया है जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसने तमंचा चलाया और उसकी आवाज से सब लोग दौड़े । जी0 डी0 में यह भी है कि तमंचे में बिना दगे कारतूस मिला । उसमें दाहिने हाथ में चोट, पैर में चोट, बायें हाथ में चोट दर्ज है । उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास है, इसे मैं प्रस्तुत कर सकता हूं । जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें लिखा है, दो लीटर खून पेट में निकला, छोटी और बड़ी आंत फटी थी, लीवर फटने के कारण खून जमा हो गया था, पेशाब के मुकाम पर चोट और पेशाब की थैली फटी, रीढ़ की हड्डी में संगीन के चोट पाये गये, गरदन में मरोड़ के कारण सूजन थी, सीने में चोट थी, सर पर चौराहा बना था । ब्रेन हैमरेज था और टट्टी के मुकाम पर लाठी डंडे के चोट से वह फटा था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

आज भी पुलिस वाले घूम रहे हैं, किसी मुलजिम को कोई सजा नहीं दी गयी है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उसके दुश्मनों ने पुलिस को रुपया देकर हत्या करवाई है, इसलिये पुलिस के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा कायम करके कार्यवाही करेंगे और जेल भिजवायेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, सर्वप्रथम बताया कि जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये । माननीय सदस्य, मुहम्मद आजम खां ने जो कहा है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया और सी0 आई0 डी0 को जांच हेतु इस मामले को सुपुर्द कर दिया गया है । पूरी जांच आने के बाद यदि पुलिसजन दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ

भी 302 का मुकदमा दर्ज करके पूरी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मंत्री जी का कहना है कि मुअत्तल कर दिया गया है, मेरा कहना है कि इंसपेक्टर मुअत्तल नहीं है, तो क्या सही है इसको बतायें ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, 6 तारीख को इंसपेक्टर सस्पेंड किया गया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें । प्रश्न संख्या-12

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, मंत्री जी ने गलत उत्तर दिया है सरकार पुलिस और बेईमानों को संरक्षण दे रही है, इसलिये मैं सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी सदन त्याग कर चले गये ।)

*11—श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री सुखपाल पाण्डे—

[14वें सोमवार में ता0 प्र0 संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर, सरयू नदी के ग्राम नरहन में ऐतिहासिक अवशेष की कथित प्राप्ति

*12—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी हाल ही में गोरखपुर जिले के सरयू नदी के कछार के कुछ गांवों में चन्द दिन पूर्व ईसा पूर्व के ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका परीक्षण कराकर पुरातत्व विभाग द्वारा उक्त स्थानों की खुदाई करा कर उन्हें ऐतिहासिक स्थान बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

गोरखपुर जिले के सरयू नदी के कछार के किसी गांव में या कुछ गांवों में अभी हाल ही में ईसा पूर्व के ऐतिहासिक अवशेष मिलने की कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुयी है । अतः उक्त स्थानों की खुदाई या उन्हें ऐतिहासिक महत्व का स्थल बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जब मैंने प्रश्न किया तो इसमें सच्चाई जानने के लिये किस एजेंसी का सहारा लिया, किसने सूचना दिया कि इस तरह के गांव वहां नहीं पाये गये हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने सवाल किया था कि कुछ गांवों में चंद दिन पूर्व, तो चंद दिन पूर्व सूचना नहीं मिली है । कुछ वर्ष पूर्व 1983 में यह सूचना मिली थी कि बड़हल गंज कस्बे के निकट नरहन ग्राम में प्रश्नगत टीलों की जानकारी शासन को 1983 में तब हुई, जबकि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष ने प्रश्नगत टीलों में खुदाई कराने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति मांगी और भारत सरकार ने 19-11-83 को पत्र द्वारा स्वीकृति भेजी और भारत सरकार ने श्री पुरू-

पोत्तम सिंह के निर्देशन में नरहन जिला गोरखपुर में उत्खनन करने की स्वीकृति दिनांक 19-11-83 के द्वारा जारी की गयी और उसकी प्रति सरकार को 15-12-83 को प्राप्त हुई । मान्यवर, यह जो संरक्षण की कार्यवाही होती है यह भारत सरकार के एक एक्ट के अनुसार होती है । यह 1904 का भारत सरकार का एक्ट है, जिसे सन् 56 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां एडाप्ट किया था । इसमें हम नोटिफिकेशन करते हैं, फिर आब्जेक्शन इन्वाईट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें फाइनली डिसीजन ले लेते हैं । तो इसकी हम जांच करा रहे हैं और हमने कलेक्टर को भी निर्देश इस संबंध में दे दिए हैं कि वह मौके पर जाकर गाटे और जमीन को देख लें और हमें अपनी रिपोर्ट दे दें । जैसे ही जांच रिपोर्ट पूरी होकर आ जायेगी, तो हमारी तरफ से नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके एक महीने में हम आब्जेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद शेष कार्यवाही कर लेते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

हमारे प्रश्न में दी सूचना को मंत्री जी ने प्रकारान्तर में स्वीकार कर लिया है कि वहां पर खुदाई हो रही है, काशी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के लोग उस पर काम कर रहे हैं । जब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि इस प्रकार के अवशेष मिले हैं, जिनकी खुदाई हो रही है, जिनका पुरातत्व की दृष्टि से महत्व है और पुरातत्व विभाग से उनका संबंध है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है ? आपकी सरकार क्या करती रही, कि केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय को आदेश दे दिया ? जिला प्रशासन का भी कोई दायित्व होता है । तो अब आप क्या आश्वासन देंगे कि उन स्थानों को ऐतिहासिक महत्व के स्थान घोषित करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

आपकी आज्ञा से मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही हमें सूचना मिली है, डी0 एम0 को लिख दिया है, उसकी जांच करवा रहे हैं और अपना आदमी भी भेज रहे हैं और इसमें करीब दो-तीन महीने लग जाएंगे । वहां पर कुछ पत्थर के टुकड़े और नग आदि मिले हैं बहुत पुराने हैं यह बात सही है । हम जांच करा रहे हैं और जैसे ही हमारे पास 2-3 माह में वह आ जाएगी, हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे ।

डा0 अच्युतानन्द तिवारी—

मेरी सूचना को सही मानकर कि धुरियापार में एक सिक्का मिला है, जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जांच के लिए भेजा गया था । जो सिक्का 10 आने भर का है और कुषाणकालीन बताया जाता है, तो क्या आप कृपा कर जिलाधिकारी को धुरियापार के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी करेंगे ?

(उत्तर नहीं दिलाया गया)

राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष, श्री परितोष चन्द्र त्यागी की योग्यता

*13—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

मौजूदा अधिनियम एवं नियमों में दी गयी अर्हताओं को न रखने के कारण अध्यक्ष इस पद के सर्वथा अयोग्य हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें तुरन्त कार्यभार से मुक्त किया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त—

जी नही । जल (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-4 के अनुसार बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो । वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-5 के अनुसार भी अध्यक्ष के लिए उपर्युक्त योग्यता का प्राविधान रखा गया है । उपर्युक्त प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए श्री परितोष चन्द्र त्यागी को कार्यभार से मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अनुशासनात्मक प्रकरणों के शीघ्र निपटारे हेतु समयबद्ध प्रक्रिया

*14—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा अनुशासनात्मक प्रकरणों के शीघ्र निपटारे हेतु कोई निश्चित समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या शासन कर्मचारियों/अधिकारियों के हित मे शीघ्र ऐसी प्रक्रिया बनाने पर विचार कर रहा है ?

श्री नारायन दत्त तिवारी—

जी हां ।

संक्षेप में यह प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट में अंकित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 203 पर)

लखनऊ, रामतीर्थ मार्ग, मीराबाई मार्ग व राणा प्रताप मार्ग पर नजूल भूमि

*15—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में रामतीर्थमार्ग मीराबाई मार्ग एवं राणा प्रताप मार्ग से घिरे क्षेत्र में नजूल की कितनी सरकारी भूमि है ? इस भूमि के कितने क्षेत्रफल का पट्टा समाप्त हो गया है या आगामी 10 वर्षों में समाप्त होना है तथा क्या इन पट्टों के प्रत्येक भूखण्ड में रिहायशी मकान बनाने की अनुमन्यता है ? क्या यह भी सही है कि इनमें से एक भूखण्ड पर विगत पांच वर्षों की अवधि में एक व्यावसायिक भवन का नक्शा पास कर दिया गया है ? यदि हां तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के प्रति क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त तिवारी—

लखनऊ में रामतीर्थ मार्ग, मीराबाई मार्ग तथा राणा प्रताप मार्ग से घिरी लगभग 18 बीघा 11 बिस्वा 17 बिस्वांसी 2 कचवांसी नजूल की सरकारी भूमि है । इसमें से किसी भूमि का पट्टा वर्तमान में न तो समाप्त हुआ है और न आगामी दस वर्षों में समाप्त होगा । पट्टों की शर्तों के अनुसार इन भूखण्डों पर रिहायशी बिल्डिंग बनाने की अनुमन्यता है । इनमें से किसी भी भूखण्ड पर विगत पांच वर्षों में कोई भी व्यावसायिक भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*16—श्री रामसजीवन—

[दिनांक 23-7-85 को ता0 प्र0 संख्या 11 द्वारा उत्तरित]

महेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम घरौली, प्रतापगढ़ के चक के मध्य खण्डवा-मदाफरपुर मार्ग

*17—श्री रायलक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या शासन को जानकारी है कि श्री महेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम घरौली विकास खण्ड मगरौरा, जनपद प्रतापगढ़ की चक के बीचोबीच से सम्पर्क मार्ग खण्डवा मदाफरपुर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रतापगढ़ द्वारा गैर कानूनी ढंग से चलाया जा रहा है तथा इस मार्ग को चक के एक किनारे से चक रोड से होते हुए बनाने का आदेश जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने दिया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिसवा बाजार, गोरखपुर की चीनी मिल की बन्दी

*18—श्री शिवेन्द्र सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की सिसवा बाजार चीनी मिल पिछले दो पेराई सत्र से बंद पड़ी है और कृषकों को गन्ना गिराने में अत्याधिक व्यय भार वहन करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो कृषकों की परेशानी देखते हुए इस वर्ष शासन मिल चलवाने की क्या व्यवस्था कर रही है ? क्या शासन उक्त चीनी मिल के श्रमिकों के बकाया वेतन तथा अन्य देयों के भुगतान की व्यवस्था कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त तिवारी—

सिसवा बाजार, गोरखपुर की चीनी मिल पेराई सत्र 1983-84 तथा 84-85 में बन्द रही। शासन ने इस मिल का अधिग्रहण करके राज्य चीनी निगम में निहित कर दिया है और निगम पेराई सत्र 1985-86 में मिल को चलाये जाने की सभी आवश्यक व्यवस्था कर रहा है।

मिल के अधिग्रहण किये जाने के बाद का श्रमिकों का बकाया वेतन जुलाई 1985 तक का भुगतान किया जा चुका है। अधिग्रहण के पूर्व के बकायों के संबंध में उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1971 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ, मोहल्ला वजीरगंज में नाला पुल कुम्हारन में बच्चों के डूबने की घटना

*19—श्री नरेश चन्द्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में स्थित मोहल्ला वजीरगंज में नाला पुल कुम्हारन में पिछले एक वर्ष में कई बच्चे डूबकर मर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षा की दृष्टि से नाले के किनारे-किनारे दिवाल बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री नारायन दत्त तिवारी—

नगर महापालिका, लखनऊ के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*20—चौधरी महाराज सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर, निर्वाचन क्षेत्र मुण्डेरा बाजार, के ग्राम विशनपुरा में दो दलों में हुए संघर्ष संबंधी पुलिस चौकी, बरही में अंकित रिपोर्ट संबंधी कथित पत्र और थाना झगहा में अंकित रिपोर्ट

1—श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार (अ0 जा0) के ग्राम विशुनपुर, थाना झगहा पुलिस चौकी बरही में दो राजनीतिक दलों में विधान सभा चुनाव प्रचार में दिनांक 25-2-85 में संघर्ष हो गया जिसकी रपट इसी दिन पुलिस चौकी बरही में मु0 अ0 सं0 38/85 धारा 143/323/504 भा0 द0 वि0 में श्रीमती शारदा देवी व मु0 अ0 सं0 38ए/85 धारा 147/336/323/427/379/504/506 भा0 दं0 वि0 में श्री पन्ने लाल दोनों प्रत्याशियों ने अलग-अलग रपट दर्ज कराया है ? यदि हां, तो इस मामले की जांच अलग-अलग किन-किन एजेंसियों द्वारा अब तक कराई गयी है और इस समय किस एजेंसी द्वारा जांच चल रही है ?

श्री नारायन दत्त तिवारी—

जी हां ।

स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना करायी जा रही थी इस समय विवेचना विशेष अनुसंधान (एस0 आई0 एस0) द्वारा करायी जा रही है ।

2—श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव—

क्या यह सत्य है कि इस सन्दर्भ में श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को सम्बोधित करते हुए मुख्य मंत्री व आई0 जी0 (पी) उत्तर प्रदेश को कोई पत्र दिनांक 15-4-85 को डाक से भेजा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

3—श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना झगहा में मु0 अ0 सं0 76/85 अन्तर्गत धारा 457/380, भा0 दं0 वि0 में दिनांक 17-5-85 में एक हरिजन महिला ने प्रथम सूचना अंकित कराई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सन्दर्भ में लाए गए चार व्यक्तियों को पुलिस ने एक रात हिरासत में रखने के बाद दिनांक 19-5-85 को छोड़ दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला निर्वाचन कार्यालयों के छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

4—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों के अस्थायी छटनीशुदा कर्मचारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय में

अभी तक नहीं खपाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि प्रत्येक निर्वाचन के समय बढ़े हुए काम को पूरा करने हेतु सभी जिला निर्वाचन कार्यालयों में बड़ी संख्या में अस्थायी पद सृजित किए जाते हैं जो काम घट जाने पर समाप्त हो जाते हैं। अस्थायी पद स्वीकृत होने पर इन छटनी शुदा कर्मचारियों को पचास प्रतिशत पदों पर नियुक्त किया जाता है।

राजकीय पालीटेक्निक, बदायूं के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और प्रधानाचार्य, श्री के0 एल0 बाधवा, के विरुद्ध जांच

5—श्री नरेशपाल सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालिटेक्निक बदायूं की नवीन संस्था में कौन कर्मचारी कब-कब दैनिक वेतन पर रखे गये, कितना-कितना वेतन दिया गया, उनका चयन किस प्रकार किया गया, उनके साक्षात्कार में कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार में सेवायोजन कार्यालय से आये तथा कितने बाहर से ?

श्री नारायन दत्त—

राजकीय पालीटेक्निक, बदायूं के प्रधानाचार्य द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर रखा गया और उनको उनके नाम के सम्मुख अंकित दैनिक वेतन दिया गया—

नाम	अवधि	वेतन कब तक दिया गया	कुल वेतन
		रु0	रु0
सर्वश्री—			
1—उदय वीर सिंह	22-3-84 से 10-9-84 तक	10.00	1,730
2—नन्हे लाल	24-3-84 से 10-9-84 तक	10.00	1,620
3—नरेन्द्र चन्द्र	16-12-83 से 10-9-84 तक	10.00	2,600
4—राम पाल सिंह	20-10-83 से 28-9-84 तक	10.00	3,450
5—राम सिंह	21-10-84 से 31-1-85 तक	10.00	1,030
6—बृज बिहारी द्विवेदी	30-3-85 से 30-6-85 तक	12.00	900

उक्त कर्मचारियों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों के आधार पर तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका नाम स्थानीय सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है, उन्हें संस्था के कार्यों को सम्पादित कराने हेतु समय-समय पर दैनिक वेतन पर रखा गया। उनका चयन नहीं किया गया था।

6—श्री नरेशपाल सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक बदायूं के प्रधानाचार्य के विरुद्ध बरेली संस्था से सम्बन्धित भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच शासन के अधीन चल रही है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या निकले ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां। श्री के0 एल0 बाधवा, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बदायूं के विरुद्ध बरेली संस्था से सम्बन्धित अनियमितताओं की जांच चल रही है।

जांच आख्या प्राप्त होने पर किसी परिणाम पर पहुंचना संभव होगा।

थाना मौंठ, झांसी के श्री नन्दू निवासी मातनपुरा द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

7—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मौंठ जिला झांसी में अंकित रिपोर्ट संख्या 11/85 दिनांक 14-1-85 में मौंठ पुलिस ने उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है? उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-1-85 को श्री नन्दू निवासी मातनपुरा कस्बा व थाना मौंठ जनपद झांसी की लिखित सूचना के आधार पर थाना मौंठ पर पांच नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 11/85 अन्तर्गत धारा—147/323/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। डाक्टरी परीक्षण के आधार पर उक्त अभियोग धारा 147/323/325/504/506 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना से उक्त अभियोग झूठा पाया गया अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी जो न्यायालय द्वारा दिनांक 14-5-85 को स्वीकृत की जा चुकी है।

किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[8 वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

9—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बुन्देलखण्ड के जिलों में प्रति व्यक्ति उत्पाद एवं आय

10—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों में प्रति व्यक्ति आय क्या है तथा शेष प्रदेश के बावन जिलों में प्रति व्यक्ति आय क्या है? बुन्देलखण्ड एवं शेष प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कितना अन्तर है? इस अन्तर को समाप्त करने हेतु शासन क्या कर रहा है?

नियोजन मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

राज्य सरकार द्वारा जनपदवार आय अनुमान नहीं तैयार कराये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा केवल 5 वस्तु उत्पाद खण्डों अर्थात् कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मत्स्य उद्योग, खनन एवं पत्थर निकालना तथा विनिर्माण (पंजीकृत एवं अपंजीकृत) के जिलेवार घरेलू शुद्ध उत्पाद के अनुमान ही तैयार कराये जाते हैं। इन अनुमानों के अनुसार बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों के अधुनान्त

वर्ष 1982-83 में प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पाद के अनुमान निम्न प्रकार हैं—

बुन्देलखण्ड क्षेत्र—

जनपद	प्रचलित भावों पर (रु0)	स्थायी भावों पर (1970-71) (रु0)
1—बांदा	1033	394
2—हमीरपुर	1007	410
3—जालौन	763	320
4—झांसी	928	355
5—ललितपुर	850	332
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	937	371

प्रदेश के शेष 52 जिलों के प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान (प्रति व्यक्ति आय) संलग्न परिशिष्ट "क" में दिये हुए हैं ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद प्रदेश के लगभग आधे जनपदों से अधिक है फिर भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार विशेष प्रयत्न कर रही है । सिंचाई, विद्युत, उद्योग, जल सम्पूर्ति व अन्य सेक्टरों में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष परियोजना एवं कार्यक्रम सप्तम योजना में सम्मिलित किये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 204 पर)

आजमगढ़: सरायमीर-दीदारगंज मार्ग की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

11—श्री भीखा राम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरायमीर—दीदारगंज मार्ग की सड़क जनपद आजमगढ़ बिल्कुल खराब हो चुकी है ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में मरम्मत पर कितना धन खर्च किया गया है और उसके बावजूद भी सड़क खराब होने का क्या कारण है और कब तक ठीक करा दी जायेगी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में सामान्य मरम्मत पर 1.90 लाख रुपये तथा विशेष मरम्मत एवं सुधार पर 7.21 लाख रु0 व्यय किये गये । उपलब्ध धनराशि केवल कुछ किलोमीटरों में मार्ग के सुधार के लिए पर्याप्त थी जो करा दिया गया । शेष किलोमीटरों में कार्य और धनराशि उपलब्ध होने पर कराया जायेगा ।

आजमगढ़ के ग्राम दोस्तपुर व औरिल के हरिजनों के घर पर पड़ी कथित डकैती

12—श्री भीखा राम—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में थाना पवई के ग्राम दोस्तपुर व ग्राम औरिल में अप्रैल, 85 में हरिजनों के घर पर डकैती पड़ी है ? यदि हां, तो उसमें कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि डकैती की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इस अपराध को छुपाने वाले के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

फूलपुर, विधान सभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री शोभन राम की हत्या

13—श्री भीखा राम—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा सामान्य चुनाव के समय फरवरी, 85 में फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी श्री शोभन राम की हत्या के सम्बन्ध में किसी मुल्जिम की कोई गिरफ्तारी हुई ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? क्या इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 के बजाय सी0 बी0 आई0 से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

मामले में सी0 आई0 डी0 जांच की जा रही है अतः सी0 बी0 आई0 से कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

आजमगढ़, ग्राम बखरा के श्री हरीलाल द्वारा थाना सरायमीर में लिखायी गयी रिपोर्ट

14—श्री भीखा राम—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-9-84 को श्री हरीलाल पुत्र श्री कालिका, ग्राम बखरा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ में धारा 147, 148, 149, 307, 302 भा0 दं0 वि0 की रपट दर्ज करवाई थी ? उसमें कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या मुल्जिमान की गिरफ्तारी हुई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक मुल्जिमान के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त—

दिनांक 28-9-84 को प्रार्थी द्वारा थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ में मु0 अ0 सं0 192/84 धारा 147/148/149/307/302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया । मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायी गयी । जांच में प्रथम सूचना में नामांकित सभी अभियुक्त दोषी पाये गये । अभियुक्त फूलचन्द के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है । शेष अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

शाहजहांपुर दि किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर के प्रधान प्रबन्धक एवं मुख्य लेखाकार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

15—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-5-85 को माननीय मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता ने अपने एवं श्री देवेन्द्र पाल सिंह, युवक कांग्रेस मंडलीय अध्यक्ष, बरेली के शिकायती-पत्र के साथ दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर के प्रधान प्रबन्धक एवं मुख्य लेखाकार के भ्रष्टाचार एवं बेईमानी के सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में मुख्य शिकायतें क्या थीं और इन शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गयी और उसके क्या परिणाम रहे ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, प्रश्नकर्ता के माध्यम से श्री देवेन्द्र पाल सिंह, अध्यक्ष युवक कांग्रेस

मंडल, बरेली का शिकायती-पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ को प्राप्त हुआ था ।

शिकायतों में मुख्यतः कोयला अधिक दर पर खरीदना, शीरे के बेचने में अनियमितता बरतना, मिल के सिविल कार्य में ठेकेदार को अनियमित ढंग से भुगतान करना, अनावश्यक तीसरा चीनी गोदाम बनाकर मिल को आर्थिक हानि पहुंचाना, बहुगल नदी पर कच्चा पुल बनाने में अनियमितता बरतना, ठेकेदार द्वारा मिल श्रमिकों के निवास स्थान में निम्न स्तर की सामग्री लगाकर आर्थिक हानि पहुंचाना, प्रधान प्रबन्धक द्वारा मिल परिसर में लगे पेड़ों को कटवाकर अपने निवास का फर्नीचर बनवाना, शक्कर के बोरों को रिजेक्टेड दिखाकर अनियमित बिक्री, मुख्य लेखाकार द्वारा रु0 10,000 अनियमित रूप से अग्रिम लेना व कटे-फटे नोटों का अनुचित उपयोग करना एवं मिल के जू0 इंजीनियर, श्री शुक्ला द्वारा लिये गये अग्रिम का अनुचित उपयोग करना आदि शिकायतों का उल्लेख किया गया था ।

उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा कराई गई है ।

समस्त साक्ष्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त उपरोक्त सभी शिकायतों में से केवल एक शिकायत आंशिक रूप से सिद्ध पाई गयी कि तिलहर चीनी मिल समिति के मुख्य लेखाकार श्री ए0 जे0 रिजवी ने 10 हजार रु0 हाईड्रालिक ब्लाइंड्स आयात करने के सम्बन्ध में लेटर आफ क्रेडिट खुलवाने के लिए मिल कोष से लिये थे, जिसे उन्होंने काम न होने की दशा में विलम्ब से जमा कराया । इसके लिए श्री ए0 जे0 रिजवी को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गयी है ।

किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर, शाहजहांपुर के लाभ एवं हानि का विवरण और कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं ग्रेच्युटी पर व्यय की गयी धनराशि

16—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत तिलहर चीनी मिल में वर्ष 83-84 तथा 84-85 में कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई ? क्या सरकार पूरा लेखा-जोखा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नारायन दत्त—

तिलहर चीनी मिल को वर्ष 1983-84 में लगभग रु0 141.63 लाख की हानि हुई । वर्ष 1983-84 की हानि/लाभ का लेखा संलग्न है । 30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष 1984-85 के लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है । अतः वर्ष 1984-85 की हानि/लाभ की सूचना अभी देना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 206 पर)

17—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत तिलहर चीनी मिल के कर्मचारियों को

नियुक्ति हेतु चीनी मिल खुलने के उपरान्त कोई चयन समिति का गठन किया गया ? यदि हां, तो इस चयन समिति ने कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया ? क्या यह सही है कि गत वर्षों में 83-84, 84—85 में चयन समिति के गठन हेतु मिल स्तर पर प्रयास किए गये ? यदि हां, तो चयन समिति का गठन न होने के क्या कारण हैं ।

श्री नारायन दत्त—

सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) में नियुक्तियों के सम्बन्ध में चयन समिति का गठन किया गया है । इस चयन समिति के माध्यम से 158 व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयीं। मिल के कर्मचारियों की यूनियनों से मांग प्राप्त हुई कि चयन समिति का गठन न करके वरिष्ठता के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाय । अतः 1983-84 तथा 1984-85 में चयन समिति का गठन नहीं किया किया गया ।

18—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत तिलहर चीनी मिल में वर्ष 83—84 तथा 84—85 में कितने व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया और उन पर कितना धन, वेतन आदि के रूप में खर्च हुआ ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नारायन दत्त—

चीनी मिल तिलहर में वर्ष 83—84 के सीजन तथा आफ सीजन में अधिकतम क्रमशः 960 तथा 375 एवं वर्ष 84—85 के सीजन तथा आफ सीजन में अधिकतम क्रमशः 970 तथा 445 कर्मचारियों ने काम किया । इन वर्षों में कुल कर्मचारियों पर व्यय क्रमशः रु0 61.02 लाख तथा रु0 64.34 लाख रहा, जिसके विवरण निम्न प्रकार हैं :—

विवरण	1983-84 (रु0 लाख में)	1984-85 (रु0 लाख में)
वेतन एवं मजदूरी	51.75	51.70
ओवर टाइम	01.55	01.38
रिटेनिंग भत्ता	01.15	02.04
प्रोत्साहन बोनस	02.96	06.55
चिकित्सीय सुविधा	03.21	02.35
कर्मचारी कल्याण	00.16	00.14
वर्दी पर व्यय	00.21	00.18
ग्रेच्युटी	00.03	—
योग ..	61.02	64.34

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक अधिष्ठान श्री विनोद कुमार जैन के विरुद्ध तस्करी का आरोप और उनके बरेली के कार्यकाल में उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि

19—श्री राम औतार दीक्षित—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक अधिष्ठान श्री विनोद कुमार जैन, प्रखण्ड, फैजाबाद के कार्यकाल में तस्करी के आरोप में पकड़े गए थे और सरकार द्वारा इन्हें उस कार्य के लिए दुश्चरित्र प्रविष्टि दी

गयी थी ? यदि हां, तो उसे किस आधार पर आलोपित कर दिया गया ? क्या सरकार इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं, श्री वी0 के0 जैन, अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक अधिष्ठान को तस्करी के आरोप में पकड़ा नहीं गया था ।

इस पूर्ण प्रकरण में आचरण संदिग्ध पाये जाने के कारण शासन द्वारा इन्हें वर्ष 1982-83 में इन्हें एक दुश्चरित्र प्रविष्टि दी गयी थी ।

चूंकि कस्टम विभाग द्वारा इन्हें इस मामले में दोष मुक्त कर दिया गया था अतः इस आधार पर दुश्चरित्र प्रविष्टि निरस्त कर दी गयी ।

स्थानान्तरण नीति के अनुरूप इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

20—श्री राम औतार दीक्षित—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री विनोद कुमार जैन, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, बरेली के कार्यकाल में फर्जी भुगतान के दोषी पाए गये श्री जैन द्वारा सीमेन्ट स्टाक में 6 लाख का घपला किया गया जिसके स्टाक रजिस्टर एवं एम0 बी0 भी गायब करा दी गयी ? यदि हां, तो मुख्यालय पर इन्हें नियुक्त करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इन्हें मूल विभाग को वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । श्री वी0 के0 जैन, अधिशासी अभियन्ता बरेली जनपद के कार्यकाल में शिथिल नियंत्रण इत्यादि हेतु दोषी पाये गये थे । इस पर शासन के पत्र सं0 1996/38-4-1402 (3)/74, दिनांक 15-7-1981 द्वारा इन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी ।

मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक के पद पर सामान्यतया पर्याप्त अनुभव के अधिशासी अभियन्ता को तैनात किया जाता है । श्री जैन को जब अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक के पद पर तैनात किया गया तब उन्हें अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्य करते 8 वर्ष से अधिक हो चुके थे ।

प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारियों के संविलियन के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-6-85 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है, तदनुकूल इनके भी मामले में कार्यवाही की जायेगी ।

21—श्री शेर बहादुर सिंह—

[दिनांक 31-7-85 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

लखनऊ तथा इलाहाबाद में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना

22—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ तथा इलाहाबाद में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना का कार्य काफी दिनों से चल रहा है ? यदि हां, तो कब तक ट्रकें वहां स्थानान्तरित हो जायेंगी तथा क्या

अन्य सुविधाओं का विकास हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां। लखनऊ क्षेत्र के अन्दर खड़े होने वाली ट्रकें अब ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानान्तरित कर दी गयी हैं और वहीं खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। क्षेत्र में सभी सुविधाओं का विकास हो चुका है।

जहां तक इलाहाबाद का सम्बन्ध है मार्च, 86 तक ट्रकें ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानान्तरित होने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में भी आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।

श्री शिव गोविन्द नारायण त्रिपाठी, उप चीनी आयुक्त, मेरठ के विरुद्ध दायर मुकदमा

23—श्री राम लाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि श्री शिव गोविन्द नारायण त्रिपाठी, उप चीनी आयुक्त के विरुद्ध जब मुरादाबाद में सहायक चीनी आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, न्यायालय में खांडसारी इकाईदार से रिश्वत लेने के सम्बन्ध में कोई वाद विचाराधीन था ? यदि हां, तो क्या श्री त्रिपाठी ने उक्त वाद की प्रोसीडिंग को स्थगित कराने के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में स्वतः दायर याचिका में रिश्वत लेना स्वीकार किया था और इकाईदार पर दबाव डालकर मुरादाबाद न्यायालय से संदर्भित वाद वापस ले लिया गया था ? यदि हां, तो श्री त्रिपाठी के विरुद्ध क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

श्री शिव गोविन्द नारायण त्रिपाठी, उप चीनी आयुक्त, मेरठ के विरुद्ध जब वे सहायक चीनी आयुक्त, मुरादाबाद थे श्री मूल चन्द्र आर्य द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 420/409 के अन्तर्गत चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। लेकिन परिवादी श्री मूल चन्द्र आर्य द्वारा न्यायालय में मुकदमा न चलाने विषयक अभिकथन प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त श्री त्रिपाठी के विरुद्ध आरोप निराधार पाते हुए उन्हें दोषमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया और उनके विरुद्ध परिवाद खारिज कर दिया। यह सही नहीं है कि त्रिपाठी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका में रिश्वत लेना स्वीकार किया गया। इकाई स्वामी पर मुकदमा वापस लेने के लिए श्री त्रिपाठी द्वारा दबाव डाले जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश जल निगम के अवर अभियन्ताओं का स्थायीकरण और मैकेनिकल कैडर के अवर अभियन्ताओं का सेलेक्शन ग्रेड

24—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में सभी श्रेणी के अवर अभियन्ताओं के स्थायीकरण के पूर्व किन-किन बातों को दृष्टिगत रखा जाता है और जिन-जिन बातों को दृष्टिगत रखा जाता है उन सबके होने के बाद भी अब तक कुल कितने अवर अभियन्ताओं का स्थायीकरण का मामला रुका

पड़ा है व उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

उत्तर प्रदेश जल निगम में सभी श्रेणी (सिविल/विद्युत्/यांत्रिक) के अवर अभियन्ताओं के स्थायीकरण के पूर्व निम्नलिखित बातों को दृष्टिगत रखा जाता है—

(1) परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई हो ।

(2) कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो ।

(3) सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया हो कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

उपरोक्त लिखित मापदण्ड के अनुसार 103 अवर अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदन पूर्ण न होने के कारण उनके स्थायीकरण का मामला अभी रुका पड़ा है । इन अवर अभियन्ताओं के स्थायीकरण के मामले पर इसी वर्ष जल निगम की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा ।

25—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में उ0प्र0 जल निगम के मैकेनिकल कैडर के किन-किन अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया था व उस समय दिये गये सेलेक्शन ग्रेड को बाद में कब से और किस आधार पर संशोधित कर दिया गया था व एक ही साल में नियुक्त अवर अभियन्ताओं को भिन्न-भिन्न वर्षों में सेलेक्शन ग्रेड देने का क्या कारण है और सबको समान वर्षों में सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए अब क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

वर्ष 1979 में उ0 प्र0 जल निगम के मैकेनिकल कैडर के 50 अवर अभियन्ताओं (संलग्न सूची "अ") को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया था ।

अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के लिए स्थायीकरण की शर्त जल निगम द्वारा हटा लिये जाने के कारण उक्त अवर अभियन्ताओं के मामलों पर निगम की चयन समिति की दिनांक 29-9-84 को आयोजित बैठक में फिर से विचार किया गया और उन्हें वर्ष 1979 से पूर्व की तिथियों से सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया गया ।

विभिन्न वर्षों में अवर अभियन्ता के उपलब्ध पदों के केवल 20 प्रतिशत पदों पर ही सेलेक्शन ग्रेड दिया जाता था, जिस कारण सबको समान वर्षों में सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 207 पर ।)

26—श्री रणजीत—

उ0 प्र0 विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 3रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन अवर अभियन्ताओं के

स्थायीकरण व सेलेक्शन ग्रेड के मामले गोपनीय प्रतिवेदनों के अनुपलब्ध होने के कारण रुके थे, उनमें किन-किन और कब से कब तक के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध थे व उस अवधि के जिनके गोपनीय प्रतिवेदन अब प्राप्त हो गये हैं और संतोषजनक हैं उनके स्थायीकरण व सेलेक्शन ग्रेड के बारे में क्या आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

संलग्न सूची "ब" के अनुसार 26 अवर अभियन्ताओं के स्थायीकरण व सूची "स" के अनुसार 9 अवर अभियन्ताओं के सेलेक्शन ग्रेड के मामले गोपनीय प्रतिवेदन पूर्ण न होने के कारण रुके हुए थे । जिस अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त थे वह उनके नाम के समक्ष अंकित हैं ।

सूची "ब" पर क्रमांक 16 व 19 के अतिरिक्त अन्य सभी अवर अभियन्ता स्थायी किये जा चुके हैं ।

सूची "स" में प्रथम 7 अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जा चुका है । शेष के गोपनीय प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं जिन पर चयन समिति की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 208 पर ।)

उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने सम्बन्धी चयन समिति का गठन

27—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम मुख्यालय, लखनऊ पर अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड देने के सम्बन्ध में माह अप्रैल व मई, 1985 में कब-कब चयन समिति की मीटिंग हुई व उनमें किन-किन अवर अभियन्ताओं के नामों पर विचार हुआ तथा उनमें से कौन-कौन सेलेक्शन ग्रेड देने के उपयुक्त व अनुपयुक्त पाये गये तथा उन अनुपयुक्त पाये गये वो उपयुक्त पाये गये अवर अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदनों के मिनिट्स की अलग-अलग प्रतिलिपियां तथा अनुपयुक्तता का कारण क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्यालय पर अवर अभियन्ता (सिविल) एवं अवर अभियन्ता (वि०/यां०) को सेलेक्शन ग्रेड देने के सम्बन्ध में चयन समिति की बैठकें क्रमशः 22-4-85 एवं 17-5-85 को हुई थी, जिनमें संलग्न सूची में अंकित नामों पर विचार किया गया था । इनमें से केवल एक अवर अभियन्ता को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया । अन्य के विषय में वांछित सूचना उनके नामों के सम्मुख अंकित कर दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 210 पर ।)

सासनी, (अलीगढ़) टाउन एरिया मुहल्ला पथवारी में सड़क के निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

28—डा० बंगाली सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सासनी (अलीगढ़) टाउन एरिया में मुहल्ला पथवारी में सड़क, नाली खड़ंजा व पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है ?

यह कार्य एस्टीमेट के विरुद्ध व घटिया दर पर हो रहा है ? यदि हां, तो क्या नागरिकों ने इस सम्बन्ध में सामूहिक रूप से कोई शिकायत की है ? क्या यह सही है कि ठेकेदार और प्रभारी अधिकारी मिलकर टाउन एरिया के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । यह कार्य एस्टीमेट के अनुसार किया गया है, परन्तु प्रभारी अधिकारी, टाउन एरिया, सासनी द्वारा इस सड़क के निरीक्षण के दौरान अंतिम भाग में 200 फिट की लंबाई में सड़क का निर्माण घटिया स्तर का पाया गया ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रभारी अधिकारी द्वारा 200 फुट लम्बाई के सड़क के घटिया स्तर के निर्माण को पुन: निर्माण कराये जाने का आदेश दे दिया गया है और ठेकेदार के भुगतान को रोकने की कार्यवाही की गयी है । शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ को जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

अलीगढ़, सासनी में जनता को पीटे जाने एवं जेल भेजे जाने सम्बन्धी मजिस्टेरियल जांच

29—डा0 बंगाली सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 मार्च, 85 को सासनी (अलीगढ़) में निरपराध व असहाय नगर की जनता को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पीटे जाने व उन्हें झूठे आरोपों में जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है और इस सम्बन्ध में नियुक्त की गयी मजिस्ट्रेट जांच की आख्या क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5-3-85 को सासनी, अलीगढ़ में घटित घटना के सम्बन्ध में जनता को पीटे जाने के आरोपों की मजिस्टेरियल जांच के आदेश दिनांक 12-3-85 को दिये गये । मजिस्टेरियल जांच अभी समाप्त नहीं हुई है ।

उप निरीक्षक श्री जयदेव सिंह तोमर, थाना हाथरस, अलीगढ़ का कार्यकाल एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा पंजीकृत मुकदमा एवं शिकायती-पत्र

30—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ के थाना हाथरस जंक्शन के थाना-ध्यक्ष श्री जयदेव सिंह तोमर इस जनपद में कितने साल से सेवारत हैं और इनके जनपद अलीगढ़ के सेवाकाल में उनके विरुद्ध विभाग द्वारा कब किस मामले में कार्यवाही की गयी और उसका क्या परिणाम हुआ ? क्या यह सही है कि इस जनपद में इनको शासन के निर्धारित समय से अधिक समय स्थानान्तरण में हो गया है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

उप निरीक्षक श्री जयदेव सिंह तोमर, जनपद अलीगढ़ में एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि सम्मिलित करते हुए दिनांक 25-2-78 से 1-7-85 तक सेवारत रहे। जनपद अलीगढ़ के सेवाकाल में फरवरी, 1985 की मारपीट की एक घटना के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है जो प्रचलित है। इस जनपद में कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण उनका स्थानान्तरण अन्य जनपद में किया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना हाथरस जंक्शन के थानाध्यक्ष के विरुद्ध अपराध संख्या 28/1985 पंजीकृत हुआ ? यदि हां, तो विवेचना में अब तक क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष श्री जयदेव सिंह तोमर के विरुद्ध प्रश्न में वर्णित अपराध पंजीकृत हुआ। विवेचना से थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किये जाने योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर समाप्त कर दी गयी। कान्स्टेबिल सुरेशपाल धामा को अकारण पकड़ कर थाने ले जाने एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष श्री तोमर के विरुद्ध धारा 7 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष श्री जयदेव सिंह तोमर, थाना हाथरस, जंक्शन, जिला अलीगढ़ के भ्रष्टाचार एवं दलबन्दी में लिप्त होकर कार्य करने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र बाबू निवासी हाथरस जंक्शन जिला अलीगढ़ के शिकायती-पत्र दिनांक 1-5-85 व दिनांक 8-5-85 व दिनांक 21-5-85 व दिनांक 25-5-85 एवं दिनांक 1-6-85 गृह मंत्री को एवं महानिदेशक पुलिस एवं उप महानिरीक्षक, पुलिस आगरा मण्डल, आगरा एवं महानिरीक्षक सतर्कता विभाग एवं महानिरीक्षक सी0 आई0 डी0 एवं महानिरीक्षक गोपन विभाग और महानिरीक्षक पुलिस अपराध निवारण संगठन अनुसंधान विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक किस अधिकारी ने शिकायती-पत्र के प्रत्येक तथ्य पर क्या कार्यवाही की और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं। शिकायती पत्रों की जांच से थानाध्यक्ष श्री जयदेव सिंह तोमर के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए। कांस्टेबिल सुरेशपाल धामा के साथ रेलवे स्टेशन हाथरस जंक्शन पर मार-पीट आदि के आरोप के सम्बन्ध में श्री तोमर के विरुद्ध पंजीकृत अपराध संख्या 28/85 के अंतर्गत धारा 342/323 भा0 दं0 वि0 की विवेचना में आरोप-पत्र प्रेषित किये जाने योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर समाप्त कर दी गयी, किन्तु उक्त कांस्टे-

बिल को अकारण पकड़ कर थाने ले जाने एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष श्री तोमर के विरुद्ध धारा-7 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है। थानाध्यक्ष श्री तोमर दिनांक 2-7-85 को अलीगढ़ जनपद से स्थानान्तरित होकर मथुरा जनपद को जा चुके हैं।

हाई कोर्ट, इलाहाबाद में न्यायाधीशों की संख्या तथा अनुसूचित जाति के न्यायाधीश

33—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद में कुल न्यायाधीशों की संख्या क्या है और उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

हाई कोर्ट, इलाहाबाद में दिनांक 31-7-85 को कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 46 थी और उसमें एक न्यायाधीश अनुसूचित जाति के हैं।

तहसील ऐत्मादपुर, आगरा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना की मांग

34—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील ऐत्मादपुर जो आगरा जनपद की सबसे बड़ी तहसील है पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अदालत खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं।

तहसील ऐत्मादपुर, जनपद आगरा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति शासन के विचाराधीन नहीं है। वर्ष 1981 में ऐत्मादपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के उपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया था। ऐत्मादपुर आगरा से केवल 18 कि0 मी0 की दूरी पर है और जिला जज की आख्या के अनुसार वादकारी जनता को आगरा न्यायालय में आने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है। ऐत्मादपुर में आवासिक व अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं के स्थायीकरण की मांग

35—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् एवं यांत्रिक कैडर के सहायक अभियन्ता जो लगभग 10 वर्षों से सेवारत हैं तथा शासन द्वारा नियमित भी हैं, अभी तक अस्थायी हैं ? यदि हां, तो तीन वर्षों की लगातार सेवा करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने विषयक स्पष्ट शासनादेश के बावजूद इनको अब तक स्थायी न करने का क्या कारण है तथा इन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

सीधी भर्ती के वर्ष 1977 तक के अभियन्ताओं के स्थायीकरण के मामले वर्ष 1981 में विचार किये गये, उनमें 8 अभ्यर्थी अनुपयुक्त पाये गये, इनमें से 7 के विरुद्ध जांच आदि थीं तथा 1 के संबंध अभिलेख अपूर्ण थे। पुनः विचार किया जा रहा है।

प्रोन्नति श्रेणी के अभियन्ताओं का मामला न्यायालय में लम्बित है। अंतिम निर्णय पर कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

सहकारी चीनी मिल, तिलहर के जूनियर इंजीनियर, श्री आर0 एस0 शुक्ला को दी गयी धनराशि

36—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान प्रबन्धक, श्री जगतपाल चीनी मिल, तिलहर के कार्यकाल में मिल के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की पूर्ति हेतु जूनियर इंजीनियर (सिविल) को कितनी अग्रिम धनराशि दी गयी तथा कार्य समाप्त होने पर शेष धनराशि श्री शुक्ल द्वारा मिल को वापस की गयी ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सहकारी चीनी मिल, तिलहर के तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक श्री जगतपाल के कार्यकाल में विभिन्न कार्यों की पूर्ति हेतु जूनियर इंजीनियर (सिविल) श्री आर0 एस0 शुक्ला को समय-समय पर कुल रुपया 1,75,785.25 की धनराशि अग्रिम के रूप में दी गई। उक्त धनराशि पूर्ण रूप से समायोजित हो गई है। अतः धन की वापसी का विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा, नगरपालिका, अतर्रा द्वारा लिया जाने वाला कथित यात्रीकर

37—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बांदा जनपद की नगरपालिका अतर्रा में प्रवेश के समय यात्री वाहनों में यात्रा करने वालों से प्रत्येक यात्री 50 (पचास) पैसे कर के रूप में अतिरिक्त लिया जाता है ? यदि हां, तो इस कर का आधार क्या है ? इस कर से नगरपालिका में क्या विकास हुआ ? क्या सरकार उक्त यात्री टैक्स माफ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

38—श्री सुखपाल पाण्डे—

[6ठे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 98 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सहकारी चीनी मिल, तिलहर शाहजहांपुर के मुख्य लेखाकार श्री ए0 जे0 रिजवी को दी गयी अग्रिम धनराशि

39—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) में दिनांक 1-6-84 को श्री ए0 जे0 रिजवी, मुख्य लेखाकार द्वारा कितना अग्रिम धन लिया गया था ? क्या उक्त धनराशि लेने के लिए किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति ली गयी थी ? क्या

यह धनराशि वित्तीय नियमावली के विरुद्ध ली गयी है ? यदि हां, तो मुख्य लेखाकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

चीनी मिल, तिलहर के मुख्य लेखाकार श्री ए0 जे0 रिजवी को दिनांक 1-6-84 को फैक्ट्री कार्य हेतु रुपया 10,000 (दस हजार रुपये) की धनराशि अग्रिम के रूप में दी गयी। उक्त अग्रिम धनराशि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर दी गयी थी। इस अग्रिम धन को दिये जाने में किसी प्रकार के वित्तीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में श्री रिजवी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

40—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[दि0 30-7-85 को अता0 प्र0 सं0 32 द्वारा उत्तारित।]

बस्ती स्टेट हाईवे के सुआंव नाला के पुल पर पथकर की वसूली

41—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती प्रान्तीय खण्ड पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा नेशनल हाईवे पर स्थित सुआंव नाला पर पुल की लागत सरकार ने पथकर के रूप में वसूल कर पूरी कर ली है और अधिशासी अभियन्ता बस्ती ने इस पुल को कर मुक्त करने के लिए अप्रैल, 85 में शासन को लिखा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जनपद बस्ती में पीलीभीत बहराइच स्टेट हाईवे नं0 26 के कि0 मी0 379 पर स्थित सुआव नाला सेतु को पथकर से मुक्त करने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं।

आगरा, नगला अजीता की कुमारी अनुराधा के साथ बलात्कार सम्बन्धी थाना जगदीशपुरा में पंजीकृत मुकदमा

42—श्री विजय सिंह राणा, श्री बदन सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में थाना जगदीशपुरा के अन्तर्गत नगला अजीता में दि0 25-5-85 को कुमारी अनुराधा के साथ अनिल कुमार नामक युवक द्वारा बलात्कार किये जाने की कोई रिपोर्ट कराई गयी है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में वर्णित घटना के सम्बन्ध में कु0 अनुराधा के पिता श्री राजनारायण शर्मा, निवासी नगला अजीता द्वारा दिनांक 26-5-85 को थाना जगदीशपुरा पर प्रथम सूचना अंकित कराई गई। इसमें आरोप लगाया कि उसके ग्राम की निवासनी श्रीमती राजकुमारी पत्नी ओम प्रकाश शर्मा ने दिनांक 25-5-85 को उसकी पुत्री अनुराधा को अपने घर बुलाया जहां पर अनिल कुमार ने उसके साथ बलात्कार किया। इस सूचना के आधार पर एक अभियोग अपराध सं0 94/85, अन्तर्गत

धारा 376/109/201 भा0 द0 वि0 का पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप दोनों उक्त नामजद अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया।

इस अभियोग में विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

टाउन एरिया, गोपीगंज, वाराणसी में श्री सलिल कुमार वर्मा की अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति एवं स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच और कर्मचारियों की कथित नियुक्ति

43—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया मैनुअल की धारा 10 के विपरीत बिना जिला मैजिस्ट्रेट के अनुमोदन के गोपीगंज नगरपालिका, जिला वाराणसी में श्री सलिल कुमार वर्मा बख्शी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

टाउन एरिया गोपीगंज के श्रेणी-4 की नगरपालिका में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप श्री सलिल कुमार वर्मा बख्शी को उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 6 के उपधारा 4 के खण्ड (एक) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी श्रेणी-4 के रूप में नियमानुसार उ0 प्र0 पालिका प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा में संविलीन किया गया है।

44—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संख्या 2652/11-1-80, लखनऊ, दि0 4-7-80 नगरपालिका अनु0-1 के शासनादेश सं0 1875/11-1-4 सी0 एस0 जनरल/79, 1 के प्रस्तर-3 में यह व्यवस्था है उ0 प्र0 पालिका केन्द्रियत सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनके गृह निवास जिलों में नहीं किया जायगा ? यदि हां, तो नगरपालिका, गोपीगंज में बख्शी/अधिशासी अधिकारी श्री सलिल कुमार वर्मा, दि0 27-12-81 से शासनादेश के विपरीत अपने गृह जिले व गृह निवास गोपीगंज नगरपालिका में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें हटायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां। टाउन एरिया, गोपीगंज के श्रेणी-4 के नगरपालिका में परिवर्तित होने के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 7-11-84 द्वारा श्री सलिल कुमार वर्मा उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा में अधिशासी अधिकारी के रूप में संविलीन हुये। नगर पालिका गोपीगंज से श्री वर्मा का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

45—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सलिल कुमार वर्मा बख्शी, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका गोपीगंज के विरुद्ध कई बार सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय तथा उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार व गबन की जांच की गयी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

श्री सलिल कुमार वर्मा, अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच अभी पूर्ण नहीं हुई अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का अभी प्रश्न नहीं उठता।

46—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपीगंज नगरपालिका में शासनादेश सं0 15/34/78, कार्मिक-1, लखनऊ, दिनांक 2 फरवरी, 1981 के विरुद्ध बिना पद सृजन के लगभग 25 लोगों की सीधी तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं ? क्या यह नियुक्ति शासन की स्वीकृति से है ? यदि नहीं, तो उन्हें क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत लखनऊ में सड़कों का निर्माण

47—श्री भगौती सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में पिछली सरकारों द्वारा "खाद्यान्न योजना" के अन्तर्गत सा0 नि0 विभाग द्वारा बनवाई गयी सड़कें अधूरी पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा उनको पूरा करने की क्या योजना है ?

श्री नारायन दत्त—

खाद्यान्न योजना में लखनऊ जनपद में कुल 26 सड़कें स्वीकृत हुई थीं जिनमें से 18 सड़कों पर कार्य स्वीकृति के अनुसार पूर्ण किया जा चुका है। शेष 8 सड़कें भूमि उपलब्ध न होने के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी हैं। इनको पूर्ण कराना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

लखनऊ के थाना गाजीपुर में अंकित हत्या एवं चोरी के अपराध

48—श्री भगौती सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जनवरी, 1985 से 7 जून, 85 तक लखनऊ जनपद के गाजीपुर थाना क्षेत्र में हत्या और चोरी के कितने अपराध हुए ? जनपद के अन्य थानों की तुलना में क्या यह संख्या सर्वाधिक है ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ जनपद के गाजीपुर थाना क्षेत्र में जनवरी, 1985 से 7 जून, 85 तक हत्या के 3 तथा चोरी के 74 अपराध पंजीकृत हुये। यह संख्या जनपद के अन्य थानों की तुलना में सर्वाधिक नहीं है।

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

49—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का गन्ना आपूर्ति का कुल कितना रुपया बकाया है ? इसमें से कितना रुपया शुगर कारपोरेशन द्वारा संचालित मिलों का है ?

श्री नारायन दत्त—

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का गन्ना आपूर्ति का दिनांक

15-7-85 तक कुल 23.56 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें से 6.35 करोड़ रुपया उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 द्वारा संचालित मिलों का है।

50—श्री राजेन्द्र गुप्त—

उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कुल बकाया रकम में वर्ष 1984-85, 1983-84, 1982-83 के अनुसार कितने रुपये बकाया हैं ?

श्री नारायन दत्त—

कुल उक्त बकाया धनराशि में से प्रश्न में सन्दर्भित वर्षों का बकाया निम्नवत् है :—

वर्ष	बकाया गन्ना मूल्य (करोड़ रु0)
1984-85	18.33
1983-84	0.14
1982-83	0.21

राम सागर नगर, लखनऊ के मध्य स्थित गांवों गाजीपुर, बस्तौली के विकास की मांग

51—श्री भगौती सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राम सागर नगर, लखनऊ के बीच में आने वाले गांव गाजीपुर बस्तौली समीउद्दीनपुर आदि अनेक गांवों में शौचालय, पेयजल, प्रकाश, जल निकासी और मार्ग के अभाव में वहां के नागरिक परेशान हैं ? यदि हां, तो उनके हल के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री नारायन दत्त—

परिषद् द्वारा योजना के क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले गांवों की आबादी क्षेत्र का विकास कार्य नहीं किया जाता है।

परिषद् द्वारा गाजीपुर गांव की आबादी में एक सुलभ शौचालय के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। परिषद् द्वारा गांव के आबादी क्षेत्र जिन्हें भूमि अर्जन से मुक्त कर दिया जाता है, में विकास कार्य करने का कोई प्राविधान नहीं है।

छठी पंचवर्षीय योजना एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय के विवरण

52—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या नियोजन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में मद अनुसार कितना-कितना धन व्यय हुआ, कितना-कितना धन प्रस्तावित था तथा 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मद अनुसार कितना-कितना परिव्यय स्वीकृत हुआ है तथा राज्य सरकार द्वारा कितने-कितने परिव्यय की प्रस्तावना की गयी थी ?

श्री जयराम वर्मा—

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के मदवार परिव्यय और उसके समक्ष अनुमानित व्यय तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के लिए राज्य सरकार द्वारा मदवार प्रस्तावित परिव्यय एवं केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय के विवरण संलग्नक में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 211 पर।)

फैजाबाद टाउन एरिया, गोसाइगंज के सफाई कर्मचारियों की सर्विस बुक

53—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टाउन एरिया, गोसाईगंज के सफाई कर्मचारियों की सर्विस बुक क्यों नहीं बनाई गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में सफाई कर्मचारी संघ टाउन एरिया गोसाईगंज की ओर से मई, 1985 में जिलाधिकारी, फैजाबाद को कोई ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त—

टाउन एरिया, गोसाईगंज के सफाई कर्मचारियों के नियमानुसार सर्विस रोल बनाये गये हैं ।

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 212 पर ।)

54—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कानपुर रोड, लखनऊ स्थित सरकारी कालोनियों के आवंटियों को प्रदत्त सुविधाएं

55—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 के नियम 5(1) का प्रयोग राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समस्त सरकारी कालोनियों के सरकारी आवंटियों के आवास परिवर्तन के सम्बन्ध में इस समय किया जा रहा है ? यदि हां, तो कानपुर रोड राजकीय कालोनी के अध्यासियों को इस नियम द्वारा प्रदत्त सुविधा से अब तक वंचित रखने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या शासन राज्य सम्पत्ति विभाग के दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, कानपुर रोड कालोनी के आवंटियों को छोड़कर ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र, मेहनगर, आजमगढ़ में कृषि पालीटेक्निक की स्थापना संबंधी प्रार्थना-पत्र

56—श्री दीप नारायण—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 1985 का पत्र जो विधान सभा क्षेत्र, मेहनगर, जिला आजमगढ़ में कृषि पालीटेक्निक खोलने के सम्बन्ध में उन्हें दिया था ? उस पर मंत्री जी ने सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को उपरोक्त पालीटेक्निक को बजट में लाने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

उस समय इस प्रस्ताव पर वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक में अन्य योजनाओं के साथ सम्मिलित करने पर विचार किया गया था। किन्तु वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक में आजमगढ़ में एक और बहुधंधी संस्था खोलना सम्भव नहीं हो पाया।

बांदा जिले में थाने एवं पुलिस चौकियों की स्थापना का प्रस्ताव

57—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि शासन द्वारा बांदा जनपद में नए चालीस थाने तथा चौकी स्थापित करने का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उनकी सूची क्या है और अभी तक स्थापित न करने का क्या कारण है?

श्री नारायन दत्त—

जनपद बांदा में 4 नये थाने एवं 28 चौकियां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। इनकी सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है। इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ अतिरिक्त सूचनायें पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश से मांगी गयी हैं जो अभी अपेक्षित हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 214 पर।)

बांदा, नगरपालिका, अतर्रा के विकास कार्य पर व्यय की गयी धनराशि

58—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की अतर्रा नगरपालिका ने वित्तीय वर्ष 1984-85 के विकास कार्य में कितना धन व्यय किया? उसका पूर्ण विवरण क्या है तथा मौजूदा सत्र में अतर्रा नगरपालिका की विकास योजनाएं क्या हैं?

श्री नारायन दत्त—

जिला मैजिस्ट्रेट, बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार नगरपालिका, अतर्रा द्वारा वर्ष 1984-85 में निम्नलिखित कार्यों पर रु0 1,10,162.90 पै0 व्यय किया गया :

कार्य	धनराशि रु0
(1) सड़क मरम्मत एवं निर्माण	87,600.22
(2) पुलिया निर्माण	6,575.63
(3) प्रकाश व्यवस्था	15,987.05

मौजूदा सत्र में धुम्मा तालाब का सुन्दरीकरण, मूसानगर में सड़क, पानी तथा बिजली की व्यवस्था और बृहमनगर कालोनी का विकास नगरपालिका के विचाराधीन है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति की मांग

59—श्री कृष्ण कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (आर0 ई0 एस0) विभाग में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति का मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो उसमें कितने अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ताओं की सहायक अभि-

यन्ता के पद पर प्रोन्नति दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में अवर अभियन्ताओं को विभागीय प्रोन्नति देकर सहायक अभियन्ता बनाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है किन्तु जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सहायक अभियन्ता पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के उपयुक्त अवर अभियन्ताओं को चयन कर भेजने का मामला विचाराधीन है।

श्री सुरेशानन्द पुरोहित, आपरेटर, सूचना विभाग, उत्तरकाशी की भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान

60—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेशानन्दपुर रोहित, आपरेटर उत्तरकाशी को सेवा निवृत्त हुये चार साल हो गये हैं फिर भी उनके भविष्य का अब तक भुगतान न होने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है और कब तक इनको भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह—

श्री सुरेशानन्द पुरोहित, आपरेटर दिनांक 1-11-81 को सेवानिवृत्त हुये थे। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से उनके भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि के विरुद्ध रु0 1,633 का प्राधिकृत पत्र प्राप्त हुआ था जिसका भुगतान जुलाई, 1985 में श्री पुरोहित को कर दिया गया है।

इलाहाबाद सिविल लाइन्स और जार्ज टाउन की भूमि का पट्टा

61—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद सिविल लाइन्स और जार्ज टाऊन में लीज की भूमि का निपटारा विगत कई वर्षों से नहीं हो पाया है ? सरकार ने अभी तक क्या निर्णय लिया तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायन दत्त—

सिविल लाइन्स, इलाहाबाद के समाप्त नजूल पट्टों के स्थान पर नये पट्टों की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1804/9 नजूल-81-373 एन/79, दिनांक 19 अप्रैल, 1981 तथा उसके साथ पठित शासनादेश संख्या 2259/9-नजूल-81-373-एन/79, दिनांक 2 मई, 1981 जारी किये गये हैं। उक्त शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है लेकिन इन शासनादेशों को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं प्रस्तुत कर दी गई जिसके कारण कार्यवाही स्थगित है। जो पूर्व पट्टेदार इन शासनादेशों के अनुसार नया पट्टा लेना चाहते हैं उन्हें शासन द्वारा नया पट्टा दिया जा रहा है।

जार्ज टाऊन की लीजों का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

बाराबंकी, बख्शी तालाब तिन्दोला मार्ग पर रेठ नदी के चिलहटा घाट पर पुल निर्माण की मांग

62—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के

बख्शी तालाब वाया तिन्दोला मार्ग पर चिलहटा घाट रेठ नदी पर वर्ष 1975 से मन्जूर पुल को अब तक न बनवाए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

यह पुल स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिनहट-देवा मार्ग, रेठ नदी के सरैय्या घाट पर पुल निर्माण

63—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चिनहट मार्ग से देवा मार्ग पर रेठ नदी पर सरैय्या घाट पर पुल बनवाने की स्वीकृति 1982-83 में हुई थी ? यदि हां, तो अब तक पुल न बनवाए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त पुल को तत्काल बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

स्वीकृति 18 अप्रैल, 83 को 15.90 लाख रु0 की दी गयी थी । किन्तु सर्वे करने पर ज्ञात हुआ कि स्वीकृत लागत के अन्दर पुल बनाना संभव नहीं है । अतः पुल का आगणन पुनरीक्षित किया जा रहा है ।

पुनरीक्षित स्वीकृति जारी होने के बाद निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्भव होगी ।

64-65—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

[6ठे शुक्रवार में अता0 प्र0 संख्या 43-44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बांदा, नगरपालिका, अतर्रा में सीवर लाइन के निर्माण की कथित योजना

66—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के नगरपालिका अतर्रा में सीवर लाइन निर्माण योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्यरूप में परिणित की जायगी ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर की नजूल भूमि पर भी प्रदीप कुमार भागी का कथित अवैध कब्जा

67—श्री जंगबहादुर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 17/18 मई, 1985 को मुख्य मन्त्री, उ0 प्र0 को प्रदीप कुमार भागी द्वारा नगर शाहजहांपुर में नजूल भूखण्ड पर अवैधानिक ढंग से निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

मामले में जिलाधिकारी द्वारा जांच कराने पर आरोप निराधार पाये गये ।

68—श्री अवधेश प्रसाद—

[7वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

69—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

बलिया जिले के थानाध्यक्ष, रेवती श्री रमाशंकर द्विवेदी तथा उप निरीक्षक, श्री तारकेश्वरी पाण्डेय के विरुद्ध शिकायती-पत्र

70—श्री मैनेजर सिंह तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में पहली मार्च, 85 से 15 जून, 85 तक किन-किन पुलिस सब-इंसपेक्टरों के खिलाफ शिकायतें की गयी और उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में तत्कालीन थानाध्यक्ष रेवती श्री रमाशंकर द्विवेदी तथा उ0 नि0 श्री तारकेश्वरी पाण्डेय के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुयीं जिनकी जांच करायी गयी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

बलिया, थाना बांसडीह के दरोगा, श्री शिवहर्ष तिवारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

71—श्री मैनेजर सिंह तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के अन्तर्गत बांसडीह थाने के सहायक दरोगा श्री शिवहर्ष तिवारी के विरुद्ध 7 मई एवं 10 मई को क्रमशः पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को शिकायती-पत्र दिये गये ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

72—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[6ठे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर राप्ती पुल गाड्ड बांध के प्रमुख श्री सुरेन्द्र कुमार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

73—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने राप्ती पुल गाड्ड बांध, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित, जिसमें प्रमुख उत्तरदायी सा0 अ0 रा0 म0 वि0 खण्ड, बस्ती के अधीन उपखण्ड, गोरखपुर श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा हैं, के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र 3-5-84 को दिया था तथा कार्यवाही न होने पर पुनः 13-9-84 एवं 9-11-84 को अनुस्मारक दिया था ? यदि हां, तो बार बार शिकायतें करने के बाद भी शिकायतों की जांच न कराए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

जांच की जा रही है।

देवरिया पथरदेवा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत टंकी के निर्माण की मांग

74—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन ने देवरिया जिले के पथरदेवा वि0 खण्ड में पेयजल टंकी (जल निगम द्वारा) बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी ? क्या उक्त पेय-जल टंकी के निर्माण हेतु जल निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया था ? यदि हां, तो उस पर कितने रुपए वर्ष 79-80 के दौरान व्यय किये गये ? क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम द्वारा बनाये जाने वाली पेयजल टंकी का निर्माण कार्य किन कारणों से बन्द पड़ा हुआ है ? क्या सरकार वहां की जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पेय-जल टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पथरदेवा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाकर पेय-जल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है । अतः टंकी के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले के ग्राम बगरेही, थाना रैपुरा के श्री बाबू लाल की हत्या

75—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के रैपुरा थाने के अन्तर्गत ग्राम बगरेही निवासी श्री विचित्र प्रसाद ने 27-4-84 को पुलिस अधीक्षक, बांदा तथा डी0 आई0 जी0 पुलिस, झांसी को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की थी कि उनके पिता बाबू लाल का कत्ल बागी गिरोह द्वारा 9-8-82 को कर दिया गया था, जो अप-राध संख्या 65, धारा 302 भा0 दं0 वि0 थाना रैपुरा में दर्ज होकर अदालत में विचाराधीन है और उनके जीवन के लिए भी खतरा है ? यदि हां, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विचित्र प्रसाद पुत्र बाबू लाल निवासी बगरेही थाना रैपुरा जनपद बांदा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-8-84 पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र के माध्यम से दिनांक 27-9-84 को पुलिस कार्यालय बांदा में प्राप्त हुआ । जांच कराये जाने पर विदित हुआ कि श्री विचित्र प्रसाद के पिता बाबू लाल की हत्या दिनांक 9-8-82 को उनके घर पर ही अपराधिक तत्वों द्वारा की गयी थी । इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 65/82 अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 विरुद्ध 3 अज्ञात थाना रैपुरा पर पंजीकृत हुआ था । विवेचना के उपरान्त प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 8-10-82 को न्यायालय भेजा गया था । अभियोग में न्यायालय से निर्णय हो चुका

हैं और इस अपराध के अभियुक्त परदेशी एवं देवी दयाल दिनांक 19-10-84 को बरी हो चुके हैं। शेष दो अभियुक्त शिव कुमार व दुनगुवा अन्तर्राज्यीय गैंग के क्रमशः मुखिया एवं सक्रिय सदस्य हैं, जो अभी तक फरार हैं। श्री विचित्र प्रसाद तथा उसके परिवार की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता बरती गयी है और क्षेत्र में दस्यु उन्मूलन हेतु पी0 ए0 सी0 तथा स्थानीय पुलिस के द्वारा बराबर सघन गश्त किया जाता रहा है।

बांदा पुलिस चौकी शिवरामपुर ग्राम तरांव के श्री मइयादीन का प्रार्थना-पत्र

76—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील की पुलिस चौकी शिवरामपुर के अन्तर्गत ग्राम तरांव निवासी मइयादीन ने 18-4-84 को पुलिस अधीक्षक, बांदा एवं डी0 आई0 जी0, झांसी आदि उच्च पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की थी कि शिवरामपुर पुलिस के ऊपर गोली चलाने के झूठे आरोप में उन्हें अपराध संख्या 72/84, दिनांक 24-2-84 को फंसाया गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचनानुसार श्री मइयादीन आत्मज बलराम निवासी तरांव चौकी शिवरामपुर का दिनांक 18-4-84 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ बल्कि उनका दिनांक 27-6-84 व 4-7-84 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। उक्त प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित **अपराध संख्या 72/84 अन्तर्गत धारा** 147/148/149/307 एवं अपराध संख्या 319/84 अन्तर्गत धारा 452/323 की जांच वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक करवी से कराये जाने पर आरोप निराधार पाये गये। उपर्युक्त दोनों अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं।

मुहल्ला लक्षमणपुरा, बांदा की श्रीमती प्रेमा का थाना करवी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

77—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती प्रेमा, पत्नी गेंदा लाल चमार (हरिजन) मुहल्ला लक्षमणपुरा पुरानी बाजार करवी, बांदा ने 15-10-84 को पुलिस अधीक्षक, बांदा को एक शिकायती-पत्र भेजा था जिसमें तत्कालीन कोतवाल थाना करवी के विरुद्ध दुर्व्यवहार अत्याचार की शिकायतें की गयी थीं तथा उक्त शिकायती-पत्र की प्रतियां डी0 आई0 जी0, झांसी आदि उच्च पुलिस अधिकारियों को भी भेजी गयी थीं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां। श्रीमती प्रेमा पत्नी श्री गेंदा लाल का सन्दर्भित प्रार्थना-पत्र पुलिस उप-महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बांदा को प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में करायी गयी जांच से श्रीमती प्रेमा देवी के विरुद्ध दिनांक 14-10-84 को मु0 अ0 सं0 557/84 धारा 60 एक्साइज अधिनियम थाना करवी पर पंजीकृत पाया गया। इस अपराध में श्रीमती प्रेमा देवी के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या

187 दिनांक 23-11-84 को न्यायालय प्रेषित किया गया। श्रीमती प्रेमा देवी की गिरफ्तारी कर उसके साथ मारपीट गाली गलोज आदि करने में तत्कालीन थानाध्यक्ष देव चन्द्र श्रीवास्तव, उप निरीक्षक रण बहादुर सिंह व दो कान्सटेबिलों का आचरण संदिग्ध पाया गया। अतएव इनके विरुद्ध एन0 सी0 आर0 नं0 145/85 पंजीकृत कराकर वैधानिक विवेचना की कार्यवाही की जा रही है।

78—श्री राम सजीवन—

[दि0 30-7-85 को अता0 प्र0 सं0 85 द्वारा उत्तरित।]

उन्नाव, मौरावां के डा0 डी0 सी0 खरे द्वारा लिखायी गयी लूट व मारपीट की घटना सम्बन्धी रिपोर्ट

79—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जून, 85 के 2रे सप्ताह में मौरावां में डा0 डी0 सी0 खरे द्वारा दर्ज कराई गयी लूट व मारपीट की घटना की रिपोर्ट से सम्बन्धित एक पत्र गृह सचिव, उ0 प्र0 के नाम भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र गृह सचिव को प्राप्त हुआ था। मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र के माध्यम से करायी गयी जांच में लूटपाट की घटना असत्य पायी गयी। मारपीट की घटना की पुष्टि होने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147/333 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया है। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। जहां तक डाक्टर खरे के विरुद्ध फर्जी नसबन्दी में गलत ढंग से रुपये लिये जाने के आरोप हैं इस मामले में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 99 धारा 409 भा0 दं0 वि0 अभी विवेचनाधीन है।

80—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के थाना मौरावां में 31 मई, 85 को मौरावां के चिकित्साधिकारी (डा0 डी0 सी0 खरे) द्वारा एक मुकदमा धारा 394/332/323/147 के अन्तर्गत कायम कराया गया ? यदि हां, तो क्या सन्दर्भित घटना का पुरवा थाने के क्षेत्राधिकार में होना बताया गया है ? यदि हां, तो चिकित्साधिकारी का वहां पहुंचना कैसे हुआ उसे सरकारी ड्यूटी पर मानने का औचित्य क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

डाक्टर डी0 सी0 खरे उन्नाव से मौरावां राजकीय कार्य से वापस आ रहे थे। वह उन्नाव जनपद में तैनात हैं। मारपीट की घटना पुरवा स्टेशन पर घटित हुई। इसलिए कागजात थाना मौरावां से थाना पुरवा भेजे गये।

81—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या गृह मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त मुकदमें की तफतीश के दौरान कुछ आरोप पुलिस द्वारा ही असत्य पाए गये ? यदि हां, तो पुलिस की तफतीश के बाद मुकदमे की स्थिति क्या बनी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

लूटपाट के आरोप असत्य पाये गये। अतः मुकदमा धारा 395/397/332 भा0 दं0 वि0 धारा 147/333 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित करके दिनांक 15-7-85 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

82—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्साधिकारी द्वारा जिन लोगों को नामजद किया है उनके द्वारा फरवरी, 85 में उक्त चिकित्साधिकारी के भ्रामक कारनामों के विरुद्ध आन्दोलन किया गया था ? यदि हां, तो क्या चिकित्साधिकारी द्वारा लिखाया गया मुकदमा रंजिश का परिणाम नहीं है ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार अभिलेखों से उल्लिखित तिथि को आन्दोलन किया जाना नहीं पाया गया। घटना के एक दिन पूर्व (1) श्री राम कुमार सोनकर (2) श्री यासीन (3) श्री कदीर आदि राजकीय अस्पताल मौरावां गये जहां उन्होंने डाक्टर डी0 सी0 खरे से भारी मात्रा में दवा मांगी, जो चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं थी। डाक्टर डी0 सी0 खरे ने भारी मात्रा में दवाएं देने में असमर्थता व्यक्त की थी जिस पर उपरोक्त व्यक्ति नाराज हो गये। इस घटना के बाद बदले की भावना से उपरोक्त लोगों ने मारपीट की। जांच से मुकदमा चिकित्साधिकारी द्वारा रंजिश के परिणामस्वरूप लिखाया जाना नहीं पाया गया।

श्री पी0 के0 चोपड़ा, महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गढ़वाल के हटाने सम्बन्धी आदेश

83—श्री अकबर हुसैन बावर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी0 के0 चोपड़ा, महाप्रबन्धक, जल संस्थान गढ़वाल को भू0 पू0 मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) ने हटाने का आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

समस्त पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रशासनिक कारणों से उन्हें हटाना उचित नहीं समझा गया।

84—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मिर्जापुर चुनार विधान सभा क्षेत्र तथा अमेठी, सुल्तानपुर में सड़कों का निर्माण

85—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 80 से मार्च, 85 तक मिर्जापुर जिले के चुनार विधान सभा में कितने कि0 मी0 सड़कों का निर्माण हुआ तथा अमेठी विधान सभा क्षेत्र जनपद सुल्तानपुर में जून 80 से मार्च, 85 तक कितने कि0 मी0 सड़क का निर्माण हुआ ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नगत अवधि में जनपद मिर्जापुर के चुनार विधान सभा क्षेत्र तथा जनपद

सुल्तानपुर के अमेठी विधान सभा क्षेत्र में क्रमशः 90 कि0 मी0 तथा 68 कि0 मी0 सड़कों का निर्माण हुआ।

प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा ली गयी परीक्षा एवं अभ्यर्थियों का चयन

86—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 मई, 85 को प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा कितने अभ्यर्थियों को पालीटेक्निक में चयन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली गयी ? क्या परीक्षा की प्रणाली पूर्णतया कम्प्यूटर पर आधारित है ?

श्री नारायन दत्त—

प्रदेश के विभिन्न पालीटेकनिकों के परम्परागत पाठ्यक्रमों में 7305 अभ्यर्थियों के चयन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा दिनांक 26 मई, 1985 को प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की गयी थी।

परीक्षोपरान्त प्रणाली की प्रक्रिया पूर्णतः कम्प्यूटर पर आधारित है।

कानपुर, ईसन नदी पर मकनपुर के पुल का निर्माण

87—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत मकनपुर में ईसन नदी पर पुल बनाया जाना स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो शासन ने पुल बनाने की स्वीकृति कब दी थी ? क्या उक्त पुल बनवाए जाने हेतु उन्हें किसी विधायक का कोई पत्र 14 मार्च, 85 से 21 मार्च, 85 तक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

पुल निर्माण की स्वीकृति जून, 1984 में दी गयी थी। प्रश्नगत पुल के निर्माण हेतु 14 मार्च 1985 से 21 मार्च, 1985 तक किसी विधायक का कोई पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है। फिर भी इस बारे में और छानबीन की जा रही है। यदि माननीय विधायक पत्र के सम्बन्ध में और विवरण दे सकें तो उसे शीघ्र तलाश करना सम्भव हो सकेगा।

गोण्डा की तुलसीपुर, बलरामपुर, नवाबगंज तथा बभनान चीनी मिल एवं फैजाबाद की मसौधा चीनी मिल पर बकाया क्रयकर

88—श्री मंगल देव तथा श्री लाल प्रताप सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोण्डा एवं फैजाबाद जनपद की चीनी मिलों पर बकाया क्रयकर मु0 28 लाख वास्ते सत्र 73-74 की वसूली अभी तक न कर पाने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त चीनी मिलों की याचिकाएं रद्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो उनके द्वारा की गयी बैंक गारन्टी से उपरोक्त देयों के भुगतानों तथा समायोजित किए जाने का क्या कारण है ? इस प्रकरण पर गन्ना निरीक्षक, गोण्डा ने

जो एक विस्तृत आख्या गन्ना आयुक्त को सत्र 1983-84 में प्रस्तुत की थी उस आख्या पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायन दत्त—

जनपद गोण्डा की तुलसीपुर, बलरामपुर, नवाबगंज तथा बभनान चीनी मिल एवं फैजाबाद की मसौधा चीनी मिल पर सत्र 1973-74 का क्रय कर रु0 29.86 लाख देय था। इन चीनी मिलों ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर कर रखी थी, जो न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गयी। चीनी मिलों पर वसूली की कार्यवाही की गयी जिससे क्षुब्ध होकर बभनान चीनी मिल को छोड़कर अन्य चीनी मिलों ने सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं।

बभनान चीनी मिल की याचिका उच्च न्यायालय द्वारा रद्द होने के उपरान्त क्रय कर वसूली की कार्यवाही की गयी लेकिन इसी बीच चीनी मिल को भारत सरकार द्वारा शुगर अन्डरटेकिंग (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेन्ट) एक्ट, 1978 के अधीन अपने नियंत्रण में दिनांक 13-3-79 को ले लिया गया और भारत सरकार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष प्रति वर्ष जारी की गयी अधिसूचनाओं द्वारा इस चीनी मिल पर सभी पुरानी देनदारियों के भुगतान को स्थगित करती रही हैं जिसके कारण उक्त क्रय कर की वसूली नहीं की जा सकी। गन्ना निरीक्षक गोण्डा की आख्या वर्ष 1983-84 पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

नगरपालिका, सहारनपुर के सफाई निरीक्षक श्री पी0 पी0 तिवारी एवं श्री एस0 के0 अग्रवाल एवं श्री सी0 बी0 नैथानी की पुनर्नियुक्ति

89—श्री त्रिलोक चन्द—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में 9 सफाई निरीक्षक, नगरपालिका, सहारनपुर में कार्यरत हैं ? क्या यह सही हैं कि श्री एस0 पी0 तिवारी, श्री एस0 के0 अग्रवाल, सफाई निरीक्षक की नियुक्ति दूसरी या तीसरी बार सहारनपुर में की गयी हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगरपालिका, सहारनपुर में इस समय 10 सफाई निरीक्षक कार्यरत हैं।

जी हां। सर्वश्री पी0 पी0 तिवारी तथा एस0 के0 अग्रवाल की तैनाती दूसरी बार की गयी हैं।

नियमों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं कि कोई कर्मचारी एक स्थान पर एक से अधिक बार तैनात न किया जा सके।

90—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सी0 बी0 नैथानी, सफाई निरीक्षक, नगरपालिका, सहारनपुर की सेवायें वर्ष 1966 में केन्द्रीय सेवा में डिकलेयर होने के पश्चात् चौथी बार सहारनपुर, नगरपालिका में तैनात किया गया हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों जबकि उसकी सेवा अवधि नगरपालिका, सहारनपुर में 16 वर्ष होती हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

इनकी तैनाती मानवीय/प्रशासनिक आधार पर की जाती रही है।

थाना मंझिला, हरदोई के भवन का निर्माण

91—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मंझिला, जनपद हरदोई का निर्माण तीन वर्ष पूर्व पूरा हो चुका है और रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही निकट भविष्य में मन्त्री जी थाना स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना मंझिला जनपद हरदोई के भवन का निर्माण तीन वर्ष पूर्व पूरा नहीं हुआ था बल्कि इसके पूर्ण होने की सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अगस्त, 1984 में दी थी। चूंकि थाना भवन के निर्माण में अनेक कमियां पाई गई थी, इसलिए थाने को इस भवन में स्थापित नहीं किया जा सका। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन कमियों को दूर कराते ही उक्त भवन में थाना स्थापित करना सम्भव हो जायेगा।

92—श्री कल्यान सिंह—

[दिनांक 31-7-85 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त।]

विधान सभा सदस्यों को आवासों का आवंटन और भूतपूर्व विधायकों द्वारा आवासों पर कब्जा

93—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान विधान सभा के कितने सदस्यों को आवास आवंटित कर दिये गये हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको अभी तक आवंटित आवासों का कब्जा नहीं दिलाया गया है ? उन्हें कब्जा दिलाने की क्या कार्यवाही की जा रही है और कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त—

वर्तमान विधान सभा के सभी सदस्यों को आवास आवंटित कर दिये गये हैं। उनमें से केवल आठ विधायकों को अभी तक कक्ष रिक्त न होने के कारण आवंटित कक्षों का कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। उन्हें कब्जा दिलाने हेतु सम्बन्धित कक्षों को नियमानुसार रिक्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप निकट भविष्य में कक्ष रिक्त होने पर उन्हें कब्जा दिला दिया जायेगा।

94—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कौन-कौन ऐसे भू0 पू0 विधायक हैं जिन्होंने अभी तक पूर्व आवंटित आवासों का कब्जा नहीं छोड़ा है ? उनसे आवास खाली कराने की क्या कार्यवाही की है और ऐसे आवास कब तक खाली करा लिये जायेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

जिन भूतपूर्व विधायकों ने पूर्व आवंटित आवासों का कब्जा अभी तक नहीं छोड़ा है उनकी सूची संलग्न है। उनसे आवास रिक्त कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जिसके फलस्वरूप आशा है निकट भविष्य में आवास रिक्त हो जायेंगे।

(देखिये नत्थी (ञ) आगे पृष्ठ 215 पर।)

सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी के मेट, श्री राजनारायण का वेतन

95—श्री राज किशोर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, वाराणसी में नियमित मेट के पद पर कार्यरत श्री राजनारायण मेट के नवम्बर, 1983 से अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, वाराणसी द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा श्री अजय कुमार पांडेया के रिवाल्वर लाइसेन्स का निरस्तीकरण

96—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या गृह मन्त्री की जानकारी में है कि जिलाधिकारी, मथुरा ने दि0 21-10-83 को श्री अजय कुमार पांडेया एडवोकेट का रिवाल्वर के लिए दिया गया आवेदन-पत्र इस कारण निरस्त कर दिया था क्योंकि वह कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय बुद्धजीवी **सदस्य थे ? यदि हां, तो क्या शासन ने** मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के लोगों को आयुद्ध लाइसेन्स देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्या श्री पांडेया को शासन लाइसेन्स देने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में वर्णित श्री अजय कुमार पांडेया एडवोकेट का रिवाल्वर के लाइसेन्स के लिए दिया गया आवेदन-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा आयुध अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त 21-10-83 के आदेश द्वारा निरस्त किया गया।

जिलाधिकारी का निरस्तीकरण आदेश आवेदक के राजनीतिक क्रियाकलापों पर आधारित नहीं था। आयुध लाइसेन्स स्वीकार किये जाने या अस्वीकृत करने की कार्यवाही आयुध अधिनियम एवं रूल्स के प्राविधानों पर ही आधारित होती है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य सचिव शाखा, सचिवालय प्रशासन के लोक सेवकों के गृह निर्माण अग्रिम सम्बन्धी रिपोर्ट

97—श्री महरम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में मुख्य सचिव शाखा में कितने लोक सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम देने के बारे में जिलाधिकारी, लखनऊ से रिपोर्ट मांगी गयी थी तथा उसमें से कितने लोक सेवकों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा कितने लोक सेवकों के बारे में अभी भी रिपोर्ट जिलाधिकारी, लखनऊ से प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

वर्ष 1981 में मुख्य सचिव शाखा के सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, गोपन एवं सतर्कता अनुभाग के 14 लोक सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम दिये जाने के बारे में जिलाधिकारी, लखनऊ से रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिनमें से 13 लोक सेवकों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा

एक लोक सेवक के बारे में रिपोर्ट अभी भी जिलाधिकारी, लखनऊ से प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ को निरन्तर स्मरण कराया जा रहा है।

98-99—श्री पूरन सिंह—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

पर्वतीय विकास परिषद् में सदस्यों का नामन

100—श्री पूरन सिंह—

क्या सरकार पर्वतीय विकास परिषद् में गैर सरकारी लोगों को भी नामजद करवा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

जी हां। पर्वतीय विकास परिषद् में पर्वतीय क्षेत्र के सांसदों विधायकों, जिला परिषदों के अध्यक्षों के अलावा तीन गैर सरकारी विशेषज्ञ, जिन्हें पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यों का विशेष अनुभव हो, के सदस्य के रूप में नामन की व्यवस्था है।

101—श्री अवधेश प्रसाद—

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कानपुर, बिक्रीकर बाण्डों के गलत सत्यापन सम्बन्धी पत्र

102—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1558, दि0 18-3-85 कानपुर के डिप्टी कलेक्टर बिक्रीकर (संग्रह) के द्वारा जमानती बाण्डों के गलत सत्यापन के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

जमानती बांड के गलत सत्यापन के विषय में जांच करके दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

बिक्रीकर विभागीय वाटर मार्क युक्त कागज की चोरी सम्बन्धी पत्र

103—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1876 दि0 20-5-85 बिक्रीकर विभागीय वाटर मार्क युक्त कागज चुराकर फर्जी फार्म 21 मुद्रित कराने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

पत्र में इंगित मामले में आवश्यक जांच कराई जा रही है।

बिक्रीकर अधिनियम की धारा सोलह के संशोधन सम्बन्धी पत्र

104—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1877 दि0 20-5-85 बिक्रीकर अधिनियम की धारा 16 में संशोधन हेतु माननीय मुख्य मंत्री

जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

(क) जी नहीं, तथापि माननीय सदस्य का पत्र संख्या 1877, दिनांक 14-5-85 प्राप्त हुआ था।

(ख) अधिनियम की धारा 16 में संशोधन के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

105—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

106—श्री महमूदुल हसन अन्सारी—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

107—श्री महमूदुल हसन अन्सारी—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

फरीदपुर-खुदागंज एवं फरीदपुर-खल्लपुर मार्ग के जीर्णोद्धार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

108—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको अप्रैल, 1985 में फरीदपुर-खुदागंज एवं फरीदपुर-खल्लपुर मार्ग के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

फरीदपुर-खुदागंज एवं फरीदपुर-खल्लपुर मार्गों के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में अप्रैल, 1985 में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है। फिर भी इस बारे में और छानबीन की जा रही है। यदि माननीय विधायक पत्र के सम्बन्ध में और विवरण उपलब्ध करा सकें तो उसे शीघ्र तलाश करना सम्भव हो सकेगा।

आगरा, कस्बा पिनाहट के कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा

109—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जनपद के कस्बा पिनाहट में प्लाट नं0 3162 पर कब्रिस्तान है जिस पर पिनाहट ब्लाक कांग्रेस आई0 के अध्यक्ष ने सन् 1980 में जबरन अवैध कब्जा कर लिया है ? सरकार ने उस अवैध कब्जा को हटाने की अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा यमुना नदी, शंकरपुर घाट एवं नौरंगी घाट से हुई आय

110—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद-फतेहाबाद के बीच यमुना नदी के शंकरपुर घाट तथा शिकोहाबाद-बाह के नौरंगी घाट से प्रत्येक घाट से पिछले तीन वर्षों में क्या आय हुई है ? क्या सरकार आवागमन को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर आगरा जनपद में यमुना नदी पर नौरंगी घाट पर पुल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जनपद आगरा में यमुना नदी पर शंकरपुर घाट तथा नौरंगी घाट पर पिछले 3 वर्षों में हुई वार्षिक आय का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	नौरंगीघाट	शंकरपुर घाट
1982-83	1,51,954.00	39,758.00
1983-84	1,92,667.00	80,498.00
1984-85	1,56,111.00	95,898.00
योग	5,00,732.00	2,16,154.00

इस पुल का निर्माण पुल की प्राथमिकता निर्धारित होने एवम् धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी की फर्म पवन कुमार महेन्द्र कुमार के बिक्रीकर से सम्बन्धी-पत्र

111—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं0 1473, दिनांक 8-1-85 वाराणसी की फर्म पवन कुमार महेन्द्र कुमार के कर निर्धारण में बिक्रीकर राजस्व हानि के बारे में मुख्य मन्त्री को दिनांक 9-1-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं। तथापि माननीय विधायक का एक पत्र संख्या 1473/85, दिनांक 7-1-85 अवश्य प्राप्त हुआ था। इस पत्र में माननीय विधायक ने 1980 एस0 टी0 आई0 जे0 आर0 39 में तत्कालीन जज रिवीजन द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 26-10-79 के परिप्रेक्ष्य में सूचना चाही है, जो इस प्रकार है :—

परीक्षणोपरान्त मामला उच्च न्यायालय में ले जाने योग्य नहीं पाया गया। व्यापारी के विरुद्ध पुनः अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की गई। राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता। प्रायः नीचे के प्राधिकारियों/न्यायालयों के आदेश अपील, द्वितीय अपील, रिवीजन आदि में निरस्त अथवा संशोधित होते रहते हैं। जब तक किसी अधिकारी की बदनीयती न हो अपील, द्वितीय अपील, रिवीजन आदि के आधार पर राजस्व हानि कहना उचित न होगा।

रासुका बन्दियों को चुनाव में भाग लेने हेतु निर्वाचन आयोग को भेजा गया कथित सुझाव

112—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उ0 प्र0 सरकार ने केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को रासुका बन्दियों को चुनाव में भाग न लेने देने से संबंधित कोई सुझाव अभी हाल में भेजा है ? यदि हां, तो क्या सुझाव से संबंधित विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हनुमान मन्दिर, अमीनाबाद, घंटाघर पार्क, लखनऊ द्वारा नगर महापालिका की भूमि पर दुकानों का निर्माण

लाल—

113—श्री त्रिलोकचंद्र तथा श्री सुन्दर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि श्री हनुमान मन्दिर, अमीनाबाद घंटाघर पार्क, लखनऊ जो नगर महापालिका के सर्वे में हैं, में नगर महापालिका की तरफ से पत्थर की बनी बेंचें जनता के बैठने के लिये बनायी गयी थीं, उन्हें मंदिर के ट्रस्टियों ने उखाड़ कर नगर महापालिका की नाली बन्द करके पक्की दूकानें बना दी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा लाखों रुपए पगड़ी लेकर नाजायज दूकानें लगवा कर पार्क में मन्दिर के सामने अण्डर ग्राउण्ड मार्केट का निर्माण किया जा रहा है जिसका नक्शा शासन के माध्यम से कम्पाउन्ड किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो निर्माण कैसे हो रहा है ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

गोसाईंगंज के भांग के ठेकेदार, श्री रामबाबू के बिक्री कर का निर्धारण

114—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं0 1474, दिनांक 8-1-85 लखनऊ बिक्री कर कार्यालय के खण्ड-2 में गोसाईंगंज के भांग के ठेकेदार राम बाबू के वर्ष 83-84 के कर निर्धारण में बिक्रीकर राजस्व की हानि के बारे में मुख्य मंत्री को दिनांक 9-1-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । उपलब्ध कराने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

सेवा निवृत्त बिक्रीकर उपायुक्त, श्री चन्दूलाल के सम्बन्ध में पत्र

115—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं0 1666, दिनांक 10-4-85, 31-3-85 को सेवा निवृत्त होने वाले उपायुक्त बिक्रीकर (श्री चन्दूलाल) के बारे में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में सन्दर्भित प्रश्नकर्ता का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । पत्र उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

116—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

117—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

कमाल ब्रदर्स फर्म बनाम आयुक्त बिक्रीकर से सम्बन्धित पत्र

118—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1707, दिनांक 16-4-85 फर्म कमाल ब्रदर्स बनाम आयुक्त, बिक्रीकर के बारे में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

(क) जी नहीं । तथापि माननीय विधायक का पत्र सं0 707/दमीकपा/85, दिनांक 11-1-85 प्राप्त हुआ है ।

(ख) उसमें मांगी गयी सूचनायें संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 216 पर ।)

119—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

गाजियाबाद की फर्म राजकुमार पवन कुमार के पंजीयन व नवीनीकरण प्रमाण-पत्र सम्बन्धी पत्र

120—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्न-कर्ता का पत्र सं0 1711, दिनांक 16-4-85 गाजियाबाद की फर्म राजकुमार पवन कुमार की पंजीयन व नवीनीकरण प्रमाण-पत्र देने वाले बिक्री कर अधिकारी के बारे में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में सन्दर्भित प्रश्नकर्ता का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । पत्र उपलब्ध कराये जाने पर कार्यवाही की जाएगी ।

न्यू बाथम शुगर इण्डस्ट्रीज, उमरिया-खीरी के बिक्रीकर का निर्धारण

121—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखीमपुर खीरी जनपद में फर्म न्यू बाथम शूगर इंडस्ट्रीज उमरिया का वर्ष 1978-79 का कर आदेश ता0 12-11-82 को पारित किया गया और 60,250 रु0 कर लगाया गया ? यदि हां, तो क्या इस करदाता ने मासिक रूपपत्र 4 भरकर दाखिल किए और कम जमा किया अथवा अस्थाई आदेश पारित किए गये ? क्या इस करदाता का सर्वेक्षण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कितना कर जमा हुआ कितना ब्याज जमा किया गया और कितना अर्थ-दण्ड लगाया गया ? कर आदेश के पारित करने में विलम्ब क्यों किया गया ?

श्री नारायन दत्त—

(क) जी हां, सर्वश्री न्यू बाथम शुगर इण्डस्ट्रीज उमरिया-खीरी का वर्ष 1978-79 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 12-11-82 को पारित किया गया है और रु0 60,250 कर आरोपित किया गया ।

(ख) करदाता ने मासिक रूपपत्र-4 भरकर नहीं दिये और न ही कोई कर जमा किया । व्यापारी के विरुद्ध अस्थायी कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया गया । इस करदाता का सर्वेक्षण नहीं किया गया । इसके संबंध में संबंधित बिक्रीकर अधिकारी तथा कर्मचारी से पूछा गया है ।

(ग) कोई कर या ब्याज जमा नहीं हुआ । कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया ।

(घ) कर आदेश बिक्रीकर-अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार समयावधि में पारित किया गया ।

122—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 6-8-85 को अता0 प्र0 संख्या 32 द्वारा उत्तरित]

बाराबंकी, फर्म नेशनल ट्रेडर्स के बिक्रीकर संबंधी पत्र

123—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्न-कर्ता का पत्र सं0 1541, दिनांक 15-3-

85 बाराबंकी बिक्रीकर कार्यालय में फर्म नेशनल टेंडर्स के बारे में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं, किन्तु इस संबंध में माननीय सदस्य का 13-3-85 का पत्र संख्या-1841/दमकिपा/85 अवश्य प्राप्त हुआ है।

सर्वश्री नेशनल ट्रेडर्स, बाराबंकी बिक्रीकर विभाग में पंजीकृत नहीं थी। अतः पंजीयन देते समय जमानत की अपर्याप्त अथवा प्रपत्र 31 देने में किसी असावधानी का कोई प्रश्न नहीं है। फर्म द्वारा बिना पंजीयन कराये वनस्पति घी का व्यापार करने के लिए अर्थ दण्ड की कार्यवाही जारी

बिक्रीकर अधिनियम के विपरीत वनस्पति घी 678 टिन बाराबंकी रेलवे गोदाम से छुड़ाकर ले जाने के लिए बिक्रीकर अधिकारी, सचल दल, लखनऊ द्वारा नेशनल ट्रेडर्स से रु0 66,520 जमानत वसूल की गई, जो उक्त माल के अनुमानित मूल्य रु0 1,66,300 पर आधारित है।

उक्त फर्म द्वारा 7 और वैगन वनस्पति, मानसिंगका इण्डस्ट्रीज, पचौरा महाराष्ट्र से आयात किया गया था। इसमें से 3 की डेलीवरी बाराबंकी की उक्त फर्म द्वारा रेलवे से नहीं ली गयी थी केवल 4 की ही ली गयी थी। बिक्रीकर विभाग के अधिकारियों और बाराबंकी स्थित जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों की सम्मिलित जांच के पश्चात् आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पहले कार्यवाही जिला पूर्ति विभाग ने प्रारम्भ की और उन्होंने कुल 4 वैगन वनस्पति अभिग्रहीत किया। मानसिंगका इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा दायर रिट संख्या-1532/1985 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-4-85 के अनुपालन में जिलाधिकारी ने 4 वैगन वनस्पति जमानत (बैंक गारण्टी) लेकर मानसिंगका इण्डस्ट्रीज के पक्ष में रिलीज कर दिया। इस रिट याचिका में पहले बिक्रीकर विभाग को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। दिनांक 3-5-85 को बिक्रीकर अधिकारी बाराबंकी ने बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत इन 4 वैगन वनस्पति को अभिग्रहीत किया था और उसकी सूचना जिलाधिकारी, बाराबंकी को भी दे दी थी। तथापि उन्हें अपनी अभिरक्षा में नहीं लिया था।

मानसिंगका इण्डस्ट्रीज ने केवल बिक्रीकर विभाग के अधिकारियों को प्रति पक्ष बनाते हुए दूसरी रिट याचिका संख्या-2941/85, दिनांक 27-6-85 को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जिस पर विभाग की ओर से की गई आपत्ति के बावजूद उच्च न्यायालय ने उसी दिन बिना जमानत माल छोड़ने के आदेश पारित किए। उनके इस आदेश के अनुपालन में उक्त अभिग्रहीत माल मानसिंगका इण्डस्ट्रीज, पचौरा, महाराष्ट्र के पक्ष में रिलीज कर दिया गया। इस मामले में विभाग द्वारा हर सम्भव प्रयास के बावजूद न्यायिक आदेशों के अनुपालन में अभिग्रहीत माल छोड़ना पड़ा।

लखनऊ की फर्म कुमार इण्टर प्राइजेज पर बकाया बिक्री कर सम्बन्धी पत्र

124—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1557, दि0 18-3-85

लखनऊ की फर्म कुमार इन्टरप्राइजेज की वर्ष 73—84 से 75-76 तक बिक्रीकर बकाया के बारे में मा0 मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं । किन्तु इसी विषय पर माननीय सदस्य का समसंख्यक पत्र दिनांक 16-3-85 प्राप्त हुआ है । प्रश्नगत फर्म पर सही धनराशि रुपया 62,029-09 बकाया है ।

उक्त पत्र में वर्णित शेष बिन्दुओं पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

125—श्री यदुनाथ सिंह—

[दि0 6-8-85 को अता0 प्र0 सं0 78 द्वारा उत्तरित]

फैजाबाद के ग्राम तुलसमपुर मजरा, पालपुर, पूरे किशुन में हैण्ड पम्प का निर्माण

126—श्री मित्रसेन—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास क्षेत्र अमानीगंज में ग्राम तुलसमपुर में लगाए गए हैण्ड पम्प मानक के विपरीत लगाए गए हैं, और ग्राम तुलसमपुर की हरिजन बाहुल्य बस्ती कर्मनपुर, दुरगपा, कधरापुर और कई मजरों में एक भी हैण्ड पम्प हरिजन परिवारों को पानी पीने के लिए नहीं लगाए गए हैं जबकि तुलसमपुर में आठ हैण्डपम्प सौ-सौ मीटर की दूरी और पेयजल कूपों के बीच लगाए गए हैं ? यदि हां, तो दोषी कौन लोग हैं तथा जांच कराकर क्या कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

आबादी के अनुपात में राजस्व ग्राम पालपुर में 2 हैण्डपम्प, जिसमें से एक हरिजन बस्ती में, तुलसमपुर मजरा में 8 हैण्डपम्प जिसमें से 2 हरिजन बस्ती में तथा पूरे किशुन में एक हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं । ये सभी हैण्डपम्प ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार ही लगाये गये हैं । पम्प मानक के अनुसार ही लगाये गये हैं एवं शेष 3 मजरों में भी मानक के अनुसार ही आबादी के अनुपात में लगाये जायेंगे इसलिए इसमें किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी, दैवराई सराय मार्ग का निर्माण

127—श्री राम संजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दैवराई सराय मार्ग, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी की जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी वर्षों से नहीं बनाया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और इस मार्ग को शीघ्र डामर मार्ग बनवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

इस मार्ग की 4.00 किमी0 लम्बाई में से केवल 1.70 किमी0 में भूमि उपलब्ध हो सकी जिसमें स्वीकृत स्तर तक कार्य पूरा कर दिया गया । शेष भाग में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य न हो सका ।

प्रश्न नहीं उठता।

अभी यह मार्ग डामर स्तर तक स्वीकृत नहीं है।

तत्कालीन उप क्रीड़ा अधिकारी, बांदा, श्री आर0 पी0 सिंह की चरित्र पंजिका में की गयी भर्त्सनात्मक प्रविष्टि का निरस्तीकरण

128—श्री देवकुमार यादव—

क्या खेलकूद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन उप क्रीड़ा अधिकारी, बांदा श्री आर0 पी0 सिंह को किन-किन आरोपों में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि प्रदान की गयी ? क्या यह सही है कि विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 16-3-82 में अता0 प्र0 सं0 79 द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तर में शासन द्वारा आश्वासन समिति को सूचित किए जाने के बावजूद भी उक्त प्रविष्टि को स्पंज करा दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त—

श्री आर0 पी0 सिंह द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1980 को जिला अधिकारी बांदा को जिला क्रीड़ा परिषद् की सदस्यता हेतु नामांकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण सूचना भेजी गई जिसके आधार पर श्री सिंह को वर्ष 1983 में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गई। जी हां उक्त प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त उसे विलुप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

129—श्री देव कुमार यादव—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन क्रीड़ा अधिकारी, बांदा के स्पष्टीकरण दिनांक 15-2-82 के संबंध में जिला अधिकारी प्रभारी अधिकारी खेलकूद, बांदा ने अपनी क्या-क्या आख्या प्रस्तुत की तथा निदेशक/शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि प्रभारी अधिकारी खेलकूद/ जिलाधिकारी, बांदा ने उप क्रीड़ा अधिकारी को निलम्बित किए जाने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त—

तत्कालीन उप क्रिड़ा अधिकारी, बांदा के स्पष्टीकरण दिनांक 15-2-82 के संबंध में जिलाधिकारी ने जिला क्रिड़ा परिषद्, बांदा की सदस्यता से श्री बी0 एल0 चौरसिया को वंचित किये जाने तथा श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी को नामित किये जाने विषयक श्री आर0 पी0 सिंह द्वारा बानबूझ कर दिनांक 13-1-80 को भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण आख्या प्रस्तुत करने का उल्लेख किया। जिला अधिकारी ने श्री सिंह को निलम्बित करने की संस्तुति नहीं की। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर श्री सिंह को भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी जो तदुपरान्त प्रत्यावेदन के निर्णय के बाद विलुप्त कर दी गई।

बांदा में साइकिल रेस का आयोजन एवं धनराशि का आवंटन और खेल कूद प्रशिक्षण शिविरों पर व्यय की गयी धनराशि

130—देवकुमार यादव—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश के अनुसार दिनांक 4 फरवरी, 1985 को बांदा से करवी तक आयोजित साइकिल रेस प्रतियोगिता के आयोजन

हेतु निदेशक/शासन ने कितना धन किस तिथि को आवंटित किया था ? क्या यह सही है कि आवंटित धनराशि प्रतियोगिता की तिथि दिनांक 4-2-1985 के उपरान्त जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नगत प्रतियोगिता हेतु रु0 10,000 की धनराशि दिनांक 3-2-1985 को उप क्रीड़ा अधिकारी, बांदा को उपलब्ध करा दी गई थी इसके उपरान्त, जिला अधिकारी बांदा की मांग पर निदेशक खेलकूद द्वारा रु0 5,000 की अतिरिक्त धनराशि भी बैंक ड्राफ्ट दिनांक 29-3-1985 द्वारा उपलब्ध करायी गयी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

131—श्री देव कुमार यादव—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1979-80, 80-81 व 81-82 में बांदा में तदर्थ एवं विभागीय प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण शिविरों में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा किस अधिकारी द्वारा भुगतान कर प्रमाणित किया गया ? क्या यह सही है कि उप क्रिड़ा अधिकारी, वालीबाल ने कोई प्रशिक्षण न देकर 5318 रु0 से अधिक व्यय दिखाया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त—

तदर्थ एवं विभागीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविरों पर व्यय हेतु सक्षम नहीं हैं । वर्ष 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में प्रशिक्षण शिविरों पर क्रमशः रु0 5,275.10, रु0 7,866.85 व रु0 2865.00 धनराशि तत्कालीन उप क्रीड़ा अधिकारी, बांदा के माध्यम से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी द्वारा व्यय की गयी । प्रशिक्षण शिविर नियमानुसार आयोजित किये गये । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उप निदेशक, पर्यटन विभाग, श्री सतीश चन्द्र की सेवा का विस्तार

132—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्यटन विभाग, उ0 प्र0 के उप निदेशक श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय को अवकाश ग्रहण के उपरान्त छः माह का सेवा विस्तार सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह) ।

जी हां ।

जनहित में ।

133—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अलीगढ़, थाना हाथरस के थानाध्यक्ष श्री जयदेव सिंह तोमर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

134—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ के थाना हाथरस जंक्शन के थानाध्यक्ष, श्री जयदेव सिंह तोमर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 5-6-85 एवं श्री बंगाली सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 6-6-85 को उन्हें एवं महानिदेशक पुलिस व महानिरीक्षक सी0 आई0 डी0 एवं महानिरीक्षक सतर्कता एवं महानिरीक्षक पुलिस अपराध निवारण संगठन

तथा गृह सचिव, उ0 प्र0 एवं महानिरीक्षक पुलिस आगरा मण्डल को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं । शिकायती पत्रों की जांच से थानाध्यक्ष श्री तोमर के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । कांस्टेबिल सुरेश पाल धामा के साथ रेलवे स्टेशन हाथरस जंक्शन पर मार-पीट आदि के आरोप के संबंध में श्री तोमर के विरुद्ध पंजीकृत अपराध संख्या 28/85 अन्तर्गत धारा 342/323 भा0 दं0 वि0 की विवेचना में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर समाप्त कर दी गई, किन्तु उक्त कांस्टेबिल को अकारण पकड़ कर थाने ले जाने एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप के संबंध में श्री तोमर के विरुद्ध धारा 7 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है । थानाध्यक्ष श्री तोमर दिनांक 2-7-85 को अलीगढ़ जनपद से स्थानांतरित होकर मथुरा जनपद को जा चुके हैं ।

श्री मुन्ना खण्डेलवाल, भोगीपुरा, आगरा के विरुद्ध पुलिस से मारपीट करने एवं राइफल छीनने संबंधी मुकदमा

135—श्री बदन सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के थाना शाहगंज आगरा के पुलिस कांस्टेबिल अमर सिंह ने मुन्ना खण्डेलवाल पुत्र रामगोपाल आदि निवासी भोगीपुरा, थाना शाहगंज, आगरा के विरुद्ध पुलिस से मारपीट व राइफल छीनने के संबंध में कोई अपराध सं0 657 धारा 147, 341 व 7 ला अमेन्डमेन्ट एक्ट के तहत थाना शाहगंज आगरा में दर्ज कराया था ? यदि हां, तो इस संबंध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार पंजीकृत अभियोग की स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना से प्रकाश में आये 11 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया, जो न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से करायी जा रही है ।

शक्कर मिल, खलया, कानपुर में भवन निर्माण की मांग

136—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाता 85/65 शक्कर मिल, खलया, कानपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण होने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या प्रगति है ? उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

गणेश शुगर मिल्स लि0, फरेन्दा, गोरखपुर के पार्क व धर्मशाला के निर्माणार्थ भूमि का अधिग्रहण

137—श्री हर्षवर्धन—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील

फरेंदा में गणेश शुगर मिल को पार्क बनाने हेतु शासन ने भूमि अधिगृहीत कर दी, थी ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर पार्क बना दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, गणेश शुगर मिल्स लि0 फरेन्दा को पार्क व धर्मशाला बनाने हेतु भूमि अधिगृहीत की गयी थी परन्तु उक्त भूमि पर पार्क नहीं बनाया गया । मिल ने सूचित किया है कि "उपरोक्त आराजी गणेश शुगर मिल्स की भूमिधरी आराजी थी जिसे कुछ वर्ष पूर्व अन्य लोगों के नाम बैनामा कर दिया गया जिस पर मकानात वगैरह बन चुके हैं ।

परगनाधिकारी, तरबगंज, गोण्डा के विरुद्ध श्री राधेश्याम ओझा का शिकायती-पत्र

138—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री राधेश्याम ओझा, एडवोकेट, निवासी जनपद गोन्डा का तत्कालीन उप मंत्री श्री श्यामलाल वाजपेयी को सम्बंधित कोई शिकायती पत्र सितम्बर, 1984 में शासन को मिला था ? जिसे उप मंत्री महोदय ने अपने पत्रांक 802/जी0 दिनांक 14-9-84 द्वारा तत्कालीन राजस्व सचिव को और राजस्व सचिव महोदय ने अपने पत्रांक 11467 दिनांक 15-9-84 द्वारा संयुक्त सचिव श्री मनमोहन सिंह को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया था ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और अब तक की जांच के कौन से तथ्य प्रकाश में आए हैं ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

शिकायती पत्र में तत्कालीन परगनाधिकारी, तरबगंज, गोंडा के विरुद्ध मुख्यतः उनके जनपद बस्ती का निवासी होने तथा गोंडा में उनकी रिश्तेदारियां होने, वर्ष 1984 में स्थानान्तरण के समय शासन को गलत सूचना देना, तहसील मुख्यालय के स्थान पर जनपद मुख्यालय में रहने, सरकारी जीप का दुरुपयोग करने तथा उससे एक रिक्शा चालक को गंभीर रूप से घायल कर देने एवं लेखपाल माधोपुर को निलम्बित न कर केवल स्थानान्तरित करने कुछ अमीनों को निलम्बित कर पुनः बहाल कर दिये जाने के साथ ही घरेलू नौकर की अनियमित नियुक्ति तथा ग्राम सिंधौटी के ग्राम प्रधान के विरुद्ध चल रही कार्यवाही की मिसिल से कागजात निकाल लिए जाने आदि शिकायतें थीं । उक्त शिकायतों की जांच जिलाधिकारी गोंडा से कराई गई । प्राप्त आख्यानुसार शिकायतें निराधार पाई गईं ।

श्री मुनव्वर खां, पूरे बहवल, मजरा महोना पश्चिम, सुल्तानपुर द्वारा किया गया बैनामा एवं दाखिल-खारिज

139—श्री रामगोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मुनव्वर पुत्र बदलू, नि0 पूरे बहवल, मजरा महोना पश्चिम, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर दिनांक 15-9-78 को नाबालिग था और दिनांक 15-9-78 को ग्राम महोना पश्चिम में स्थित गाटा संख्या 1258, 1259, 1294 का अवैधानिक तथा फर्जी बैनामा बही नं0 1 जिल्द 552 पृष्ठ 8 सं0 1617 पर बहक श्रीमती सम्मुल बीवी अब्दुल जब्बार आदि के नाम सब रजिस्ट्रार,

मुसाफिरखाना द्वारा किया गया है तथा सम्बन्धित खतौनी में दाखिल-खारिज भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस जालसाजी व अवैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी नहीं ।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार श्री मुनव्वर खां पुत्र बद्दलू, निवासी पूरे बहवल, मजरा महोना पश्चिम, परगना जगदीशपुर दिनांक 15-9-78 को नाबालिग नहीं था । अतः दिनांक 15-9-78 को किया गया बैनामा अवैधानिक एवं फर्जी नहीं है और न ही दाखिल-खारिज की कार्यवाही अवैधानिक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय पालीटेकनिक, बदायूं में कर्मचारियों की नियुक्ति

140—श्री नरेशपाल सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, बदायूं में चतुर्थ श्रेणी लिपिक अनुदेशक आदि नियमित सभी पदों पर भर्ती जिला सेवायोजन कार्यालय, बदायूं के माध्यम से की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दैनिक मजदूरी पर रखे गये कर्मचारी सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

राजकीय पालीटेकनिक, बदायूं एक नई संस्था होने के कारण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों के प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला, कर्मशाला एवं विभिन्न कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए चतुर्थ श्रेणी के एक तथा लिपिक के दो पदों पर अंतरिम व्यवस्था के रूप में जिला सेवायोजन कार्यालय, बदायूं में पंजीकृत अभ्यर्थियों में से नियुक्तियां की गयी हैं । चूंकि चतुर्थ श्रेणी एवं लिपिक के पदों पर नियमित नियुक्ति जनपद चयन समिति द्वारा की जाती है, अतः उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के आधार पर "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए" प्रोन्नति दी गयी है । अनुपयुक्त पाये जाने का आधार उनकी चरित्र पंजिकाओं में अंकित निन्दनीय प्रविष्टियां हैं, जिन पर चयन के समय विचार करके ही निर्णय लिया जाता है ।

जी नहीं । किन्तु दैनिक वेतन पर रखे गये सभी कर्मचारियों के नाम स्थानीय सेवायोजन कार्यालय, बदायूं में पंजीकृत थे ।

141—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आई0 जी0 रजिस्ट्रेशन, इलाहाबाद के लिपिकों की ज्येष्ठता सूची

142—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ज्येष्ठता के आधार पर रजिस्ट्रेशन लिपिक की कोई सूची प्रदेश स्तर पर आई0 जी0 रजिस्ट्रेशन, इलाहाबाद ने बनाई है ? यदि हां, तो ज्येष्ठता सूची में कौन-कौन लोग हैं और अब तक उनकी पदोन्नति ज्येष्ठता सूची के आधार पर की गयी है ? क्या यह

सही है कि सूची के विपरीत पदोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या था और उसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां ।

इस ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 1 से 501 तक लिपिकों के नाम वरिष्ठता क्रम में अंकित हैं । इसी सूची में ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए प्रोन्नति दी गई है । अनुपयुक्त पाये जाने का आधार उनकी चरित्र पंजिकाओं में अंकित निन्दनीय प्रविष्टियां हैं, जिन पर चयन के समय विचार करके ही निर्णय लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर के होटल गौरव में श्री नरेश वर्मा द्वारा लगायी गयी रेडीमेड वस्त्रों की नुमाइश

143—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि कानपुर के होटल गौरव में टी0 एल0 वर्मा, सिराको होजरी की रेडीमेड वस्त्रों की नुमाइश दिनांक 23-6-84 से 30-6-84 तक लगी थी ? यदि हां, तो कितना कर लगाया गया, कितना वसूल हुआ और कितना बकाया है ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं । अभिलेखानुसार दिल्ली निवासी श्री नरेश वर्मा ने प्रश्नगत नुमाइश लगायी थी । अभी अंतिम कर निर्धारण नहीं हुआ है तथापि व्यापारी द्वारा रु0 560 जमा किया गया है ।

लखनऊ अमीनाबाद स्थित भांग की दुकान पर बकाया बिक्रीकर

144—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 995, दिनांक 8-6-84 लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय में खण्ड 5 में अमीनाबाद में भांग की दूकान पर वर्ष 80-81 से 82-83 तक का बिक्री-कर राजस्व की हानि के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, प्रश्नगत फर्म पर उक्त तीनों वर्षों के लिए रुपये 2,18,300.00 कर आरोपित किया गया है । सभी कर बकाया है । वसूली की कार्यवाही जारी है । राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है । अतः इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है ।

लखनऊ, बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

145—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 297, दिनांक 11-5-84 लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारी के द्वारा राजस्व की हानि के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, किन्तु पत्र दिनांक 2-5-84 का है । पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर आवश्यक जांच करायी जा रही है ।

उपायुक्त (मुख्यालय), बिक्रीकर द्वारा डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट

146—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1473, दिनांक 26-7-84 उपायुक्त (मुख्यालय), बिक्रीकर द्वारा डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर के विरुद्ध राजस्व के गबन की रपट न देने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । किन्तु पत्र दिनांक 23-7-84 का है । पत्र में इंगित मामले पर आवश्यक जांच कराई जा रही है ।

हापुड़, बिक्रीकर कार्यालय में गबन संबंधी पत्र

147—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1557 दिनांक 27-8-84 हापुड़ बिक्रीकर कार्यालय में चेकों से जमा की गयी धनराशि के गबन के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

पत्र में इंगित मामले में जांच कराई जा रही है ।

लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय, बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

148—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1558 दिनांक 27-8-84 लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय के खण्ड 5 में वर्ष 1983-84 में तैनात बिक्री-कर अधिकारी द्वारा राजस्व की हानि के बारे में दिनांक 28-8-84 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

सर्वश्री नारायन दास सोहन लाल के बाद में व्यापारी की लेखा पुस्तकों को अस्वीकार करके न्याय एवं विवेक से कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है तथा व्यापारी द्वारा स्वीकार किये गये कर से अधिक कर आरोपित किया गया । अर्थदण्ड राजस्व की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत नहीं होता है वरन् कर अपवंचन को रोकने एवं आरोपित कर को जमा कराने के लिये दण्डनीय कार्यवाही के रूप में होता है । चूंकि उपरोक्त फर्म कर निर्धारण के पूर्व बन्द हो चुकी थी । अतः अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

149—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 6-8-85 को अता0 प्र0 संख्या 54 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ, बिक्री-कर अधिकारी, श्री कैसरवानी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

150—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1337, दिनांक 4-5-83 लखनऊ के बिक्री-कर अधिकारी

खण्ड-9 श्री केसरवानी द्वारा लखनऊ में मकान बनाने के बारे में मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1692 दिनांक 11-7-83 भी इस संबंध में मिला था ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नकर्ता का दिनांक रहित पत्र संख्या 1337 केवल प्राप्त हुआ है। इस पत्र में उठाये गये मामले में आयुक्त बिक्रीकर से जांच कराई गई। उनकी जांच आख्या प्राप्त हुई है जिसके कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

आयुक्त बिक्री-कर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

151—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं0 1335, दिनांक 19-10-84 वर्ष 1982-83 में आयुक्त बिक्री-कर द्वारा मार्च, 1984 में रुपया निकालने व सम्भावित गबन के बारे में मुख्य मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी गयी। जांच में ऐसे कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं पाये गये जिनके आधार पर गबन का कोई मामला बनता हो। अतः अन्य किसी कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री अर्जुन सिंह, बिक्री-कर अधिकारी, खीरी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

152—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1489 दिनांक 16-1-85 श्री अर्जुन सिंह, बिक्री-कर अधिकारी, खीरी के बारे में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में सन्दर्भित प्रश्नकर्ता का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पत्र उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सहायक आयुक्त, बिक्री-कर मुख्यालय, श्री मुंशी सिंह सन्त के विरुद्ध शिकायती-पत्र

153—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1462 दिनांक 8-1-85 सहायक आयुक्त (शा0), बिक्री-कर मुख्यालय श्री मुंशी सिंह सन्त के संबंध में मुख्य मंत्री को ता0 9-1-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में संदर्भित प्रश्नकर्ता का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पत्र उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

गाजियाबाद, फर्म विजय इंजीनियरिंग कम्पनी से सम्बन्धित बिक्री कर की पत्रावली

154—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्न-कर्ता का पत्र सं0 1495 दिनांक 21-1-85 गाजियाबाद बिक्री-कर कार्यालय में फर्म विजय इंजीनियरिंग कं0 के कागज़ात पत्रावली से गायब करने के बारे में मुख्य मंत्री को दिनांक 23-1-85 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं । फर्म विजय इन्जीनियरिंग कम्पनी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का पत्र संख्या 1495/दमकिपा/85, दिनांक 7-1-'85 प्राप्त हुआ था । फर्म ने काम बन्दी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-3-76 को रसीद संख्या 186384 से दिया था । परन्तु किसी कारणवश यह पत्रावली पर नहीं रखा जा सका । उक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 10-8-84 को अध्यक्ष बिक्रीकर अधिकरण ने न्यायिक निर्णय दिया जिसमें उक्त रसीद को मान्यता प्रदान की गयी । अधिकरण के उक्त निर्णय पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया गया जिसमें व्यापारी को वर्ष 76-77 के लिए कर-मुक्त घोषित किया गया । इस वर्ष के लिए अस्थायी कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया गया । फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 17-8-76 को किया गया । जिसमें इस बात का उल्लेख है कि फर्म दिनांक 1-4-76 से जाब वर्क कर रही है । इस कारण पंजीयन न कराने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इस सर्वेक्षण में व्यापारी द्वारा खरीद/बिक्री का व्यापार बन्द किया जाना तथा फर्म के स्वामी श्री त्रिलोक चन्द्र को 169 आर्यानगर रेलवे स्टेशन के पास बताया जाना उल्लिखित है । सर्वेक्षण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि व्यापारी पुराने पते पर नहीं रहता । इस मामले में कर निर्धारण कार्यवाही विलम्ब से प्रारम्भ करने का कारण कर निर्धारण अधिकारी के पास प्राथमिकता वाले वादों की पैन्डेंसी अधिक होना था । इस मामले में किसी प्रकार की राजस्व की हानि निहित नहीं है । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती ।

बिक्री-कर विभाग में लम्बित रिवीजन प्रार्थना-पत्र

155—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्न-कर्ता का पत्र संख्या 1429 दिनांक 19-11-84 वर्ष 81-82 में 23 रिवीजन प्रार्थना-पत्रों को विलम्ब से दाखिल करने वाले अधिकारियों को दंडित करने के बारे में मुख्य मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । पत्र में इंगित मामले में आवश्यक जांच कराई जा रही है ।

156—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

सुल्तानपुर, ग्राम बाहरपुर, मरदानपुर, फतेहपुर, निहालगढ़, और रसूलपुर, दुलारी नगर आदि में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये विकास कार्य

157—श्री रामगोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बाहरपुर, फूनदनपुर, सीतिथन किशनी, मरदानपुर फतेहपुर, नेवाज मदार, गढ़, ऊंगगांव, निहालगढ़, सैंदा पट्टी, महोना पूरब, महोना पश्चिम, तातारपुर, मंगरौली, दौलतपुर बरसन्डा, मीरांनपुर, रास्तमगढ़, हरखुमऊ, मखदूमपुर व रस्तामऊ विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 82-83, 83-84 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी है तथा वर्ष 85-86 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं अन्य विकास कार्य के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना संलग्न है।

158—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वि0 खं0 जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर सराय आलम नयाबा मगरौरा, दुलारी नगर, जलालपुर तिवारी, करीडीह में वर्ष 85-86 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से विकास कार्य प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 217 पर)

159—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कानपुर बिक्री-कर कार्यालय के बिक्री-कर अधिकारियों का स्थानान्तरण एवं उनके द्वारा कर का निर्धारण

160—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1214, दिनांक 22-6-84 कानपुर बिक्री-कर कार्यालय में ट्रांसफर होने वाले बिक्री-कर अधिकारियों के द्वारा मई व जून, 1984 में पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

(क) जी नहीं। एक पत्र संख्या 1214 दिनांक 21-6-84 अवश्य प्राप्त हुआ है।

(ख) पत्र में कानपुर के उन स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा जिन्हें 5-6-84 तक चार्ज देना था, 16-5-84 से 5-6-84 की अवधि में पारितद "एग्रीड" कर निर्धारण आदेशों की सूचना मांगी गयी है। उपलब्ध सूचनानुसार इन अधिकारियों द्वारा उक्त अवधि में कोई "एग्रीड" कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किये गये हैं।

छापी नहीं गयी।

लखनऊ, बिक्री-कर अधिकारियों का स्थानान्तरण एवं उनके द्वारा बिक्री-कर का निर्धारण

161—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1212, दिनांक 22-6-84 लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय में ट्रांसफर होने वाले बिक्री-कर अधिकारियों के द्वारा माह मई व जून, 1984 में पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं । किन्तु समसंख्यक पत्र जिसकी तिथि 21-6-1984 है प्राप्त हुआ है । कोई एग्रीड कर निर्धारण आदेश अधिकारियों द्वारा पारित नहीं किया गया । स्क्रुटनी की अवधि में जो कार्य सम्पादित किये जाने होते हैं उनका निर्णय आयुक्त बिक्री-कर, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है तथा उसी आधार पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

बिक्री-कर अधिकारियों की पदोन्नति सम्बन्धी शिकायती-पत्र

162—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1522 दिनांक 22-8-84 प्रदेश के 1971 से 83 तक के लोक सेवा आयोग से आये बिक्री-कर अधिकारियों में से बचे हुए बिक्री-कर अधिकारियों की पदोन्नति के समय 10 वर्ष की प्रविष्टियां न देखने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी । किन्तु पत्र संख्या 1552, दिनांक 22-8-84 का प्राप्त हुआ है । कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही प्रोन्नति के मामलों में प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की प्रविष्टियां देखी जाती हैं और यदि वैसी अवधि 10 वर्ष से अधिक हो तो केवल अन्तिम 10 वर्षों की प्रविष्टियां देखी जाती हैं । अतः उक्त पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

उपायुक्त (शा), बिक्री-कर विभाग, इलाहाबाद के बेकार ट्रक सम्बन्धी-पत्र

163—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1459 दिनांक 8-1-85 उपायुक्त (शा) बिक्री-कर इलाहाबाद के कार्यालय में बेकार पड़े ट्रक के बारे में मुख्य मंत्री को दिनांक 9-1-85 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर आयुक्त बिक्री-कर से आख्या प्राप्त की गयी और पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नलिखित है—

(1) उपायुक्त (शा) बिक्री-कर सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर के

पद पर कार्यकाल के दौरान श्री चन्द्र लाल द्वारा अन्य 42 व्यापारियों को उन पर विभिन्न वर्षों के लिए बकाया बिक्री-कर अदायगी हेतु 12 से अधिक किश्तों की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु शासन द्वारा चेतावनी दे दी गयी है।

(2) विभागीय ट्रक 2 वर्षों से खराब हो जाने के कारण कार्य नहीं कर रहा है। दिनांक 15-3-83 को नियमानुसार स्थानीय संभागीय परिवहन कार्यालय (इलाहाबाद) के आर0 आई0 (टेक्निकल) से फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु भेजा गया था जांचोपरान्त उन्होंने सम्बन्धित ट्रक में अनेकों खराबियां बतायीं जिन्हें ठीक कराये जाने के लिए 4 गैराजों से कोटेशन मंगाये गये थे। इनमें से एक गैराज ने मरम्मत करने में असुविधा व्यक्त की। अतः 3 गैराजों से प्राप्त कोटेशन अनुमोदन हेतु परिवहन आयुक्त, उ0 प्र0 को दिनांक 26-9-83 को भेजे गये थे। परिवहन आयुक्त ने 3 कोटेशनों में से एक कोटेशन में काफी कटौती करके स्वीकृति प्रदान की। अतः उक्त गैराज द्वारा इतनी कम धनराशि पर कार्य किये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी जिससे कि परिवहन आयुक्त को दिनांक 21-12-83 को अवगत करा दिया गया था। पुनः उनसे प्राप्त निर्देशानुसार "ए क्लास" गैरेजों द्वारा कोटेशन न दिये जाने पर "बी क्लास" गैराज का कोटेशन उनके स्वीकृतार्थ भेजा गया। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 5-2-85 द्वारा जायसवाल सर्विस स्टेशन इलाहाबाद के कोटेशन रु0 7,145.00 को संशोधित करते हुए रु0 2,145.00 का अनुमोदन दिया। उक्त स्वीकृत धनराशि में गैराज ने मरम्मत करने से इनकार कर दिया है। इस प्रकार ट्रक के मरम्मत न कराये जाने के लिए कोई विभागीय अधिकारी दोषी नहीं है।

ट्रक के खराब होने के दौरान स्टेशनरी आदि इलाहाबाद से ट्रक व रेल के माध्यम से कार्यालयों को भेजे गये हैं जिन पर प्राप्त सूचना के अनुसार कुल व्यय रु0 52,751.45 आया।

पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के बालिका हाई स्कूल तथा इण्टर कालेजों के छात्रावास

164—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में कौन-कौन से विकास खण्ड ऐसे हैं जिनमें छात्रावासों युक्त बालिका हाई स्कूल हैं? शेष किन-किन विकास खण्डों में छात्रावास युक्त ऐसे विद्यालय कब तक बना दिये जायेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

पिथौरागढ़ जनपद के केवल विकास खंड "विण" में छात्रावास युक्त बालिका हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज हैं। अल्मोड़ा जनपद के किसी भी विकास खण्ड में छात्रावास युक्त बालिका हाई स्कूल नहीं हैं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अनेक विद्यालयों के लिए मुख्य भवनों के निर्माण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अतः सम्प्रति बालिका हाई स्कूलों के साथ छात्रावास की व्यवस्था संभव नहीं है।

पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के हाई स्कूलों में विज्ञान कक्षा की स्थापना

165—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के किन-किन विद्यालयों में कक्षा 10 तक अनिवार्य विज्ञान विषय पढ़ाये जाने के कारण विज्ञान कक्षा की पूर्ण स्थापना हो चुकी है, शेष विद्यालयों में इनकी स्थापना कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

शासन में प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान विषय की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सभी प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष जिन विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान की सुविधा नहीं उपलब्ध है उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल के राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों के स्नातक वेतनक्रम के पद

166—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं व गढ़वाल मंडल में ऐसे कौन-कौन राजकीय हाई स्कूल इंटरमीडिएट कालेज हैं जहां पूर्व स्नातक वेतनक्रम के केवल दो ही पद सृजित हैं ? क्या इन विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार शेष नये पद सृजित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में वांछित सूचना के लिए पर्वतीय क्षेत्र के अब तक खोले गये समस्त राजकीय हाई स्कूल तथा इण्टर कालेजों से सूचना एकत्र की जा रही है जो अभी प्राप्त नहीं हो पायी है।

कुमाऊं मण्डल के विकास खण्डों में इण्टर विज्ञान विषय के विद्यालय

167—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मण्डल के ऐसे कितने विकास खण्ड हैं, जहां इण्टर विज्ञान विषय का अभी तक एक भी विद्यालय नहीं है ? क्या शासन ऐसे विकास खण्डों में स्थित राजकीय विद्यालयों में इण्टर स्तर पर विज्ञान विषय के समावेश पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

ऐसा कोई भी विकास खण्ड नहीं है जहां इण्टर विज्ञान विषय का एक भी विद्यालय न हो।

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल मण्डल के मार्गों की तकनीकी जांच

168—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 1981-82, 82-83, 83-84 तथा 84-85 में किन-किन मोटर मार्गों

की तकनीकी जांच की गयी है और जांच के परिणाम क्या हैं तथा जांच आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायन दत्त—

वांछित सूचना संलग्न† है ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री भगवती प्रसाद वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

(12 बजकर 22 मिनट)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

माननीय महोदय, इस विधान सभा के दो बार सदस्य रह चुके हैं, श्री भगवती प्रसाद वर्मा जी, जो बाराबंकी के निवासी थे और जो स्वतन्त्रता संग्राम में न केवल शामिल हुए बल्कि उनका सारा परिवार जेल गमन कर चुका था के निधन की सूचना यहां देता हूं । वह सन् 62, सन् 67 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनकर यहां आये थे और मैं उस दल में होने के नाते उनसे बहुत घनिष्ठ संपर्क में आया था । श्री भगवती प्रसाद जी वर्मा एक विद्यालय के अध्यक्ष भी थे, शिक्षा में उनकी अभिरुचि थी और मैं जानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति निश्छलता की प्रतिमूर्ति हो सकता है, तो वास्तव में वह थे । उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, जैसा मैंने वर्मा जी को पाया । जनता की सेवा में इतना तत्पर और तल्लीन रहते थे कि हर बार जब वह मुझसे मिले, तो उन्होंने अपने क्षेत्र तथा अपने क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के विषय में ही बात की । इस प्रकार की जन कल्याण की जब वह इच्छा सदैव प्रकट किया करते थे, उससे प्रकट है कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपना एक स्थान रखते थे । उनके निधन से निश्चय ही प्रदेश के सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र में एक रिक्तता आयी है । मैं समझता हूं कि उसकी पूर्ति नहीं हो सकती लेकिन सबसे अधिक हानि बाराबंकी को उनके निधन से (इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी पीठासीन हुए ।) हुई है । मैं समझता हूं कि वह एक निश्छल, समाजवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे । उनके निधन से हम सब शोकाकुल हैं और मान्यवर, मैं आपसे अपने दल की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदना का संदेश वर्मा जी के परिवार को पहुंचा देने की आप अनुकम्पा करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, भगवती प्रसाद वर्मा से मेरा बहुत निकट का सम्बन्ध रहा है । जब मैं पहली बार 1967 में चुनकर आया था तो उस समय वह भी हमारे दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनकर आये थे और मान्यवर, वह बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान नेताओं में से थे जिला बाराबंकी के । अभी वर्मा जी के बारे में खाद्य मंत्री जी ने बताया कि वह दो बार विधान सभा के सदस्य रहे । तो जहां तक मेरी जानकारी है वह इस सदन के 3 बार सदस्य रहे

†छापी नहीं गयी ।

हैं। उनके निधन के सम्बन्ध में मुश्किल से जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी है और उसके बावजूद भी गलत रिपोर्ट दी है। मान्यवर, 1957, 1967 1974 में, 3 बार वह इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हमेशा अपनी आवाज उठायी।

मान्यवर, उनके परिवार ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 16 अक्तूबर, 1955 को कुछ सामन्तों ने जुल्म किया और अवध शरण वर्मा जो सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे, उनको वहां के सामन्तों ने गुड्डू-पुर में जिन्दा जला दिया था। उसमें भगवती प्रसाद वर्मा के पुत्र सियाराम वर्मा को भी जलाया गया था। इसलिए जहां पर शहीद मेला लगता है मैं वहां पर कई बार गया हूं। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दीं। किसानों से, खेती से उनका सबसे ज्यादा लगाव था। ऐसे नेता के उठ जाने से हम सबको दुख है मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे और मेरे दल के साथियों की ओर से उनके परिवार तक श्रद्धांजलि और संवेदन भेजने का कष्ट करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर माननीय भगवती प्रसाद वर्मा जी जो इस सदन के 3 बार सदस्य रहे हैं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लिया और वह स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अगली पंक्ति में हमेशा रहे और एक बार नहीं अनेकों बार वह जेल गये। मान्यवर, उनकी और उनके परिवार की कुर्बानी इस प्रदेश के लोग आने वाले दिनों में भी याद रखेंगे। मान्यवर, वह एक निर्भीक व्यक्ति थे और पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुने गये। धीरे-धीरे इस प्रदेश और देश से आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोग समाप्त हो रहे हैं और उससे प्रदेश और देश में जो रिक्तता आयी है उसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। मान्यवर, उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी तरफ से तथा हमारे दल की तरफ से संवेदना भिजवाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, अभी स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद वर्मा जी के निधन के सम्बन्ध में शोकोद्गार माननीय खाद्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता जनता पार्टी ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके नजदीक में जाने का मौका मिला था। यह बात बिल्कुल सही है कि वह बड़े निर्भीक, साहसी और कट्टर स्वभाव के व्यक्ति थे। जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय वह प्रथम पंक्ति के सेनानी की तरह से रहे। मुख्य रूप से उनका कार्य क्षेत्र समाज के पिछड़े वर्ग और गरीब तथा निर्बल वर्ग के बीच में रहा। उनके न रहने से जो रिक्तता आयी है, उसकी पूर्ति होना असम्भव है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी और मेरे दल की श्रद्धांजलि उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, जो माननीय खाद्य मंत्री ने, माननीय नेता विरोधी दल ने, नेता जनता पार्टी एवं माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । वर्मा जी मेरे जनपद के थे और मेरा यह सौभाग्य है कि उनको बहुत निकट से देखने का मुझे मौका मिला है । आजादी की लड़ाई के लिए जिस तरह से वह लड़े, उसी प्रकार से सामन्ती जुल्म के खिलाफ जीवनपर्यन्त संघर्ष करते रहे, खासतौर से बाराबंकी जनपद को उनके निधन से जो क्षति हुई है, उससे हमारे दल के सभी लोग दुखी हैं । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी और मेरे दल की संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, स्वर्गीय वर्मा जी के बारे में माननीय खाद्य मंत्री तथा अन्य नेताओं ने जो संवेदना के भाव व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, भगौती प्रसाद वर्मा आजादी के बाद सक्रिय रूप से समाजवादी आंदोलन के साथ थे और उसकी अगुवाई करने वालों में से थे । उनके निधन से जो रिक्तता आई है उसकी पूर्ति होना बहुत ही मुश्किल है । मान्यवर, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, अभी माननीय खाद्य मंत्री एवं अन्य नेताओं ने स्वर्गीय भगौती प्रसाद वर्मा के निधन पर जो ख्यालात का इजहार किया, मैं उससे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं । माननीय भगौती प्रसाद वर्मा इस प्रदेश के माने-जाने लोगों में से और स्वतंत्रता संग्राम के चुने हुए एक सिपाही थे । उनके अन्तकाल से प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है । मैं अपने और अपने दल की तरफ से अनुरोध करता हूं कि पुरसोग परिवार तक हमारी जजबात पहुंचा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय भगवती प्रसाद वर्मा जी बाराबंकी के एक कृषक परिवार के थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी हिस्सा लिया । अपने जनपद में न केवल स्वतंत्रता संग्राम के वह सेनानी थे, वरन् उसी के साथ-साथ सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं में भी वह रहे हैं । जिला परिषद् बाराबंकी के वह सदस्य थे तथा नेशनल इण्टर कालेज, फतेहपुर के अध्यक्ष भी रहे । 84 वर्ष की आयु में उनके आकस्मिक निधन से हम सबको एक बार पुनः यह विचार करने के लिए बाध्य कर रहा है कि धीरे-धीरे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हमारे बीच से उठते जा रहे हैं और जो सेवा उनकी इस बाराबंकी जनपद को मिली और विधान सभा के सदस्य के रूप में जो सेवायें मिलीं, उन सबको हम याद करते हैं । आज इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदन में माननीय खाद्यमंत्री, नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी दल के नेताओं ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले, उनके परिवार जनों तथा बाराबंकी जनपद के तमाम उनके अनुयायियों को शान्ति मिले। सदन की भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार को भिजवा दी जायेंगी। कृपया दो मिनट का मौन रखें।

(सदन के सभी सदस्य दो मिनट तक मौन खड़े हुए।)

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दारुलशफा डिस्पेंसरी में दवाई न मिलने तथा हड़ताल के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री फजलुल बारी—

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष—

किस सम्बन्ध में आप व्यवस्था उठा रहे हैं ?

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, हम लोग चुनकर आते हैं, इस सदन में आकर कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं और अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हैं। इसी के लिए आपकी तरफ से सारे इन्तजामात हुए हैं। हमारे रहने की व्यवस्था, उसमें सफाई, हमारी सेहत का ख्याल रखने के लिए दवाखाना खुला है। हम कई दिन से बीमार चल रहे हैं, सुबह वक्त नहीं मिलता था। आज तबीयत काफी खराब हो गयी तो मैं दारुलसफा दवाखाना में गया। एक तो तबीयत खराब दूसरे वहां जाने पर ताला लटका हुआ मिला, दवाखाना बन्द है। मैं बड़ी मुश्किल से वहां आकर अपने जजबात आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर हम दवा नहीं पायेंगे तो कैसे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। आपको पूरी ताकत है इस प्रकार के मामलों को देखने की। आप खुद देखें, वह लोग जिनकी वजह से मेम्बर को तकलीफ हो रही है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। हमारी तन्दुरुस्ती और हमारी हिफाजत करें।

श्री कौशिक रमाशंकर—

कुछ दिन पहले यहां चर्चा हुई थी पैसे का पेमेन्ट नहीं हुआ है इसलिए दवा नहीं मिल रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में घोषणा की कि पैसे का पेमेन्ट अब कर दिया गया है अब दवा मिलेगी। दो दिन से पता चला है कि कांग्रेस (आई) के विधायक से डाक्टर से मारपीट हो गयी है, उसके कारण वहां हड़ताल हो गयी है। हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम क्या करें। बारी साहब को कई दिन से डायरिया हो रही है, मेरे पास बैठते हैं, जो कुछ हो सकता है मैं हिफाजत करता हूं। वस्तुस्थिति क्या है किस विधायक के साथ झगड़ा हुआ, ताला लगा है, मंत्री जी बैठे हैं, बता दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री यदुनाथ सिंह—

मैं भी इस पर बल देना चाहता हूं मान्यवर, पहले भी कई मर्तबा दारुलशफा में दवाओं के वितरण एवं वहां के डाक्टरों के व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है और आज जो माननीय सदस्य ने स्थिति बताई, वह भी आपने सुनी। यहां के डाक्टर्स किसी की कुछ सुनते नहीं हैं। एकदम आंख के अन्धे और कान के बहरे हैं। लेकिन मान्यवर, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी के पास जो साहब बैठे हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है न मेडिकल विभाग में है और न एसेम्बली में। मान्यवर, इस प्रकार जो मेडिकल विभाग में अव्यवस्था व्याप्त है, इन सबकी जिम्मेदारी माननीय लोकपति त्रिपाठी जी पर है और यह स्थिति दारुलशफा की ही नहीं वरन् पूरे प्रदेश की स्थिति है।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर; जैसा कि अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने दारुलशफा अस्पताल के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया है, मान्यवर, आज दारुलशफा के डाक्टर्स मुझसे प्रातःकाल मिले थे। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि शासन की तरफ से यह व्यवस्था की गयी है कि जो भी हमारे माननीय सदस्य अस्वस्थ हों, उनकी निःशुल्क चिकित्सा और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था भी की जाये और इस प्रकार से ऐसा अभी तक होता भी आया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों वश विगत 12 अगस्त को शासन की तरफ से एक आज्ञा जारी हुई जिसमें यह स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी चिकित्सक हैं और चिकित्सालय हैं, सब पर लागू करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये गये कि जो भी माननीय सदस्य चिकित्सा के लिए आयें, उन्हें आप स्वयं देखें और उन्हें दवा आदि दें और किसी निजी चिकित्सक द्वारा यदि कोई दवा बतायी जाये तो वह न दी जाये और एक सप्ताह से ज्यादा की दवाएं भी न दी जायें। साथ ही यह भी उन चिकित्साधिकारियों को आदेश थे कि यदि कोई दवाई उनके निजी पर्चे पर क्रय की गयी तो उस पर विभागीय कार्यवाही भी होगी।

मान्यवर, यह राजाज्ञा जो निकली है इसके पीछे भी कई कारण हैं। सुविधा दी गयी, यह सही है, परन्तु इस सुविधा का दुरुपयोग होने लगेगा और इस दुरुपयोग के कारण वहां के चिकित्सक भी एक अजीब धर्म-संकट में पड़ गये हैं। इतने लम्बे-लम्बे नुस्खे उनके सामने मान्यवर पहुंच जाते हैं (व्यवधान)।

(शोर)

श्रीमन्, आज प्रातः कई डाक्टरों ने मुझे एक बात बताई कि एक बिल्कुल नये डाक्टर आये हैं जिन्हें सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं, उनके सामने 4 नुस्खे दवाओं के जो 3-3 या साढ़े तीन-तीन हजार रुपये के मूल्य के थे। इन चारों नुस्खों में करीब 15 या साढ़े पन्द्रह हजार रुपयों के मूल्य की दवाएं आनी थीं, उन नये डाक्टर साहब ने उस 12 अगस्त की राजाज्ञा का हवाला दिया कि इसके तहत मैं यह दे नहीं सकता और अगर दूं तो हमारी तनख्वाह कटेगी, लेकिन उन दवा लेने वालों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर की कोई बात नहीं मानी बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार पर उतर आये और उनका घेराव वगैरह भी किया और कहा कि इन दवाओं की व्यवस्था आपको करनी होगी । मान्यवर, इतना गम्भीर विषय यह हो गया जिसे श्रीमन्, आपको देखना होगा । कल उन डाक्टरों के पास कुछ लोगों ने जा कर अभद्र व्यवहार किया, उनका घेराव किया, अतः मजबूर होकर डाक्टरों को 11.00 बजे से हड़ताल करनी पड़ी । आज भी डिस्पेंसरी बन्द है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुविधाएं शासन की ओर से हमको मिली हैं, वही सही माने में मिलती रहें । उनका दुरुपयोग न हो । चार-पांच हजार का एक-एक दवा का नुस्खा आता है । गत वर्ष 48 लाख रुपये की दवाइयां दारुलशफा डिस्पेंसरी से बांटी गयीं । यह मैं एलोपैथिक दवाओं की बातकर रहा हूं । होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं की बात ही अलग है । प्रदेश की जनता में हम विधायकों की छवि बनी रहे, इसलिए हमको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमारी छवि धूमिल हो । डाक्टरों के सामने अजीब संकट उत्पन्न हो गया है । उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, उनके माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाय और इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश दिये जायं ताकि इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो सके ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, यह एक बहुत गम्भीर मसला है । यह जो डाक्टर कौशल ने मामला उठाया है और जो राजाज्ञा का उल्लेख किया है । यह बहुत ही गम्भीर है । मान्यवर,

श्री अध्यक्ष—

यह जो मामला है, इस पर मेरा निर्णय सुन लिया जाय . . . .

(व्यवधान)

आप लोग कृपा करके बैठें । मैं जो निर्णय दे रहा हूं, सुन लें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, डाक्टर कौशल ईमानदार हैं, नैतिकता वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में मैंने एक बैठक माननीय नेतागण की की थी और कुछ सुझाव सामने आये हैं । उस पर विचार हो रहा है और सरकार भी विचार कर रही है और मैं समझता हूं कि जल्द ही कुछ न कुछ, जो सुझाव माननीय नेतागण ने दिये हैं निर्णय अवश्य होगा ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, नहीं लिखा जायेगा । ये अनपार्लियामेंटरी शब्द कह रहे हैं । मैं माननीय स्वास्थ्य

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर हम और आप बात कर लें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने निधन के निर्देश के पहले कहा था कि "यदुनाथ सिंह जी आपको समय मिलेगा ।" मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बोल रहा हूं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, ठीक है मैं आपसे मिल लूंगा ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

*श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, आपने मेरा नाम लेकर निधन के निर्देश के बाद मौका देने की बात कही थी ।

मान्यवर, मैंने आज अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के अन्तर्गत यह जानना चाहा था कि जून, 1980 से मार्च 1985 तक मिर्जापुर जिले के चुनार विधान सभा में कितने कि0 मी0 सड़कों का निर्माण हुआ तथा अमेठी विधान सभा क्षेत्र जनपद सुल्तानपुर में जून 1980 से मार्च 1985 तक कितने कि0 मी0 सड़क का निर्माण हुआ ? मान्यवर, उत्तर आया है कि प्रश्नगत अवधि में जनपद मिर्जापुर के चुनार विधान सभा क्षेत्र तथा जनपद सुल्तानपुर के अमेठी विधान सभा क्षेत्र में क्रमशः 90 कि0मी0 तथा 68 कि0मी0 सड़कों का निर्माण हुआ । यह बिल्कुल गलत है और गलत सूचना पर आधारित है। गलत बयानी की गयी है। जबकि स्थिति यह है कि चुनार विधान सभा क्षेत्र में इस अवधि के मध्य 5 कि0मी0 सड़कें ही बनी हैं जबकि अमेठी में 600-700 कि0मी0 सड़कों का निर्माण हुआ है । यह निहायत गलत उत्तर मिला है। मैं इसे फाड़कर फेंक देता हूं इसका क्या उपयोग ।

दारुलशफा डिस्पेंसरी में दवाई न मिलने तथा हड़ताल के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, अभी एक गंभीर विषय सदन के संज्ञान में लाया गया डा0 कौशल ने भी अपने उस पर विचार रखे और उन्होंने भी गंभीरता के साथ कुछ तथ्य सदन की संज्ञान में लाये । आपके श्रीमुख से जो निर्णय निकला है, वह शिरोधार्य है। इसमें नेताओं की बैठक हो रही है या हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष—

हो चुकी है और जो उसमें सुझाव आये हैं उस पर सरकार विचार कर रही है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध किया है कि वे मेरे कक्ष में आकर मुझसे इस सम्बन्ध में मिल लें । ताकि जो इंतजाम है, उसमें बाधा न पड़े ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, किसी एक व्यक्ति के दुर्व्यवहार के कारण वहां के डाक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। इसमें कोई विवाद या झगड़ा नहीं है। इस स्थिति से वहां जो तात्कालिक समस्या पैदा हो गयी है उसके हल के लिए आप द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है, वह मैं जानना चाहता हूं। इस स्ट्राइक का तात्कालिक हल बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गुप्त जी ने जैसा कि अभी मैंने बताया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने इस मसले को हल करने के लिए अपने कक्ष में बुलाया है। आपको कोई दिक्कत न हो, कठिनाई न हो, इसके लिए कुछ व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है। सवालों के माध्यम से ही अपनी बात कहने का हमारे पास एक सबसे बड़ा कारगर हथियार है और उसी का इस्तेमाल करते हुये हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से अतारांकित प्रश्नों का उत्तर इस तरह से दिया जा रहा है, जो आपके संज्ञान में भी आये होंगे। मैं अतारांकित प्रश्न संख्या 73 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा एक निश्चयात्मक सवाल था, जिसके बारे में हमने यह भी कहा कि 3-3-रिमाइन्डर भेजे गये हैं लेकिन जो जबाब दिया जा रहा है, उसमें कहा गया है कि जांच कराई जा रही है। मान्यवर, जब कोई माननीय सदस्य स्पष्ट आरोप लगाता है और जब उसकी जांच चल रही होती है तो आपने भी इस पीठ से निर्देश दिये हैं कि उसमें माननीय सदस्य को भी सूचित किया जाय। आज डेढ़ साल का समय हो गया है, लेकिन मुझे कोई सूचना आज तक नहीं मिली है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि कोई जांच नहीं हो रही है। दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि वोर्डरों को तौलकर खरीदा जाय। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गोरखपुर में बोर्डरों को तौल कर खरीदा है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार का नमूना हमने कहीं कहीं देखा। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार का उत्तर अतारांकित प्रश्नों का दिया जाना है तो आप इस अतारांकित प्रश्न को समाप्त कर दीजिये। इससे न तो आपका समय जाया होगा और न ही हमारा और न इस आदरणीय सदन का समय जाया होगा और या फिर आप अतारांकित प्रश्नों का सटीक उत्तर दिलवायें। एक तो हम अतारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं और उस पर शासन का ऐसा उत्तर आता है। आप मन्त्री जी को निर्देश दे दीजिये कि अतारांकित प्रश्नों का उत्तर निश्चयात्मक आना चाहिये। इस प्रकार के गलत उत्तर के लिए यदि 1-2 अधिकारियों के खिलाफ आप कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दे देंगे तो यह समस्या अपने आप ठीक हो जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, यदि आप किसी प्रश्न के ऊपर समझते हैं कि इसका सही उत्तर नहीं आया है, तो आप उसे लिखकर दे दीजिये। मैं उसकी जांच करवा लूंगा और जैसी व्यवस्था होगी, वैसी की जायेगी।

सीतापुर जिले के रेउसा ब्लाक में 33 के0 वी0 सब-स्टेशन बनाने में विलम्ब होने से क्षति की जांच एवं शीघ्र बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(शोर)

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है। सर्वश्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, प्रभू दयाल बेनी प्रसाद वर्मा, मो0 मसूद खां, अवनीश कुमार सिंह, राजेन्द्र गुप्त और श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा इन 7 लोगों की सूचनाओं को स्वीकार किया गया है।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, सीतापुर जिले के रेउसा ब्लाक में 33 के0 वी0 का सब-स्टेशन 1983-84 में बनकर प्रारम्भ हो जाना था। किन्तु उसमें अब तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस सब-स्टेशन को सुचारु रूप से चलाने के लिए बिसवां-रेउसा के मध्य 33000 वोल्ट की लाइन बननी थी। उसकी शुरुआत तक नहीं हो पाई है। इस सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि एक ट्रांसफार्मर 7.5 एम0 बी0 ए0, 6000/33000 वोल्ट का बिसवां सब-स्टेशन पर लगाना था, उसी से 33000 वोल्ट की लाइन रेउसा तक जानी थी। वह बिसवां में लगाते ही जल गया है। शासन को इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी है। यदि रेउसा का सब-स्टेशन बन भी जाता है तो बिना इस ट्रांसफार्मर के लगे बिजली नहीं मिलेगी।

शासन इस सारे मामले की जांच करे तथा रेउसा का सब-स्टेशन अविलम्ब प्रारम्भ करवायें।

जनपद मेरठ के अन्तर्गत किठौर-मवाना मार्ग पर उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के अभाव से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभू दयाल—

मान्यवर, मवाना-किठौर रोड पर एक बस चलती थी लेकिन . . .।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने दिया है, वह पढ़ें, यह भाषण का समय नहीं है।

श्री प्रभू दयाल—

वह तो घर पर रह गया।

श्री अध्यक्ष—

तो पढ़ा हुआ मान लिया जाय, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(सूचना सदन की सहमति से पढ़ी हुई मान ली गयी ।)

श्री प्रभू दयाल—

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जनपद मेरठ के अन्तर्गत किठौर-भवाना मार्ग पर पिछले एक वर्ष पूर्व राज्य सड़क परिवहन निगम उ0 प्र0 की 6 बसें चलाई गयी थी जिससे जनता को राहत की सांस मिली थी । लेकिन अधिकारियों से प्राइवेट बस मालिकों ने सांठ-गांठ करके उक्त निगम की बसों को बन्द करवा कर प्राइवेट बसें चलवाने का परमिट ले लिया जिससे यात्रियों को यात्रा करने में भारी असुविधा उठानी पड़ रही है । यहां तक कि यात्रियों को बसों के ऊपर छत पर तथा बस में लटक कर यात्रा करनी पड़ती है जिससे उनके जीवन को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है । अनेकों घटनायें आये दिन हुआ करती हैं जिसके कारण यात्रियों तथा जनता में भारी रोष, असन्तोष, क्षोभ तथा भय का वातावरण व्याप्त हो गया है । अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि कृपया पुनः उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें पर्याप्त मात्रा में चलायी जायें ।]

फतेहपुर बाराबंकी के कतिपय गांवों में घाघरा नदी के कटान से खतरा होने तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, बाराबंकी जनपद के तहसील फतेहपुर में ग्राम इनामीपुर, सिरौली, दनापुर, परसा आदि लगभग 10 गांव घाघरा नदी के कटान से कट गये हैं । इन गांवों के निवासियों के लिए कहीं अन्यत्र बसा देना सरकार की तरफ से अभी कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है और न इन्हें कोई सहायता ही दी गयी । घाघरा नदी का कटान अभी भी चल रहा है जिससे अन्य गांवों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है ।

इसी तरह लगभग 20 गांवों की पूरी भूमि 5 वर्ष पूर्व घाघरा नदी से कट गयी थी परन्तु अभी तक राजस्व विभाग ने इनका कटे हुये गांवों की जमीन भी नहीं खारिज की है ।

आपकी अनुज्ञा से मैं इस सूचना के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि घाघरा नदी से कटी हुई जमीन का लगान तुरन्त खारिज किया जाय और जिन गांवों की जमीन कट रही है उसको रोकने के लिए पक्की ठोकर बनवाई जाय जिससे नदी का कटान आगे न बढ़ सके ।

आजमगढ़ जनपद के कतिपय गांवों में हैजे व मलेरिया के भयंकर प्रकोप से जन-जीवन की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहम्मद मसूद खां—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति अविलम्बनीय लोकमहत्व के गम्भीर प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक महमदपुर में ग्राम मंगरावां व अन्य गांवों में हैजे की बीमारी का भयंकर प्रकोप हो गया है ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साथ ही साथ मलेरिया बुखार बहुत तेजी से बढ़ता व फैलता जा रहा है। यही नहीं हर गांवों में लगभग 5-6 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है दवा व टीका लगाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है और न ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई प्रबन्ध जिला स्तर पर किया गया है। इस बीमारी के कारण वहां के लोगों में जन असन्तोष व रोष व्याप्त हो गया है। कृपया इस ओर अविलम्ब ध्यान देने की व्यवस्था करेंगे।

अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार तत्काल व्यवस्था करे और इस गम्भीर बीमारी को तत्काल रुकवाने की शासन द्वारा व्यवस्था करायी जाय। अन्यथा इस पर यदि ध्यान न दिया गया तो काफी लोगों के मरने की आशंका पैदा हो जायगी।

दातागंज जिला बदायूं के विवादग्रस्त भूमि का शीघ्र सीमांकन कराये जाने तथा अवैधानिक कब्जा हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवनीश कुमार सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र दातागंज जिला बदायूं राम गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है जिसमें कि 31 ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि राम गंगा नदी के कटाव के कारण जिला शाहजहांपुर तथा जिला बरेली की ओर निकल गयी है जिससे कि उस भूमि पर वहां के अराजक तत्वों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तथा दातागंज क्षेत्र के कृषकों को अपनी भूमि को जोतने तथा बोने नहीं देते हैं जिससे कि उन कृषकों में क्षोभ और निराशा व्याप्त है। इस भूमि पर विवाद की स्थिति उत्पन्न अत्यन्त तनावपूर्ण हो गयी है तथा शान्ति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया है।

अतः आपके माध्यम से मैं शासन से मांग करता हूं कि इस विवाद ग्रस्त भूमि का तुरन्त सीमांकन कराया जाय तथा उस पर से अवैधानिक कब्जा हटाया जाये जिससे कि दातागंज के निर्धन कृषकों को अपना अधिकार मिल सके।

राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड पर प्रभावी दबाव डालकर जालौन जिले के कोंच रेलवे स्टेशन को बन्द न किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, रेलवे स्टेशन खोलना तथा बन्द करना केन्द्र का विषय है परन्तु नियम के अनुसार नया स्टेशन खोलने तथा पुराना बन्द करने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। जालौन जिले में 50 हजार की आबादी का नगर कोंच एक प्रमुख मण्डी है। जालौन को मध्य प्रदेश तथा इटावा से जोड़ने का यह एक प्रमुख स्टेशन मध्य रेलवे में स्थित है। राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना इसे बंद किये जाने का निर्णय हो रहा है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में भीषण असन्तोष है। सन्दर्भ राज्य सरकार को दिया गया, इस पर मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को लिखने का वादा किया परन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं की, इससे असन्तोष और गहन हो गया। सभी राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन उ0 प्र0 सरकार द्वारा प्रभावी कदम न उठाने के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। वहां के प्रमुख पत्रकार भा0 ज0 पा0 के महामन्त्री श्री राधेश्याम ने आत्मदाह की घोषणा कर दी है जिससे स्थिति गम्भीर हो गयी है।

अतएव लोकमहत्व की यह समस्या शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि राज्य सरकार रेलवे बोर्ड पर प्रभावी दबाव डाल कर कोंच स्टेशन बन्द न होने दें।

ग्राम नौहाई थाना कालीजंर, बांदा में पड़ी डकैती में घायलों के इलाज में डाक्टरों द्वारा लापरवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, बांदा जनपद के थाना कालीजंर के अन्तर्गत ग्राम नौहाई में भीषण डकैती 10 अगस्त की रात्रि पड़ी जिसमें परिवार के कई सदस्य घायल हुये। इन घायलों का इलाज कराने पुलिस संरक्षण में नरैनी एलोपैथिक अस्पताल 11 अगस्त को सुबह लाया गया। जहां नरैनी क्षेत्र के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तानाशाही रवैये के कारण डाक्टरों के आपसी विवाद से दोनों डाक्टरों ने अस्पताल नहीं खोला और न ही दवा करने गये तब वहां सैकड़ों की संख्या में जनसमूह पहुंच गया और नारेबाजी करते हुये घायलों को नरैनी चौराहे लाया गया जहां इलाज न करने पर डकैती से पीड़ित घायलों को जनसमूह के बीच तड़पते रहे और एक नवजवान घायल ने तड़पते हुये बिना इलाज के दम तोड़ दिया। शेष की दवा मेरे पहुंच जाने से और हस्तक्षेप करने पर की गयी। इस गम्भीरता को देखते हुये घायलों को बाद में जिला अस्पताल बांदा भेजा गया। डाक्टरों की लापरवाही से घायलों की जान गई। इस काण्ड से क्षेत्रीय जनता में असन्तोष एवं रोष है। मैं सदन के संज्ञान में लाते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।

प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत नर्सों के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा अन्याय एवं मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

महोदय, जिला चिकित्सालयों एवं अन्य जगहों पर कार्यरत अधिकांशतः नर्सें विभागीय अधिकारियों की मनमानी के कारण बहुत ही पीड़ित हैं तथा परेशानियों का सामना कर रही हैं। इनकी ई0 बी0 लखनऊ में सम्बन्धित अधिकारियों के पास वर्षों से पड़ी हुई हैं, सरकारी आदेश दिनांक 28-11-81, 27-4-78 तथा 1983 के आदेश के बावजूद ये अधिकारी क्लर्क परिचारिकाओं की ई0 बी0 नहीं पास कर रहे हैं। इनकी समयबद्ध उन्नति के मामलों को भी वर्षों से लटकाया जा रहा है। प्रशिक्षण के समय लिया गया जमानत धनराशि भी अधिकांशतः सेवारत नर्सों की आज तक नहीं लौटायी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा सकी है। विभाग के अधिकारी एवं क्लर्क पूछने पर ये बताते हैं कि आपको भेज दिया गया होगा परन्तु आज तक अधिकांशतः को नहीं मिला है। यही नहीं बहुत सी नर्सों की सेवा पुस्तिकायें भी खो दी गयी हैं या जानबूझकर नष्ट कर दी गयी हैं जिसके कारण उनकी पेंशन, फण्ड, ग्रेच्युटी आज तक नहीं मिल पा रही है। सीनियरिटी लिस्ट हर विभाग में प्रकाशित की जाती है परन्तु इस विभाग की लिस्टें जिला चिकित्सालयों के अधिकारियों एवं बाबुओं के घर पड़ी रहती हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर चिकित्साधिकारियों द्वारा इनकी सेवा पुस्तिका को लाल करने की धमकी आम बात हो गयी है। इन तमाम विसंगतियों को लेकर प्रदेश भर के जिला चिकित्सालयों में काम करने वाली नर्सों के मन में विभाग तथा शासन के प्रति क्षोभ, घृणा एवं अविश्वास की भावना व्याप्त हो गयी है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करती हूं।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं—सर्वश्री अशोक बाजपेयी, श्री सत्यपाल सिंह, श्री सरदार सिंह तथा श्री हर्षवर्धन की चारों सूचनाएं जो हैं वे नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं लिहाजा मैंने अस्वीकार किया।

जनपद फैजाबाद के क्षेत्र कटेहरी में स्थित 'श्रवण क्षेत्र' और 'श्रृंगी ऋषि आश्रम' को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित "श्रवण क्षेत्र" और "श्रृंगी ऋषि आश्रम" को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने विषयक श्री पृथ्वीपति द्विवेदी तथा श्री राम कृपाल सिंह, निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

फैजाबाद के गोसाईगंज भीटी रोड पर मड़हा नदी पर बने पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद के गोसाईगंज भीटी रोड पर मड़हा नदी पर बने पुल के पुनर्निर्माण विषयक श्री जमशेद अनवर कस्बा व पोस्ट गोसाईगंज, फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन में उपस्थित करता हूं।

फैजाबाद के शेखाघाट पर सरयू (घाघरा) नदी पर पेन्टून ब्रिज निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं जनपद फैजाबाद के शेखाघाट पर सरयू (घाघरा) नदी पर पेन्टून ब्रिज (पीपे का पुल) निर्माण किये जाने विषयक श्री फयाराम वर्मा तथा श्री राम कृपाल सिंह, निवासीगण फैजाबाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन में उपस्थित करता हूं।

क्षेत्र कटेहरी फैजाबाद के मड़हा (तमसा) आदि नदियों को गहरी और सीधी करके उनका नहरीकरण करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के मड़हा (तमसा) आदि नदियों को गहरी और सीधी करके उनका नहरीकरण करने विषयक श्री गयादीन निषाद तथा श्री मदन लाल जायसवाल, निवासीगण फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका माननीय सदन में उपस्थित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

पहली सूचना है—

श्री मुलायम सिंह यादव

श्री विजय सिंह राणा

श्रीमती सरोज वर्मा

श्री लक्ष्मी नारायण तथा अन्य 16 सदस्यों की।

आगरा मण्डल के विकास निगम के सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में।

दूसरी सूचना है—

श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री बंगाली सिंह, श्री किरनपाल सिंह, श्री बेनी प्रसाद वर्मा श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री राम सरन श्री बाबू राम यादव, श्री शफीकुर्रहमान बर्क की श्री राजेन्द्र सिंह के पुत्र के ऊपर कातिलाना हमला के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना है—श्री आंसान सिंह, श्री किशन लाल, श्री सूर्य प्रताप शाही की देवरिया जनपद में शीरे की तस्करी के बारे में। चौथी सूचना है—श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव की इलाहाबाद जनपद में हैजे के जोर के बारे में। पांचवीं सूचना—श्री गौरी शंकर भइया की ई सी0 डी0 आर0 वाई0 में हीरोइन की तस्करी के बारे में। छठी सूचना—श्री सत्यपाल सिंह की भी इसी के बारे में है। सातवीं सूचना—श्री अशोक बाजपेयी की परिवहन निगम को 7 करोड़ के घाटे के बारे में है। आठवीं सूचना—श्री अवधेश प्रसाद की फैजाबाद में लाखों रुपये की डकैती के बारे में है। नवीं सूचना—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा की लखनऊ विश्वविद्यालय में भोजन की गड़बड़ी के बारे में है। दसवीं सूचना—श्री गया प्रसाद वर्मा की इटावा जनपद में हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना—श्री हर्षवर्धन की पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखा के बारे में है। बारहवीं सूचना—श्री राजेन्द्र गुप्त की शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में है। तेरहवीं सूचना—श्री मो0 मसूद खां, श्री बलराम यादव तथा डा0 बंगाली सिंह की आजमगढ़ में सूखा के बारे में

हैं। चौदहवीं सूचना—श्री शेर बहादुर सिंह की मण्डी अधिकारियों द्वारा घपला के बारे में हैं। पन्द्रहवीं सूचना—श्री राम आसरे वर्मा, श्री काशी सिंह एरी तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित की प्लानिंग कमीशन की नियुक्तियों में घपला के बारे में हैं। सोलहवीं सूचना—डा0 दिनेश जौहरी की बरेली दीवानी अदालत में हड़ताल के बारे में हैं। सत्रहवीं सूचना—कुंवर मानवेन्द्र सिंह की ज़ालौन में शटल ट्रेन बन्द कराने के बारे में हैं। अठारहवीं सूचना—श्री शारदानन्द अंचल की डी0 ए0 वी0 कालेज बेल्थरा रोड के बन्द होने के बारे में हैं।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह नियुक्तियां जो हैं इतने घाटे में चल रही हैं इसलिये मैं विशेष रूप से इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आगरा मण्डल के विकास निगम में दो करोड़ से ऊपर का घाटा हैं। इस बारे में बराबर शिकायतें भेजी जाती रही हैं। वहां पर श्री सत्येन्द्र कुमार डाइरेक्टर हैं उन्होंने 21 मई, 1984 को एक पत्र लिखकर भेजा था उन्होंने 31 मई, 1984 को लेकर शासन को भेजा लेकिन जो प्रबन्ध निदेशक के रूप में, सामान्य प्रबन्धक के रूप में काम कराया उसमें 50 लाख से ऊपर का गबन किया। 50 लाख से ऊपर का गबन गौतम ने किया हैं। अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि यह घाटा जो 2 करोड़ का हैं अकेले गौतम और उसके परिवार तक सीमित रहेगा। इस सम्बन्ध में शासन को रिपोर्ट दी गयी हैं। यह शुरू में जो सत्येन्द्र कुमार जी जो डायरेक्टर थे उन्होंने रिपोर्ट की थी, 31 मई 1984 को दुबारा रिपोर्ट की 18 जुलाई, 1985। उसके बाद दूसरे डायरेक्टर वीरेन्द्रपाल जी आये उन्होंने 19 जनवरी, 1985 को रिपोर्ट दी। आगरा के दोनों कमिश्नरों ने, आज कल रमेश चन्द्र जी हैं उन्होंने इसकी विस्तृत जांच की रिपोर्ट भेजी हैं 10 अप्रैल, 1985 को। इसमें जो आरोप उसके विरुद्ध लगाये गये हैं, वह आरोप बिलकुल सत्य पाये गये। उनकी पूरी लिस्ट और पूरी सूचना भेजी गयी हैं, मैं उनमें से कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 1980-81 के अन्तर्गत आधुनिक धान मिल कुशपरा मैनपुरी के लिए पी0 सी0 एफ0 से 3460.54 कुन्तल धान क्रय किया गया था जिसमें से 405.72 कुन्तल धान श्री के0 के0 गौतम बेंचकर स्वयं हड़प कर गये। बहुउद्देशीय ग्राम सेवा केन्द्र मथुरा पर वर्ष 1980-81 में नौडझील विकास खण्ड को वाउचर संख्या 298 दिनांक 8-9-80 को पचास चेपकटर की आपूर्ति मुख्यालय द्वारा की गयी किन्तु यह चेपकटर विकास खण्ड में पहुंचे ही नहीं और श्री के0 के0 गौतम उन्हें बीच में ही बेचकर धनराशि स्वयं हड़प कर गये।

मान्यवर, तीसरा मैनपुरी केन्द्र पर पचास सुजाता मार्का कुट्टी की मशीनों को केन्द्र पर कार्यरत आंकिक श्री जे0 के0 जैन से मिलकर श्री गौतम स्वयं बेचकर खा गये। चौथा, आगरा के फतेहपुर सीकरी केन्द्र से 7 बैलगाड़ियां श्री गौतम बेचकर खा गये। निगम के बहुउद्देशीय ग्राम सेवा केन्द्र सिकन्द्राराऊ से ट्रैक्टर को श्री गौतम बेंचकर खा गये और बाद में वहां कर्म-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चारियों को दबाकर मामले की चोरी की चोरी में रिपोर्ट दर्ज करा दी। निगम के बहुउद्देशीय सेवाकेन्द्रों के माध्यम से बहुत से चेपकटर खरीदे गये थे जिनका मूल्य प्रति मशीन 610 रु0 था किन्तु श्री गौतम ने 650 रु0 प्रति मशीन का भुगतान कर और फर्जी बाउचर लगाकर हजारों रुपया हड़प लिया। श्री रघुबीर सिंह तत्कालीन केन्द्र प्रभारी, बहुउद्देशीय ग्राम सेवा केन्द्र अवागढ़ एटा से 15653.77 रुपये की वसूली होनी थी। श्री गौतम ने श्री रघुबीर सिंह से 20 हजार रुपया लेकर इस वसूली को निरस्त कर उसके विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही निरस्त कर दी।

मान्यवर, कमिश्नर ने शासन को समय-समय पर सूचित किया है लेकिन शासन से अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे पूरी जानकारी है कि आगरा मण्डल विकास निगम के अन्दर आज तक घृणित राजनीति का और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और गौतम की भ्रष्टाचार, अनैतिकता और पक्षपातपूर्ण कार्यविधि यथानुसार चालू है। इस सम्बन्ध में सारे अधिकारी जो नियुक्त होकर गये हैं उनकी सारी रिपोर्ट शासन को भेजी गयी है पर यह शासन इतना लुंजपुंज हो गया है कि किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करता है। श्री गौतम ने पैसा लेकर तथा अपने सगे सम्बन्धियों को निगम में मनचाहे ढंग से नियुक्ति कर दिया जो निगम की खुली लूट कर रहे हैं। इनके परिवार के लोग हैं राजकुमार गौतम, विपिन कुमार गौतम, रंग लाल गौतम। श्री राजकुमार गौतम को नियुक्त कर लिया और वह 50 लाख रुपये का गबन कर अपने घर बैठ गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह बहुत ही गम्भीर मामला है इसमें आज तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के मामले में सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करा दें ताकि कम से कम इस निगम को बचाया जा सके।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो विकास निगम लिमिटेड बना था आगरा में, इसका मुख्य उद्देश्य था समन्वित विकास और संतुलित विकास और इसको सन् 76 में स्थापित किया गया था। आगरा मण्डल में इस योजना के तहत संतुलित विकास की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी जाय।

(1 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, एक करोड़ की लागत से 1976 में इस निगम की स्थापना हुई। वहां पर श्री एस0 के0 गौतम सामान्य प्रबन्धक हैं और उन्होंने अपना भ्रष्टाचार का जाल बिछा रखा है, पांच जनपदों में जहां पर ग्रामीण इकाइयों का काम होना था, वह सब भ्रष्टाचार में डूब गया है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं शिकोहाबाद में जो शाखा थी, वहां पर उन्होंने ट्रैक्टर भेजा और वह इसलिये भेजे गये कि गांव में जाकर मड़ाई और जुताई का काम करेंगे, लेकिन मान्यवर ट्रैक्टर वहां पर पहुंचे ही नहीं और रास्ते में चोरी दिखा दिये गये और जो जांच की गयी उसका काम श्री गौतम को ही सुपुर्द किया

गया और वह जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, वह ट्रैक्टर कहां पर गये आज तक पता नहीं है। ट्रैक्टर मामूली कीमत का तो था नहीं और चोरी की रिपोर्ट लिखा दी और राज कुमार गौतम हैं वहां उस ट्रैक्टर को ले गये ऐसी चर्चा है। कमिश्नर, माता प्रसाद ने एक रिपोर्ट शासन को भेजी और वर्तमान आयुक्त श्री रमेश चन्द्र ने उनके खिलाफ 25 सूत्री रिपोर्ट भेजी है, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे सूचना मिली है कि श्री गौतम जो हैं, उन्होंने आगरा में जब चुनाव हुआ तो इन्दिरा कांग्रेस के लोगों को बड़ी रकम देकर जांच को दबवा दिया है और सारा रुपया हजम कर गये हैं। पूरे निगम को भ्रष्ट करना चाहते हैं और बरबाद कर दिया है। माइनर इरीगेशन के बारे में जहां पर नलकूप बनवाया, 1-2 लाख उसका व्यय दिखाया और बाकी रुपया खा गये। कमिश्नर ने भी उसकी रिपोर्ट भेजी है। जो मान्यवर, उन्होंने नियुक्तियां की हैं उनमें 5 हजार से 10 हजार रुपये तक लिये हैं और इस प्रकार से खाने पीने का धन्धा बना लिया है। मान्यवर, वहां पर एक ही आदमी 1976 से है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैला रखा है और विकास के सारे कार्य रुके हुये हैं और ठप हो गये हैं और जितने काम थे वह सारे के सारे ठप हो गये हैं। इस प्रकार से सरकार लड़खड़ा रही है और भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पा रही है। मान्यवर आप ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा दें और ऐसे भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, वैसे तो राना साहब और वर्मा जी ने सारी चीज बता दी हैं, लेकिन मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि प्रदेश का आर्थिक ढांचा आज चरमरा रहा है, निगमों के कारण, जिसको मैंने आपके बजट की सामान्य चर्चा के समय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। मान्यवर, यह निगम 10 अरब के घाटे में हैं और इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है जो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो है उसी ने लिखा है कि प्रति वर्ष अरबों रुपया घाटे में जाता है, जबकि मान्यवर, इनको लाभ होना चाहिये और 10 प्रतिशत का लाभांश आना चाहिये, इस शर्त पर यह निगम चलाये गये थे और इस प्रकार से साढ़े चार अरब रुपया प्रदेश को लाभ होना चाहिये था। इस कारण पूरे प्रदेश का विकास रुका हुआ है। अगर इनको तोड़ दिया जाये और संसदीय कार्य मन्त्री जी 100 रुपया प्रतिमाह बेरोजगार लोगों को दे दें तो ज्यादा ठीक होगा। निगम पूरे घाटे में जा रहे हैं। राना जी ने और वर्मा जी ने सारी चीज कहा है और जो स्थिति है उसको पढ़ कर सुनाया है और वह प्रमाणित आरोप हैं। सारी अनियमिततायें हैं और भ्रष्टाचार है, इसलिये मैं कहता हूं कि आप इस पर अलग से चर्चा करा दें और संसदीय कार्य मन्त्री स्वीकार कर लें, माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे उससे माननीय मन्त्री जी को सहायता मिलेगी। इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिये और यदि एक भी विकास निगम की इस तरह से समीक्षा हो जायेगी तो मुझे लगता है कि प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इसलिये इस पर आप चर्चा करा दें।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, जिस विषय की चर्चा कार्य-स्थगन के रूप में माननीय

सदस्य राणा जी, माननीय वर्मा जी और जिसको माननीय नेता विरोधी दल ने बल दिया है, जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मान्यवर, जो संसदीय परम्पराओं का छोटा-मोटा अध्ययन मैंने किया है कभी-कभी मैं समझौता नही कर पाता इन बातों के साथ। मान्यवर, जो आपके पूर्व अधिकारियों ने परम्परायें स्थापित की हैं या दूसरी किताबों में मुझे मिली हैं उनके अनुसार मुझे यह मिला कि जो व्यक्ति इस सम्मानित सदन का सदस्य न हो जिसको यहां अपनी बात कहने का मौका न हो उस पर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। यहां पर उनके ऊपर आरोप लगाया गया . . . .

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मेरे पास कमिश्नर के पत्र की प्रतिलिपि है। मेरे पास प्रमाण हैं, सारे प्रमाण मौजूद हैं। कमिश्नर की चिट्ठियां मौजूद हैं, मेरे पास बृजेन्द्र पाल की चिट्ठी मौजूद है, सत्येन्द्र पाल की चिट्ठी मौजूद है, सब की चिट्ठियां मौजूद हैं जो उन्होंने रिपोर्ट शासन को भेजी है कमिश्नरों की रिपोर्ट की प्रतिलिपि मौजूद है। ये आरोप नहीं हैं बल्कि मेरे पास प्रमाणित तथ्य मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी पूरी बात मैंने सुनी। अब संसदीय कार्य मन्त्री बोल रहे हैं तो उनको भी आप सुन लें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, दायित्व निर्वहन की बात माननीय राणा जी कर रहे हैं। उसी दायित्व को निर्वहन करने की जिम्मेदारी हमारी भी है। यदि आप मेरी बात शान्ति से सुन लेंगे तो ठीक है। जोश में आने से कोई अच्छी बात नहीं होगी। माननीय राणा जी, आप प्रिंसिपल रह चुके हैं आगे पता नहीं रहेंगे या नहीं . . (व्यवधान)।

मान्यवर दो रिपोर्टों का हवाला दिया आपने, कि इसके बारे में दो अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजी है। आज आपकी सूचना आयी है। यह निगम के आन्तरिक प्रशासन का मामला है। मेरा निवेदन यह है कि निगमों के बारे में आपकी कृपा से एक कमेटी यहां काम कर रही है पब्लिक अन्डर टेकिंग्स कमेटी जिसके बारे में आज भी एक संकल्प आने वाला है। निगमों से सम्बन्धित जो अनियमिततायें हैं, उनमें जो काम करने की विधि है इस सब का परीक्षण विस्तार से उस समिति में होता है। इसके अलावा शासन के जो अपने अधिकारी हैं जिनके बारे में आपने कहा कि उनकी रिपोर्ट आई हैं तो उसके सम्बन्ध में जो सूचना आज आपने दी है, उसी को आधार मानकर उन जांच रिपोर्टों को हम दिखवा लेंगे और उनके अनुसार यदि कोई बात बनती हो तो उस पर यदि आवश्यकता हुई तो आगे कार्यवाही की जायेगी और आगे जांच भी की जायेगी। लेकिन ऐसा कोई मामला कार्यस्थगन का नहीं बनता है और न ही किसी अधिकारी विशेष के बारे में भले ही आपके पास प्रमाण हो, चर्चा सदन में कार्य-स्थगन के रूप में या किसी अन्य रूप में चर्चा का विषय नहीं माना जा सकता है। इस लिये मेरा आग्रह है कि आप सारे प्रकरण पर विचार कर लें, यह कार्यस्थगन का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, जब सारे प्रमाण मौजूद हैं, वे लोग सारा रुपया खा रहे हैं, सारी स्थिति मैंने आपको बता दी . . .

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। 2 करोड़ रुपये का गबन, भ्रष्टाचार, आयुक्तों की रिपोर्ट में है उनके बारे में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि चूंकि वे सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिये उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार का काम यही है कि जो भ्रष्टाचारी हो, उनकी पोषक बनकर उनको बचाने का काम करेगी ? इस प्रदेश के गरीबों का जो रुपया है, गाढ़ी खून की कमाई का जो रुपया है, उसके लिये क्या आपका दायित्व नहीं है कि ऐसे भ्रष्ट आदमियों के खिलाफ तत्काल आप क्या कार्यवाही करने नहीं जा रहे हैं ? क्यों नहीं तत्काल सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश देते हैं ? उसके खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन क्यों नहीं देते हैं। इसलिए इस पर चर्चा कराना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

मैं बड़े नम्रतापूर्वक आपसे अर्ज करना चाहूंगा एक दफा आप बोले, दो दफा बोले। माननीय राणा जी एक दफे, दो दफे और तीन दफे बोले एक ही विषय पर बात उठाई और आपकी बात बड़ी खामोशी से सुनी . . (व्यवधान) माननीय नेता विरोधी दल ने भी बात कही।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन जब सरकार की तरफ से सन्तोषजनक उत्तर नहीं आता है, हर भ्रष्टाचार को उन्हें बचाना होता है तो हम क्या करें ? मैं पूछना चाहता हूं क्या सरकार पूरे निगमों के ऊपर चर्चा करायेगी ? और इस पर भी चर्चा हो जाय। हर बात को यह दबायेंगे तो माननीय राणा जी के पास माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी के पास इलाज क्या है ? इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल नियम 52 के अन्तर्गत निगमों के बारे में चर्चा लगी हुई है। दूसरी सूचना माननीय शत्रुरुद्र प्रकाश जी की है।

श्री विजय सिंह राणा—

इस पर क्या हुआ ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं क्या व्यवस्था आपने दी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दूंगा पहले यह तो हो जाने दीजिये।

*श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, लोकदल के प्रादेशिक अध्यक्ष और विधान सभा सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह जी के पुत्र सुनील सिंह पर 17 अगस्त 85 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही तालुकेदार कालेज में बुरी तरह हमला किया गया जिसमें उनके पुत्र को काफी चोट लगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। उस हमले के कारण उस महाविद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं उनमें भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है। इसके कारण लोकदल के स्थानीय कार्यकर्त्ता और हम लोग जो यहां सदस्य हैं उनमें भी काफी उत्तेजना व्याप्त हो गयी है। 17 अगस्त से आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पता चला है कि इसमें प्रदेश के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीधे न हों लेकिन उनके पुत्र और रिश्तेदारों का हाथ है जिनके इशारे पर यह किया गया है तो जब यह पता लगा कि यह लोकदल के प्रादेशिक अध्यक्ष के पुत्र हैं उसके बाद उनको बहुत मार पड़ी।

मैं कहना चाहता हूं कि गुण्डागर्दी किसी कीमत पर बरदाश्त नहीं करनी चाहिये। इस प्रदेश के बड़े-बड़े पुलिस के अधिकारी इसमें चाहे क्यों न हों और अगर उनके पुत्र और रिश्तेदार गुण्डागर्दी करते हैं तो कानून की व्यवस्था सब के लिए बराबर लागू होनी चाहिये। अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो लोक दल के लोग बहुत उत्तेजना में हैं। हम नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में गुण्डागर्दी हो अगर सरकार गुण्डागर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती है तो हम मुकबला करने के लिए सक्षम हैं लेकिन हम नहीं चाहते हैं कोई गुण्डागर्दी करे। विद्यालय विश्वविद्यालयों में हम चाहते हैं कि हिंसा का वातावरण न हो। इसलिए सरकार का फर्ज है कि इस तरह की वारदात न हों और इस मामले को गम्भीरता से लें। प्रदेश की राजधानी में अगर यह जानते हुए कि यह राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के अध्यक्ष के पुत्र हैं इस तरह से हमला किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह एक सुनियोजित साजिश का परिणाम है। इससे काफी उत्तेजना है और विद्यालय में भी डर और आतंक का वातावरण है। वहां के प्रिंसिपल पर भी दबाव डाला जा रहा है जिससे वह खुलकर कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार कोई कार्यवाही करे।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मैं कुछ और तथ्य दूंगा। यह जो घटना हुई है हमारे प्रादेशिक अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र सिंह जो सदस्य विधान सभा भी हैं उनके पुत्र के साथ हुई है और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसको देने से पहले हम सभी सदस्यों ने बहुत गम्भीरता से इस पर सोचा कि क्या इस बात को नियम 56 में लाकर दिया जाय या न दिया जाय। वैसे मान्यवर, हम नियमों का पालन करते हैं और हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिये यह मामला सरकार की जानकारी में लाने का प्रयास किया है। जैसा श्री शतरुद्र प्रकाश ने बताया है कि पुलिस अधिकारी के पुत्र और उनके साथ गुण्डे थे, वह और दरोगा एवं सिपाही उस विद्यालय के दरवाजे पर पहुंचे और श्री राजेन्द्र सिंह के लड़के के साथ गालीगलौज और बदतमीजी किया जो कि बरदाश्त के बाहर है। लेकिन हम चाहते हैं कि कानून का राज्य प्रदेश में रहे और दलगत आधार पर कोई भेदभाव न हो, इसलिये इस मामले की गम्भीरता पर मैं

बल देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर सरकार से सख्त कार्यवाही करने के मान्यवर, आप निर्देश दें तो अच्छा रहेगा। वक्तव्य इस पर आप दिला दें।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है इस घटना के तथ्यों के बारे में जो जानकारी दी। कार्यस्थगन के बारे में यह मामला न आया होता, वैसे ही सूचना होती तो मैं आश्वस्त करता हूं कि इसको गम्भीरता से लेकर तत्काल कार्यवाही करता। मुझे अफसोस है कि पहले इसकी जानकारी न हो सकी, अब जानकारी करवायी है। मान्यवर, कल मैं स्वयं श्री राजेन्द्र सिंह से मिलने उनके निवास स्थान पर गया था और काफी देर वहां बैठा लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्वयं भी न मालूम किस कारण या संकोचवश उन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी नहीं दिया और यदि कल जानकारी मिल गयी होती तो आज निश्चय ही कार्यवाही करता। मान्यवर, लड़के वरिष्ठ अधिकारी के हों या किसी के हों, गलत काम करने का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मान्यवर, मैं आश्वस्त करता हूं कि इसके बारे में जो भी कार्यवाही सम्भव है हमारे स्तर से वह की जावेगी।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, जो कार्यवाही करेंगे उससे क्या सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही करके नेता विरोधी दल को जानकारी दे देंगे।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य को जिस बात पर संतुष्टि हो वह कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

जांच कराकर आपको अवगत करायेंगे, वह ठीक होगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, देवरिया जिले में 14 गन्ने की मिलें हैं। वहां गन्ना का अधिक उत्पादन होता है। गन्ने का एक उप उत्पाद शीरा है। उसका उपयोग शराब बनाने, तम्बाखू बनाने, दवा बनाने में होता है। इसके साथ ही अल्कोहल बनाने में भी गन्ने के शीरे का उपयोग होता है। मान्यवर, देवरिया जिले में शीरे की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। वहां की प्रशासनिक अधिकारी और चीनी प्रबन्धकों, चीनी मिल मालिकों और आबकारी अधिकारियों की साजिश से यह तस्करी हो रही है। कुछ दिन पहले नियम 301 में इस सम्बन्ध में मैंने सूचना दिया था और भटनी शुगर मिल में छापा मारा गया तो इसी माह 10 लाख रुपये का अवैध शीरा बरामद हुआ। कप्तानगंज, पड़रौना, छितौनी, रामकोला शुगर फैक्टरियों में शीरे की तस्करी का सिलसिला जारी है। देवरिया में यह शीरा 10 रुपये क्विंटल और यही नेपाल और आसाम में 100 रुपये से ज्यादा प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता है इसलिये अवैध रूप से यहां से शीरा नेपाल और आसाम को जाता है। कप्तानगंज शुगर फैक्टरी में आबकारी इंस्पेक्टर का हाथ है और उसने ट्रक खरीदा है उससे वह शीरा बाहर भेजता है।

एक वर्ष में 50 लाख रुपये की इससे उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है। इतने बड़े व्यापक घोटाले में मिल मालिकों प्रशासनिक अधिकारियों, आबकारी अधिकारियों की साजिश है। मिलों में शीरे को पक्के तालाबों के स्थान पर कच्चे तालाबों में मिल मालिकों तथा प्रबन्धकों के साजिश से कच्चे तालाबों में रखा जाता है। देवरिया के प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश से। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रस्ताव पर कार्यस्थगन करते हुए इस पर चर्चा करा दें। राजस्व की रक्षा करना हमारा और आप सबका दायित्व है और उसकी रक्षा करने के लिए आप इस पर चर्चा करायें, जिससे सरकार इस पर कोई ठोस कार्यवाही करे।

श्री हुकुम सिंह—

यह सही है कि शीरे का जो कन्ट्रोल भाव है और जो बाजार भाव है, इन दोनों में बहुत अन्तर है। बाजार भाव कन्ट्रोल रेट से कई गुना ज्यादा है। लेकिन कभी-कभी ऐसा वर्ष आया है जब शीरे को उठाने वाला कोई नहीं मिलता है और ऐसा भी समय आता है जब गन्ने की अधिक पैदावार होती है और उसे मुफ्त में भी उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। लेकिन आपने यहां जिस तथ्य का उल्लेख किया है, हम उसको देखवा लेंगे और जांच करवा लेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय इलाहाबाद जनपद हैजे की भीषण चपेट में है और करछना, मेजा, कोरांव, सिरसा, बख्शी मोढ़ा करंधा और मदारीपुर आदि स्थानों पर यह महामारी जोरों से व्याप्त है। यह गांव के इलाके हैं, यहां तो यह फैला ही है, इसके साथ ही नगर के इलाके राजापुर, मउसरैय्या, नेवादा, बेली गांव, मेंहदौरी चिल्ला, सलोरी, सादियाबाद और दारागंज आदि, जो गंगा के कछार में बसे हुए मोहल्ले हैं, उनमें भीषण गन्दगी है और भीषण रूप से तमाम लोग हैजे आदि रोगों से प्रभावित हैं। इसके रोकथाम हेतु जो प्रबन्ध हैं टीके ग्लूकोज आदि, उनका वहां कतई अभाव है और उसके कारण काफी लोग तड़प-तड़प कर मर चुके हैं। करीब 40 लोगों के मरने की हमारे पास सूचना है। उसकी सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दी गई, परन्तु वहां पर डाक्टर नहीं थे और न अन्य कोई सामान था, न ही चिकित्सा के लिए कोई प्रबन्ध किया गया इस तरह यह बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। सिरसा में लगभग 1 दर्जन लोग इस बीमारी से तड़प कर मरे हैं, जिसमें चौकी गांव में 7 बच्चे और बगहा में एक लड़की और एक अधेड़ व्यक्ति मरे हैं। उरुवा, मांडा, मेजा तथा करछना में लगभग डेढ़ दर्जन लोग मरे हैं। इसी तरह से बख्शीमोढ़ा, करंधा, राजापुर व सलोरी में भी करीब एक दर्जन लोग मरे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आज सब बन्द से हैं, चिकित्सा व्यवस्था का घोर अभाव है, जबकि सरकार बार-बार कहती है कि हैजे से कोई मृत्यु नहीं हो रही है। मन्त्री जी अभी खड़े होकर कहेंगे कि हैजे से मृत्यु नहीं हुई है बल्कि गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से मृत्यु हुई है। इसलिए आप मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें। हैजे से जो मृत्यु हुई हैं, उसका

मेडिकल और केमिकल एक्जामिनेशन करवा लें ताकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से मन्त्री जी की गलतफहमी दूर हो सके। इसलिए मैं आज सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में भयंकर रूप से हैजा फैला हुआ है। यह पूरे इलाहाबाद में है चाहे वह नगर हो या गांव जब पिछली बार विधायकों की मीटिंग हुई थी तो मैंने सी0 एम0 ओ0 से निवेदन किया था वहां पर 36 साल से इसकी कोई सुविधा नहीं दी गई है और आज यही कारण है कि बख्शीमोड़ा में 6 जानें गई हैं और करैंधा में 3 जाने गई हैं। आप जानते हैं कि प्राईवेट इलाज में वहां के गरीब लोगों की कोई पहुंच नहीं हो सकती है, कि उल्टी और दस्त के होने पर वे बेचारे 20-20 बोतल ग्लूकोज बाजार से खरीदकर चढ़वा सकें। सी0 एम0 ओ0 ने वहां की नाजुक स्थिति को नहीं जांचा है न कहीं जाकर देखा है। उनको यह भी पता नहीं कि कौन गांव कहां है और वहां पर गन्दगी और इस बीमारी की क्या हालत है। इसलिए इस भयंकर रोग की रोकथाम के लिए आप अपने उच्चाधिकारियों को मार्गदर्शन दें कि वह वहां की स्थिति का जायजा लें और तुरन्त कार्यवाही शुरू कर दें, तथा आप इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेन्ड करें और इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, प्रदेश में स्थिति नियन्त्रण में है। इलाहाबाद की जो स्थिति बताई गई है, मैं इसकी जांच कराकर श्रीमन्, के माध्यम से सदन को अवगत करा दूंगा।

*श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और उत्तर प्रदेश के युवक और युवतियों के जन-जीवन से संबंधित है। इसकी ग्राह्यता पर बोलते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ के अन्दर सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी0 डी0 आर0 आई0 है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के जरिये यहां पर दवा बनाने और शोध का काम किया जाता है। इसके कुछ वैज्ञानिक और रिसर्च करने वाले लड़के और इसमें के कुछ अधिकारी और पुलिस अधिकारियों का एक बहुत बड़ा रैकेट बन गया है। वहां पर दवा बनाने के लिये उच्चस्तरीय अफीम की सप्लाई की जाती है। 2-3-5 किलो अफीम से प्रतिदिन हेरोइन बनाने का काम यहां के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों द्वारा मिलजुल कर किया जाता है।

एक सदस्य—

कौन सी हीरोइन बनायी जाती है।

एक सदस्य—

बैजयन्ती माला।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर भइया—

बैजयन्ती माला हीरोइन को न समझें मैं दूसरी हीरोइन की बात कर रहा हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हीरोइन बनाकर लखनऊ के छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों पर उसको सप्लाई किया जाता है। सेना के कैंटूनमेंट में और लखनऊ के बड़े-बड़े होटलों में उनके माध्यम से हेरोइन को बेचवाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यही नहीं जो जर्नल्स यहां से न्यूयार्क और स्विटजरलैंड को जाते हैं उनके पैकेटों में हेरोइन भरकर भेजने का काम इस संस्थान द्वारा किया जाता है। अफीम सप्लाई करने का काम बाराबंकी और गाजीपुर के लड़कों द्वारा किया जाता है और एक लड़के को एक पैकेट पर 100 रुपये दिये जाते हैं। अखबारों में छापने और यहां सवाल उठाने वाले आदमी को सोचना पड़ता है क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। 3-4 किलो हेरोइन हिंदुस्तान में 3-4 लाख रुपये की बिकती है लेकिन वही हेरोइन जब न्यूयार्क में पंहुच जाती है तो उसकी कीमत करोड़ों रुपये होती है, 3-4 करोड़ रुपये की हो जाती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसमें उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी या आपके संस्थान का मामला नहीं है, क्योंकि पुलिस का अधिकारी और एक ऐसा आदमी भी इसमें लगा हुआ है जो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के विशेष सचिव थे धवन उनके एक भाई साहब भी इसमें लगे हैं, वह यहां काम करते हैं।

मेरा स्पष्ट आरोप है सरकार पर कि इनकी जानकारी में सारी बातें हैं और उनको वह पकड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का कोई उच्चस्तरीय संस्थान इसकी जांच करे। इस संस्थान में अफीम से 20 मिनट में हेरोइन तैयार कर दी जाती है। आसान विधि है, अफीम को एसिटिक एलडिहाइड के साथ 3 मिनट गरम किया जाता है तो ब्राउन शुगर बनती है और उसके बाद ह्वाइट शुगर बनती है। उसके बाद उसको परिस्कृत करने से हेरोइन बनती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर और लखनऊ के आसपास इस संस्थान के जरिये बड़े पैमाने पर नौजवानों को इसका आदी बनाया जा रहा है। लड़कियों को खिलाकर इसका आदी बनाकर उनको जायज और नाजायज संबंध के लिये मजबूर किया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस पर आप चर्चा कराना स्वीकार करें और मेरी मांग है कि आप निर्देश जारी करें कि भारत सरकार का कोई संस्थान इसकी जांच करे। मान्यवर, आपको फुरसत हो तो मैं आपको ले चलकर वह स्थान दिखा सकता हूं कि किस स्थान पर हेरोइन बनाकर कितावों में रखकर बाहर सप्लाई करने का काम किया जाता है। हमारे पास सूची है जो लोग इस धंधे में मिले हैं लेकिन मैं सारे लोगों के नाम कई कारणों से नहीं लेना चाहता। क्योंकि इसमें सत्ता से संबंधित लोग हैं, पुलिस के बड़े लोग हैं, सेना के बड़े लोग हैं और कुछ वैज्ञानिक हैं और यह देश और प्रदेश में चल रहा है, सरकार की पीठ के पीछे यह करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस पर सरकार वक्तव्य देने की कृपा करें।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हेरोइन की तस्करी का काम सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में हो रहा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तस्करी का काम अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों द्वारा काफी अर्से से किया जाता रहा है, लेकिन उस पर सरकार कोई काबू नहीं पा सकी है, परन्तु जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे ही तस्करी की जा रही है, तो इससे सारे प्रदेश की जनता में बढ़ता असंतोष व असुरक्षा का वातावरण व्याप्त हो रहा है, क्योंकि यह संस्थान रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत काम करता है और वहीं अगर ऐसा घृणित काम होगा, तो देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो जाता है। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जो माननीय गौरी भइया कह चुके हैं, कुछ नये तथ्य सदन के संज्ञान में लाकर मैं इस विषय की गम्भीरता पर बल देना चाहता हूं। इस संस्थान के अन्दर 250 वैज्ञानिक पी0 एच0 डी0 की उपाधि प्राप्त करने के लिए शोध कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन डिग्री उन्हीं लोगों को दी जाती है जो इस गिरोह के सदस्य होते हैं और हेरोइन के काम में सक्रियता से भाग लेते हैं। केवल शोध के प्राध्यापक ही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो उसमें काम करते हैं उनके द्वारा बाराबंकी से हेरोइन मंगायी जाती है। उन्हें 100 रु0 प्रति पैकेट के हिसाब से दिया जाता है। वे केवल इस घृणित काम में ही नहीं लगाये जाते हैं, बल्कि उनमें नशे की आदत भी पड़ जाती है और ये लोग शिक्षा में शोध करने के बजाय तस्करी सीख कर बाहर निकलते हैं। अभी माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि यह हेरोइन कौन सी है ? तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह वह हेरोइन है कि जब मीलिहाबाद का उप चुनाव चल रहा था और उसमें एक कांग्रेसी विधायक जिस हेरोइन के साथ पकड़े गये थे, उसी हेरोइन का निर्माण इस संस्थान में हो रहा है।

मान्यवर, विशेष कर मुझे यह कहना है कि इस तस्करी कराने का सारा श्रेय और उत्तरदायित्व इस संस्थान के निदेशक का है, जिनसे कुछ पत्रकार बन्धुओं ने पूछा तो बजाय इसका स्पष्ट जवाब देने के मना करने और सुधार करने के बजाय इस प्रश्न को ही टाल गये। मान्यवर, इस संस्थान के अन्दर लाइब्रेरी के अन्तर्गत ही निकडैप विभाग है, जहां से पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। लाइब्रेरी और निकडैप विभाग के कर्मचारी हेरोइन को इस संस्थान से बाहर निकालने का काम करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी का इस मुख्य विभाग से जुड़ा होने के कारण ये कर्मचारी आसानी से हेरोइन को इन पत्रिकाओं के माध्यम से जहां ये पत्रिकायें भेजी जाती हैं, वहीं ये हेरोइन भेज दी जाती है। मान्यवर, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रति दिन यह 5 किलो हेरोइन निर्मित करके विदेशों को भेजी जाती है, जिससे प्रदेश का करोड़ों रुपये का नुकसान होकर तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है और इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश और प्रदेश को लाखों-करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। अतएव इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के गम्भीर मसले को सदन के संज्ञान में लाकर आपसे मांग करता हूं कि आप मंत्री जी को निर्देशित करें, उन्हें मजबूर करें कि वह सदन में वक्तव्य दें कि इस तस्करी काण्ड का भंडाफोड़ करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाये हैं और कैसे इस घृणित कार्य से इस संस्थान को छुटकारा दिलायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय गौरी भइया और माननीय सत्यपाल सिंह ने कई हेरोइन के बारे में विस्तार से टिप्पणी की। हेरोइन कहां बनती है, कैसे बनती है, माननीय गौरी भइया ने बड़े विस्तार से प्रकाश डाला। काफी माननीय सदस्य कहीं और बाहर ही घूम रहे थे। मान्यवर, मैं आभारी हूं माननीय गौरी भइया का जो उन्होंने कहा कि जो उनके पास ऐसी जानकारी है, बहुत कांफिडेंशल है, सदन में नहीं व्यक्त करूंगा। मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि वह जानकारी करा दें। उस जानकारी के आधार पर हम पूरी जांच करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया—

किस एजेन्सी के द्वारा आप जांच करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

अगर आपके पास जानकारी है, जैसे आपने कुछ अधिकारियों के नाम भी बताया।

(व्यवधान)

आप जानकारी कराना चाहें, तो कराइये न कराना चाहें, तो न कराइये। यह आपके विवेक की बात है। आपके पास जो जानकारी है वह देना चाहें दें दें न देना चाहें तो कोई मजबूरी नहीं है। आपने जो सूचना दी है और जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर जांच करायेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री सत्य पाल सिंह—

वक्तव्य दिलवाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जांच किस एजेन्सी से करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि उसमें जो अधिकारी हैं, किस स्तर के हैं, इसको देखकर जांच तय करेंगे।

श्री सत्यपाल सिंह—

निर्देशक हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तरीका नहीं है।

श्री हुकुम सिंह—

किस प्रकार के अधिकारी हैं ? क्या पद है ? उसके आधार पर ही इंक्वायरी हम तय करेंगे।

श्री गौरी शंकर भइया—

सी0 बी0 आई0 किसी की जांच कर सकती है।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम में लगातार घाटे की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। सन 1980 से 1985 तक 5 वर्षों में 42 करोड़ का घाटा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को उठाना पड़ा है। इसके कारण हैं। उत्तर प्रदेश भर में यहां के अधिकारियों और सरकार के संरक्षण में परिवहन निगम के समानान्तर एक गिरोह बना हुआ है जो डग्गा मार बसों का काम कर रहा है। बिना परमिट के वह डग्गा मार बसों को चला रहे हैं। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जो आरक्षित हैं, केवल परिवहन निगम के बसों के लिये, उन मार्गों पर स्वतंत्रतापूर्वक यह डग्गा मार बसें चला रहे हैं। यह सरकार यह नहीं कह सकती है कि मेरी जानकारी में नहीं है। जहां कैसरबाग और चारबाग का बस स्टेशन है, उसके समीप ही डग्गा मार बसों का अड्डा है और वह चिल्ला चिल्ला कर बसें चला रहे हैं। यह लोग एक भारी कमीशन निगम के अधिकारियों और शासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन डग्गा मार बसों के कारण परिवहन निगम को सात करोड़ का घाटा प्रति वर्ष उठाना पड़ रहा है।

मान्यवर, जनवरी 1985 में एक अध्यादेश जारी करके सरकार द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया था लेकिन इनकी साजिश के तहत 6 महीने के बाद, जैसे ही उसकी अवधि समाप्त हुई दुबारा कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया। आज वह डग्गा बसों के मालिक निरंकुश और स्वतंत्र हैं। समस्या गम्भीर है, इतना ही नहीं आज स्थिति यह है कि परिवहन निगम के अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं। वहां पर अधिकारियों में शीतयुद्ध चल रहा है जिसके कारण कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने को तैयार नहीं है। कनिष्ठता और वरिष्ठता की लड़ाई रीजनल मैनेजर और सेवा प्रबन्धकों के बीच चल रही है। यह सारे प्रकरण समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लाखों रुपये के पुर्जे परिवहन निगम में कमीशन के नाम पर खरीदे जाते हैं जिनका न कोई इस्तेमाल है न उपयोग है। लाखों रुपये के पुर्जे गोदामों में पड़े सड़ रहे हैं। कम्पनियों ने भारी कमीशन निगम के अधिकारियों को दिया है। लाखों रुपये के बेकार के पुर्जे खरीद कर निगम को घाटा पहुंचाया गया है। 1365 बसें अनुबन्धित हैं, यदि और बसों की आवश्यकता हो तो और अनुबन्धित की जा सकती हैं दो रुपया प्रति किलो मीटर देकर। लेकिन बसों को अनुबन्धित न करके डग्गा मार बसों को चलाने का संरक्षण निगम के अधिकारी और शासन दे रहा है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में यह विभाग यहां तक पहुंच गया है कि लाखों रुपये का गबन हो जाता है और फाइलें गायब कर दी जाती हैं। 18 लाख रुपये के गबन का मामला आजमगढ़ डिपो का उठा। वहां के अधिकारियों ने उन फाइलों को गायब कर दिया और थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दिया कि सारी फाइलें चोरी हो गयीं। मान्यवर, फैजाबाद की भी स्थिति यही है जब जांच करने अधिकारीगण गये तो वहां भ्रष्टाचार संबंधी समस्त फाइलें पहले से ही गायब कर दी गयीं और इस व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में न तो माननीय परिवहन मंत्री कोई कार्यवाही कर

पा रहे हैं और न स्वयं मा0 मुख्य मंत्री जी भी कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय अब नहीं रहा ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, एक मिनट और दे दें । मान्यवर, परिवहन निगम की बसों की कोई समय सारणी भी निर्धारित नहीं है, इन बसों के संचालक जब और जैसा चाहते हैं, करते हैं और इन पर कोई अंकुश बाकी नहीं रह गया है, इसी कारण करोड़ों रुपयों का घाटा निगम को हर साल होता है । इसलिये मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित कराकर इस पर चर्चा करायें और मा0 मंत्री जी को आदेशित करने की कृपा करें वक्तव्य के लिए ताकि प्रदेश में हो रही खुली लूट और धांधली पर कुछ अंकुश लग सके ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, परिवहन निगम के संबंध में जो माननीय सदस्य ने आरोप लगाये हैं उन सब का खण्डन करना मेरे लिये संभव नहीं है क्योंकि इन्होंने कहीं पर 10 लाख का घाटा बतलाया और कहीं 20 लाख का और कहीं फैजाबाद डिपो की बात कही, तो कहीं आजमगढ़ और कहीं बस्ती की । जिनका कोई सिर पैर नहीं है । मान्यवर, यह सही है कि घाटा हुआ है, लेकिन इन सब को देखते हुये परिवहन निगम में पहले से काफी कुछ सुधार भी हुये हैं और हो रहे हैं और जहां तक इस पर चर्चा की बात है । मान्यवर, इससे पहले परिवहन का बजट प्रस्तुत हुआ था, उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी और कई प्रकार के सुझाव यहां आये थे और प्रश्नों के अन्तर्गत भी इस पर चर्चा हुई और साथ ही नियम 52 के अन्तर्गत भी इस पर चर्चा स्वीकार है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की अब आवश्यकता नहीं है ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी वही घिसा-पिटा जवाब हर प्रश्न का दे देते हैं कि बजट इसका आने वाला है या बजट प्रस्तुत हो चुका है, उस पर चर्चा हो चुकी है या फलां नियम के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार है, उस पर चर्चा हम कर लेंगे । हर प्रश्न पर माननीय मंत्री जी यही जवाब दे रहे हैं, जो उचित नहीं है । श्री बाजपेयी जी ने एक बहुत ही लोकमहत्व का प्रश्न उठाया है । इस समस्या से जनता का और शासन का सीधा सम्बन्ध है । करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, दूसरी बसों की वजह से जिन पर आपका कन्ट्रोल होना चाहिये, यदि ऐसा हुआ तो आपका राजस्व बढ़ेगा और आपकी बसों की स्थिति भी अच्छी होगी, सर्विस सही होगी, समय का पालन होगा तो निश्चित ही आपको बजाय घाटा होने के फायदा पहुंचेगा । यह बड़े लोकमहत्व का प्रश्न था, जिसे आपने अपने घिसे-पिटे उत्तर से ऐसे ही टाल दिया ।

*श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, अभी जिन समस्याओं का उल्लेख श्री अशोक बाजपेयी व नेता विरोधी दल,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता पार्टी ने किया और यह मांग की कि इस पर सदन में चर्चा हो। तो मान्यवर, इसमें आपका ही हित है आपका राजस्व बढ़ेगा और महत्वपूर्ण सुझाव भी इस संबंध में आ जायेंगे। इस पर आपको क्या एतराज है। जहां तक मैं समझता हूं कि एतराज इस पर सिर्फ इसलिये है कि उन डग्गा मार बसों से सम्बन्ध आपके तमाम साथियों से ही हैं, इसलिये आप इस पर चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं। यदि इस पर चर्चा हो जाये तो आपके लिये बहुत हितकारी होगा क्योंकि इससे राजस्व बढ़ेगा और महत्वपूर्ण सुझाव भी आयेंगे।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय रेवती रमण सिंह और माननीय नेता विरोधी दल ने चर्चा की मांग की है इस बात पर बल देते हुये कि इससे विभाग का हित होगा, राजस्व बढ़ेगा। कार्य स्थगन के माध्यम से चर्चा कराना चाहते हैं। तो मेरा कहने का आशय यह था कि आप चर्चा कराना चाहते हैं, कार्य स्थगन के रूप में या बजट के रूप में, तो चर्चा हो चुकि और अभी एक भी सप्ताह नहीं हुआ है। एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रणाली में अंतर हो गया हो, तो ऐसी बात नहीं है। डग्गा मार बसों की बीमारी इसी सप्ताह में नहीं हुई है, बल्कि पहले भी रही है। आपने भी यह बात स्वीकार की है। तो जो यह व्यवस्था मांग रहे हैं, इसमें एक सप्ताह में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिये इस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, बरेली में दिनांक 8-7-85 को न्यायालय के एक पेशकार श्री कैलाश नाथ श्रीवास्तव का निधन हो गया। वह एक ईमानदार, गरीब व्यक्ति थे। घर में अन्तिम संस्कार के लिए धन नहीं था। दीवानी न्यायालय संघ के कुछ कर्मचारियों ने जिला जज के निवास पर जाकर मांग की कि एक हजार रुपया जो अग्रिम राशि मिलती है, वह दे दी जाय। मान्यवर, माननीय न्यायाधीश महोदय ने उनकी बात नहीं सुनी और कई घंटे लाश पड़ी रही और वह लोग बैठे रहे। उसके बाद 2-3 दिन तक लगातार बातचीत चलती रही लेकिन न्यायाधीश महोदय ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। चौथे दिन से सारे दीवानी न्यायालय के कर्मचारी (तृतीय श्रेणी के) हड़ताल पर चले गये। आठवें दिन से पूरी दीवानी कचहरी बन्द है। वे न्यायालय कार्यालय के गेट के पास बैठे हैं। न्यायाधीश को, न वकीलों को और न मुवक्किलों को कचहरी में आने दे रहे हैं। एक अशांतिपूर्ण वातावरण बरेली में फैल गया है। इस हड़ताल के पक्ष में बदायूं और पीलीभीत में भी हड़ताल रही। आज पता चला है कि लखनऊ में भी हड़ताल की गयी है। बड़ी ही गम्भीर स्थिति है कि पिछले आठ दिनों से बरेली का वातावरण खराब हो गया है और समस्त अधिकारीगण, माननीय जिलाधीश, माननीय अपर जिलाधीश महोदय और जिला न्यायाधीश महोदय हठधर्मितापूर्ण रवैया अपनाये हैं और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इसमें आपका हस्तक्षेप चाहूंगा कि अगर कार्य स्थगन न हो फिर भी इसमें हस्तक्षेप करके इस हड़-

ताल को समाप्त करावें, ताकि मेरे बरेली का वातावरण शान्त रहे ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, 12 अगस्त की जो बात बतायी गयी वह वहां के दीवानी न्यायालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण की हड़ताल के बारे में है । सूचना में उल्लेख किया गया है कि अधिकारियों की तानाशाही के कारण हड़ताल हुई । मान्यवर, आप देखें, जो अधिकारी हैं, ये उच्च न्यायालय के अधिकारी हैं और इसमें कोई हस्तक्षेप हमारे माध्यम से नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमारी बात है, हम अपनी गुडनेस का इस्तेमाल करके समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

सूचना एक जो श्री विजय सिंह राणा ने उठाई है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । माननीय नेता विरोधी दल ने आपके सामने कहा कि सभी निगमों पर चर्चा करा दी जाय । आपने कह दिया कि उनमें चर्चा के लिये तारीख निर्धारित कर दी जाय । तो मान्यवर, यह तो मेरा एक स्पेसिफिक मामला है, एक विशेष केस है, उसकी जांच रिपोर्ट भी मेरे पास है । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है की चर्चा के बारे में जो माननीय नेता, विरोधी दल ने सुझाव दिया, मैं उसे मानने के लिये तैयार हूं । लेकिन जो स्पेसिफिक घटना है, उसकी जांच रिपोर्ट हमारे पास है । इस पर वक्तव्य जरूर दिलवा दें । यह मेरी आपसे मांग है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय विजय सिंह राणा जी की भावना को देखते हुए, मैं इस विषय को सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के सुपुर्द करता हूं । अलग से इसकी अलहदा रिपोर्ट दी जाय और जल्द से जल्द दी जाय ।

श्री सूर्य प्रताप शाही के विषय को सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेज रहा हूं । माननीय अशोक बाजपेयी ने जो सूचना दी है निगमों पर चर्चा लगी हुई है नियम 52 के अंतर्गत, उसके अन्तर्गत आप इसकी चर्चा कर सकते हैं । डा0 दिनेश जौहरी ने जो सूचना दी थी, उस पर माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने आश्वासन दे दिया है ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, निगमों पर चर्चा के समय इसे कैसे ले सकते हैं ? वहां टाइम नहीं मिल पायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें समय कम होगा तो बढ़ा दिया जायेगा । शेष सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है ।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, आजमगढ़ में जबरदस्त सूखा पड़ा है । यह तो वही हिसाब हुआ कि किसी की काली खोपड़ी टूटी और किसी की भैंस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मरी । मान्यवर, आप अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय के अंतर्गत आजमगढ़ के सूखे की बाबत महत्वपूर्ण सूचना को सुन नहीं रहे हैं ।

(श्री गया प्रसाद वर्मा बलराम यादव एवं श्री मोहम्मद मसूद खां के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, आज मैंने 8 सूचनाओं पर सदस्यों की बात सुनी । अब कितनी सूचनाओं पर सुना जाय ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, 8वीं सूचना मेरी थी । आपने मुझे नहीं सुना ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप बलराम यादव व डा0 वर्मा को कल के लिये कह दीजिये । हरिजनों की घटना है व दूसरा मामला है । आप इन्हें कल मौका दे दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, सुन लेंगे ।

1985-86 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग, अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,50,28,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 2 बज कर 12 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,71,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आज लोग देहातों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं । हमारे सीमित संसाधनों को देखते हुए और शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यह सवाल हमारे सामने आता है कि उनकी समस्या कैसे हल की जाय । श्रीमन्, वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ 23 लाख थी, जो अब बढ़कर 1 करोड़ 99 लाख हो गई है । सन् 1971 में 293 नगर थे जो अब बढ़कर 656 हो गये हैं । 628 इकाइयां हैं । जनसंख्या और नगरों की वृद्धि को देखते हुए भवनों की कमी हो गई थी, इसलिए मान्यवर, मैं आवास के परिक्षेत्र में आपसे कहना चाहती हूं कि 1985

में 8 लाख 20 हजार भवनों की कमी रही और सातवी पंच वर्षीय योजना में 12 लाख 78 हजार भवन बनने हैं। अभी भी कुल मिलाकर 21 लाख भवनों की कमी पड़ेगी और ये भवन खासकर दुर्बल वर्ग के लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए सरकार ने यह तय किया है 75 फीसदी भवन निर्बल वर्ग के लोगों के लिये बनाये जायेंगे। आवास-विकास के परिक्षेत्र में बताना चाहती हूं कि 114 नगरों में 18 प्राधिकरण हैं जिसमें से 1984-85 में 4 नये प्राधिकरण गठित किये गये नैनीताल में, देहरादून में, मसूरी में और झांसी में 1 2 और नये प्राधिकरणों का शक्तिनगर में और गंगोत्री में गठन होना है। छठें प्लान में आवासीय योजनाओं पर 41 करोड़ रुपये के विरुद्ध 56.82 करोड़ रुपये खर्च हुए और राज्य सेक्टर में 15 हजार 650 भवन बनने का लक्ष्य था, उसमें 27 हजार 803 बने। 2 हजार हेक्टेयर भूमि का विकास होना था, जिसमें से 2 हजार 92 हेक्टेयर का विकास हुआ। आवास योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। छठीं योजना के अंतर्गत 1 लाख 5 हजार भवन बनने थे जिसमें से 89 हजार 372 भवन बने और 9 हजार 859 भवन निर्माणाधीन हैं।

मान्यवर, 1985-86 में 30 हजार भवनों का लक्ष्य था जिसमें से जुलाई 1985 तक 3 हजार 578 भवनों का निर्माण हो गया था और 11 हजार 230 भवन निर्माणाधीन हैं। मलिन बस्तियों में निर्माण हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत 56 नगरों में कार्य हुआ है। छठीं योजना में 6 लाख 70 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था, जिसमें से 8 लाख 46 हजार 439 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इस वर्ष 1985-86 में इस योजना में 3 करोड़ रुपया का प्राविधान किया गया है, जिसमें से 2 लाख लोगों को लाभान्वित करना है। जुलाई 1985 तक 68 हजार 960

(2 बजकर 20 मिनट)

लोग लाभान्वित हुये हैं। मान्यवर, साइड सर्विस की एक योजना है जिसमें प्राधिकरण जमीन को लेकर के उसका विकास कर के उसके छोटे-छोटे भूखण्ड आवंटित करता है और वह दुर्बल वर्ग के लिये हैं जो हायर पर्चेज के रूप में दिये जाते हैं और जो भवन बनाना चाहते हैं उन को ऋण भी दिया जाता है। 6ठीं योजना में अल्प आय वर्ग के लिए 3456 भवन तथा मध्यम आय वर्ग के लिए 1248 भवन बने हैं। 85-86 में अल्प आय वर्ग के लिए 100 लाख प्रस्तावित हैं जिसमें 500 भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। मध्यम आय वर्ग के लिए 40 लाख प्रस्तावित हैं जिनमें 150 भवन बनाये जायेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि सरकार हमेशा कम आय वर्ग के लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहती है।

भूमि अध्याप्ति विकास की योजना है जिसके अन्तर्गत विकास परिषद् और प्राधिकरण भूमि अध्यापित करके भवन बनाने के लिए जमीन आवंटित करता है इसके लिए प्राधिकरण तथा परिषदों को ऋण दिया जाता है। 85-86 में 4 सौ करोड़ प्रस्तावित है जिससे दो सौ हेक्टेयर जमीन विकसित की जायगी। वैसे योजना चलाने में जो कठिनाई होती है उसके लिए

ढाई सौ करोड़ रुपया इसमें प्रस्तावित किया गया है। हडको से तो हम को ज्यादा सहायता मिली है। विकास में हडको ने इस प्रदेश को सबसे ज्यादा ऋण दिया है और उसकी स्थापना से जून 85 तक 319.1046 करोड़ की लागत के 352 योजनाओं के लिए 229.4446 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है।

गोमती नगर में भी एक बहुत बड़ी योजना बनायी जा रही है जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में बनेगी जिसके अन्तर्गत जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसमें एक काम्प्लेक्स बनाया जायगा, कान्फ्रेन्स हाल, आर्ट गैलरी, भारतीय संस्कृति केन्द्र, बच्चों के लिए म्यूजियम आदि होगा और 85-86 में उसमें 851 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

एक राष्ट्रीय राजधानी योजना है जिसके अन्तर्गत मेरठ, गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर सम्मिलित किया जायगा और इसके पहले मेरठ और हापुड़ में काम शुरू हो चुका है और इसका व्यय केन्द्र और प्रदेश की सरकार, आधा-आधा 50-50 के रेशियों में व्यय करेगी और 6ठें प्लान में मेरठ और हापुड़ में किया गया। दोनों सरकारों ने जो काम किया है उसमें 377 लाख मेरठ के लिए तथा 128 लाख हापुड़ के लिए स्वीकृत हुआ था और 7वें प्लान में 4 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। एक बहुत बड़ी योजना है जो कि विश्व बैंक की सहायता से चल रही है, वह योजना है कानपुर विकास की जो कि 81 से चल रही है। जिसके लिये 41.33 करोड़ रु0 की धनराशि है और 30.21 अवमुक्त हैं और 26.41 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। अभी तक 15 हजार भूखण्ड का लक्ष्य था, जिसके समक्ष 12,790 भूखण्ड दुर्बल आय वर्ग को दिये गये हैं। उनके लिये भूखण्ड विकसित किये गये हैं, मलिन बस्तियों में भी 12000 परिवारों को लाभान्वित किया गया है और 89 अहातों का लक्ष्य था, 53 बन चुके हैं, 7553 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और 2178 पट्टे दिये गये हैं। विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 12 जिलों में उत्तर प्रदेश जल विकास एवं जल सम्पूर्ति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी अनुमानित राशि 200 करोड़ रुपये है। सातवें प्लान में 151.40 करोड़ का जो व्यय अनुमानित है। इस योजना में नगरीय सफाई की योजना, लोकल सेनीटेशन आदि सम्मिलित हैं। यह कार्य चल भी रहा है, शुरु भी हो गया है।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल देने के लिये सरकार कटिबद्ध है। मार्च, 1985 तक 556 नगरों को तथा 40,070 गांवों को जल उत्सरण की सुविधा दी गयी है। छठें प्लान में 60 करोड़ रुपये के व्यय पर 148 नगर तथा महानगर की पेय जल सुविधा प्रस्तावित थी, 132 नगरों को पेयजल सुविधा दी गयी। 85-86 में 11 करोड़ रु0 की धनराशि स्वीकृत है। जल उत्सरण के लिये छठें प्लान में 18 करोड़ के खर्चे से 11 नये नगरों में सीवर तथा अन्य 8 नगरों में भी यह सुविधा दी गयी है। इसी वर्ष में 85-86 में 1.90 करोड़ का प्राविधान है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है, हरिजन तथा जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी

गयी हैं। पिछले प्लान में 203.50 करोड़ के खर्चे से 12,154 गांव लाभान्वित करने का लक्ष्य था जिसमें 7850 समस्याग्रस्त श्रेणी में थे। मार्च, 1985 तक इसमें 202.89 करोड़ के व्यय पर 9949 गांव लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 7454 ग्राम समस्याग्रस्त थे। इस वर्ष में 39.38 करोड़ का व्यय स्वीकृत है। जिसमें 3865 समस्याग्रस्त और 150 अरामस्याग्रस्त गांव लिये जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा पुरोनिधानित ग्रामीण जल सम्पूर्ति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत शतप्रतिशत अनुदान दिया जाता है। छठें प्लान में 83.78 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत हुआ जिसमें 6,396 ग्रामों में से 4,450 ग्राम समस्याग्रस्त श्रेणी के थे जो कि लाभान्वित किये गये। इस योजना में 20,065 ग्राम लाभान्वित हुए जिसमें से 19,600 ग्राम समस्याग्रस्त थे।

हरिजन बस्ती पेय जल योजना का कार्य आम तौर पर ग्राम्य विकास ही करता है लेकिन 1984-85 में मैदानी क्षेत्रों में जल निगम ने यह काम किया है। इण्डिया मार्क 2 के हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। यह हैण्ड पम्प 2,350 बस्तियों में लगाये गये हैं इसके विरुद्ध 1.24 करोड़ से 211 बस्तियां लाभान्वित हुई हैं। 1985-86 में 2..30 करोड़ का परिव्यय इसके लिये निर्धारित है।

सातवें प्लान में 520 ग्रामों का लक्ष्य है। इसमें शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिये डेढ़ लाख रुपया रखा गया है। यह यूनीसेफ और यू0 एन0 डी0 पी0 की तरफ से चलता है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामों में काम चलाया जा रहा है। यह 204 ग्रामों का सघन कवरेज करते हैं। यह योजना 1984-85 से शुरू हुई थी जिसमें मार्च 85 तक 800 सीटें लगायी जा चुकी हैं। 1985-86 में 25 लाख रु0 की धनराशि का खर्च इसके लिये निर्धारित है।

मान्यवर, और भी बहुत से कार्यक्रम हैं माननीय सदस्यों को जो सामग्री मिल चुकी है जैसे कि सड़क की योजना है। आजकल बड़ी तेजी से सड़कों की मरम्मत चल रही है। गंगा के प्रदूषण को हटाने का भी कार्यक्रम चल रहा है जिसके लिये बहुत बड़ी धनराशि मिली है।

मैं चाहूंगी कि हमारे संसाधनों को देखते हुए जिसमें कि इतनी कमी है जिसके कारण से बहुत से कार्य अधूरे रह जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार तत्पर है कि जन-मानस को जो सुविधा मिलनी चाहिये, वह उसे मिलें। मैं चाहूंगी कि माननीय सदस्यगण अपने-अपने सुझाव मुझको दें जिससे कि उन पर भी कार्यवाही की जा सके।

श्री रामगोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी माननीया मंत्री जी हिचक-हिचक कर अपनी बात कर रही थी, इससे पता चलता है कि उनका नगर भी हिचक-हिचक की दिशा में कार्य कर रहा है और उनकी प्रगति भी हिचक-हिचक कर हो रही है।

(शोर)

श्रीमन, लोकतंत्र में स्वायत्त सेवी संस्थाओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इस देश में आजादी के बाद या आजादी के पहले जितने भी बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए हैं उनका किसी न किसी तरह से नगर पालिका और नगर महापालिकाओं से सम्बन्ध रहा है। इसमें विट्ठल भाई पटेल जो इस देश के माने-जाने नेता रहे हैं, वह भी नगरपालिका के सदस्य रहे हैं। इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू तथा माने जाने एवं कुशल राजनीतिज्ञ स्व0 वल्लभ भाई पटेल भी नगर पालिका के सदस्य रह चुके हैं। श्री मोती लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू पुरुषोत्तम दास टण्डन जो इस माननीय सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, अमर नाथ जी तमाम ऐसी बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं, उनका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं से संबंध रहा है तथा ये सदस्य या मेयर रह चुके हैं। इसलिए अपने आप में इसका विशेष महत्व है। श्रीमन्, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल एस0 के0 सिन्हा ने एक बार नगरपालिका एवं नगर महापालिकाओं के अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए कहा था कि स्वायत्त सेवी संस्थाएं भावी संसद सदस्य या भावी विधायक का प्रारम्भिक प्रशिक्षण का केन्द्र हैं और वहीं से अधिकांश लोग अपनी राजनीति की शुरूवात करते हैं। परन्तु मुझे दुख है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस समय देश में नगरों की जो हालत है प्रदेश में वह नरक से भी बढ़कर हो गयी है। माननीय मन्त्री जी जब अपना भाषण कर रही थीं तो आकड़ों के जाल में सब को अपनी प्रगति बता रही थीं।

मैं उनके बजट का एक छोटा सा आंकड़ा आपके माध्यम से बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश शासन 1985-86 के व्यय का ब्योरेवार अनुमान के खण्ड 5 भाग 2 के पृष्ठ संख्या 549 की तालिका में देखें, खर्चे को इन्होंने बढ़ा दिया है। लेखा शीर्षक 252 जिला प्रशासन 84-85 में 15 लाख 48 हजार रुपये व्यय का प्राविधान था द्वितीय वर्ष 85-86 में 27 लाख 56 हजार का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार इस मद में 12 लाख 8 हजार रुपये का अतिरिक्त प्राविधान इन्होंने किया है। जिला प्रशासन के योजनाओं में, जनहित के कार्यों में इन्होंने धन की कटौती कर दी। लेखाशीर्षक 282 लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय में कुल व्यय किया। योजनाओं पर 83-84 में कुल व्यय किया गया आयोजनेत्तर व आयोजनागत कुल व्यय 61 करोड़ 81 लाख, 84-85 में यही मद बढ़कर हो गया 77 करोड़ 73 लाख 81 हजार परन्तु 85-86 में इसमें कमी कर दी गयी इसमें जो प्राविधान किया गया है उसमें कुल व्यय आयोजनागत व आयोजनेत्तर 18 करोड़ 78 लाख 52 हजार का किया गया है। इस प्रकार से

विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 58 करोड़ 75 लाख 21 हजार की कमी दर्शायी गयी है जो इन्होंने नगर पालिका, नगर महापालिका, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के लिये किया है, जो इसमें महत्वपूर्ण काम है वह स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य की रक्षा का है, परन्तु बजट में इन्हें प्रधानता नहीं दी गयी। इससे साफ स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति इनकी रिपोर्ट क्या है। सबसे अधिक मात्रा सफाई की है, इसमें भी वृहद् धन की कमी कर दी गयी है। लेखा शीर्षक '337 सड़क और पुल' के मद में भी धनराशि कम की गयी है। वर्ष 84-85 में आयोजनेतर मद में 28 करोड़ 4 लाख 31 हजार का प्राविधान था, किन्तु 85-86 में घटकर 27 करोड़ 37 लाख 91 हजार रखा गया, इस प्रकार इस वर्ष इस मद में 66 लाख 40 हजार रुपये की कमी दर्शायी गयी है। पूंजी लेखे में लेखा शीर्षक 882 लोक स्वास्थ्य, सफाई एवं कर्जे का जो प्राविधान था उसमें वर्ष 84-85 में 16 करोड़ 41 लाख 33 हजार था, इसमें भी कमी करके इस वर्ष 7 करोड़ 87 लाख 50 हजार का प्राविधान किया गया इस प्रकार इस मद में भी 8 करोड़ 53 लाख 83 हजार की कमी दर्शायी गयी है इस प्रकार से यह बजट कमी का बजट है।

मान्यवर, आवास की बड़ी चर्चा की गयी है कि आवास बन रहे हैं, लेकिन कहीं कोई योजनाबद्ध आवास नहीं बन रहा है। श्रीमान्, स्वायत्तशासी संस्थाएं स्वतंत्र नहीं रह गयी हैं, उनका चुनाव लम्बे अर्से से नहीं हुआ है। एक बार महात्मा गांधी जी ने जिस समय संविधान बन रहा था, संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो उन्होंने "हरिजन" पत्रिका में एक लेख लिखा था कि मैंने सुना है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं और ग्राम पंचायतों तथा विकेन्द्रीकरण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इससे हमको बहुत दुख है। इस बात को सुनकर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू जी ने तमाम स्वायत्तशासन मंत्रियों की एक बैठक बुलायी और सम्मेलन किया और कहा कि स्वायत्तशासी संस्थाएं ही प्रजातंत्र की वास्तविक रीढ़ हैं और जो रीढ़ हैं उनको मजबूत बनाना चाहिए। उनका जनतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए और उनको निष्पक्ष रखना चाहिए और जो उनका काम है, उनको करने देना चाहिए।

मान्यवर, महात्मा गांधी और नेहरू का अपने को चेला कहने वाली यह सरकार और इस सरकार में बैठने वाले लोग ठीक उसके विपरीत काम कर रहे हैं। मुरादाबाद और अलीगढ़ में 27-28 साल से चुनाव नहीं हुए हैं और यह दलील दी जाती है कि अगर वहां पर चुनाव करा दिये जायेंगे तो साम्प्रदायिक दंगा भड़क जायेगा, कैसी विडम्बना है। लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, विधान सभा का चुनाव लड़ते हैं और चुनकर यहां पर आते हैं और अगर आप स्वायत्तशासी संस्थाओं का चुनाव करायेंगे तो वहां पर साम्प्रदायिक दंगा हो जायेगा, आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो दंगा नहीं होता है। 27-28 साल से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से आप स्वायत्तशासी संस्थाओं को काम क्यों नहीं करने देते हैं। बार-बार घोषणा हुई कि चुनाव होंगे सदन में घोषणा की गयी कि चुनाव होंगे और निश्चित रूप से करा दिये जायेंगे,

लेकिन यह सरकार फरेब की सरकार है और लोगों को धोखा देती है सत्य से परे बोलती है और बातों के जाल में जनता को फंसाती है। इसमें बीसों पत्रों के, पत्रकारों के एडिटोरियल आ चुके हैं।

मैं आपके माध्यम से दूसरी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने आवास की बड़ी चर्चा की। सातवीं पंच वर्षीय योजना के अनुसार 1990 तक 21 लाख आवासों की कमी दर्शायी है। यह अनुमानित है। छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल 8 लाख आवासीय गृह बनाने का प्राविधान है जो नहीं बना पाये हैं जो कि इनका अनुमान है कि 8 लाख आवास गृह हमें छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बनायेंगे, इनका घाटा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है बाकी जो 13 लाख रह जायेंगे वह अलग हैं। जो 21 लाख इन्होंने अनुमान किया है तो अभी ये 8 लाख ही नहीं बना पाये हैं फिर 13 लाख आवासों की जो कमी है जो शासन को 1990 तक पूरी करनी है लेकिन शासन ने इसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया है इसलिए उनकी पूर्ति सम्भव ही नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 2 लाख 70 हजार आवासीय गृह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जब छठीं योजना में ही जो लक्ष्य रखा गया था उसको ही पूरा नहीं कर पाये तो पुनः सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने 2 लाख 70 हजार का मानक क्यों बनाया है। सातवीं योजना के अन्त तक कम से कम 10 लाख आवासीय गृहों की आवश्यकता होगी तथा इसकी कमी बनी रहेगी इस प्रदेश में और जिस रफ्तार से आवासों का निर्माण हो रहा है अगर यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के नगरों की जो दशा होगी वह अत्यन्त ही दयनीय और खराब हो जायेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के नगरों में आबादी राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा गति से बढ़ रही है। उ0 प्र0 का औसत 4.9 है जबकि राष्ट्र का औसत 3.85 है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीया मंत्री जी ने कहा कि कम आय वाले लोगों के लिए हम अधिक आवासों का प्रबन्ध करना चाहती हूं। श्रीमन्, केवल लखनऊ शहर ही ले लीजिए। यहां पर क्या माननीया मंत्री जी बतायेंगी कि अभी तक आपने कितने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान उपलब्ध कराये हैं? जो मकान बने भी हैं वे शहर से 15-15 और 20-20 किलोमीटर दूर बने हुए हैं और आज तक उनमें गरीबों को रहने के लिए दखल नहीं दिलाया गया है तथा अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है। जो भी नगर हैं इस प्रदेश में, उनकी हालत नारकीय हो गई है। बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए जल निकासी की व्यवस्था देख लीजिए, कोई भी ऐसा नगर नहीं जहां पर थोड़ा भी वर्षा हो जाय और आवागमन अवरुद्ध न हो जाये। इन्होंने जो पिछले वर्ष धन दिया था आवास एवं नगर विकास को वह 29 करोड़ रुपये रोड ग्रांट का और क्षतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ 70 लाख रुपया दिया था। साथ ही 5 करोड़ रुपया अंशदान के रूप में दिया था।

श्रीमन्, जब भी चुनाव आता है तो यह सरकार लम्बी-लम्बी घोषणाएं करती

हैं कि हमने अमुक करों में माफी कर दी, इस कर को हमने हटा दिया, उसको समाप्त कर दिया। ठीक हैं, जनता से यह खत्म कर दिये जायं, यह बढ़िया बात हैं लेकिन जितने कर समाप्त किये जाते हैं या जितने करों में छूट दी जाती हैं उसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार से की जाती हैं। राज्य सरकार कर तो समाप्त कर देती हैं लेकिन क्षतिपूर्ति के लिए धन का प्रबन्ध नाम मात्र भी नहीं कर रही हैं। मैं इसके सम्बन्ध में उदाहरण देना चाहता हूं। चुंगी कर समाप्त हुआ, पथकर समाप्त हो गया, कई टैक्स समाप्त हो गये लेकिन इन्होंने अनुदान उसको कितना दिया। मैं आपको बता दे रहा हूं। पड़ोसी राज्यों में जो क्षतिपूर्ति दी जाती हैं उसमें बंगाल में 76 प्रतिशत और राजस्थान में 66 प्रतिशत तथा केरल में 83 प्रतिशत दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में करों में सबसे अधिक छूट दी गयी हैं लेकिन क्षतिपूर्ति सबसे कम 31 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जा रहा हैं।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, क्या राज्यपाल दीर्घा अखबार पढ़ने के लिए बनी हैं। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता—

दीर्घाओं के बारे में .. आप बैठें। माननीय चौधरी आप कितना समय और लेंगे औरों को भी बोलना हैं। बोलने वालों की संख्या लगभग 50 से ऊपर हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय मंत्री जी ने अभी भाषण नहीं दिया उन्होंने केवल आंकड़े दिये तो उनका भी भाषण मैं ही कर दूंगा। वे मेरी बात से सहमत हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप सहमत होंगे कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य इस पक्ष और उस पक्ष से इसमें भाग ले सकें तो अच्छा होगा। आपको बाद में भी समय मिलेगा इसलिए अपने को सीमित करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

नगरपालिकाओं की जो निजी आय हैं उसमें वे अपने कर्मचारियों के वेतन के बकाया का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो और कामों के लिए पैसा कहां से आयेगा। इसलिए जो करमुक्त कर दिया जाता हैं उसमें सरकार अंशदान नहीं देती हैं जिससे नगरपालिकाओं का काम चलना मुश्किल हो रहा हैं। अभी कराधान के सम्बन्ध में एक अनुशंसा हुई थी वह देखें उ0प्र0 कराधान जांच समिति 1974 के खण्ड 2 संस्तुति लकड़वाला साहब की हैं कि नगरपालिकाओं के अंदर जो दुकानें लगती हैं, उसमें जो बिक्री होती हैं उससे जो बिक्री कर आता हैं वह पूरा का पूरा सरकार के कोष में चला जाता हैं इस सम्बन्ध में उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि बिक्रीकर का धनराशि शत-प्रतिशत नगरपालिकाओं को दे दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश कराधान समिति 1974 के खण्ड 2 के पृष्ठ 568 पर संस्तुति की गयी हैं कि मनोरंजन टैक्स जो लगता हैं वह स्थानीय निकायों

के अन्दर ही लगता है तथा स्थानीय आधार पर लगाया जाता है और उनकी वजह से जो चारों तरफ गंदगी होती है उसकी सफाई का काम नगरपालिकायें और महापालिकायें करती हैं लेकिन उस कर का सारा पैसा सरकारी खाते में चला जाता है। तो उस कमेटी ने यह संस्तुति की थी कि उसका 50 प्रतिशत नगरपालिकाओं को देना चाहिए। ऐसा न करने के कारण नगरपालिकाओं की आय दिन प्रतिदिन घटती जा रही है।

इकोनामिक्स टाइम्स ने सर्वे किया था तो उसने पाया कि चुंगी उगाही में जितना पैसा खर्च होता है उससे कम ही चुंगी से आता है जिसके कारण जनता पार्टी की सरकार ने चुंगी कर को समाप्त कर दिया था और उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया था लेकिन उसको अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया। नगरों को आगे बढ़ाने की दिशा में तो कम काम हो रहा है लेकिन उससे भ्रष्टाचार जबर्दस्त बढ़ गया है। सरकार की तरफ से नगर विकास का ढिंढोरा तो बहुत पीटा जाता है लेकिन इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आप कानपुर नगर को ही ले लीजिए। उसके विकास के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों की नीयत अच्छी नहीं है और न ही उनकी मंशा है कि नगर विकास विभाग अच्छे तरीके से प्रगति कर सके। श्रीमन्, कानपुर नगर देश का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है और इस सरकार के कुछ खास वी0 आई0 पी0 कांस्टीट्युंसीज की सेवा करने के उद्देश्य से सरकार ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया जिसके कारण बड़े-बड़े व्यापारी उस नीति का लाभ उठाकर पिछड़े क्षेत्रों के नाम पर अनुदान लेकर वहां नये-नये उद्योग लगाने का कार्य कर रहे हैं जिससे कानपुर नगर के कुशल, प्रशिक्षित और मेहनती मजदूर कानपुर छोड़कर अन्य नगरों में जा रहे हैं। कानपुर औद्योगिक नगर जो अपने आप में महत्व का स्थान रखने वाला है उसकी आज स्थिति डांवाडोल हो रही है।

मान्यवर, इलाहाबाद नगर को ही देखें तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के जो कार्यालय हैं वह सरकार की आवास-विकास की गलत नीति के कारण उसके अधिक कार्यालय लखनऊ में स्थापित हो रहे हैं या अन्य नगरों में। मान्यवर, आप जानते हैं कि देश में इलाहाबाद न्यायिक सेवा के लिए प्रसिद्ध है तथा वहां उसकी उच्च न्यायालय होने से उसका बहुत अधिक गौरव और महत्व है, परन्तु कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए अलग-अलग छोटे-छोटे नये न्यायालय ट्रिब्यूनल आदि बनाये जा रहे हैं और मुकदमें निपटाने के नाम पर ऐसे 12 ट्रिब्यूनल या न्यायालय लखनऊ में खोल दिये गये हैं जबकि इलाहाबाद में इतनी बड़ी न्याय संस्था है तो लखनऊ में खोलने का क्या औचित्य है। इसी तरह केन्द्र सरकार और प्रदेशीय सरकार के बड़े-बड़े कार्यालय इनके अव्यवस्थित नगर विकास की तरफ से अच्छी भूमि उपलब्ध न करा पाने के कारण विस्तार योजना लागू न करा सके जिसके कारण नये कार्यालय लखनऊ में खोले जा रहे हैं जिससे यहां की आबादी बढ़ रही है और नगर का स्वरूप बिगड़ रहा है।

मान्यवर, इलाहाबाद में नजूल भूमि पर गैर कानूनी ढंग से अवैध कब्जे करके लोग

निर्माण कार्य कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी नजूल भूमि के सम्बन्ध में क्या नीति है। मान्यवर, 99 वर्ष के पट्टे दिये जाते हैं लेकिन पूरे प्रदेश में 27 हजार लोगों के पट्टों की अवधि समाप्त हो गयी है लेकिन फिर भी वह काबिज हैं, तो ऐसा क्यों है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या नगर विकास विभाग उस नजूल भूमि को, अपने कब्जे में लेकर बड़े-बड़े लोगों से, उनको मकान बनाकर देगी जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। लेकिन यह सरकार उन गरीबों को उस नजूल भूमि पर मकान बनाकर नहीं रख सकती है और केवल यह सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम गरीबों के हिमायती हैं किन्तु यह सरकार पूंजीपतियों की हिमायती है और उन्हीं के कहने पर चल रही है और गरीबों को अनदेखा कर रही है।

मान्यवर, जल निगम और जल संस्थान के विषय में मंत्री जी ने कहा कि जल निगम में जितने 674 नगर हैं उनमें पेयजल की व्यवस्था कर दिया है किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि 600 नगरों में पुरानी पेयजल व्यवस्था है और जल-निगम ने उनमें जो कुछ किया है वह व्यवस्थित नहीं है। कहीं तो टंकी बनी है तो पाइप लाइन नहीं है, कहीं पाइप लाइन टूटी-फूटी हुई हैं, कहीं रिसाव हो रहा है, तो कहीं पर पानी ऊपर चढ़ने में कठिनाई हो रही है। इनके यहां 118 ऐसे नगर हैं, जिनको जल निगम ने छुआ तक नहीं है। इन 118 नगरों में जो पुरानी व्यवस्था है वह अभी नाकाफी है, क्योंकि नगरों का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है पर यहां पर न अधिक नल बढ़ाये गये, न पाइप बढ़ाये गये और न अलग से कोई टंकी लगाई गई। इस तरह इन नगरों में जल निगम का कोई काम नहीं है। 1985-86 में केवल 10 करोड़ रुपये का जल निगम के लिए प्राविधान किया गया है, जबकि जल निगम की ओर से 34 करोड़ रुपये की मांग थी। मांग के 34 करोड़ में से इन्होंने 24 करोड़ रुपया कम कर दिया है। 84-85 में इन्होंने इस पर 18 करोड़ रुपया खर्च किया यानी 8 करोड़ रुपया पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम हो गया है।

इनका टारगेट है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में हम शत प्रतिशत नगरों और शत प्रतिशत गांवों में पेयजल की संपूर्ति कर देंगे, अर्थात् पेयजल की सुविधा से सम्पन्न कर देंगे। लेकिन इन्होंने जब बजट में ऐसा ही कम कर दिया है तो यह कार्य कैसे संभव हो सकता है। 10 करोड़ जो दिया है वह केवल 5 कबाल टाउन को ही ले लिया जाये—लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा व बनारस तो कबाल टाउन में ही प्रत्येक वर्ष अगर दो करोड़ रुपया भी खर्च किया जाये तो भी इनके यहां पानी पीने की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकती है और अगर इन पांचों नगरों में ही यह 10 करोड़ रुपया समाप्त हो जायेगा तो शेष 669 जो और नगर बचेंगे, वहां पर कैसे आप व्यवस्था कर सकेंगे। वहां के लोग पानी के अभाव में मर जायेंगे या क्या प्रबन्ध करेंगे। सिविक अफेयर्स की एक रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें दिया हुआ है कि केवल लखनऊ नगर को ही ले लिया जाये, तो इसमें 3 लाख किलोलीटर पीने के जल की प्रतिदिन आवश्यकता है, जबकि केवल 2 लाख लीटर प्रतिदिन मिल रहा

हैं एक लाख किलोलीटर पानी की केवल लखनऊ में कमी है। एक लाख लीटर पानी की कमी के कारण शहर में गंदगी फैलना अवश्यम्भावी है, क्योंकि जब पानी नालों में नहीं जायेगा, सीवेज में नहीं जायेगा तो उसमें मल अवरोध हो जायेगा, जिसके फलस्वरूप संक्रामक रोग भयंकर रूप से फैलने की स्थिति हो जायेगी और शहर में महामारी पैदा हो जायेगी और यह हो भी रहा है। आप सदन में देख रहे हैं कि रोज हैजे के रोग के प्रकोप की खबरें आ रही हैं।

कानपुर की ही बात अगर हम देखें तो कानपुर में 5.31 लाख किलोलीटर प्रतिदिन की आवश्यकता है, लेकिन यह केवल 2.52 लाख किलोलीटर ही प्रतिदिन पूर्ति कर रहे हैं। प्रतिदिन जो पानी की पूर्ति होनी चाहिये उतनी नहीं हो पा रही है जिसके कारण वहां पर भी गंदगी का साम्राज्य फैल रहा है। इसी कारण से तत्कालीन विभागीय मंत्री, श्री बलराम सिंह यादव जी ने मार्च 1984 में कानपुर में घोषणा की थी कि कानपुर नगर नरक बन गया है इसको सुधारने का काम किया जायेगा लेकिन उस दिशा में माननीय मंत्री जी कह रहीं थीं कानपुर के नियोजन वन मंत्री हैं परन्तु मैं कहता हूं कि कागज पर ही उनकी योजना बनने जा रही है।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि देहात के इलाकों में उन्होंने 39 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है पानी देने के लिए तथा पहाड़ों के लिये 24 करोड़ 1985-86 में। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, भी आप सम्पूर्ण गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पायेंगी यह मैं कहना चाहता हूं क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कुल गांव की संख्या 1 लाख 48 हजार, 112 हैं। अभी तक 68 हजार गांवों को आप पानी दे सकी हैं। अभी 80 हजार गांवों को पानी देना शेष है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समिति के सुझाव को मानकर 1991 तक हर गांव को, हर शहर को पानी देने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेशीय सरकार का दायित्व है कि 1991 तक इन 80 हजार गांवों को पानी देने का प्रबन्ध करें। लेकिन केवल 28 हजार 414 गांवों को पेयजल की पूर्ति का लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो यह प्रगति पेयजल की है इससे आप कतई पेयजल की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती हैं। पेयजल की पूर्ति की दिशा में आप पीछे हट रही हैं आगे आप नहीं बढ़ेंगीं। मान्यवर, मैं 2 मिनट और लूंगा आप यह लाल बत्ती बुझा दीजिये। श्रीमन्, आपका आवास विभाग है, एल0 डी0 ए0 है और अन्य 12-13 विकास प्राधिकरण हैं लेकिन इनकी हालत बहुत दयनीय है। एक बार गांधी जी ने कहा था कि हमको इस बात की खुशी नहीं है कि नगरपालिकाओं या नगरमहापालिकाओं या टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया में कितने सुन्दर, रंगीन पार्क बन रहे हैं, हमको इसमें खुशी होगी कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोगों के लिए नगर पालिका या नगर महापालिका रहने के लिए व्यवस्था कर रही है। बड़ी विडम्बना है, बड़े-बड़े शहरों में एक तरफ आप फौव्वारों की साज-सज्जा बिजली की जगमगाहट से करेंगे और दूसरी तरफ

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अपनी झोपड़ियों में नरक की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। एक तरफ आप सुन्दर दिखायी देने के लिए फौव्वारों में पानी का दुरुपयोग करेंगे दूसरी तरफ पानी पीने के लिए न मिलने के कारण न जाने कितने लोग प्यास से मर गये इस गर्मी में। इसके कारण पानी दो आंदोलन, जनता पार्टी ने एक वृहद् आंदोलन चलाया था।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसे आप इस उमर में सज-धज कर बजट प्रस्तुत करने आयीं, आपने क्या इस बात की व्यवस्था की कि यह जो पुराने नगर खंडहर हो रहे हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के कारण उनको हम कैसे सुधार करेंगी कैसे उनको व्यवस्थित करेंगी। श्रीमन्, अगर इसी तरह से व्यवस्था रही, तो आज गरीब इस बात की मांग करने वाला है कि जब तक गरीबों की झोपड़ियों में एक छोटी पानी की टोंटी नहीं लगेगी, तब तक शहरों में जो रंग-बिरंगे फौव्वारे चल रहे हैं, उनको वह तोड़ने का काम करेंगे और दूसरी मांग वे गरीब लोग यह करने वाले हैं कि जब तक उनके झोपड़ी में टिमटिमाती हुई चिराग में रोशनी नहीं दे देंगे, तब तक वह शहरों में जो चमचमाती रोशनी है, उसे वह तोड़ने का काम करेंगे और तीसरी मांग वह यह रखने वाले हैं कि जब तक गरीब के बेटे को सिर छिपाने के लिए एक मकान की व्यवस्था नहीं करते, तब तक शहर में जो ऊंची-ऊंची मंजिलें बनाने की व्यवस्था की जा रही है, हम उसकी पूरी मंजिल बनने नहीं देंगे। मान्यवर, अगर गरीबों की स्थिति को सुधारना है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आप सुनियोजित ढंग से केवल गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान सुलभ करावें, अन्यथा इस प्रदेश में विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायेगी और जब विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायेगी, तो जो माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री हैं और इस विभाग के भी मंत्री हैं, वह इसको नहीं रोक पायेंगे। गरीबों की जो गरीबी है और गरीब के जो आंसू हैं, वह अगर निकलेंगी, तो उससे इस प्रदेश के सारे लोगों को पछताना पड़ेगा। इसलिये आप गरीबों को रहने के लिए मकान की व्यवस्था, उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था और रहने वाले जो गंदे स्थान हैं उन स्थानों की सफाई की व्यवस्था आप करें।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राणा जी, आप बैठिये।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, हमें बोलवा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

समय की कमी है, इसलिये माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह पांच मिनट में अपनी बात कह दें।

(श्री पशुपति नाथ मेहरोत्रा का नाम पुकारे जाने पर।)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि जब आप यह व्यवस्था दे रहे हैं कि 5-5 मिनट में ही प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी

बात कह दें, तो मैं चाहूंगा कि 10 मिनट का समय दें, चाहे सदन की कार्यवाही का समय और बढ़ा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, 7-8 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

*श्री पशुपति नाथ मेहरोत्रा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं । मान्यवर, जो किताबें आज मुझे मिली हैं, उनके आंकड़ों को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि समय मिलने पर उनके विषय में माननीया मंत्री जी से विचार-विमर्श करूंगा । परन्तु मैं कुछ व्यवहारिक सुझाव देना चाहूंगा । मेरा यह निवेदन है कि मेरा सुझाव हो सकता है कि सुनने में कुछ कटु लगें, लेकिन उन्हें किसी प्रकार से आलोचना न समझा जाय । हर प्रकार से वह एक व्यवहारिक सुझाव समझे जायं और यदि हमारे मंत्री महोदय उन्हें कार्य रूप में परिणत कर सकें । उन्हें व्यवहारिक समझें तो यह उनका अधिकार है, उन्हें स्वीकार करें अथवा स्वीकार न करें । मैं ऐसे नगर का प्रतिनिधि हूं जिसकी चर्चा हमारे विरोधी दल के साथियों ने कई दफा किया है । यह सही है कि बड़े-बड़े शहरों की समस्यायें अपनी जगह अलग स्थान रखती हैं । नगरमहापालिकाएं शहरों में नगर विकास का सबसे बड़ा दुख दर्द रही हैं, जिसके कारण आपको बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण चुनाव न होना है । यह बड़े सन्तोष की बात है कि हमारे मुख्य-मंत्री जी ने आश्वासन दिया है । जो आश्वासन उन्होंने दिया है वह बहुत हमको हिम्मत देने वाला है । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि महापालिकाओं, नगर पालिकाओं के चुनाव लम्बे अरसे से न होने के कारण शहरों में नगर विकास की व्यवस्था का वातावरण दूषित हुआ है । कोई अंकुश वहां के अफसरों पर नहीं रहा । मनमानी ढंग से नगर विकास के कार्यों को किया है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष रूप से और मंत्री जी से खासतौर से यह निवेदन करूंगा कि चुनाव में विलम्ब न करें । क्योंकि जितनी हानि व्यवस्था के सम्बन्ध में हो चुकी है वह पर्याप्त है । आगे समय बढ़ाकर और कठिनाई पैदा न होने दें ।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी रुकावट नगर विकास के कार्यों में यह आती है, जो विभागीय तर्क-वितर्क होता है । हमारे शहर के बीच में एक पुरानी नहर है, उस नहर का कोई उपयोग नहीं था । उसके अन्दर सीवर डाली गयी तर्क यह हो रहा है कि इस दाम को महापालिका को दिया जाय या न दिया जाय । विभागीय द्वन्द हो रहा है । हमारे यहां चौराहों का विकास हो रहा है । अगर भूमि रेलवे की है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रान्तीय सरकार को चाहिए कि केन्द्रीय सरकार से बात करके उस बात को शीघ्र तय करें। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी मंत्री जी ने उस चौराहे का निरीक्षण किया। बहुत प्रसन्नता होती, हैं, सन्तोष होता यदि उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी साथ ले लिया होता तो एक पक्षीय बात सुनने को न मिलती। जन-प्रतिनिधि के द्वारा असली बात मालूम करने का अवसर मिलता। लेकिन जो उन्होंने उचित समझा वह स्वीकार है। लेकिन प्रश्न यह है कि विभागीय द्वन्द होता रहता है, उससे नगर विकास के बहुत से काम रुक जाते हैं। मैंने नमूने के तौर पर दो काम बताये। मैं समझता हूं इसी प्रकार से सारे प्रान्त में कार्यों में रुकावट आती होगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कुछ ऐसी योजना मंत्री जी बनावें, जो इस तरह का विभागीय तर्क है वह अपनी जगह पर होता रहे और विकास के कार्यों में रुकावट न आये। एक बहुत विशेष बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वर्ल्ड बैंक आज बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े काम के लिए रुपया दे रहा है। यह रुपया हमारे शहर को भी दिया गया है। लेकिन मुझे इस बात का खेद है, कि मैं अपने तौर पर कह सकता हूं कि वर्ल्ड बैंक से जो रुपया मिला, वह कहां व्यय हुआ, उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ। यह जनप्रतिनिधि इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और इनको ऐसे मसलों पर विश्वास में नहीं लिया जाता है। खासतौर से होना यह चाहिए था कि इनसे सलाह मशविरा होता, जो नहीं किया जाता। अगर कभी माननीय मंत्री जी मुझे समय देंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि उसमें अपव्यय कैसे होता है और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने भी इसका विरोध किया।

इसी से सम्बन्धित एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा विकास प्राधिकरणों के सम्बन्ध में। पूरे प्रान्त में बहुत से ऐसे संगठन हैं जो नगर विकास से सम्बन्धित हैं, उनमें जन-प्रतिनिधियों को लगाकर काम करना चाहिए और जब चुनाव हो जायेंगे तब कोई बात नहीं, जब तक चुनाव नहीं होते हैं, तब तक जन-प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया जाना चाहिए और उनको सलाहकार समिति में लिया जाना चाहिए और जो बाहर के व्यक्ति हैं, उनसे अधिक सम्मान इन्हें दिया जाना चाहिये और इनकी बात पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए। साथ ही एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। समय बहुत कम है, हर विषय में मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूं। गंगा बैराज का प्रश्न मैं समझता हूं कि बहुत ही आवश्यक प्रश्न है हमारे शहरों का। इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी है कि यह सवाल सन् 1963 से चल रहा है और आज सन् 1985 है। उस समय कुछ लाखों के बजट का प्राविधान गवर्नमेन्ट ने किया था, आज उसका खर्चा करोड़ों में हो गया है। लेकिन इसकी आवश्यकता पहले भी थी और आज भी बहुत अधिक है, आवश्यकता में इसकी कमी नहीं आयी है चाहे सिंचाई से सम्बन्धित हो या विद्युत् से लेकिन इसका जो असली ताल्लुक है, वह नगर विकास से है, इसलिए यह बड़े दुख की बात है कि बजट में कहीं भी गंगा बैराज के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मेहरोत्रा जी आप अपनी बात को अब समाप्त करें, आपका समय हो गया।

श्री पशुपति नाथ मेहरोत्रा—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस तरह से और योजनाएं वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर चलायी जा रही हैं, इसी प्रकार से इसको भी चलाया जा सकता है और इससे जो आय होगी उसी पैसे से इसका पैसा चुकाया जा सकता है और सरकारी खजाने पर किसी भी प्रकार का कोई भार इसकी वजह से नहीं आवेगा। मान्यवर, मैं पेय जल के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा जिसकी स्थिति चिन्ताजनक है लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन जल-संस्थान के सम्बन्ध में हमारे विरोधी दल के साथी ने किया और जो बातें कहीं। मैं ऐसा करना उचित नहीं समझता हूं वैसे यहां पर सड़कों का रख-रखाव भी ठीक नहीं है क्योंकि इस पर जो रुपया मिलता है, वह रुपया वी0 आई0 पीज रोड पर लग जाता है। यह पैसा उन वी0 आई0 पीज रोड पर लगने के बजाये उन शहरों और गलियों पर लगे जिन पर एक पैसा भी नहीं लगाया जाता है। मान्यवर, यह बहुत ही चिन्ताजनक बातें हैं। मान्यवर, आपने जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं साथ ही मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि वह हम लोगों को इस सिलसिले में समय देकर हमारी बातों को सुनेंगी और उस पर पूर्णतया विचार करेंगी, धन्यवाद।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ बिन्दुओं की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो यह तहरीर पेश की है, कागज पेश किये हैं, आपके सामने, इस प्रदेश के नगरों के विकास के लिये, उसमें स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा झलकती है। सरकार की मंशा है कि उसमें पूर्वी अंचल के नगरों और छोटे कस्बों का कोई जिक्र नहीं है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। मंत्राणी जी शहर की वाशिंदा हैं। आप देखेंगे तो पता लगेगा कि शहर की वाशिंदा होने के नाते घोर पक्षपात करके एक एकांगी तरीके से बजट पेश किया है। इसलिये इस बजट का विरोध करता हूं और माननीय राम गोविन्द चौधरी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने मंत्राणी शब्द का प्रयोग किया है, यह असंसदीय है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

उनका आशय मंत्री से ही है।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, मैं आपके सामने मूल रूप से एक बिन्दु प्रदर्शित करना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर नगर समितियों का चुनाव न कराकर उसे पूरी तरह से अधिकारियों

के हाथ में, प्रशासकों के हाथ में, पूरे नगर निकायों को दे दिया गया है, सौंप दिया गया है, जिससे पूरी तरह से दलालों का राज कायम हो गया है। अधिकारियों ने अपनी विवेकपूर्ण कार्यवाही न करके पैसे का लेन देन करके और पैसे की चोरबाजारी कराकर काम और खराब कर दिया है। मेरे यहां छोटी सी टाउन एरिया बेल्थरा रोड बलिया में पड़ती है। मैं आपका ध्यान उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। वहां जबसे नगर क्षेत्र में प्रशासक व्यवस्था कायम की गयी है और क्षेत्र समिति टूटी है, वहां पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज तो स्थिति यह है कि ऐसी बदतर स्थिति हो गयी है, जिससे वहां रहना मुश्किल है। वह टाउन एरिया जिसमें नगर समिति है वह नर्क के उदाहरण के रूप में बन गयी है। सड़कों पर पिचपिचाहट, सड़न और गंदगी है। वहां नाली से पानी बहने की व्यवस्था नहीं है। वहां पर रिक्शों का चलना मुश्किल है। आदमियों और अन्य वाहनों का चलना मुश्किल है।

इसी तरह से सिकन्दरपुर नोटीफाइड एरिया है। इसी तरह से बलिया नगरपालिका है। जहां दिखाई पड़ता है वहीं "कहीं है माहताबे दरक्शां किसी के महलों में, किसी गरीब की कुटिया में किरन भी नहीं।" तो एक तरफ तो लोगों के ऐशो आराम की व्यवस्था है, आपके नगर विकास की ओर से उसके लिये व्यवस्था की गयी है तो दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। न पानी है, न बिजली है और न रास्ते हैं। यहां पर इम्पाला कार पर चलने वालों के लिए सड़कें बनाकर बड़े-बड़े लोगों के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं। यह सारी व्यवस्था देहातों से पैसों की वसूली करके की जाती है। गरीबों का पैसा सड़कें बनाने के लिए, बड़े लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए खर्च कर दिया जाता है और छोटे नगरों के लिए कोई खर्च नहीं किया जाता है। आप मऊ में देखें। वहां गन्दगी के कारण सड़कों पर लोगों का आना जाना मुश्किल है। सफाई का इंतजाम नहीं है। छोटे-छोटे विद्यालय हैं उनके रखरखाव की व्यवस्था नहीं है। वहां की सड़कों के विकास की सुविधा नहीं है। पानी गंदा मिलता है। यहां पर मनोहर लालजी कानपुर का पानी लाये थे, लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि करना चाहिए था। उसी तरीके से टंकी का सड़ा हुआ पानी मिलता है। जिस कारण बीमार होकर मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह बजट देहात के छोटे-छोटे कस्बों का नहीं है, कवाल टाउनों के लिए है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने सारा खर्च करने का काम किया है, बड़े-बड़े शहरों के लिए। आप देहात की छोटी-छोटी टाउन एरियाओं, नोटीफाइड एरियाओं और जो छोटी-छोटी नगरपालिकाएं हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। आपने शहर के लोगों को नम्बर एक पर रख दिया है, आपने देहात और छोटे-छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को नम्बर दो पर रख दिया है। आप उनको नम्बर दो पर मूल्यांकित करती हैं। यह मंशा नहीं होनी चाहिए। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह गुजारिश करता हूं कि टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया और छोटी-छोटी पालिकाओं की तरफ ध्यान देकर उनके लिए

भी समुचित धन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां के लिए सफाई और जो सड़ी हुई चीजें हैं, उनकी देखरेख के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है सड़ी हुई चीजों की बिक्री के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। वहां के लिए भी सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा सड़ी हुई चीजों से बीमारी फैलती है।

*नवाब सिकन्दर अली खां—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नगर विकास विभाग के इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी को देना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध मेरे क्षेत्र नगर शाहजहांपुर से है।

मान्यवर, हमारे नगर शाहजहांपुर की नगरपालिका की सड़कों की दशा अत्यन्त खराब है। पालिका की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह सड़क अनुदान के साथ-साथ अंशदान व्यय करने से असमर्थ है। मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे वहां सड़कों के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुदान देने का कष्ट करें। मान्यवर, नगर में अभी सीवर योजना लागू नहीं हो पायी है, जिसके कारण नगर के सभी नाले भर चुके हैं तथा अधिकतर नाले कच्चे हैं। रुपये की कमी के कारण न तो वहां सफाई हो पा रही है और न ही नालों की मरम्मत हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मंत्री जी वहां ज्यादा से ज्यादा अनुदान देने का कष्ट करें ताकि नालों की मरम्मत हो सके और सफाई हो सके।

मान्यवर, नगरपालिका की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वहां कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल पाता है और बहुत वर्षों से प्रोविडेन्ट फण्ड भी जमा नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा अनुदान देने का कष्ट करें ताकि कर्मचारियों को समय से वेतन मिल सके और उनका प्रोविडेन्ट फण्ड जमा हो सके। हमारे नगर शाहजहांपुर में सिर्फ एक ही पार्क है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम इस नगर में 10 बड़े पार्क बनाने का कष्ट करें और उनकी देखरेख, रखरखाव आदि के लिए अधिक से अधिक अनुदान देने का कष्ट करें।

मान्यवर, नगर में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। मान्यवर, हमारे नगर में और बहुत से क्षेत्र वहां बढ़ाये गये हैं, जहां पर प्रकाश का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वहां पर ज्यादा अनुदान देकर बिजली की व्यवस्था देकर बिजली की व्यवस्था को सुचारु करें तथा जिन क्षेत्रों में अभी बिजली की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहां पर बिजली पहुंचायें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(लाल बत्ती जलने पर)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीया मंत्री जी द्वारा रखे गये इस नगर विकास विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ सुझाव सदन में रखने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। आज इस विभाग पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रदेश की नगरपालिकाएं, नगर महापालिकाएं और टाउन एरियाज जिनके बारे में कहा गया है इस पुस्तक के शुरुआत में कि सफाई, सड़कों, सीवर, शौचालय, स्ट्रीट लाईट और जल आपूर्ति इन सबके लिए हमारा विभाग समर्पित है। लेकिन मान्यवर, यह तथ्य छिपा हुआ नहीं है। इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों ने अनेक बार इस बात को कहा है कि प्रदेश के हर नगर में और हर कस्बे में इन सारी चीजों की हालत जर्जर है।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देकर याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश के लोग और इस देश के जब शीर्षस्थ नेता किसी महानगर में जाते हैं तो उनकी टिप्पणी क्या होती है। मैंने पहले भी इस बात का सदन में उल्लेख किया था। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जब मथुरा आये थे तो उन्होंने कहा कि बृज क्षेत्र बहुत गन्दा है। कुंवर नटवर सिंह केन्द्रीय राज्य-मंत्री जी जब आगरा आये थे तो उन्होंने कहा कि आगरा हिन्दुस्तान का सबसे गंदा शहर है। हमारे केन्द्रीय नेता श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने राज्य सभा में इस बात का उल्लेख किया था कि किस प्रकार की गन्दगी उत्तर प्रदेश में है। जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। जिन पर आज कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं चल सकता है रोजाना उन पर चलने वाले चाहे वह रिक्शा वाला हो साइकिल या स्कूटर वाला हो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, चोट खाते हैं क्योंकि सड़कें ऊबड़-खाबड़ व टूटी हुई तथा गड्ढेदार हैं। आज आजादी के 38 साल बाद भी स्थिति यह है कि अनेक जरूरतमन्द इलाकों में सार्वजनिक शौचालय नहीं बने हैं और जो बने भी हैं वे टूटी और गन्दगी की हालत में पड़े हुए हैं मजबूर होकर आज भी हमारी हजारों बहिनों और माताओं को खुले में शौच हेतु जाना पड़ता है, अप्रिय तथा लज्जाजनक स्थिति को सहना पड़ता है।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं स्ट्रीट लाइट के बारे में कहना चाहता हूं। स्ट्रीट लाइट के अभाव में गलियों में सड़कों पर अन्धेरा रहता है, जिससे अक्सर राहजनी और लूट-मारी होती है और लोगों को अंधेरे में दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। मान्यवर, ये सारी बातें प्रत्यक्ष हैं। मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान अभी आगरा में 17 तारीख को हुए एक प्रदर्शन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 17 तारीख को आगरा में एक प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने नगर महापालिका के सामने प्रदर्शन करते हुए एक बोर्ड बनाया था, जिसमें एक कूड़े का ढेर उस पर

सुअरों का चरना, सूखी गायों का चरना, गन्दा पानी का बहना, शौचालयों का खुला होना दर्शाया गया था और उसके नीचे लिखा हुआ था "हमारी प्रार्थना है नगरमहापालिका से कि कृपया इस कूड़े ढेर को यहां से न हटाया जाय, इससे हमें निम्नलिखित फायदे हैं—पहला फायदा, बाहर से जब कोई हमारा परिचित आता है तो उसे हमारे मकान को ढूंढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि लोग उसे बता देते हैं कि उस बड़े कूड़े के ढेर के पास हमारा मकान है।" यह एक तीक्ष्ण व्यंग्य था नगरमहापालिका के ऊपर और माननीय मंत्री जी आपके विभाग के ऊपर। "दूसरा फायदा-रात में भयंकर मच्छरों के काटने से हम परेशान हो जाते हैं और सो नहीं पाते हैं तो हम समाचार पत्रों को पढ़कर देश-विदेश और अपने प्रदेश के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तीसरा फायदा, जब हम भारी बदबू से परेशान हो जाते हैं तो सुबह शाम धूप और अगरबत्ती जलाकर अपने भूले हुये भगवान को याद कर लेते हैं। चौथा फायदा, जब वर्षा में गन्दे नालों का पानी बाहर निकल कर सड़कों में बहने लगता है और हम उस पर चलकर निकलते हैं तो हम घर पर जाकर बार-बार नहाने का पुण्य लाभ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी आगरा की नगरमहापालिका, तेरी जय हो। आज इस तरह से लोगों को बोलना पड़ रहा है। इस विभाग के लिए यह बड़े शर्म की बात है अगर शर्म होती तो चुल्लू भर पानी ही काफी था। आज सफाई न होने से, गन्दगी ज्यादा होने से और सड़कों की टूटी हुई अवस्था में होने से प्रदेश के लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव एक रुपये का रखा गया है, इसे तो एक पैसा किया जाना चाहिए था। हमारी जो नगरमहापालिकाएं हैं और टाऊन एरियाज हैं, वे सब घाटे में चल रही हैं। इस पुस्तिका के अनुसार केवल देहरादून, इटावा और झांसी की नगरपालिकायें फायदे में चल रही हैं। क्या बाकी इन सब नगरपालिकाओं महापालिकाओं का एक ही खाता है मानो यह तय कर लिया है कि जो खर्च के बराबर ही आमदनी को दिखा देती हैं। करोड़ों रुपये की सड़कें ठेकेदारों के माध्यम से बनाई जा रही हैं और इसका काफी पैसा लोग बीच में ही खाये जा रहे हैं। हाऊस टैक्स और टोल टैक्स की चोरी हो रही है। किस प्रकार आज इन पालिकाओं द्वारा प्रदेश को नंगा किया जा रहा है। आखिर विकास और सुधार कहां से होगा। और नगर पालिकाओं का, जिनका चुनाव नहीं हुआ है, हालत यह है कि, आगरा नगर महापालिका में, आपको आश्चर्य होगा, 5 साल से कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फण्ड का करीब 1 करोड़ रुपया जमा नहीं हुआ है। कर्मचारियों का भविष्य अन्धेरे में है। जब इनकी सेवायें समाप्त होंगी तो उनको फण्ड का पैसा कहां से मिलेगा। मान्यवर, कुछ विकास प्राधिकरण की बात कहूं। ये अपना ही विकास करने में लगे हैं। इस विभाग में नियोजन में, निर्माण में, नक्शा पास करने में, सब जगह बड़ा भ्रष्टाचार है। आगरा की शमसाबाद योजना में, बहुत बड़ी कालोनी बन रही है और 109 एकड़ की है। 10 साल हो गये इसे बनते हुए, मकान, सड़कें बन गई हैं लेकिन ऐसी कालोनी से क्या फायदा जहां कोई नर्सिंग होम, पुलिस चौकी, पोस्ट आफिस, बच्चों के लिए स्कूल, कम्यूनिटी हाल की सुविधा

आदि न हो। सेन्ट्रल जेल को तोड़कर संजय काम्पलेक्स के लिए 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 3 लाख 31 हजार 268 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गयी बिना ब्याज के और किश्तों पर। वहां क्या हो रहा है। ढाई-तीन सौ करोड़ का यह प्रोजेक्ट केवल एक ए0 ई0 उसको चला रहा है, कोई इक्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां नहीं है। किस तरह से मुनाफाखोरी हो रही है। कुल 123 ब्लाक्स हैं। एक-एक ब्लाक 30-30, 40-40 लाख का एक प्लाट बिक रहा है। सौ के करीब ब्लाक बिकने को बाकी हैं। परन्तु मुनाफे की रकम आगरा के विकास पर नहीं खर्च हो रही है। विश्व बैंक से आगरा विकास प्राधिकरण को 25 करोड़ का लोन मिल सकता है परन्तु वहां उसका प्रोजेक्ट बनाने को स्टाफ नहीं है। केवल एक बात कहना चाहूंगा आवास विकास परिषद् के बारे में। 21 लाख मकान बनाने की बात कही गयी है जनता के लिए।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, 12 करोड़ जनता की बात है आप केवल 12 मिनट तो दे दें। अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए राम गोविन्द चौधरी ने कहा, दुर्बल आय वर्ग के लोगों को मकान दिया जाये। जो कालोनी आवास विकास की बनी है, 30 रुपये मीटर की जमीन को आज 3 सौ रुपये मीटर कर दिया है और अगर किसी गरीब ने जमीन बेंच दी तो उसे किस तरह से सताया जा रहा है। बढ़ी दर का 50 प्रतिशत मांगा जा रहा है। जनता को गरीबों को बिना हानि लाभ के मकान देने के उद्देश्य से परिषद् बनी थी। अपनी हर चीज की दरें अब बढ़ा दी हैं। क्या यही सेवा है? क्या यही बिना हानि लाभ है? मैं कहना चाहता हूं कि इन व्यवस्थाओं को सुधारने का मंत्री जी आश्वासन दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज जब मैं दारुलशफा से सदन की तरफ आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। एक साहब बोले आज नगर विनाश का बजट आने वाला है। एक साहब बोले नहीं-नहीं, नरक विकास का बजट आने वाला है। मैं अपनी कोई राय नहीं देना चाहता इस पर। मैं केवल दो जो हमारे महान नेता हैं भारत सरकार में बैठे हैं, उनकी राय आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं। संसद के हमारे लोक सभा अध्यक्ष जी, जाखड़ साहब जब मथुरा-आगरा तशरीफ लाये और दूसरे माननीय कुंवर नटवर सिंह जी तशरीफ लाये तो उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में, पब्लिकली कहा कि विश्व में अगर कोई सबसे ज्यादा गन्दा शहर है तो वह आगरा शहर है। मैं अपनी कोई राय नहीं देना चाहता। यह इन दो महान नेताओं की राय सदन में रखना चाहता हूं। आज आगरे में जो गन्दगी का साम्राज्य है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। सफाई कर्मचारियों की संख्या वही है जो 20 साल पहले थी, उनकी संख्या नहीं बढ़ाई। आप उनको वर्दी नहीं दे सकते, झाड़ू नहीं दे सकते,

डलिया नहीं दे सकते, हथठेला नहीं दे सकते, ट्रक नहीं दे सकते कूड़ा उठाने के लिये और उम्मीद करते हैं कि नगर साफ रहे। आज डेली वेजेज के नाम पर जो सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं, वे कागजों पर तो रखे जाते हैं लेकिन मौके पर उपस्थित नहीं होते हैं। आप लाखों रुपये खर्च कर देते हैं लेकिन सफाई नहीं होती है। अगर "कवाल" टाउन्स में या अन्य नगरों में सफाई रखनी है तो आपको सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी। आज क्राइम बढ़ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी नगर महापालिका विभाग पर है। किसी सड़क पर, किसी गली में चले जाइए, प्रकाश व्यवस्था मिलने वाली नहीं है। आपने जो लिट्रेचर दिया है इसमें लिखा है कि 21 हजार बल्ब, ट्यूबलाइट मरकरी लाइट, सोडियम बल्ब दिये एक वर्ष में।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब बल्ब मुहैय्या नहीं करा सकते तो सोडियम लैम्प और मरकरी लैम्प, जो डेढ़-दो से चार हजार रु0 का आता है, यह एक मजाक है। जनता चाहती है कि एक बल्ब लगाया जाय, वह सोडियम लैम्प और मरकरी लैम्प नहीं चाहती है। प्रकाश व्यवस्था पर आपका डुवेल कण्ट्रोल है, विद्युत विभाग लगायेगा, आपका विभाग बल्ब खरीदकर देगा। कुछ कवाल टाउन्स में आपने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। किसी एक विभाग को जिम्मेदारी दे दीजिये चाहे नगर महापालिका को दे दीजिये या विद्युत विभाग को दे दीजिये। विद्युत विभाग कहता है कि बल्ब दिया नहीं, नगर महापालिका कहती है कि बल्ब दे दिया था इन्होंने लगाया नहीं। आज नगर महापालिकाओं की जैसी स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है। महीने की 20-25 तारीख तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, अल्पवेतन भोगी कर्मचारी बिना तनख्वाह के रहते हैं। तनख्वाह या तो स्टेट बैंक से लोन लेकर या विकास प्राधिकरण से पैसा लेकर दी जाती है। आगरा में एक लाख पचास हजार रु0 तक टोल-टैक्स की आमदनी होती थी, आज चालीस हजार रह गई है। जब आमदनी एक लाख पचास हजार की थी तब भी घाटाला होता था, आज 40 हजार की रह गयी, तनख्वाह कहां से निकलेगी ? विकास की बात, नाले-नालियां बनाने की बात, खड़ंजे की बात छोड़ दीजिये, आज कर्मचारियों की तनख्वाह के लाले पड़े हुए हैं। एक वर्ष से प्रोवीडेण्ट फण्ड एक करोड़ रु0 केवल आगरा के कर्मचारियों का जमा नहीं हुआ है। उनसे उम्मीद करते हैं कि काम करेंगे ? आज टोल-टैक्स में जो भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है, रोजाना जब तक अधिकारी की मेज पर लिफाफा नहीं पहुंच जायगा तब तक काम नहीं होने वाला है। यह अव्यवस्था तब से फैली है जब से आपने पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को भेज दिया, आई0 ए0 एस0 अधिकारी जब तक जाते रहे, व्यवस्था ठीक चलती रही। पी0 सी0 एस0 को भेजते हैं, वह रिटायरमेंट के करीब होता है, उसे लड़कियों की शादी करनी होती है या अन्य जिम्मेदारियां निपटानी होती हैं। वह किस प्रकार से स्वच्छ प्रशासन दे सकता है ? आगरा में श्री अनादि नाथ सहगल, श्री दीक्षित, श्री पंडित, श्री बागला जैसे लोग जब तक रहे, नगर महापालिका बहुत अच्छी चली। जब से आपने वहां पर पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को भेजना शुरू कर दिया तब से नगरपालिकाएं चौपट हो कर रह गयी हैं। आज मैं पिछले 6 महीनों से मंत्री जी से अनुरोध करता आ

रहा हूं कि आगरा में नगर महापालिका कई चिकित्सालय चलाती है जिसमें डाक्टर और लेडी डाक्टर के पद हैं जिसमें से 8 डाक्टरों की जगहें खाली पड़ी हुई हैं, मैंने उनसे निवेदन किया कि दैनिक वेतन पर भी वहां डाक्टर सेवा करने को तैयार हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को कि उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार करके उन्होंने आदेश कर दिया। लेकिन मंत्री जी आपका जो निदेशालय है वह आपके आदेशों के कागज को रद्दी की टोकरी में डाल देता है वैसे ही इस आदेश को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया और आज तक आपके उस आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह विभाग शासन की छवि को, तथा मंत्री जी आपकी भी छवि को धूमिल करने वाला है। आप आदेश करते हैं, जब निदेशालय में वह कागज पहुंचता है उसे फाड़ कर फेंक दिया जाता है।

इस सदन में पेय जल की समस्या के बारे में बहुत बातें प्रकाश में आयी कि कानपुर में गंगा का पानी दूषित हो गया है वैसे ही आगरा में यमुना के पानी की बात है। आप देखें कि पानी कभी नीले रंग का, कभी हरे रंग का, कभी पीले रंग का और कभी-कभी उसमें कीड़े भी तैरते हुये नजर आते हैं जिसके कारण मानव शरीर में अनेकों रोगों का जन्म होता है जैसे जान्डिस, गैस्ट्रोएन्टाइटिस, कोलाइटिस, एमीबासिस तथा टाइफाईड आदि कितनी ही बीमारियां फैल रही हैं। यह दशा वहां के पानी की है जो कि पीने के लिये मिल रहा है।

जब विदेशी पर्यटक वहां आता है तो वह आगरा में प्रवेश करते ही आगरा का पानी नहीं पीता है। यदि वह भूले से भी इसको पी ले तो उल्टी कर देता है, बीमार पड़ जाता है। यह तो हम ही लोग हैं कि उसे पिये जा रहे हैं। विदेशी पर्यटक यहां आकर डिस्टिल्ड पानी पीता है। आज हम 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें चम्मल से पानी दिया जाए तथा यमुना जो कि आखला पर रोक ली गयी है, उसे खोल कर पानी दिया जाय लेकिन आज तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। आगरा में जिधर से निकल जाइये गालियां मिलती हैं, महिलाएं गाली देती हैं, पुरुष हमको गाली देते हैं, सरकार को गाली देते हैं और मंत्री जी आपको भी गाली देते हैं। रोज रास्ता जाम होता है पानी के लिये। यहां आश्वासन दिया जाता है। कार्यवाही आज तक नहीं की गई।

पिछली गर्मियों में जब परेशानी हुई तो मार्क II हैण्ड पम्प की व्यवस्था की गयी। माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि मार्क II हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। उसमें जो पाइप इस्तेमाल किये गये हैं वह सारे के सारे सब स्टैण्डर्ड पाइप इस्तेमाल किये गये हैं। एक पर 10 से 15 हजार रु0 का खर्च हो गया। यह खर्चा प्रति हैण्ड पम्प पर आता है, जिस फर्म ने पाइप सब स्टैण्डर्ड, स्पेसिफिकेशन सप्लाई किया था उसके लिये माननीय मंत्री जी ने आदेश कर दिये कार्यवाही करने के लिये लेकिन दुःख की बात है कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

आजादी के 38 साल व्यतीत होने के बाद भी ताजमहल के पास जो बस्ती है, वह ताज

गंज के नाम से जानी जाती है उस लोकल्टी में सीवर लाइन नहीं पड़ी है। आज जब विदेशी पर्यटक वहां ताजमहल देखने के लिये आता है तो वह नाक पर रूमाल रख कर ताजमहल देखता है और अपने देश में जाकर कहता है कि ताजमहल के आस-पास बहुत ज्यादा गन्दगी है। आगरा में नाले उफन रहे हैं लेकिन आज तक वहां सीवर लाइन नहीं डाली गयी है। नालों के किनारे रहने की जगह पर जहां कि हरिजन एवं निर्बल वर्ग के नागरिक रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, बाल्मीकी लोग रहते हैं उनके घरों में गन्दा पानी उफन कर घुस जाता है जब तक आप वहां सीवर नालों की सफाई नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से आवास योजनाएं सदन में प्रस्तुत की। आवास के विषय में हरिजनों के लिए निर्बल वर्ग के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रीमन्, यह पुस्तिका दी गयी है, आगरा के बारे में इसमें करीब 17 योजनाएं दी गयी हैं आवास की। मैं विनम्रतापूर्वक मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सब कागजी कार्यवाही है, इसमें सत्यता किंचित मात्र नहीं है और यह श्रीमन्, जितनी योजनाएं दी गयी हैं, 10 साल से योजनाएं चल रही हैं एक भी हरिजन को गरीब को आज तक भूमि नहीं मिली न मकान मिले। 10 साल से वहीं मकानों की संख्या चल रही है और सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जो आगरा विकास प्राधिकरण ने भूमि अध्याप्ति की थी नियम 4 की कार्यवाही हो गयी, दफा 6 की कार्यवाही हो गयी, 16, 17 की कार्यवाही हो गयी, उस जमीन को प्राइवेट कालोनाइजर्स हैं, हड़प रहे हैं। आज आगरा विकास प्राधिकरण के पास एक इंच जमीन नहीं है जो हरिजनों को मकान बना सके। आगरा में ढाई सौ कालोनाइजर्स अथवा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं। आगरा विकास प्राधिकरण उनको रिलीज नहीं करता है, कालोनाइजर्स यहां आते हैं, पैसा खर्च करते हैं और जमीन यहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके पिछले 2 सालों के अन्दर जो जमीनें छोड़ी हैं शासन ने, आप इसको रुकवायें, आप यहां राजाज्ञा जारी करें। जो जमीन अध्याप्ति की थी गरीबों के लिए हरिजनों के लिए वह सारी जमीनें, जो छोड़ दी गयी हैं, वह जमीनें वापस ली जायं। आज आगरा प्राधिकरण ने जमीनों की कीमत बढ़ा दी है। संजय कामरशियल काम्प्लेक्स ने 6 हजार से लेकर 10 हजार रुपया मीटर के हिसाब से जमीन बेची है। जिसके कारण आगरा में जमीनों की कीमत बेतहाशा बढ़ गयी है। आगरा विकास प्राधिकरण बिजनेस करेगा तो जनता को कहां से फायदा होगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा सारा समय इनको दे दें। और इन्हें बोलने दें।

श्री अधिष्ठाता—

राणा साहब आप बैठें।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, एक चीफ टाउन प्लानर थे पता नहीं वह अब हैं या नहीं हैं उन्होंने सारे

उत्तर प्रदेश के नगरों को मलिन बस्ती बना दिया । प्रदेश में शासन द्वारा जो धनराशि प्रदान की जाती है एक प्रतिशत कमीशन लेकर रिलीज की जाती है ।

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता की रोज रोजाना ही शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं । मैं मंत्री जी से कहूंगा जो बिन्दु मैंने उठाये हैं इस पर कार्यवाही करें ताकि इन समस्याओं का निराकरण हो सके । इन शब्दों के साथ जो माननीय चौधरी साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय पद्मा सेठ राज्य मंत्री हैं, उनकी सीट पर डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल बैठे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

राणा साहब आप बैठें ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी की स्थिति बड़ी निरीह है । निरीह इसलिए है कि उनके आदेशों का उनके विभाग में पालन नहीं होता है । कुछ भी आदेश करें माननीय राज्य मंत्री जी उनका अनुपालन उनके विभाग के लोग ही नहीं करते हैं । मान्यवर, जिस तरह से माननीय राज्य मंत्री जी की स्थिति दयनीय है, उसी तरह से इस सरकार की स्थिति भी बड़ी दयनीय है । नगर विकास के नाम पर क्या काम इस सरकार ने किया है 38 सालों में । इसी लखनऊ शहर में पुराने लखनऊ में चले जायं आज क्या हालत हो गयी है, आदमी रहते हैं, वह आदमी के रहने की जगह है, नालियां बजबजा रही हैं, पानी नहीं आता है, बदबू आती है, सीवर लाइन चोक है, बत्ती नहीं जलती है । स्थिति इतनी दयनीय है कि जानवर भी इस तरह से नहीं रहते हैं, जिस तरह से आदमी रहते हैं ।

मान्यवर, विकास की बात बिलकुल थोथी है । आपका कागज पर ही प्लान है, स्थिति आप एकदम विपरीत पायेंगे । मान्यवर, नगर विकास के नाम पर गांवों को लोग छोड़कर भागे चले आ रहे हैं । वह आपकी नीतियों के कारण आ रहे हैं, वहां पर सुरक्षा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, दवा का प्रबन्ध नहीं है, प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं और जब वह शहरों में आ जाते हैं तो मान्यवर वह ठेला चला रहे हैं, खोंचा लगा रहे हैं, मिलों में काम कर रहे हैं । आप विकास की योजनायें बना रहे हैं, मान्यवर, आपकी यह विकास की योजनायें किस लिये हैं, यह बड़े लोगों की हैं, आप अच्छे बंगले बनायेंगे, एच0 आई0 जी0 और एम0 आई0 जी0 के मकान बनायेंगे, उनकी कालोनियां बनायेंगे । अशोक मार्ग पर, महाराणा प्रताप मार्ग पर, राम तीर्थ मार्ग पर जितनी भी आवासीय कालोनियां बनायेंगे, क्या उनको आप गरीबों के लिये बना रहे हैं ? मान्यवर, गरीबों के लिये व्यवस्था की जायेगी 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर दूर और जिनके पास गाड़ी है, मोटर है, उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये शहर में मकान बनायेंगे, वह शहर के बीच में रहेंगे। 15-20 मंजिली बिल्डिंग बनायेंगे, शासन से सहमति भी नहीं ली गयी है और 20 मंजिल बिल्डिंग बना रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो किताबों का पुलिन्दा दिया है, उसमें है कि निर्बल वर्ग के लिये मकान बना रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने मकान बनाये हैं। गोमती नगर में आपने मकान बनाये हैं, आज तक वहां पर पानी नहीं है, सीवर नहीं है और बिजली की व्यवस्था नहीं है क्योंकि वह हरिजन और गरीब हैं, निर्बल हैं, इन चीजों की व्यवस्था वहां पर होगी जहां हम रहेंगे, आई0 ए0 एस0 अधिकारी रहेंगे, प्रशासक रहेगा, वहां पर सब व्यवस्था है लेकिन निर्बल लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, यह हरिजन विरोधी सरकार है आप ढाई तीन सौ रुपया पाने वाले आदमी से कहते हैं कि 12 हजार और 15 हजार का मकान खरीद लो। सिंगापुर में मकान 25-30 रुपये में शहर के बीच में दे दिया जाता है। मान्यवर, यहीं दिल्ली में निर्बल वर्ग के लोगों के लिये मकान कनाट प्लेस के पास मकान दिये गये हैं और पाश कालोनीज के पास मकान बने हैं, आप नहीं बनायेंगे। आपकी गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर कानपुर रोड पर, फैजाबाद रोड पर और बाराबंकी रोड पर आप उनको भेजते हैं। उनके लिये शहर में कोई योजना नहीं बनायी है। मान्यवर, इसी स्थिति में पूरा प्रदेश है। माननीय मंत्री जी पढ़ रहीं थीं और मैं सुन रहा था, कानपुर में 10 करोड़ खर्च हो गया। मान्यवर, आप भी जानते होंगे कि वहां पर विकास का क्या काम हुआ है, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता है। वहां की सड़कों पर गड्ढे हैं, अगर कमजोर आदमी हो तो उसका हादसा हो जाये। गन्दगी का आलम है, बाहर पत्र पत्रिकाओं में भी आता है कि आज प्रदेश का गंदा शहर है तो वह कानपुर इतनी दुर्दशा हो रही है कि जितने वहां के रहने वाले लोग हैं, जितनी योजनायें उनके लिये बनायी गई हैं, वर्ल्ड बैंक से योजनायें लागू की जा रही हैं, वे सब कहां जा रही हैं।

माननीय मंत्री जी कानपुर का दौरा कर लें, जरा देखकर आयें कि वह पैसा खर्च भी हुआ है या नहीं। हमारे देखने में वह पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ है। इसी तरह से जैसा कि अभी पानी के सवाल को लेकर दूषित जल के बारे में डाक्टर साहब ने कहा, मनोहर लाल जी ने कहा, उन्होंने कानपुर और फैजाबाद की बात उठायी कि कितना दूषित पानी लोगों को पीने के लिये मिल रहा है। मान्यवर, जल संस्थान जहां से हमको पीने के लिये पानी मिल रहा है, इलाहाबाद में मैं स्वयं गया था उसको आप देखें तो पायेंगे कि वह पानी पीने के लायक नहीं है, आदमियों के पीने के लायक नहीं है जो पानी दे रहे हैं वह दूषित जल सप्लाई किया जा रहा है। इतनी दुर्दशा है कि उस पानी से अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। उसमें मल बह रहा है। उसे आप पिला रहे हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमने इतनी व्यवस्था कर दी है।

मान्यवर, यही व्यवस्था रही तो आने वाले दिनों में जल सम्पूर्ति आप ठीक ढंग से नहीं कर पायेंगे। आपकी नीति है कि

जितने भी दफ्तर और कल-कारखाने खुलें वे यहां खुलें या इसके आस-पास खुलें। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की डी-फैक्टो राजधानी रही है इसीलिये वहां पर हाई कोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन, ए0 जी0 आफिस आदि दफ्तर खुलते रहे। लेकिन आज यह सरकार, इलाहाबाद के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उसी के आधार पर ए0 जी0 आफिस, सी0 डी0 ए0 पेंशन का बंटवारा, हाई कोर्ट की एक अलग बेंच और यहां तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी लखनऊ जा रहीं हैं। आज पुलिस हेड-क्वार्टर का सारा काम लखनऊ से होता है। वहां पर केवल ढांचा रह गया है। वहां पर आज कोई उद्योग की इकाई नहीं खुल रही है। मान्यवर, आप यहां पर चारबाग स्टेशन में उतर जायें तो शहर में चलना मुश्किल हो जायेगा। इस सरकार की नीति ऐसी है कि जो शहर थे वे उजड़ते जा रहे हैं, गरीब लोग बीमार हो रहे हैं।

अब मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जैसा कि माननीय राम गोविन्द चौधरी ने कहा 27 हजार लोगों के पास नजूल की जमीन है लेकिन अभी तक उनको पट्टा देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सीलिंग ऐक्ट इन्होंने लागू किया है। लेकिन इसका फायदा किसको मिलता है? बड़े-बड़े पूंजीपतियों को इसका फायदा मिलता है। अपनी बात समाप्त करते हुये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यदि आप व्यवस्था करें तो पहले आप उन लोगों के लिये करें जिनको दो जून खाना नहीं मिल रहा है। आप मकान बनायें तो पहले उन लोगों को दें जिनके पास रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे वह आवास विकास परिषद् हो, एल0 डी0 ए0 हो या कोई और विकास प्राधिकरण हो, आज आप उसकी क्वालिटी देख लें। कोई जरा सा धक्का दे दे तो वह धराशायी हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरि शंकर तिवारी 'बिलग्रामी'—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र की दो नगरपालिकाओं सांडी और बिलग्राम की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पहली समस्या नगरपालिका सांडी की है जिसमें एक मुहल्ला खालसा आता है जो कि गररा नदी के किनारे पर आबाद है और हर वर्ष वह मुहल्ला थोड़ा-बहुत कटता रहता है। इस वर्ष भी कटा है। उस मुहल्ले में निर्बल लोग आबाद हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी उसका सर्वे कराकर कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे उसका कटाव रुक सके और लोग आबाद हो सकें। दूसरा एक मुहल्ला नवाब गंज है वहां पर सब जमीन नजूल की है जिस पर लोग आबाद हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि उस नजूल की जमीन को 2.25 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पट्टे पर दिया जायेगा। इस सांडी नगरपालिका की हैसियत ऐसी नहीं है कि इतने ज्यादा दामों पर जमीन पट्टे पर दे क्योंकि यह किनारे में बसी है और न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई रेल लाइन है न दूसरी कोई सुविधायें हैं और नही कोई मंडी है। अगर 2.25 पैसे के हिसाब से जमीन पट्टे पर दी गयी तो कोई निर्बल वर्ग का आदमी जमीन नहीं ले पायेगा। ज्ञात हुआ है कि 12 वर्ष पीछे से 2.25 पैसे के हिसाब से किराया वसूल किया जायेगा। अगर इस तरह से पैसा लिया गया तो वहां कुछ चंद ही लोग जमीन ले सकेंगे बाकी लोग वहां आबाद नहीं रह सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि 1972 में जो पट्टे हुए थे उनकी 3 श्रेणी बना कर दर तय हुई थी उसी दर से पट्टे दिये जायं और बकाये की भी उसी हिसाब से वसूली की जाय।

तीसरी बड़ी समस्या सांडी की जो है मैं बताना चाहता हूं। हरदोई में कई नगर पालिकायें हैं जैसे हरदोई, संडीला, शाहाबाद, बिलग्राम और सांडी। इन सब में सांडी को छोड़ कर टोलटैक्स वजन के हिसाब से लिया जाता है लेकिन सांडी में कीमत के हिसाब से टोलटैक्स लिया जाता है जिससे वहां के व्यापारी परेशान हैं और वहां का बाजार उजड़ने की स्थिति में है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि वहां के लिए भी उसी हिसाब से टोलटैक्स लिया जाय जिस हिसाब से और नगरपालिकाओं में लिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) कृपया शांत रहें और अपने-अपने स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरशंकर तिवारी 'बिलग्रामी'—

बिलग्राम में जल निगम की ओर से एक पानी की टंकी बनाई गयी है जो बहुत खराब है उसके पाइप भी रिसते हैं और टंकी भी रिसती है। जो पानी के लिए पाइप डाले हैं वे टूटे हुए हैं जिसकी वजह से वहां की नगरपालिका उसका चार्ज नहीं ले रही है। इसकी वजह से वहां पानी का बड़ा संकट है इसलिए इस पानी के संकट को जल्द से जल्द दूर किया जाय। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री लक्ष्मी नारायण—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। आज नगर विकास की माननीया मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उस पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे उन पर रहम आ रहा है। उनके आदेशों को न कोई कर्मचारी और न कोई अधिकारी और न कोई सरकार सुनने वाली है। वह अपने को असहाय महसूस करती हैं। हम मई जून के महीने में मथुरा के 5-6 विधायक जिसमें सत्ता पक्ष के भी थे उनसे मिले और उनको मथुरा के नलों का गंदा पानी दिखाया। उस पर माननीया मंत्री जी ने तुरन्त आदेश दे दिया लेकिन उनके आदेशों का आज तक पालन नहीं किया गया। लेकिन एम0 एल0 एज0 को जरूर संतुष्टि है कि वे तुरन्त आदेश कर देती हैं लेकिन उनके आदेशों का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कभी पालन नहीं होता है, इस बात को हर विधायक जानता है।

अब मैं आपका ध्यान मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की ओर ले जाना चाहता हूं। यह विकास प्राधिकरण 25-3-77 को स्थापित हुआ। करोड़ों रुपये की लागत से एक वृहद् योजना बनायी गयी जिसमें 199 भवन बनाये गये छोटे और बड़े किन्तु पहली बरसात 30 जून 1981 को हुई तो वह सब मकान धराशायी हो गये जिसकी जांच हुई। उन मकानों में एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो इस तरह करोड़ों रुपये विभाग का व्यर्थ होता है जिसका कोई सदुपयोग नहीं।

मान्यवर, इसी तरह से अवैध निर्माण मथुरा-वृंदावन में हो रहे हैं जिनसे विभाग को कोई लाभ नहीं है किन्तु वहां जिन इंजीनियरों की पोस्टिंग की गयी वह सब कम से कम 10-20 लाख रुपये कमा ले गये हैं इससे वहां की जनता ने 6 जून, 1984 को सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया जिसके कारण वहां के सचिव और इंजीनियर का ट्रान्सफर किया गया किन्तु आज तक उन अनियमितताओं की जांच नहीं की गयी और न दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही ही की गयी।

मान्यवर, अब मैं अपने मथुरा जनपद के क्षेत्र छाता की पेयजल समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वहां का पानी खारा है अतः खारे पानी और पेयजल समस्या के बारे में अनेक बार माननीय मुख्य मंत्री जी से और मंत्री जी से कहा किन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1972 में जो विभाग ने सर्वे कराया उसमें छाता क्षेत्र के 104 गांवों में खारा पानी पाया गया और हरसाल रिपोर्ट दी जाती है तथा 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में तय किया गया कि वहां एक भी गांव में नलकूप सफल नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जल निगम के एम0 डी0 वहां गये और सर्वे किया, हमसे स्वीकार किया कि छाता क्षेत्र में नलकूप सफल नहीं हो सकते हैं और केवल ओवर हेड टंकी ही सफल हो सकती है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि सूखा और राहत में पैसा दिया गया नलकूप के लिये पैसा दिया गया किन्तु टंकी के लिये धन नहीं दिया गया। जो नलकूप लगाये जाते हैं उनको गांव के लोग मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसलिये निवेदन है कि जहां नलकूपों का प्रयोग न हो वहां ओवरहेड टंकी बनायी जाये।

मान्यवर, छाता क्षेत्र महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, वह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मालदार म्यूनिसिपैलिटी है, 25-30 लाख रु0 वहां जमा होता है लेकिन 500 मीटर कुल सड़क और नाली का निर्माण किया गया है। मान्यवर, कोसी म्यूनिसिपैलिटी के चारों तरफ पानी भरा है लेकिन एक भी पैसा वहां नहीं खर्च किया जा रहा है। हमारे मंत्री श्री रघुबीर सिंह यादव ने 5 महीने पहले वहां के अधिकारियों को, डी0 एम0 को, आदेश देने के बावजूद एक भी बल्ब मथुरा जिले के टाऊन एरिया या म्यूनिसिपैलिटी में नहीं लगाया गया है। मान्यवर, लोकसभा अध्यक्ष, श्री बलराम जाखड़ एक अनुशासित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री और विधान सभा अध्यक्ष का इस ओर ध्यान आकर्षित किया और आदेश किया है कि यदि मथुरा जिले में कोई भी उत्तर प्रदेश

का मुख्य मंत्री या मंत्री आये तो उसका घेराव करना चाहिए । जब इस तरह के अनुशासित सैनानी आदेश दें तो इस विभाग को एक भी पैसा देना व्यर्थ है । इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(4 बजकर 20 मिनट)

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं सर्वप्रथम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । श्रीमन् उपलब्धियों की तुलनात्मक विवेचना हुआ करती है, इसलिये हमें यह देखना होगा कि जब हम आजाद हुए थे तब हमें क्या सुविधाएं प्राप्त थीं और आज जो सुविधाएं शासन दे रहा है वह क्या दे रहा है और वह किस वर्ग को दे रहा है । अभी आवासीय समस्या के बारे में विरोधी दल के एक मित्र कह रहे थे कि इन योजनाओं से पैसे वाला वर्ग ही लाभान्वित हुआ है । मैं एक नागरिक होने के नाते कह सकता हूं कि अनेक विकास प्राधिकरणों और जो हमारा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् है, उनके द्वारा जो आवासीय सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं, वह कम आय और मध्यम आय श्रेणी के लोगों के लिए ही अधिक की गई हैं । विरोधी दल के सदस्यों का पूरा अधिकार है कि वह यह संख्या प्रश्नोत्तर काल में पूछ सकते हैं ।

अन्य उपलब्धियों के बारे में यह कहना है कि बजट से यह स्पष्ट है कि शासन अनेक समस्याओं को सुलझाने के लिए कटिबद्ध है और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुलझाना चाहता है, चाहे जल निकासी और शुद्ध जल आपूर्ति की व्यवस्था हो या फिर सही सड़कें बनाने की बात हो । आधुनिक ढंग से सड़कों का जो निर्माण माननीय मुख्य मंत्री जी की देखरेख में हो रहा है, क्या वह एक ऐतिहासिक सफलता नहीं है । मेरे विरोधी दल के मित्रों का एक नजरिया है कि वह सत्य को भी असत्य साबित करने में विश्वास करते हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सत्य को स्वीकार करें । मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वह इस प्रदेश में सबसे घना क्षेत्र है, हमारा कानपुर घनी जनसंख्या वाला शहर है । वहां पर गन्दगी आदि की अनेक समस्याएं हैं और उसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि एक तो सीवर का कार्य जो कुछ वर्षों से जल संस्थान को दे दिया गया है, यह कार्य पुनः नगरपालिका को वापस दे दिया जाए, क्योंकि सभी कवालटाउन में जल संस्थान सीवर का कार्य करने में अपने को सक्षम नहीं पा रहा है ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जोनल सिस्टम जो बनाया गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक जोन एवं उप नगर अधिकारी के अधीनस्थ होता है । इस समय व्यवस्था यह है कि सभी जोन अधिकारी एक केन्द्रित स्थान पर बैठते हैं, जो कि असुविधाजनक है । मेरे नगर में इन्दिरा नगर और बर्रा की जो समस्याएं हैं, उनके निराकरण हेतु कोई भी नागरिक केन्द्रीय कार्यालय की दूरी के कारण लेकर नहीं जा सकता है । इसलिए केन्द्रीय व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है तथा जोन अधिकारी अपने जोन में ही बैठें । यहां के हाता

के बारे में मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं कि हाते जो वक्फ और ट्रस्ट के हैं, उनके अधिग्रहण के संबंध में कानूनी अड़चनें दूर करके इनका शीघ्रातिशीघ्र अधिग्रहण किया जाए। सड़कों की मरम्मत के पहले आवश्यक यह है कि नालियों की मरम्मत की जाए, जिससे टूटी-फूटी नालियों का पानी सड़कों को न बर्बाद करने पाए। इसके साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, जो मंत्री नगर विकास की हैं, पहले मैंने नगर विनास सुना था, बाद में मालूम हुआ कि यह नगर विकास की मंत्री हैं, यह बेचारी बहुत मासूम हैं और यह डिपार्टमेंट बहुत गन्दा है और उसकी एक ही वजह है और वह यह है कि इस प्रजातान्त्रिक देश में जब ब्यूरोक्रेसी के कब्जे में कोई डिपार्टमेंट होगा तो उसका यही हस्र होगा जो इसका हो रहा है। मुझे कहना तो बहुत था, लेकिन डाक्टर कौशल जी, जो डाक्टर हैं और हम मरीज हैं, उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है कि हमारी बहुत सी बातें जो हम कहना चाहते थे वह उन्होंने कह डालीं। मान्यवर, इस डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही इलाज है कि इसका फौरन इलेक्शन करा दिया जाय। नगर विकास में जितनी इकाइयां हैं, महापालिकायें हैं, नगर पालिकायें हैं, नोटीफाइड एरिया हैं और टाउन एरिया हैं इनका इलेक्शन करा दिया जाय तो इसके भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है क्योंकि इनके भ्रष्टाचार को रोकने वाला इस वक्त कोई नहीं है। जब प्रजातांत्रिक तरीके से चुन-चुन कर लोग आयेंगे तो उनको यह ख्याल रहेगा कि उनको जनता के सामने जवाबदेही करनी है। यह मर्ज लाइलाज नहीं है, अगर आप मेहनत करें, कोशिश करें तो यकीनन इसका निजाम दुरुस्त हो सकता है।

मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वह 1872 में म्यूनिसिपैलिटी बना, गोंडा जिले का उतरौला, और 1904 में कानून में तब्दीली हुयी और इसको नोटीफाइड एरिया बना दिया गया। 1904 से नोटीफाइड एरिया है, आबादी बढ़ते बढ़ते 35 हजार के ऊपर है लेकिन म्यूनिसिपैलिटी नहीं बन पायी है। नतीजा यह है कि जितने कर्मचारी हैं 5-6-8 महीने तक उनको तन्ख्वाह नहीं मिल पाती है। जब तन्ख्वाह नहीं मिलती है तो अगर वह बेइमानी न करें तो क्या करें। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे काम करने को कहे। जब सुबह भूखे पेट आयेंगे तो दोपहर में काम करने को उनसे कौन कह सकता है। नतीजा यह है कि बाजार के बनियों ने उनको उधार देना बंद कर दिया है। मेरी गुजारिश है कि उतरौला नोटीफाइड एरिया को नगरपालिका बनवा दें आपका बड़ा अहसान होगा वरना हमलोग रोज गुनहगार हो रहे हैं भूखों से काम कराते हैं।

दूसरी बात मैं आपके आवास-विकास के बारे में कहना चाहता हूं। आप जमीन ले लेते हैं लेकिन जिसकी जमीन लेते हैं उसको दाम नहीं देते हैं। अगर आप दाम देते भी हैं तो उन तक नहीं पहुंचता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह आपकी जिम्मेदारी है, आपने गोंडा शहर में छोटे छोटे काश्तकारों की, जो सब्जी की खेती करते थे, उनकी जमीन ले ली और आज 4 आदमी मर गये हैं मगर उनको उनकी जमीन के दाम नहीं मिले। मैं उनके नाम यहां दे चुका हूं नोटिस के जरिये से। वह बेचारे मर गये और अपनी दवा इलाज नहीं कर सके। उनकी यह मौत आवास विकास के चेयरमैन के सर से होती हुयी माननीय मंत्री जी तक जाकर पहुंचती है। मेरी गुजारिश है कि उनको दाम दिलाये जायं। असल में यह सब भ्रष्टाचार का चक्कर है और भ्रष्टाचार के लिये मैं लंबी चौड़ी मिसाल नहीं देना चाहता हूं। लखनऊ में एल0 डी0 ए0 डिपार्टमेंट है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसको देख लीजिये। इसके भ्रष्टाचार की शिकायत इस सदन में होती रहती है और बाहर भी होती रही है। आप देखें कि यहां भ्रष्टाचार होता कैसे है। एक अदद वहां पर इंजीनियर साहब नियुक्त हो गये। जगह नहीं थी पता नहीं किस सियासी दबाव के तहत उनको रख लिया गया और वह 12 महीने काम करते रहे। उसके बाद वह निकाल दिये गये लेकिन वह साल भर फिर मेहनत करते रहे और फिर रख लिये गये। 5 साल में ए0 ई0 से असिसटेंट इक्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिये गये। जगह नहीं है बहरहाल उनको वह ओहदा दे दिया गया। उन्होंने मामूली ज्यादतियां नहीं की हैं। कानपुर रोड पर उनकी नाअहली और उनकी ना-कारकरदगी से 5 हरिजन मजदूर मर गये सिर्फ इस वास्ते कि इंतजाम खराब था और मजदूर मर गये। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप माननीय मंत्री जी से कह दें कि वह भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये अगर कुछ भी करना चाहती हैं तो यह देख लें कि जो गलत नियुक्तियां हुयी हैं उन पर निगाह डालें। जो गलत तरीके से लाखों रुपये का पेमेंट किया जाता है और काम कुछ नहीं होता है उस पर निगाह डालें। पी0 डब्लू0 डी0 में हो गया है 10 परसेंट कमीशन, इरीगेशन में हो गया है 15 परसेंट कमीशन, हाइडिल में हो गया है 18 परसेंट कमीशन और इस डिपार्टमेंट में 36 परसेंट पहले था, अब हो गया है 75 परसेंट, तो यह कहां से दाखिल होगा? अन्त में मैं कौशल जी की पूरी बात को अपने साथ शामिल करके कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्रीमती पुष्पा सिंघल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया है, मैं नगर विकास के बजट का स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। मान्यवर, जब देश आजाद हुआ, तो भारत वर्ष की आबादी 35 करोड़ थी और अब 75 करोड़ के लगभग हो गयी है। ऐसी बढ़ती हुई आबादी के कारण विकास कार्य जितने भी होते हैं, वह कम दिखाई देते हैं, यद्यपि विकास कार्य हो रहे हैं, देश की जन संख्या बढ़ती जा रही है। जिस समय आजादी मिली थी, उससे पहले के भारत की कल्पना करते हैं, तो सभी लोग गरीब थे, जैसा आज विकास के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। विकास के लिए मुख्य-मुख्य नगरों में नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी है और उससे विकास हो रहा है नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं और नई-नई कालोनियां बन रही हैं।

मुरादाबाद नगर में भी विकास प्राधिकरण ने देवनगर कालोनी बना कर 87 मकान सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम में आवंटित किये हैं, फिर भी कुछ अनियमितताएं बिल्डिंग के नक्शे पास होने में होती हैं। किसी निर्माणकर्ता से नगरपालिका का नोआब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाता है और किसी से नहीं मांगा जाता है। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करती हूं कि नगर विकास प्राधिकरण को यह आदेश करें कि नक्शा पास करते वक्त वह यह देखे कि किस लेबिल पर कोई बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि लेबिल को न देखने से पानी के निकास में बहुत परेशानी होती है, जैसा कि मुरादाबाद की कुमारगंज कालोनी में हो रहा है, क्योंकि वहां पर मकान बनते वक्त यह नहीं देखा गया कि मकान किस लेबिल पर बन रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर पानी का निकास नहीं है। नगर विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि मास्टर प्लान के मुताबिक मुरादाबाद नगर को कई भागों में विभाजित कर दिया गया है। कुछ आबादी के लिए हैं, कुछ व्यवसाय के लिए हैं, कुछ स्कूलों वगैरह के लिए हैं। लेकिन नगर विकास प्राधिकरण ने घनी आबादी में नर्सिंग होम बनवाये हैं, जहां तरह-तरह के मरीज आते हैं और रहते हैं और जिसमें सर्जरी वगैरह भी होती है और जिसमें एनेसथीसिया दी जाती है। आसपास के मकानों में दवाओं आदि की बदबू आती है जिससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है। माननीय मंत्री जी इन चीजों को रोकने का प्रयास करें और माननीय मंत्री जी इसे स्वयं देखें, जिससे विकास के कार्य तेजी से बढ़े। मुरादाबाद नगर एक ऐसा नगर है जो विश्व विख्यात है, वहां पीतल के फैन्सी आइटम, स्टील के बर्तन और चांदी के पालिश के बर्तन विदेशों को जाते हैं और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा सरकार को देते हैं। लेकिन वहां कोई भी टूरिस्ट काम्पलेक्स ऐसा नहीं है, जहां पर कोई भी देश या विदेश का यात्री आकर सुविधा पूर्वक रह सके, जब कि मुरादाबाद नगर में अनेक व्यापारी विदेश से आते रहते हैं।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मुरादाबाद नगर की दशा सुधारने के लिए विशेष ध्यान दें। मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगी कि मुरादाबाद के मुख्य मार्ग बुध के बाजार में जो नाला बना था, उस पर जनता ने इन्क्रोचमेंट कर लिया है, जिसकी वजह से पानी का निकास एकदम रुक गया है और जरा सी बरसात में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। इसके लिए मंत्री जी या तो उस इन्क्रोचमेंट को हटवायें या वहां पर नाले की दूसरी व्यवस्था करें। नगर में कहीं कहीं स्कूलों और मस्जिद के पास कूड़े घर बना दिये गये हैं। मंडी चौक मुरादाबाद में अग्रवाल इण्टर कालेज है, उसी के पास मस्जिद भी है, जिस कालेज में करीब 1 हजार बच्चे पढ़ते हैं, तो कालेज की दीवार से लगाकर मैला पड़ता है और इतनी मात्रा में पड़ता है कि वह एक कूड़ा घर बन गया है, जबकि उसकी कोई चहारदीवारी वगैरह भी नहीं बनी है और वह मैला सड़कों पर फैल जाता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि उस कूड़े घर को वहां से हटवाने के लिए आदेश पारित करें, क्योंकि वह बच्चों के लिए बहुत ही दुखदाई और हानिकारक है। पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया है। मुख्य मार्ग पर बुद्ध बाजार के पास एक नाला है। उस

नाले पर लोगों ने इन्क्रोचमेंट कर लिया है और इस तरह से इंक्रोचमेन्ट कर लिया है कि नाला पट गया है। पानी की निकासी रुक गई है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि या तो उस अवैध कब्जे को हटवायें या दूसरा नाला बनवायें। मान्यवर, मुरादाबाद नगर में 2-3 साल पहले सीवर लाइन डाली गई। लेकिन उस सीवर लाइन का स्लोप इतना खराब है कि वह कोई काम नहीं कर रही है। माननीय मंत्री जी या तो उस सीवर लाइन को ठीक करवायें या दूसरी सीवर लाइन बनवायें। ताकि नगर में सफाई हो सके। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मकान आदि बनवाने हेतु जो जमीन एक्वायर कर रहा है, उसमें इस बात का ध्यान रखे कि आबादी, बाग, तालाब जिसमें सिंघाड़े लगे हों, या मंदिर और मस्जिद की जमीन हो, उसको एक्वायर न करें। मेरे सुनने में आया है और देखने में आया है कि सोनकपुर और मझोला गांव की जमीन को एक्वायर करने हेतु जिलाधिकारी ने नोटिस दिया है। सोनकपुर गांव की जमीन में बाग लगे हैं और मन्दिर है, और मझोला गांव में आबादी है मकान बने हैं और तालाब है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकार की जमीन को विकास प्राधिकरण के लिये न लें ये नियम के विरुद्ध है जिससे विकास कार्य पिछड़ जाते हैं। जमीन के मालिक कानूनी कार्यवाही करके स्टे ले आते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री शारदा प्रताप—

आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने की जो अनुमति दी, उसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर अभी सत्ता पक्ष की ओर से डाक्टर कौशल बोल रहे थे, मानो वह कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे। परन्तु कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का जो डंडा है, वह बेचारे कहते हुए भी उस बात का समर्थन नहीं कर पाये। मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र लखनऊ शहर के चारों तरफ है। लखनऊ शहर में 10 सड़कें निकलती हैं, जिनमें से 7 सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित हैं। विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अर्जन किया गया लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भारतवर्ष में कीर्तिमान स्थापित किया। मान्यवर 1984-85 में 4 हजार 530 एकड़ जमीन विकास प्राधिकरण ने अर्जित किया। तीन हजार एकड़ पर विकास प्राधिकरण ने कब्जा ले लिया। लेकिन वहां के काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया, पुनर्वास नहीं दिया।

मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। आज से 10 वर्ष पूर्व देवपुर और जलालपुर गांव में जमीन लिया था, कब्जा ले लिया और जो लाखों-लाखों रुपये का मुआवजा निकला, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट स्तर के मंत्री ने 16 लाख रुपया लिया। और जब उस घपले की जांच शुरू हुई तो उसको सी0 आई0 डी0 को दे दिया। राजनीतिक दबाव के कारण बड़े लोगों ने पैसा ले लिया और जो छोटे काश्तकार थे जिनकी रोजी रोटी की समस्या है, जिनके बच्चों को जीने के लाले हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। सी0 आई0 डी0 के कारण 10 वर्ष से यह मामला लम्बित है और पता नहीं कब तक लम्बित पड़ा रहे। मैं चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 की जांच समाप्त कर दी जाय और उन गरीब काश्त-

कारों का मुआवजा दिलाया जाय। मान्यवर मेरे क्षेत्र में भदरूख, उतरटिया, सालेनगर, किला मोहद्दीनगर, औरंगाबाद खालसा औरंगाबाद जागीर की जमीन ली गई और कब्जा ले लिया गया लेकिन पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर मैं सफाई के नाम पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं जहां देहात में रहता हूं वहीं शहर में भी रहता हूं। मान्यवर चारबाग बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर व्यक्ति बस या ट्रेन से चारबाग होकर गुजरता है। मान्यवर जहां ट्रान्सपोर्ट की दुकानें हैं उसी के बगल में मुस्लिम मुसाफिरखाना है। वहां पर सेवा योजन कार्यालय है और वहां पर तमाम होटल व रेस्ट्रां हैं, जहां पर तमाम लोग बाहर के आते हैं और अगर आप वहां की सड़क को देखें तो आप निकल नहीं सकते हैं। सफाई के नाम पर लखनऊ नगर महापालिका ने एक सफाई मशीन खरीदी जिसका पेमेंट होना था। नगर महापालिका लेखाधिकारी ने उस पर कुछ आब्जेक्शन लगा दिया जिससे पेमेंट नहीं हो सका। तब एल0 डी0 ए0 से नगर महापालिका के प्रशासक ने उस मशीन का पेमेंट करवाया। यह पोजीशन हमारे सफाई विभाग की है। कैन्ट लखनऊ की माननीय सदस्या तिवारी जी यहां पर विराजमान हैं। इनके क्षेत्र लखनऊ, कानपुर रोड पर स्थित सुभाष नगर (भोलाखेड़ा) मोहल्ले से संबंधित लखनऊ, एडीमिनिस्ट्रेटर को 22-6-85 और 13-8-85 को मैंने पत्र दिया था जिस पर लगभग 15 लाख रु0 का एक स्टीमेट सड़कों को ठीक कराने के संबंध में इन्होंने दिया है।

इसी प्रकार गुरुनानक नगर जो माननीय सदस्या का क्षेत्र है, पिछले साल माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये थे, वह क्षेत्र भी इतना गंदा है कि जहां से आप निकल नहीं सकते हैं, जहां के तमाम रास्ते गंदगी से भरे हुए हैं और नालियां गंदे पानी से बजबजा रही हैं। मान्यवर यही नहीं यह कॉटेल कालोनी बनवाना चाहते थे राधा ग्राम नाम की, वह भी नहीं बनवा सके। कुर्सी रोड पर कामधेनु नगर आप बसाना चाहते थे जिसमें 5 लाख रुपये खर्च भी हुए, वह भी नहीं बना सके। शहर से जिन घोसियों को हटाने की बात थी उनको आज तक जमीन नहीं दी जा सकी। अलीगंज व अन्य स्कीमों में जो आपने प्लाटों की कीमत निकाली उनकी कीमत आज दोगुनी और तिगुनी हो गयी है, जिससे काफी भ्रष्टाचार बढ़ा है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक टाउन एरिया है, काकोरी, उसकी भी बुरी दशा है, वहां की सड़कें सही नहीं हैं न वहां पर बिजली और पानी की व्यवस्था सही है। अगर मान्यवर, इन संस्थाओं के समय से चुनाव हो जाते तो उनके अपने प्रतिनिधि आते जो इनकी देख-रेख करते, लेकिन आपने उनके चुनाव नहीं कराये और आशा ऐसी है कि न ही आप आगे करावायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कटौती के प्रस्ताव का एक बार फिर समर्थन करता हूं।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं नगर विकास के बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में तहेदिल से समर्थन करता हूं। सबसे पहले इस बजट पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री राम गोविन्द चौधरी ने जहां और बातें कहीं वहीं पर यह भी कहा कि सरकार इनके इलेक्शन नहीं करवा रही है यदि इलेक्शन करवा देती तो जो आज परेशानियां व्याप्त हैं, वह न होतीं। लेकिन इस सिलसिले में मैं उनसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब यह नगरपालिकाएं थीं, और पब्लिक के लोग वहां पर थे तो उसको सबसे पहले तोड़ा किसने, और दूसरी बात जो है वह यह कि कुछ सिद्धान्तों पर ही मामले तय करने होंगे, मान्यवर सिद्धान्तों की कुछ बातें तय करनी होंगी। मैं इस सिलसिले में पहले नहीं बोलता क्योंकि अभी और भी बहुत से नये साथी बोलने के लिये तैयार हैं, वह बोलते। लेकिन कुछ बातें ऐसी कही गयीं, जिनकी तरफ मैंने तवज्जह देना आवश्यक समझा। फिर मेरा नाम ले लिया गया तो बोलना जरूरी था। मैं पिछले 8 महीनों से आवास विकास परिषद से जन-प्रतिनिधि होने के नाते जुड़ा हूं। आठ महीने के अन्दर मैंने देखा कि न तो कोई मस्जिद का सवाल आया और न कोई मंदिर का सवाल आया कि जबर्दस्ती कब्जा किया गया है। न मुआवजे का ही सवाल आया। मुआवजा देने का काम आवास विकास परिषद का है ही नहीं, उसको तो 80 % मुआवजे की राशि उसी दिन दे देनी होती है, राजस्व विभाग को जिस दिन मुआवजा देने की बात होती है। मुआवजा तो राजस्व विभाग देता है। मुझे सिद्धांत रूप में एक बात कहनी है कि जितने मकानों की आवश्यकता है, क्या नगर विकास या प्राधिकरण उतने मकानों को बना सकता है। मेरा ख्याल है कि नहीं बना सकता है। कुल आवश्यक एक लाख मकानों के लिये 11 करोड़ रुपया चाहिये। क्या इतना पैसा मिल सकता है।

मैं सिधान्ततः कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट में कोई व्यवस्था हो जाय या यह कह दिया जाय कि इसमें हमें जनता को जोड़ना होगा, आवाम का इन्वाल्वमेंट नहीं होगा तो यह काम नहीं होगा। तमाम लोग मकान बनाते हैं। देहातों में बनाते हैं, इसी तरह से शहरों में भी बनाते हैं, लेकिन मकान के सिलसिले में यह बात तय हो जाय सिद्धान्ततः यह बात यहां से तय नहीं होगी, फाइनेंशियल कमीशन से तय होगी कि यह व्यवस्था कर दी जाय कि जो व्यक्ति एक लाख रुपया मकान बनाने में लगाएगा, तो उसे इन्कम टैक्स में नहीं जोड़ा जायगा तो ब्लैक मनी का पैसा व्हाइट में बदल जायगा। जब तक यह सिलसिला नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। मिस्र और ईराक में यही था। जब उनके पास पैसा बहुत ज्यादा चला गया और कोई रास्ता नहीं रहा तो यह प्लान बना कि एक प्लान पर पैसा खर्च कर देंगे तो वह पैसा प्रोडक्टिव हो जायगा। ऐसी ही कोई व्यवस्था यहां पर लागू करनी होगी। इसके लिये हम सब लोगों को सोचना होगा। आपके पास इतना पैसा नहीं है, अधिक मुलाजिम नहीं रख सकते और भी तमाम दिक्कतें हैं तो काम को इतना ज्यादा फैलाने से क्या फायदा। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप अपनी गिरफ्त मजबूत कीजिये।

मेरा सुझाव है कि सन् 1956 में लगभग 500-600 गांव शहरों से जोड़ दिये गये थे। बनारस में जोड़े गये थे। फर्रुखाबाद में जोड़े गये थे। फतेहपुर के 39

गांव जोड़े गये थे। तो हुआ यह कि वे गांव न तो गांव में ही रहे और न शहर की व्यवस्था से ही जुड़ पाए। शहर में जुड़ जाने के कारण गांव की डी0 आर0 डी0 ए0 योजना या 20 सूत्री कार्यक्रम संबंधी योजना या और अन्य किसी गांव की योजना से वंचित हो गये। और शहर से ठीक से जुड़ नहीं पाए। यहां होता यह है कि पैसा नहीं है तो विकास कैसे पूरा किया जाय। तो उन गांवों को सन् 1962 के उस जी0 ओ0 से बाहर कर दीजिये तो यहां शहर में भी आपको सुविधा होगी और उनका भी गांव में विकास होगा।

मैंने आपसे अर्ज किया कि किस तरह से इन सिद्धान्तों पर चल सकते हैं। नगर-पालिका के चुनाव नहीं हुए हैं। शहरों में लोग हमसे कहते हैं कि बल्ब लगवाओ हम यहां कानून बनाने के लिये आये हैं। सड़कों की व्यवस्था की बात करने आते हैं। शहरों की और भी बड़ी-बड़ी प्राब्लम्स हैं। इन्क्रोचमेंट की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है। इन्क्रोचमेंट हटाया जायगा तो मैं समझता हूं कि सब लोग कहेंगे कि यह आदमी यहां पर 10 साल से बसा है। इसे हटाया न जाय। तो ऐसे के लिये जब इन्क्रोचमेंट हटाना है, तो उसके लिये दूसरी जगह प्लान बनाया जाय। शहर से बाहर ही बनायें। अगर शहर में जगह उप-लब्ध न हो। और इन्क्रोचमेंट को सख्त हाथों के जरिये से हटा दिया जाय। अगर ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था 56 जिलों में नहीं बनायी तो स्थिति यह है कि पानी का स्तर ऊपर आ रहा है, पानी का मुहैय्या होना एक बात है, पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से शहर तबाह हो रहे हैं। जहां से भी सरकार उपलब्ध करे, इस निमित्त ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाय। तीसरी चीज ओवरलैपिंग की बात है दो संस्थाएं हैं जल संस्थान और जल निगम। जल निगम बनाने के बाद जल संस्थान को देता है। इसके पीछे क्या लाजिक है। वह उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का फंड नहीं है। मेंटेनेंस के लिये जहां जल संस्थान कार्य ठीक नहीं कर रहा है, वहां जल निगम को देकर उसका मेंटेनेंस करायें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बनाने वाली एजेन्सी एक और मेंटेनेंस वाली एजेंसी दूसरी होने के कारण जनता जनार्दन को काफी परेशानी होती है। इस सिलसिले को टोटल बंद किया जाय दोनों को एक ही कर दिया जाय। एक ही एजेंसी के माध्यम से बनाया जाय और उसी एजेंसी के माध्यम से मेंटेनेंस भी हो।

मान्यवर, आवास-विकास के मकान जो ट्रांसफर करते हैं, उनके ट्रांसफर में बड़ा टाइम लगता है। उसके प्रोसीजर में बड़ा टाइम लगता है। हम मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, हमारी एजेंसी सिर्फ बनाती है हडको से लोन आदि लेकर। आवाम को सहूलियत देनी है, तो फाइनेंस की कोई ऐसी चीज करनी है जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मकान सुलभ हो सकें। चाहे इनकमटैक्स में छूट दी जाय, ताकि लोग खुद मकान बनाने लगें और जो मकान की कमी है उसको पूरा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव की मुखा-लिफत करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो बातें यहां पर रखी हैं, उनका भर-पूर समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने

का मौका दिया, मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत नगर विकास विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

(इस समय 4 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, अभी माननीय डाक्टर कौशल बोल रहे थे। मान्यवर, जो उन्होंने आगरा में गन्दगी के साम्राज्य और अन्य बातें रखीं, मान्यवर, वह स्थिति आगरा की ही नहीं पूरे प्रदेश की है। मान्यवर, जब वे बोल रहे थे उस समय विपक्ष के लोग और सत्ता पक्ष के लोग मेजें बजा रहे थे। नगरपालिकाएं और नगरीय विकास की बातें कही गयी लेकिन मेरा यह आरोप है कि माननीया नगर विकास मन्त्री जी को या उनके विभाग को भी यह जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितनी नगर-पालिकाएं हैं। उनके विभाग के द्वारा जो नगर विकास विभाग का कार्य विवरण 1984-85 पत्रिका बटी है, मान्यवर, इसमें मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश की नगर-पालिकाओं का जो विवरण दिया है, उसमें फर्रुखाबाद नगरपालिका, जो क्लास वन की नगरपालिका है, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। मैं उनके विभाग पर यह आरोप लगाता हूं उनके विभाग को यह जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितनी नगरपालिकाएं हैं।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इस पुस्तक में नगरपालिका छिबरामऊ और कायमगंज का भी उल्लेख नहीं है। माननीया मन्त्री जी बातों में मशगूल हैं, जरा मेरी बातों की तरफ भी ध्यान दें। विभाग को निर्देश दें कि जो माननीय सदस्यों को साहित्य सामग्री उपलब्ध करते हैं उसकी जानकारी पहले कर लें। एक जिले की 3 नगरपालिकाओं का इस पुस्तिका में उल्लेख न करना एक षडयंत्र है और एक साजिश है। फर्रुखाबाद के साथ यह दोहरी नीति बरती जा रही है। आज सड़कों पर रोशनी नहीं है, नालियां टूटी पड़ी हुई हैं और चारों तरफ अन्धेरा है और गन्दगी है। इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि आज जो हमारे प्रशासक बैठा दिये गये हैं, उनको लोग आज विनाशक कहने लगे हैं। जब तक नगरपालिकाओं का चुनाव नहीं हो जाता और इसकी व्यवस्था जन-प्रतिनिधियों के हाथों में नहीं दी जाती तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए आप अडिग होकर दिसम्बर से पहले इनका चुनाव करा दें।

मान्यवर, पानी की व्यवस्था के बारे में यहां पर कहा गया। मेरा एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन लगा हुआ था, जिसमें माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 18 टैंकर द्वारा पानी सप्लाई किया गया और 268 हाथ के नल लगा दिये गये। इतनी नगरपालिकाओं में 18 टैंकरों ने क्या किया ?

मान्यवर, मैं आपका ध्यान 1975 में जब जल सम्भरण सीवर अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें जो व्यवस्था की गई थी वह यह थी कि क्षेत्रीय संस्थानों का गठन किया जायेगा और क्षेत्रीय संस्थानों का गठन भी किया गया। लेकिन उस समय जल निगम का भी गठन किया गया। प्रदेश में नगर

विकास के लिए जैसे जल सम्भरण, जल उत्श्रावन आदि योजना का क्रियान्वयन जल निगम करेगा। लेकिन वह काम नहीं हो पाया है। यह क्यों हुआ, इस कारण हम लोग जान नहीं पाये। उसमें कब संशोधन कर दिया गया। व्यवस्था यह की गई थी कि जल संस्थान के महा-प्रबन्धक की नियुक्ति का अधिकार प्रबन्ध निदेशक जल निगम को हुआ करता था और वह टेक्नीकल आदमी होता था। लेकिन संशोधन के बाद एक विशिष्ट व्यक्ति जो टेक्नीकल होता था, वहां से हटाकर उसकी जगह पर एक ब्यूरोक्रेट आई0 ए0 एस0 को बैठा दिया गया। जिससे एक विसंगति पैदा हो गई। आज आई0 ए0 एस0 निर्देश देता है, जिससे जल निगम और जल संस्थान में कोआर-डिनेशन की कमी हो गई है। क्षेत्रीय संस्थानों में तो पहले से ही कमिश्नर रैंक का अधिकारी बैठा हुआ था, लेकिन अब जल संस्थान को भी ब्यूरोक्रेट के हाथ में दे दिया है। परिणामस्वरूप इसका दुहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक ओर तो जहां हमें टेक्नीकल एडवाइस मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पा रही है और दूसरी ओर जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों में कोआरडिनेशन नहीं बन पा रहा है। इनमें कोआरडिनेशन बनने के बजाय हीन भावना पैदा हो गई है। जल संस्थान इसलिए काम नहीं करता है कि वहां के कर्मचारियों का कहना है कि हमें सुवि-धायें कम मिलती हैं और हमें कम वेतन मिलता है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, फर्रुखाबाद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विभाग में भ्रष्टाचार पनप रहा है। मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो जो मास्टर प्लान लागू हुआ है, उसके बारे में फर्रुखाबाद के लोग कहने लगे हैं कि यह केवल कमाने का एक धन्धा है और कुछ नहीं है। मान्यवर, वहां एक स्वराज कुटीर है यह एक क्रान्तिकारी स्थल है। जहां क्रान्तिकारियों ने शरण पायी थी। 1930 में जब महात्मागांधी जी वहां पर आये थे तो श्री लालमनि गुप्त जी उनके सम्पर्क में आये थे और 1932 में उन्होंने वहां पर स्वराज कुटीर की स्थापना की थी।

1934 में इसका शिलान्यास किया और जो नया नक्शा बना है उसमें से स्वराज कुटीर गायब हो रही है क्योंकि रिश्वत नहीं दी जा सकी अधिकारियों को और. . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात अब समाप्त करें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आवास विकास की योजना 1975 से लागू है लेकिन 75 से आज तक एक भी मकान पूरे फर्रुखाबाद में नहीं बन सका। 25 वर्षों से भी अधिक समय से एक भी नाले की सफाई नहीं की गई, कमरे से ज्यादा ऊपर तक पानी भरा होता है, ऐसी सम्भावना पैदा हो गई है कि कहीं वह पूरा डूब न जाये।

(व्यवधान)

अन्त में कटौती के प्रस्ताव का जो रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ—

आज इस नगर विकास के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया है उसके प्रति मैं अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पर कहां से शुरू करूं और कहां खतम करूं।

(व्यवधान)

हां, क्योंकि बात वहीं से शुरू होती है जहां से खतम होती है . . .

(व्यवधान)

माननीय नगर विकास मन्त्री ने नगर के विकास का एक खाका रखा है आज सदन के पटल पर इस बजट के माध्यम से . . .

(व्यवधान)

खाका अच्छा है या बुरा यह तो रंग भरने के बाद पता चलेगा। एक बात कहना चाहता हूं कि राजधानी के विकास के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रगति के कार्य कर रहा है। इस कार्य की समीक्षा को किन सन्दर्भों में लें। एक तरफ तो निराश्रितों को आवास की सुविधायें प्रदान कर रहे हैं वहीं राजधानी के विकास में नये व्यावसायिक भवनों का निर्माण शुरू कराया है। लेकिन एक बात, बड़ी समस्या के रूप में आ गई है, कैलाश कुंज हो, कपूरथला काम्प्लेक्स हो, नीबू बाग हो, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनकर खड़ी हो गई हैं। तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण को सहयोग देने के उद्देश्य से लखनऊ में आये और विकास प्राधिकरण ने उनसे वायदा किया था कि इन भवनों में केवल व्यावसायिक उद्देश्य से कार्यालय ही चलवायेंगे, तो दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे ऐसे आवास जो आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी० एस० अधिकारियों ने सरकार से कर्ज लेकर प्राधिकरण से आवसीय भूमि प्राप्त कर आवासीय भवन बनवाये हैं आवास के रूप में प्रयोग होने के बजाय व्यावसायिक रूप में प्रयोग हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उन तमाम आवासीय भवनों को तत्काल खाली कराकर व्यावसायिक भवनों में परिवर्तित करने का कष्ट करें तथा अवैध रूप से व्यावसायिक रूप में प्रयोग करने के विरुद्ध कार्यवाही करें। विरोध पक्ष के लोग कहते हैं हम निराश्रितों को आवास नहीं दे रहे हैं, मैं अभी गाजियाबाद गया था, मैंने देखा कि ऐसे प्रशासक जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में हैं यदि किसी भी विकास प्राधिकरण में हो तो विकास की गति रुक नहीं सकती।

अन्तर्राष्ट्रीय निराश्रय वर्ष 1987 तक निराश्रय को आश्रय देने का जो सरकार का विचार है, को अवश्य देने का विचार है। उसके अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र देव प्रशासक गा० वि० प्रा० ने अनेकों योजनायें प्रारम्भ की हैं। आज दिल्ली तक के लोग भूमि भवन प्राप्त करने के उद्देश्य से गाजियाबाद की ओर उन्मुख हो रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी 11 जुलाई को एक प्रस्तावित योजना की आधारशिला रखी है जो बेघर के घर का प्रोजेक्ट है जो एक रुपया रोज बचा सकते हैं उनको आवास उपलब्ध हो सकेंगे। 1359 भवनों का प्रस्ताव रखा है। एक और योजना है जो तीन रुपये प्रतिदिन बचा सकते हैं वह भी अपना आवास बना सकते हैं जिसमें 1272 मकानों की योजना रखी है। लखनऊ विकास प्राधि-

करण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, या कोई भी प्राधिकरण हो, अगर नगर महापालिका नगरपालिका के साथ को-आर्डीनेशन नहीं है तो विकास को गति प्राप्त नहीं हो सकती। जहां तक को-आर्डिनेशन की बात है, तो चुनाव कराना बहुत ही नितान्त आवश्यक है जो कि बहुत समय से टाले जा रहे हैं।

एक बात और हमारे सामने आज आयी। लखनऊ बागों का पार्कों का शहर रहा है। इसका श्रेय में लखनऊ नगर-महापालिका के तीन प्रशासकों—श्री ए0 पी0 सिंह, श्री शम्भू नाथ और श्री बाबू राम को देता हूं। इन तीनों प्रशासकों ने लखनऊ को पुराना वैभव प्रदान करने के उद्देश्य से बागों और पार्कों का विस्तार किया है। राजाजीपुरम् अलीगंज हाउसिंग स्कीम, गोमती नगर की योजनाओं में निर्बल वर्ग को आवास प्रदान करने की जो योजनायें लागू की हैं, सराहनीय हैं। जहां एक तरफ आवास को प्राथमिकता देते जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सफाई की तरफ ध्यान कम है। लखनऊ में गन्दगी ज्यादा है। मैं आशा करूंगा कि माननीया मन्त्री जी इंगित करेंगी उन अधिकारियों को जो इस सफाई को नहीं देखते हैं। एक बात कहना चाहता हूं जल निगम के बारे में। जल निगम ने पेयजल की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से बहुत से काम किये हैं परन्तु इन कार्यों की वास्तविक समालोचना नहीं हो पाती, कारण यह है कि कोई विजिलेन्स अथारिटी नहीं है जो वास्तविकता को जाने। मेरा आग्रह है कि विजिलेन्स दल की स्थापना की जाय, जो उनके कार्य के बारे में वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें शासन के माध्यम से। टैक्नीकल आडिट की भी व्यवस्था की जाय। इसके न होने से तकनीकी रूप में क्या संयंत्र प्रयोग किये गये हैं? उनका क्रय मूल्य क्या है? उनकी आवश्यकता क्या है? जरूरत है या नहीं है? इन सारी बातों की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हुए माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री शत्तरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं इस बहस को कुछ बुनियादी बातों के साथ जोड़ना चाहता हूं। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि शहरों को बसाया जाय, यह तो जरूरी है ही, लेकिन नया स्वरूप प्रदान करना भी आवश्यक हो गया है।

यह विचारणीय रहा है कि गांव में विकास की योजनाओं के अभाव में गांव की आबादी शहरों की ओर भाग रही है। शहरों में गांव की आबादी की खपत करने की ताकत नहीं रह गयी है। वहां की सीवर व्यवस्था, यातायात की समस्या शिक्षा संस्थाओं की क्षमता को देखते हुए जिस तरह से आबादी का स्थानान्तरण शहरों की ओर हो रहा है, इस हिसाब से शहरों में रहने के लिये सारी सुविधाओं का परिचालन नहीं हो पा रहा है। इस सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि इस समय जरूरत यह है कि पूरे के पूरे प्रदेश के अन्दर, जितने भी महानगर हैं, शहर हैं, वहां की अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीवर व्यवस्था को दुबारा फिर से नहीं देखा जायगा तो हालत बद से बदतर होती जायगी। हालत यह है कि एक घण्टे किसी शहर में पानी बरस जाय तो 8 घण्टे तक वहां सार्वजनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। उस पानी को निकालने का काम नगर महापालिका, विकास प्राधिकरण के पास नहीं रह गया है, केवल पम्प से पानी निकालना सम्भव नहीं रह गया है।

मैं सच्चे तौर से कहना चाहता हूं कि अगर तत्काल सीवर की सफाई नहीं की गयी और नयी व्यवस्था नहीं शुरू की गयी तो आने वाले 5 वर्षों में शहरों में नरक की हालत हो जायगी। दुनिया की जितनी भी सभ्यतायें हैं चाहे वह मोहन-जो-दड़ो की सभ्यता हो या सिन्धु घाटी की सभ्यता हो, वह सीवर व्यवस्था को प्राथमिकता देकर उसका ठीक से संचालन करने के बाद ही पनपी हैं। आज हालत यह हो गयी है कि जितने शहर हैं चाहे वो आगरा हो, चाहे लखनऊ हो चाहे बनारस हो, चाहे कानपुर हो या चाहे इलाहाबाद हो, सब जगह 20 या 25 साल के अन्दर सीवर प्रणाली में फिर से कार्य नहीं किये गये हैं जिसके कारण हालत ऐसी बिगड़ती चली जा रही है शहरों की।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप शहरों की आबादी को अब सघन बनाने का काम न कीजिये। चाहे आवास, विकास परिषद् हो या फिर चाहे विकास प्राधिकरण हो, इनके क्षेत्राधिकार की सीमा शहर में 8 किलोमीटर के अन्दर तक मानी गयी है। लेकिन विडम्बना यह है कि आज आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण दोनों ही अभी तक अपने-अपने क्षेत्र का चुनाव नहीं कर पाये हैं। जहां विकास प्राधिकरण का काम चल रहा होता है वहीं पर आवास विकास परिषद् पहुंच जाता है और जहां पर आवास विकास परिषद् काम कर रहा होता है वहीं पर विकास प्राधिकरण अपनी योजना लेकर पहुंच जाता है। कई जगहों पर ऐसी हालत हो गयी है जिसके कारण न विकास प्राधिकरण ही काम कर पा रहा है और न आवास विकास परिषद् ही काम कर पा रहा है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शहरों में आवासीय योजना को अब बढ़ावा न दिया जाय। यह जो रिहायशी आबादी बढ़ती चली जा रही है, यह आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या बन जायेगी जिसका सुधार आप किसी भी हालत में नहीं कर पायेंगे। आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण को नगर की सीमा के बाहर अपना कार्य करना चाहिये, नहीं तो आप देखेंगे कि भविष्य में शहरों की ऐसी हालत हो जायेगी कि जिससे निजात नहीं हो सकती है।

महायोजना बनायी गयी शहरों के लिये लेकिन आप देखें कि आर0 बी0 ओ0 ऐक्ट के मुताबिक 10(1) को लाकर संशोधन किया गया था। 1973 में नयी योजना विकास अधिनियम का गठन हो गया जिसमें धारा 8 से धारा 12 तक नयी योजना दी गयी है। इसमें 1960 से 1990 तक 30 सालों के लिये जो मात्र योजना बनायी गयी है वह न तो आर0 बी0 ओ0 ऐक्ट के मुताबिक है और न नगर विकास योजना के तहत बनायी गयी है। लगता है कि आपके किसी बड़े अधिकारी ने इस योजना के प्रारूप को राज्यपाल से स्वीकार करा लिया है शासन को अन्धेरे

में रख कर। जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उसमें छोटे-छोटे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् के चलते उन छोटे-छोटे किसानों के सामने बेरोजगारी का और गरीबी का संकट उत्पन्न हो गया है। उनकी जमीन को जहां कि फसल उगायी जाती है, उनके खेतों को यह संस्थायें मकान बनाने के लिये ले लेती हैं और वे बेचारे उनका ठीक से मुआविजा भी नहीं पाने के अधिकारी रह जाते हैं। मेरा कहना है कि अगर विकास प्राधिकरण को और आवास विकास परिषद् को जमीन चाहिये तो वे ऊसर जमीन का और बंजर जमीन का चयन करके उन्हें लें और उन पर अपनी योजनाओं को साकार रूप दें। नहीं तो आने वाले दिनों में किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जायेगा।

शहरी सीलिंग अधिनियम, 1976 में सरकार ने पारित किया था जिसका उद्देश्य यह नहीं था चाहे जो शहर हो चाहे इलाहाबाद हो, बनारस हो, या कानपुर हो या लखनऊ हो या आगरा हो कि जितने भी बड़े भूमिपति हैं किसी की भी जमीन शहरी सीमा के अन्दर नहीं रह गयी है। धारा 20 और धारा 21 के अन्तर्गत जिन शर्तों की छूट दी गयी है उसका पालन नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी चाहे आप इसको सी0 बी0 आई0 से दिखवा लीजिये कि बनारस में जितने भूमिपति हैं, शहरी सीलिंग अधिनियम के चलते उसमें बड़े-बड़े पुलिस अफसर और बड़े-बड़े आई0 ए0 एस0 अफसर आपको मिलेंगे कि जिन्होंने जमीन ले ली है। इन लोगों ने छोटे-छोटे किसानों की जमीन ले ली है। यह महायोजना 1961 से 91 तक की है जिसमें केवल अब 6 या 7 वर्ष ही शेष रह गये हैं। मैं चाहता हूं कि इस महायोजना को बन्द करके एक नयी महायोजना तैयार की जाय और इस पुरानी महायोजना को पूरा का पूरा स्थगित किया जाय।

किसानों को जो नोटिस दी जा रही है उसको आप तुरन्त वापस लेने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी की कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सोन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसके साथ ही माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका स्वागत करता हूं और विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, आगरा की समस्या के बारे में, जिले की समस्या के बारे में कल भी मैंने विधान मण्डल दल की बैठक में कहा था। आज हमारे विधायक जो आगरा के हैं उन्होंने काफी जोर शोर के साथ वहां पर की समस्याओं को रखा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं चाहे बिजली की समस्या हो चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे जो भी समस्याएं हैं वह बड़ी गम्भीर हैं, यह मैं महसूस करता हूं।

मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो सफाई की व्यवस्था होती है दूसरी तरफ सरकार ने कानून बनाया था उसको पूरी तरह से क्यों

नहीं लागू किया जाता। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सफाई कर्मचारियों की डियूटी 7 से 12 तक होती है और शाम को 3 से 5 होती है तो सफाई कर्मचारी यह डियूटी नहीं देते हैं। होता यह है कि सफाई 7 बजे से शुरू होती है और 9 बजे खत्म हो जाती है। अतः मेरा सुझाव है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। जिससे समस्या का समाधान हो सके। इसके साथ ही कुछ सुझाव हैं जो मैं रखना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र आगरा पश्चिमी क्षेत्र है उसमें सीवर की व्यवस्था नहीं है, वहां सीवर की व्यवस्था की जाय दूसरी समस्या है पानी की व्यवस्था। जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा था जो हमारे यहां जल निगम के द्वारा हैण्डपम्प लगे हैं बहुत ही अच्छे हैं और जल संस्थान के द्वारा जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वह बेकार हैं। इसलिए जल निगम द्वारा जो स्कीम चलायी जा रही है वहां जल निगम के द्वारा जो हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं उसकी समुचित व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही कहना चाहता हूं 2 साल पूर्व न्यूशाहगंज की समस्या थी आगरा में। अभी 2 साल पूर्व एक कमेटी विधान परिषद् से गयी थी वहां की समस्याओं को देखा था लेकिन 2 साल के उपरान्त भी नगर महापालिका द्वारा जो समस्या थी, उस पर कोई गम्भीरता से विचार नहीं किया गया न कोई कार्यवाही की गयी। मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी इस पर ध्यान दें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये जो आरक्षण दिया गया है उसको पूरा किया जाय जिससे कि हरिजनों की समस्या समाधान हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सोन—

जो हरिजन क्वार्टर बने हुए हैं बाल्मीकि भाइयों के लिए वह टूट रहे हैं उनकी व्यवस्था करायें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

यह हमारा बजट जो शुरू हुआ है, उसको इस घड़ी के देखने से पता चलता है कि हमको 3 घंटे के अन्दर खत्म करना चाहिए। 25 आदमी इधर हैं और 30-35 आदमी उधर हैं।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, समय बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राणा जी आप नियमों से अवगत हैं अनिश्चितकाल तक नहीं चलता है, समयबद्ध चलता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों को 2-2-, 3-3 मिनट करके बुलवा दें।

मैं इसी प्वाइन्ट को रखते हुये, आपसे चाहूंगा कि 2-3 मिनट में अपने-अपने सुझाव रख दें।

*श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, समय बहुत कम है, इस लिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये सुझावों तक ही अपने को सीमित रखूंगा। मान्यवर, जिस मासूमियत के साथ माननीय मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अरबन लैंड सीलिंग ऐक्ट है, जिसके कारण आवासीय समस्यायें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वह कवाल टाउन हों या अन्य कोई बड़े शहर हों, आप आवास की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो अरबन लैंड सीलिंग ऐक्ट है, जिसको केन्द्रीय सरकार ने पास किया था, उसके कारण बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पनप रहा है। कोई भी शहर हो, कैंवाल टाउन हों, या गोरखपुर हो, वहां पर प्राइवेट कालोनियों के बनने का काम नहीं रुका है। मान्यवर, डा0 कौशल ने बड़े विस्तार से कहा, मैं कहना चाहता हूं कि जो हालत आगरा शहर की है वही हालत हर शहर की है। जो प्राइवेट कालोनियां हैं, उनका काम नहीं रुका है, उनके मकान बन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस ऐक्ट में कोई परिवर्तन करें और प्रभावी कदम उठावें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव करा दिये जाने चाहिये। मान्यवर, पंचशाला कर निर्धारण होता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बनारस की नगरपालिका में रोक दिया गया है, उसी प्रकार से सभी जगह पर इसको रोक दिया जाना चाहिये, जब तक कि चुनाव न हो जाये, तब तक मन्त्री जी इसको रोक दें। मान्यवर, उन्नाव, जब से देश आजाद हुआ है, में सीवर सिस्टम नहीं है। उन्नाव में केन्द्र के राज्य मन्त्री हैं और प्रदेश के उद्योग मन्त्री हैं, इसके बावजूद भी आज तक सीवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। शुक्लागंज और गंगा घाट में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण महामारियां फैलती हैं, तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप इसकी व्यवस्था करें। मान्यवर, अब मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि नजूल की जमीन है, कानपुर में, 1959 में जो गांव सभायें शहरों में विलीन हुई थीं उनकी प्रापर्टी का कुछ पता नहीं है, विभाग को उसकी कोई जानकारी नहीं है, लाखों करोड़ों रुपये की जमीन है, लोग बेंच रहे हैं तो मान्यवर, मेरा कहना है कि आप उसके बारे में जानकारी हासिल करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, माननीया राज्य मन्त्री जी ने इस बजट को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ और बड़े धैर्य के साथ प्रस्तुत किया है और काम को आगे बढ़ाने के लिये किया है, इसलिये मैं इसका स्वागत करती हूं, कटौती करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिये काम को आगे बढ़ाने के लिये इसको आप वापस ले लें अगर आप वापस नहीं लेंगे तो मैं उसका विरोध करती हूं। कुछ चीजें मैंने अपने विरोधी पक्ष के अच्छे साथियों से सुनीं, रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि गरीबों को आवास बस्ती से दूर दे रहे हैं और शहरों में बड़े आदमियों के लिये बना रहे हैं, निर्बल वर्ग के लोगों को 20 किलोमीटर दूर आवास दे रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने राजधानी का जिक्र किया, बीच शहर में हाता लक्ष्मण दास, हाता रसूल खां, और हाता सरजू प्रसाद बीच शहर में हैं। बीच शहर में भी निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों के लिये और विशेष रूप से हरिजनों के लिये आवास की व्यवस्था की गई है। जहां गोमती नगर में बड़े मकान बन रहे

हैं वहां छोटे लोगों के लिये भी निर्बल और कमजोर लोगों के लिये भी मकान बन रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज के दो पक्ष होते हैं दिन और रात, सुख और दुख, बुरा और अच्छा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमारे कुछ सम्मानित साथी बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वे रात के अंधेरे में बोल रहे हैं। मुझे ऐसा कहने के लिये वे क्षमा करेंगे। उनको कम से कम विकास की गति को भी देखना चाहिए जिसमें आज से कुछ वर्ष पूर्व यहां पर या किसी भी जिले में जहां रहने के लिये जगह नहीं थी, चाहे वह सरकारी अधिकारियों के लिये हो या कर्मचारियों के लिये, चाहे निर्बल वर्ग के लिये हो या कमजोर वर्ग के लिये हों, उन्हें रहने के लिये स्थान नहीं था। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीया मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि इस तरफ क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है। मान्यवर, आज सुबह की बात है मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों के लिये तीन हजार मकान कानपुर रोड में समर्पित किये हैं। आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं भी जाकर देख सकते हैं। यहीं नहीं, और भी जिलों की बात मैं कहना चाहूंगी। हमारे एक साथी सुरेन्द्र अवस्थी जी ने कहा कि गाजियाबाद में कानपुर में कहीं पर गन्दगी है। यह सही बात है कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह से गन्दगी रहती है। इसके कई कारण हैं। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए वह हो नहीं पाती है। परसों मैं बस्ती के एक इलाके में भ्रमण कर रही थी। जब वहां से लौटी तो देखा कि उसी नाली में कूड़ा भरा पड़ा था। इस तरह से पानी इधर का इधर और उधर का उधर ही रह गया जिससे गन्दगी पराकाष्ठा पर हो जाती है। मैं एक चीज और निवेदन करना चाहती हूं। हमारे कुछ सम्मानित साथियों ने कहा कि जमीन तो हम ले लेते हैं लेकिन उसका मुआवजा नहीं देते। मैं आपके माध्यम से माननीया मन्त्री जी को बधाई दूंगी कि उनके नगर विकास विभाग ने जो जमीन ली है जो कि छोटी-छोटी रकम में बिक सकती थी लेकिन उसे आवास विकास विभाग ने और प्राधिकरण ने 30 हजार, 40 हजार और 50 हजार रुपये तक उस भूमि के मालिक को दिया है।

सीवर की जहां तक बात है उसकी कमी है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगी कि इस ओर वे ध्यान दें। एक चीज और निवेदन करना चाहती हूं जिस पीठ पर आसीन हैं, जिसे आप सुशोभित कर रहे हैं, एक व्यवस्था हुई थी। सन् 56 में एक मास्टर प्लान बना था और उसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले के कुछ गांवों को लिया गया था। उसके बाद उसका प्रारूप सही नहीं बना लेकिन बावजूद इसके कि उसका प्रारूप सही नहीं बना था मैं माननीया मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि हालांकि वह हमारी योजनाओं में नहीं है, हम उसका कोई टैक्स नहीं पाते हैं। मान्यवर, टैक्स के दो स्वरूप होते हैं एक जमीन का और दूसरा मकान का। लेकिन मकान का टैक्स तो हम लेते हैं लेकिन जमीन के ऊपर सड़क, पानी, गूल भी उसको मिलती है . . . (व्यवधान)। मान्यवर, समय नहीं है। आपने तीन मिनट का समय दिया था। मैं एक बार

फिर स्वागत करती हूं बजट का और विरोध करती हूं कटौती का।

(व्यवधान)

श्री पूरन सिंह—

मान्यवर, संख्या के हिसाब से आप बुलवायें। 2 सदस्य यहां से और एक सदस्य वहां से।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय गुफरान जाहिदी साहब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात सही कही कि कम से कम यह सरकार और नगर विकास विभाग अगर जनता की समस्त आकांक्षाओं, आशाओं और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ काम जैसे न्यूनतम आवश्यकताओं को ही पूरा कर दे और जो नजूल की जमीन पर अतिक्रमण है उसको ही हटा दे। लेकिन आज अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है मैं आपको लखनऊ का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं। लखनऊ नगर के मुहल्ला कुर्मी टोला में मकबूलगंज में भवन संख्या 86/93 के सामने नजूल की जमीन 24×21×10 वर्ग गज है जिस पर झगड़ा चल रहा है जो फसली बन्दोबस्त 1962 के अनुसार नजूल सम्पत्ति रास्ता सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। इसका मुकदमा सिविल कोर्ट कमिश्नर कोर्ट और उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से 21-11-84 को नगर महापालिका जीत गयी लेकिन नगर महापालिका का ठेकेदार लोकनाथ सिंह और ओम प्रकाश सिंह जो क्रमशः रेलवे कर्मचारी व लखनऊ विकास प्राधिकरण के ठेकेदार हैं और चारबाग माफिया ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं उन्होंने उस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उपरोक्त न्यायालयों से जीतने के बावजूद 19-2-83 को इस भूमि का बैनामा श्रीमती सौहद्रा देवी के नाम कर दिया गया है जिससे वहां की जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है। और यह सरकार उस जमीन को नहीं ले रही है।

दूसरी बात माननीय मन्त्री जी ने कही शहरों का विकास हो रहा है। दिल्ली पैटर्न पर वह शहरों का विकास करना चाहती हैं। दिल्ली के अन्दर नयी दिल्ली दुलहन की तरह सजी हुई है, पुरानी दिल्ली विधवा महिला के समान है जिसके पास सम्पत्ति है पैसा है और सारी चीजें हैं लेकिन उसके चेहरे में कोई चमक नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी दिल्ली परित्यक्ता औरत की तरह है जो यमुना पार की दिल्ली है जिसके पास न सम्पत्ति है और न धन है जो असहाय औरत के समान है। इसी प्रकार यहां लखनऊ में हजरतगंज और विधान सभा मार्ग है जो आपको जगमगाता हुआ दिखाई देता है लेकिन दूसरी तरफ चौक का इलाका है जहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सभी नगरों का समानरूप से विकास होना चाहिये।

अब मैं दो तीन बातें शाहजहांपुर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आपने जो उपलब्धियों की किताब दी है उसमें माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत सी जगहों का नाम छूट गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों में एक उपलब्धि छोड़ दी है हमारे शाह-

जहांपुर में जो उपलब्धि आपकी है नगर-पालिका की तरफ से 25 दुकानें निर्मित हुई। उसमें खुशी की बात यह है कि वह कब्जा देने से पहले ही सालभर के अन्दर गिरकर टूट गयी तो उस उपलब्धि को आप देना भूल गयी।

हमारे यहां नगरपालिका तिलहर है वहां पर वाटर टैक्स और हाउस टैक्स को लेकर समस्या चल रही है। यह आपकी प्रथा हो गयी है कि जब कभी आन्दोलन या भूख हड़ताल होती है तो वसूली रोक दी जाती है अन्यथा वसूलयावी हो जाती है तो साधारण तौर पर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आज वहां सड़कों की स्थिति यह है कि अगर कोई गर्भवती महिला रिक्शा में बैठकर अस्पताल जाती है तो रास्ते में ही धक्का खाकर बच्चा पैदा हो जाता है अगर मन्त्री जी को यकीन न हो तो वे उस स्थिति में आकर वहां देख लें तो उन्हें पता चल जायेगा। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि छोटी-छोटी नगरपालिकाओं की तरफ आज ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री सत्यपाल सिंह—

लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि का मैंने एक उदाहरण दिया यह हालत सब जगह है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हाफिज मोहम्मद उमर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हमारे नेता राजीव गांधी ने गंगा प्रदूषण को समाप्त करने का जो प्रोग्राम बनाया है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और हमारे कानपुर में सबसे पहले काम शुरू हुआ है और हमारे नगर विकास विभाग द्वारा वह काम आगे बढ़ रहा है।

मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वह चाहे कानपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से हो या और योजनाओं में हो, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को बहुत तेजी से आवास बनाकर उपलब्ध कराये जा रहे हैं और कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तेजी से काम कराया जा रहा है। कानपुर में बहुत से विकास के काम के0 डी0 ए0, जल संस्थान और नगर महापालिका के माध्यम से हो रहे हैं जैसे रोशनी, पानी सफाई और रोड के मरम्मत के काम। मान्यवर, समय कम है, इसलिये मैं विस्तार में न जाकर केवल सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, कानपुर में के0 डी0 ए0 की एक कमी की ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि के0 डी0 ए0 की मीटिंग 6-6 महीने नहीं होती हैं और चूंकि अध्यक्ष महोदय को समय निकालने में परेशानी होती है, इसलिये उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यह बैठकें जल्दी से जल्दी बुलायें जिससे यह जो विकास की संस्था है उसके काम में कोई अवरोध न उत्पन्न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, दूसरा सुझाव है कि जो आवास योजना का काम विश्व बैंक की सहायता से के0 डी0 ए0 चला रहा है उसमें कुछ निर्माण के काम में सुस्ती है अतः उसे तेज करने की ओर ध्यान दिया जाये।

मान्यवर, कानपुर में जो सीवर की योजना चल रही है जिसमें कुछ कम पैसा देकर सीवर की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तो मेरा निवेदन है कि इस योजना को गरीब बस्तियों में ले जाना चाहिए जहां इसकी वास्तव में जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सम्पूर्ण प्रदेश को टाऊन एरिया, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिकायें, नगरमहापालिकायें जो भी क्षेत्र स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आते हैं वहां जल भराव, गन्दगी, मैले के ढेर, सीवर लाईन के मुंह बन्द आदि समस्यायें हैं एक बूंद पानी पड़ने पर खड़ी हो जाती हैं जिससे नगर में कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता है, यह हालत संपूर्ण प्रदेश में है। मान्यवर, आज हालत है कि चाहे जिस क्षेत्र में जायें पानी भरा मिलेगा चाहे आगरा जायें और चाहे फिरोजाबाद या बनारस जायें। यह जल भराव की स्थिति है।

मान्यवर, गन्दगी जो आदमी छोड़ता है उसको उठाने की प्रथा अब भी चल रही है और 38 साल स्वतन्त्रता की वर्ष गांठ मनाने के बाद भी सर पर मैला ढोने का काम लिया जा रहा है, वह सफाई कर्मचारी आज भी बंधुवा मजदूर की तरह है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, वह डलिया ढोता है लेकिन नगर पालिकाओं की तरफ से उसको डलिया झाड़ू भी उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं और न नगरपालिकायें उसको पैसा ही देती हैं। वह केवल दो या चार रोटी पर अपना जीवन परम्परागत रूप से निर्वाह करता है। यह कलंक की बात है और मन्त्री जी ने इन सफाई कर्मचारियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है, इसलिये इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, आज सारे प्रदेश में आबादी का घनत्व एक जगह पर सीमित किया जा रहा है।

मान्यवर, कानून बनाना पड़ेगा कि खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण आवास के लिए नहीं होगा। यह हिम्मत आप पैदा करो। खेती की जगह सिकुड़ती जा रही है आज यह हमें कानून बनाना पड़ेगा तभी मुल्क में प्रगति हो सकती है। हमारे फिरोजाबाद में चले जाइये, पूरे शहर में ढाई लाख की आबादी में एक नाला बना है पूरे शहर के पानी को निकालने के लिए और हमारी नगरपालिकाएं भ्रष्टाचार की जड़ और अड्डा बन गई हैं। हमारे यहां एक कर्मचारी की तनख्वाह 15-20 दिन के बाद भी नहीं मिल पाती है। यदि शासन में कोई नैतिकता और चरित्र है तो जो डाक्टर कौशल ने कहा है, उसको सही मानकर मन्त्री जी को अपना त्याग-पत्र देकर अलग हो जाना चाहिए। डा0 कौशल साहब ने नटवर सिंह साहब ने और जो लोकसभा के अध्यक्ष ने मथुरा में कहा है उत्तर प्रदेश के नगरों के जल अभाव, गन्दगी और अव्यवस्था को देखकर कि जनता मन्त्रियों

का घिराव करें और सरकार और मुख्य मन्त्री के खिलाफ आन्दोलन करें, यह किसी भी शासन और मन्त्री और मुख्य मन्त्री के लिए लज्जा की बात है और ऐसी हालत में निश्चित ही मन्त्री जी को पद त्याग देना चाहिये। उसमें नैतिकता हो तो वह आज ही त्याग पत्र दें, इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले'—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। नगर विकास मन्त्री ने जो बजट आज पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं और जो चौधरी साहब ने कटौती का प्रस्ताव किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो आंकड़ों से इसका विरोध किया है, अच्छा होता वह कोई रचनात्मक सुझाव देते, जिससे हमारी सरकार को और मन्त्री जी को सुधार करने का मौका मिलता। आप जानते हैं कि देश की आजादी के बाद से कांग्रेस ने कितनी तरक्की की है, किन्तु जो भी तरक्की हुई थी 77 से 80 की अवधि विपक्ष में बैठे साथियों ने चौपट कर दिया। आप अगर विकास की बात सोचते तो उसका सुझाव देते, लेकिन आप केवल अन्धेरे में रहना चाहते हैं और आपको सारी बुराई ही बुराई नजर आती है अच्छाई नहीं नजर आती है। मैं लखनऊ नगर के बारे में जहां 12 लाख की आबादी है बताना चाहता हूं कि अब तक यहां पर 1 लाख 20 हजार गरीब लोग बसाये गये हैं और आगामी तीन साल में एक लाख गरीब लोगों को और बसाने की योजना है। इन गरीब लोगों के लिए मकान हेतु कम से कम मूल्य 3800 रुपया है।

मैं इस मौके पर हड़को ऐसे अपने संगठन को बधाई देता हूं, जिसने करोड़ों रुपये का ऋण देकर और बहुमूल्य सलाह देकर हमें मकान बनाकर दिए हैं और नगर का विकास किया है। मैं आपका ध्यान एन0 सी0 आर0 की ओर भी दिलाना चाहता हूं, उसमें जो दिल्ली के आसपास के तीन जनपद मेरठ, गाजियाबाद और बुलन्दशहर लिए गये हैं, उसमें मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इसमें हमारे खुर्जा को भी शामिल कर लिया जाए। क्योंकि खुर्जा पाट्री उद्योग का बहुत बड़ा और सुन्दर केन्द्र है। आप खुर्जा को भी एन0 सी0 आर0 के तहत पैसा दिलवाएं और वहां पर एक लेबर कालोनी का निर्माण करायें। अन्त में मैं माननीय अधिष्ठाता जी आपके माध्यम से बजट का समर्थन करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। "जयहिन्द"।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। मैं सबसे पहले मोहतरमा मंत्री जी का जो फलसफा है उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इलाहाबाद में भारत के प्रधानमंत्री स्व0 पंडित जवाहर लाल नेहरू मीरगंज में पैदा हुए थे और आज वहां पर चकलाखाना चल रहा है। अगर आप पंडित जवाहर लाल नेहरू को चाहते हैं तो आप उसकी सफाई करा दें मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूंगा। मान्यवर, पंडित कमला पति त्रिपाठी जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री हुये और उन्होंने देखा कि बनारस में दालमंडी में चकलाखाना चल रहा है तो उन्होंने चकलाखाना को हटवा दिया। तो मैं चाहूंगा कि इलाहाबाद में महानगर पालिका वहां से चकलाखाना हटवा दे जिससे कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम गौरवान्वित हो सके। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे नगर पश्चिमी क्षेत्र में, इलाहाबाद में 40 प्रतिशत मुसलमान, अल्पसंख्यक रहते हैं। उनका जीवन नरक के समान है। न तो उनके पास कोई पार्क है, वहां गंदी नालियों के पास उनके बच्चे खेलते हैं और टाट के परदे आज भी वहां पड़े हैं। वहां गंदगी का साम्राज्य है। वहां पर सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है।

वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो पैसा आ रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि नगर के अन्दर, नगर पश्चिमी क्षेत्र में पिछले 36 सालों के दौरान कोई काम नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि वहां पर सीवर लाइन बिछा दी जाय जिससे अल्पसंख्यक, हरिजनों को मदद मिल सके और वह स्वच्छ जीवन बिता सकें। आज जो वहां पर आपका जल संस्थान है, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वहां पर आप देखें तो पानी साफ नहीं मिल रहा है। पानी में क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर नहीं मिलाया जाता है। वहां पर आटोमैटिक मशीन नहीं है जिससे कि मिक्सिंग की जा सके जिसके कारण लोग दूषित जल पी रहे हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि दूषित जल पीने से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर सैम्पिलिंग करायी जाय तो पानी में क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि करेली स्कीम के अन्दर आप मस्जिद का निर्माण होने दें। अगर वहां पर मस्जिद का निर्माण हो जाता है तो मैं समझता हूं कि वहां पर कौम्वाली नहीं होगी। ईश्वर की प्रार्थना होगी सेकुलर कंटरी, धर्म निरपेक्ष राज्य के अन्दर अगर मन्दिर वहां है तो मस्जिद की स्थापना होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री सतीश चन्द्र जायसवाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने नगर विकास के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, शहर में बढ़ती हुई आबादी द्वारा नागरिक सुविधाओं की मांग और सीमित आर्थिक साधन के बीच में माननीय मंत्री जी ने जिस समन्वय के साथ बजट को प्रस्तुत किया है वह निश्चय ही सराहनीय कदम है और जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, नगरमहापालिकाओं, नगरपालिकाओं के चुनाव निश्चित तौर से, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया है, अवश्य होना चाहिये और यह आम भावना है, हम समझते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने नगरमहापालिका के चुनाव के निर्णय का इस सदन के सभी सदस्य स्वागत करेंगे। आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के सभी महापालिकाओं में मकानों के पुनः मूल्यांकन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मेरा आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से

अनुरोध है कि जनप्रतिनिधियों के चुनाव के बाद ही इस काम को प्रारम्भ कराया जाय, तो यह जनभावना के अनुरूप तथा न्यायोचित होगा। शहर इलाहाबाद की नगर महापालिका की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सड़कों और गलियों की हालत आप देख लें, इस तरह की हालत है कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। मुख्य मंत्री जी की कृपा से 38 किलोमीटर नगरमहापालिका की सड़क पी0 डब्लू0 डी0 को ट्रान्सफर करके निर्माण कराया जा रहा है।

लेकिन एक अनुरोध करना है, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जिन सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको स्थानान्तरित न करके ऐसी सड़कों को स्थानान्तरित किया गया है, जो सड़कें अच्छी हालत में थीं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस वर्ष शहर की घनी आबादी वाली खराब सड़कों को पी0 डब्लू0 डी0 को स्थानान्तरित करके उसको निर्माण कराने का आदेश तत्काल दें। इलाहाबाद में पेयजल का गम्भीर संकट है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम, प्रयाग में लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तड़पें, इससे कितना शर्म से सिर झुक जाता है। इसका कारण यह है कि जल संस्थान और जल निगम के आपस में सामंजस्य न होना है। यदि यह काम जल निगम को दे दिया जाय तो समस्या का समाधान हो पायेगा। इलाहाबाद में जल प्रदूषण की भी गम्भीर समस्या है। योजना के अनुसार यदि गंदे पानी को सिंचाई के साधन में प्रयोग किया जाय, तो इस समस्या का भी समाधान हो जायेगा और महापालिका की आमदनी भी बढ़ जायेगी। मुख्य मंत्री जी की कृपा से पिछले वर्ष सिंचाई हेतु तीन ट्यूबवेल बनाये गये, लेकिन वह वैसे के वैसे पड़े हैं, कोई प्रगति नहीं हो पाई। मास्टर प्लान इलाहाबाद का बना है, जो कि बिलकुल अव्यवहारिक है। घनी आबादी, जिसके दोनों तरफ मकानों की कतार खड़ी। वहां 150 फीट की सड़क बनाना अव्यवहारिक है। अतः मास्टर प्लान में संशोधन किया जाना चाहिये। इलाहाबाद में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी की याद में एक आडोटोरियम बनाने की विकास प्राधिकरण ने योजना बनाई थी, शासन के निदेश पर उसका माडल भी तैयार करा लिया गया, जो कि बाद में लखनऊ स्थानान्तरित कर दिया गया। मेरी मांग है कि इसको इलाहाबाद में ही बनवाया जाय। अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री देव कुमार यादव—

मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें माननीया मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य आगरा डाक्टर कौशल जी जब यह कह रहे थे कि आगरा दुनिया का सबसे गंदा शहर है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इस बात की प्रसन्नता हुई कि हम अब तक यह समझते थे कि सबसे गंदा शहर बांदा है। लेकिन जब डाक्टर साहब ने कहा कि दुनियां का सबसे गंदा शहर आगरा है, तो हमको यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संतोष हुआ कि आगरा दुनियां में सबसे गंदा शहर है। मैं माननीया मंत्री जी को और माननीय डाक्टर कौशल को बांदा के लिए दावत देता हूं कि वह वहां पर आकर देख लें। वह धरती पर नर्क है। 1976 में माननीय मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी वहां गये थे, हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया था कि हमको नर्क से मुक्त कीजिये। बांदा में मनुष्य और सुअर साथ-साथ रहते हैं और स्थिति इतनी खराब है कि वह कस्बा आदमी के रहने लायक नहीं रह गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1976 में वहां की हालत देख कर सीवर सिस्टम दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो सीवर सिस्टम को पूरा करा दें या कृपा करके इसको समाप्त करवा दें। वहां पर एक मोहल्ला कटरा है, जो शहर की सबसे गंदी आबादी का मोहल्ला है। तीन वर्ष पहले सीवर सिस्टम डालने वालों ने सड़कों को खोद दिया, खोदने के बाद आज तक पाइप नहीं डाली गई और सारा आवागमन बन्द है, गन्दगी से सारा कस्बा सड़ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जमुना के किनारे आज भी लोग . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ।

श्री देवकुमार यादव—

मान्यवर, वहां पर पानी की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वासुदेव सिंह—

सारे माननीय सदस्य चिन्तित थे कि हम लोगों की तन्दुरुस्ती पर असर पड़ रहा है, 11 बजे रात तक हाउस चल रहा है। लोग बीमार न हों इसलिये इसको देखना चाहिये कि समय के अन्दर काम हो जाय तो अच्छा हो। अभी उधर के बीमार हुये हैं फिर इधर के बीमार होंगे।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

आपका सुझाव ठीक है लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग न दफ्तर में हमारी बात सुनने को तैयार हैं, न घर पर मिलते हैं। तो हम कहां जायं। इसलिये हाउस में कहना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य सहयोग दें। जो माननीय सदस्य कस्बे या शहर से सम्बन्धित हैं वह केवल दो मिनट में अपनी बात कहें। हर चीज समय के अन्दर चलनी होगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

कुछ लोगों को आपने 10 मिनट समय दिया है कुछ को 2 मिनट दे रहे हैं यह असमानता है।

श्री हरदेव—

बलिया के बारे में कुछ कहना है। एक लाख रुपये की जरूरत है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

नगर विकास के बजट पर चर्चा हो रही है। इस पर कुछ लोगों को 10 मिनट समय दिया है, कुछ लोगों को 2 मिनट समय दे रहे हैं। यह भारतीय संवि-

धान के अनुच्छेद के प्राविधान के अनुसार एक विषय पर सदस्यों के साथ असमानता का व्यवहार है। अगर पूर्व सब वक्ताओं को 10 मिनट का समय दिया है तो हम सभी आगामी वक्ताओं को बराबर का समय दें।

श्री अधिष्ठाता—

समय के निर्धारण में रूल के अन्दर स्पीकर को पावर है। जब हम मौका देखेंगे तो समय में कटौती करते जायेंगे और समय के अन्दर समाप्त करेंगे।

*श्री सन्तन बड़थ्वाल—

मैं नगर विकास के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, 3 मिनट या 2 मिनट में क्या कह सकता हूं। मान्यवर, जोशीमठ और गोपेश्वर में सीवर लाइन की योजना को स्वीकार किया जाय। पहाड़ों में जलकर का भार कम किया जाय। मान्यवर, मास्टर प्लान जो पहाड़ के लिए बनाया गया है उसमें यह आपत्तियां आती हैं कि 100 फुट की सड़क, 100 फुट का पार्क हो। पहाड़ पर छोटे-छोटे नगर हैं। पहाड़ की स्थिति को देखते हुये मास्टर प्लान पर पुनर्विचार किया जाय। जल निगम और जल संस्थान विभागों में भी मान्यवर लूट मची हुई है और इंजीनियरों के आपसी बंटवारे के झगड़े के कारण हमारे यहां की तल्ला नागपुर योजना ठप पड़ी हुई है इस प्रकार के और भी काम हैं जिनमें लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। माननीय मंत्री जी इसकी उच्च-स्तरीय जांच करायें। इसके अलावा छोटे-छोटे टाऊन एरिया वहां बना रक्खे हैं जो न तो ग्रामीण योजनाओं से लाभ उठा पा रहे हैं और न शहरों की योजनाओं से ही लाभ उठा पा रहे हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि नोटीफाइड एरियाज के जनजाति के लोगों का उत्थान विशेष अनुदान द्वारा किया जाये। साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, 15 जून, 1982 को उत्तर प्रदेश में तीन नयी महापालिकायें बनीं। एक तो बरेली, दूसरे गोरखपुर और तीसरे मेरठ। लेकिन मान्यवर, इन तीनों महा-पालिकाओं को जो अनुदान अभी तक मिल रहा है, वह पालिकाओं का ही मिल रहा है, महापालिका का नहीं मिल रहा है, एक तो इस ओर ध्यान दिया जाये। दूसरी बात मान्यवर, मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि करीब 10 माह पहले माननीय मुख्य मंत्री जी बरेली में पधारे थे, वहां पर उन्होंने वायदा किया था कि बरेली के विकास के लिए 50 लाख रुपये देंगे, लेकिन मान्यवर, उस ओर भी अभी तक कुछ नहीं हो सका है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी तरफ से सरकार से निवेदन करें। इस सम्बन्ध में मैंने लिखकर भी दिया है, उसी को पढ़ा हुआ मान लिया जाये क्योंकि इस थोड़े से समय में मैं अपने यहां की बहुत सी समस्याओं को कैसे रख सकता हूं।

मान्यवर, बरेली में महापालिका को बने हुये तीन वर्ष करीब हो गये लेकिन सारी विकास योजनायें अभी भी अधूरी हैं और पैसे की कमी की वजह से आज तक चुनाव नहीं हो सके। मान्यवर, बरेली महा-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पालिका में 48 गांव हैं और 40 वार्ड हैं और वह सब गांव न गांव में हैं और न शहर में, जिससे इन्हें कहीं से भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही मान्यवर, यहां पर न तो पानी की व्यवस्था सही है और न ही बिजली आदि। बरेली विकास प्राधिकरण सारे विकास कार्य रोके हुये हैं और यदि कोई अपने वहां एक दीवाल भी बनवाना चाहे तो उस पर मिनिमम जुर्माना दो हजार रुपया लगा दिया जाता है, एक ईंट लगवाने पर, तो मान्यवर यह मिनिमम चार्ज हटा दिया जाये यदि इस प्रकार विकास के कार्यों में रुकावटें लगायी जायेंगी तो शहरों का विकास किस प्रकार होगा। (व्यवधान)।

*श्री फजले मसूद—

अधिष्ठाता साहब, मैं नगर विकास राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से देवरिया सदर के विधान सभा क्षेत्र की ओर माननीय नगर विकास राज्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बरसात का पानी बहुत बुरी तरह से काफी मात्रा में भर जाता है और यदि आज माननीय नगर विकास राज्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र का दौरा करें तो वहां आज भी देखेंगे कि कचहरी में कई मीटर पानी भरा हुआ है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समस्या का निदान विशेष अनुदान द्वारा यथाशीघ्र कराया जाये ताकि वहां की जनता इस समस्या से छुटकारा पा सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां के जो अन्दरुन के इलाके हैं जहां पर आज भी खड़ंजे, पानी और बिजली की व्यवस्था बहुत दयनीय है, इस समस्या के निदान के लिए भी विशेष अनुदान दिया जाये।

तीसरी समस्या हमारे यहां पेय-जल सम्बन्धी बहुत है देवरिया सदर के अंतर्गत जहां पर ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस समस्या के निदान के लिये कम से कम 10 ट्यूबवेलों की व्यवस्था की जाये ताकि वहां कि जनता को इस भीषण समस्या से छुटकारा मिल सके। और चौथे यह कि हमारे यहां की अन्य और समस्याओं के लिए जो विरोध पक्ष के साथियों ने बातें कहीं हैं व आलोचनाएं की हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि नगर विकास विभाग के द्वारा समय-समय पर इस प्रदेश की जनता के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कमरे का मकान या उससे बड़े मकान देश की जनता की मांग के अनुरूप भवन बनवाये गये हैं और बनते जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कई प्रान्तों में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश का स्थान अपना है जिसमें उत्तर प्रदेश में निर्धनों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मकान बनाने के लिए स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पूरा प्रयास किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिससे 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों को इस वर्ष 5546 मकान बनवाकर दिये और एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के टूटने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारण यहां की बहुत भारी आबादी शहरों की ओर जा रही है, इसलिये नगरों के विकास का बड़ा महत्व हो जाता है। दो मिनट का समय हमारी समस्याओं के कहने के लिए बहुत कम है, लेकिन आपने अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं। मैं एक बात सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यदि आज नगर के एक-एक व्यक्ति की समस्या को नोट किया जाय तो किताबें और पुस्तकें भर जायेंगी, इसलिए दो मिनट में कहना असम्भव है। हमारे इलाहाबाद जनपद से, जहां से हम आये हैं, उसके बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के साथियों ने काफी विस्तार से बात कही। इलाहाबाद नगर का सदैव सांस्कृतिक और बौद्धिक महत्व रहा है। आज भी वहां के 1/3 भाग में सीवर की व्यवस्था नहीं है पेयजल की कमी है और लगभग 150 किलोमीटर में सीवर तथा पाईप लाइन की व्यवस्था होनी है। हम चाहेंगे कि यहां पर जो भी नगरमहापालिका का बजट पास होता है, उनको वहां पर समय से भिजवा दें। मार्च के आखिरी महीने में न भिजवाएं, क्योंकि इससे 10 प्रतिशत भी काम नहीं होता। और सारा बजट बट्टे खाते में चला जाता है। विकासशील देशों की मुख्य समस्या गरीबी और भ्रष्टाचार होती है। विकास के लिए जो भी बजट आवंटित किया जाता है, उसको समय पर ही भिजवा दें। पेयजल की समस्या महत्वपूर्ण है। जैसा कि कई साथियों ने सुझाव दिया, इस समय नगरमहापालिकाओं में पेय जल की समस्या जल निगम और जल संस्थान द्वारा हो रही है। लेकिन दोनों द्वारा ही सामूहिक रूप से यह व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। अतः इसके लिए या तो केवल जल संस्थान को दायित्व दे दें या केवल जल निगम को, केवल एक को ही इसकी व्यवस्था करने दें। दूसरी समस्या क्षेत्रीय विकास तथा निवास की है। यहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। 10 गुना ज्यादा पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा काम कराया गया है। तो इन तमाम कामों को अलग-अलग हाथों में देने के बजाय उनका काम किसी एक ही विभाग से कराना सुनिश्चित कीजिये।

*श्री अजीत सिंह सेठी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मेरे कुछ सुझाव हैं। प्राधिकरण की जो व्यवस्था है और जितनी नगरपालिकाएं हैं उनमें पब्लिक रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। जो डिसीजन और फैसले होते हैं शहर के विकास के लिए, उनमें पब्लिक के नुमाइन्दे होने जरूरी हैं। दूसरा सुझाव है कि मास्टर प्लान हर जिले में प्राधिकरण बनने से पहले लागू हुए थे। प्राधिकरण बने तो उन्होंने देखा कि जहां हरी बेल्ट लिखा है, वहां इण्डस्ट्री लगी है। तो मास्टर प्लान को फिर से देखा जाय और देखें कि क्या तबदीली करनी है। मैं बधाई देना चाहता हूं सड़कों के निर्माण द्वारा नागरिकों को जो यातायात की सुविधा प्रदान की है, वह सराहनीय है। काफी काम किया गया है। लेकिन यातायात इतना बढ़ता जा रहा है कि इन्क्रोचमेन्ट को हटाना जरूरी है। उनमें भी अधिकारियों को जन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करनी चाहिए। अन्यथा उस स्थिति में बाद में जो उपद्रव मचता है, उसमें बड़ी परेशानी हो जाती है स्थिति को संभालने में। इसलिए अगर इन्क्रोचमेन्ट को सेट करना है यातायात के कारण तो उसके लिए अधिकारी लोग बैठकें पहले जरूर करें।

सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत, सेक्शन 20 के अन्तर्गत, हमारी नगर भूमि में छूट देने के लिए काम्पीटेंट अथारिटी, जो अपनी-अपनी संस्तुति करके यहां भेजते हैं, उसमें कुछ समयबद्ध होना चाहिए। वरना स्थिति यह होती है लोगों को 4-4 साल यहां के चक्कर काटने पर जवाब मिले। अगर काम्पीटेंट अथारिटी यह संस्तुति करे कि सेक्शन 20 के अन्तर्गत छूट दी जाये तो उसे समय के अन्दर छूट मिलनी चाहिए। (श्री राम गोविन्द चौधरी को बुलाये जाने पर)

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, थोड़ा समय बढ़ाने की कृपा करें। महत्वपूर्ण बजट है। अधिकांश सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, आप एक मिनट मौका दे दें। मैं केवल सुझाव रखना चाहता हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया मैं माननीय रामगोविन्द चौधरी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, नगर विकास हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए नगर विकास का कार्य करते समय तीन बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाय।

श्री शिव नारायण मिश्र—

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, नगर विकास करते समय टूरिज्म को जरूर ध्यान में रखा जाय। मैं पर्वतीय क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में नैनीताल अल्मोड़ा पिथौरागढ़, रानीखेत, कौसानी हैं, उनका विकास इस तरह से हो ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट एट्रेक्ट हो सकें और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। दूसरे, नगर विकास करते वक्त, वहां की आवास समस्या के समाधान के लिए जो भी प्रयास किये जायें, उसमें जो वहां का गरीब तबका है, पिछड़े हुए लोग हैं, भूमिहीन तबका है, उसके आवास और पुनर्वास की जरूर व्यवस्था की जाय। मैं पिथौरागढ़ जिले की 2-3 नगरपालिकाओं और जो टाउन एरिया हैं, उनका उदाहरण देना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, वहां के डीडीहाट धारचूला टाउन एरिया क्षेत्र में इतनी गंदगी व्याप्त है और वहां सफाई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, अन्त में यह कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो जिले टूरिस्ट से हरदम भरे रहते हैं जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरा-

गढ़, वहां चुंगी जल्द से जल्द समाप्त की जाय इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया । माननीया मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । समय कम है, इसलिए ज्यादा कुछ न कह कर कुछ सुझाव देना चाहती हूं । माननीय मंत्री जी को इसलिये बधाई देती हूं कि नगर नियोजन समिति बनाकर उन्होंने नगर के पूर्ण विकास के लिये भरसक कोशिश की है । इस तरह से सरकार यह कार्य करके, जनता में और लोकप्रिय हो गयी है माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में । मान्यवर, नगर विकास का मुख्य काम स्वच्छता है । हमारे यहां बस्ती में बहुत ज्यादा गन्दगी व्याप्त है, ऐसे गहरे नाले हैं, उसमें पानी भरा रहता है उसको देखने से ऐसा लगता है कि यह एक तालाब है । उसमें न स्लैव है और न पानी में प्रवाह है । हमारे उस नाले में सफाई करें और वह पानी खेतों में गिरे । पिछले बार भी जब मैं एम0 एल0 ए0 थी तो सरकार ने 3 टंकियां पानी की दी थीं, इसके लिए मैं सरकार की आभारी हूं । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बस्ती में 3 टंकियां और दे दी जायं, तभी बस्ती के लोगों को फायदा हो पायेगा । माननीय मंत्री जी मेरा आपसे एक निवेदन और है कि हमारे यहां सीवर लाइन नहीं है, इसलिए इसकी व्यवस्था यहां पर कर दी जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री कुशलपाल सिंह—

मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं, उससे शहरों और गांवों का कल्याण होने वाला नहीं है । हमारे मथुरा जिले में सूखा पड़ा । स्थिति यह है कि कुओं में पानी नहीं है और उनमें कीचड़ आता है । जल निगम की जो पेयजल योजनाएं चल रही थीं मानागढ़ी, लोहई, नीमगांव और जरारा में, यहां इन योजनाओं को मार्च 31 से चालू दिखा दिया गया है, मुझे पता चला है कि उनका पेमेण्ट भी हो गया है, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं । गांवों में पानी नहीं मिल रहा है । जल निगम द्वारा जो पाइप लाइनें एक मीटर गहरी डाली जानी चाहिए थी, वे केवल आधी फुट और एक फुट गहरी डाली जाती हैं । इसी तरह एक किलोमीटर पर 7800 रुपये बचाया जा रहा है, जिसे ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों के बीच में बांटा जा रहा है । जितने देहातों में मैं गया हूं, कोई भी ऐसे 5 गांव नहीं हैं जिनमें हरिजनों के यहां पाइप लाइन डाली गयी हो । हरिजनों की ये दुहाई देते हैं कि हमने हैंड पम्प लगवाये और पाइप लाइन बिछवाई । जो हैण्ड पम्प लगवाये भी गये थे, वे टूटे पड़े हैं ।

मान्यवर, मगोरा में 297 लीगल और 298 इललीगल कनेक्शन दिये गये हैं । 30 हजार रुपये वसूल किया गया है लेकिन एक भी पैसा खजाने में जमा नहीं

किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रेम पाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि काफी लम्बे समय के बाद आपने मुझे बजट पर दो मिनट का समय दिया। मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मैं ज्यादा कुछ न कह कर प्रस्ताव के रूप में अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह कि नगरों का विकेन्द्रीकरण किया जाय। जिन नगरों में 20—30 वर्ष पुराने जो बस स्टेशन हैं, उन्हें शहरों से दूर किया जाय। एक जगह पर एक जैसा मारकेट किया जाय। जहां पर ट्रान्सपोर्ट नगर हैं, उन्हें शहर से बाहर बसाया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के नगरों में जो ए0 डी0 ए0 और आवास विकास ने दलालों द्वारा जमीन को हड़प रखा है, उसका एक उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। राजा बलवन्त सिंह कालेज, आगरा की जमीन पर ए0 डी0 ए0 ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है। पिछले दिनों में भी विधान परिषद् में यह प्रश्न आया था। इस सम्बन्ध में मेरे गुरू जी ने भी मुझे पत्र लिखकर सूचित किया है कि ए0 डी0 ए0 वाले इस जमीन पर अवैध कब्जा करके लाखों रुपये हड़पना चाहते हैं। इसलिए मान्यवर, इसे रोका जाय। यही नहीं आगरा में जो पार्क हैं, उनमें से 50 परसेन्ट पार्कों में से 25 परसेन्ट की तो कोई देख-भाल ही नहीं है और 25 परसेन्ट पर लोगों ने कोठियां खड़ी कर दी हैं, इसलिए इसे भी देखा जाय। अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में कुरबानियां दी हैं, यदि उनके साथ इस बजट के माध्यम से कोई ज्यादती होती है तो यह ज्यादती न केवल उनके साथ होगी अपितु देश के महापुरुष महात्मा गांधी, पं0 जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी तथा देश के साथ होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो नगरों की तरक्की के लिए बात कही है मैं चाहूंगा कि वह अपने चेहरे को देखें और शहरों के चेहरों को देखें, अगर उन्हें कोई तकल्लुफ न हो, तो मेरे साथ रिक्शा में बैठक कर चलें और लखनऊ शहर के मुहल्ला मछली मोहाल का मुआयना करें कि सड़कों की क्या हालत है। रहा सम्भल के मुताल्लिक, जो मेरा क्षेत्र है, म्युनिसिपल बोर्ड से भी लिखकर आ चुका है और मैंने भी लिख कर दिया है, यह डेढ़ लाख की आबादी की म्युनिसपैलिटी है, लिहाजा इसको एक्लास म्युनिसिपैलिटी घोषित किया जाय। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसे जरूर घोषित करने का कष्ट करें। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नगरों के अन्दर सफाई में जो सुअर पालन का सिस्टम है, इन्हें नगरपालिकाओं के एरिया से बाहर पालने की व्यवस्था की जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह के आदेश

जारी किये जायं क्योंकि इससे गन्दगी फैलने में मदद मिलती है और अगर बाहर व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि सफाई में मदद मिलेगी । मैं चाहता हूं कि सम्भल की तरक्की के लिए स्पेशल फाइनेन्शियल एड दी जाय, इसलिए मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह मदद करें . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

जो नये विधायक आ रहे हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है ।

एक अन्य सदस्य—

पर्वतीय क्षेत्र से एक भी व्यक्ति नहीं बोला है, दो मिनट बोलने के लिए दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव—

[xxx]

श्री अधिष्ठाता—

कुछ नहीं लिखा जायेगा, कोई चीज नहीं लिखी जायेगी ।

(शोर)

(श्री राम गोविन्द चौधरी को पुकारे जाने तथा कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने के लिए अनुमति मांगने पर) ।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें । कुछ अनुशासन के हिसाब से चलें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मुझे दो मिनट का समय दे दीजिये नहीं तो मैं बैठकर क्या करूंगा ?

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

हमें भी नियमों के अन्दर और समय के अन्दर रहकर अपने कार्य को करना पड़ता है ।

(श्री विक्रमादित्य पाण्डेय को सम्बोधित करते हुए)

माननीय पाण्डेय जी, जो बात आप कहना चाहते हैं, किसी स्पष्टीकरण में पूछ लीजियेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अगर सभी 425 माननीय सदस्यों के सुझाव लिये जायेंगे तो कम से कम 5-5 मिनट के हिसाब से भी आप जोड़ लीजिये कितना समय लगेगा ? मैंने कोशिश की कि दो-दो मिनट में सुझाव आ जायं, आपको समय भी दिया । अब 7 बजे इसको समाप्त करना है । सदन क्या रात के 12 बजे तक थोड़े ही चलेगा ? माननीय नेता, सदन और माननीय नेता विरोधी दल जो फैसला करते हैं, वैसी ही सूची बनकर आती है । आप अगर मेरी जगह बैठेंगे तो आपको भी वही निर्णय मानना होगा । माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि व्यवस्था के साथ सहयोग करें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन त्याग करता हूं ।

नोट—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

(श्री विक्रमादित्य पाण्डेय सदन त्याग कर चले गये)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें । मैंने माननीय चौधरी जी को बुला लिया है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आभारी हूं पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव मेरे कटौती के प्रस्ताव पर दिये हैं । सत्ता पक्ष के एक दो माननीय सदस्यों को छोड़कर लगभग पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्यों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है कि नगर विकास का काम आगे न बढ़ने का कारण है एकमात्र भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग और योजनाओं को केवल कागज पर बनाकर उन योजनाओं को कार्यान्वित न करना । सारे सदस्यों ने इस बात को कहा है कि नगरों की हालत अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गयी है, सड़कों की हालत दयनीय है, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है ? राज्य सरकार से और केन्द्र सरकार से बराबर अनुदान दिया जाता है इसके बावजूद भी नगर विकास चाहे आवासीय योजना हो, चाहे पेयजल की योजना हो या चाहे शौचालय या स्वच्छता की कोई योजना हो चाहे सीवर का कार्यक्रम हो यह तमाम योजनाएं आखिर क्यों नहीं पूरी होती हैं ? इसका एकमात्र कारण है कि शासन एवं विभाग के अधिकारियों के मन में ललचाई दृष्टि से पैसा कमाने का जो लोभ है उसे वे रोक नहीं पाते हैं ।

मैं इस सम्बन्ध में आपको चार-पांच मामले बताना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के शासनादेश एवं अधिनियम की अधिकारियों द्वारा अवहेलना है । शासन एवं नागरिकों को धोखा देकर मनमानी करने के उद्देश्य से एल0 डी0 ए0 के उपाध्यक्ष द्वारा लाखों रुपये के घोटाले की बात प्रकाश में आयी है । इसी तरह से शासन ने 1984 में आदेश जारी करके मिटिरियल्स क्रय करने का कार्य एक वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता श्री एस0 सी0 के0 सी0 गुप्ता को सौंपा गया था परन्तु वहां के उपाध्यक्ष के द्वारा श्री दूबे को जो मुख्य अभियन्ता हैं, व्यक्तिगत लाभ हेतु सौंपा गया । जब विभाग का एक आदमी एक को नीचा दिखा करके दूसरे आदमी को ऊपर उठा कर काम करायेगा तो निश्चित ही विभाग चौपट होने में देरी नहीं लगेगी ।

लखनऊ में ही रामतीर्थ मार्ग पर रामा एपार्टमेन्ट को गिराया जाना था लेकिन लाखों रुपया लेकर घूस में उसे नहीं गिराने दिया गया । इसी तरह से कदाचित अशोक मार्ग पर बलरामपुर हाऊस कई एकड़ जमीन पर पट्टे के शर्त के अनुसार बिना शासन के अनुमति के एक रिहायशी इमारत ही बन सकती थी लेकिन लाखों रुपये का धन घूस में लेकर भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग नक्शा पास कराके भूमि के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दे दी गयी है ।

इसी तरह से दुर्बल आय के व्यक्तियों को मकान देने में उपेक्षा की जा रही है । अभी तिवारी जी कह रही थीं कि हरिजनों के लिए मकान बने हुए हैं लेकिन बालू कैलाश नगर, आजादनगर, हाता रसूल खां

पर दो हजार परिवारों के रहने के लिए मकान बनाये गये हैं लेकिन उन मकानों में आज तक एक भी हरिजन को रहने के लिए व्यवस्था नहीं करायी गयी है।

अभी डाक्टर कौशल ने कहा कि आगरा में एक भी हरिजन को मकान नहीं दिया गया है। जो धन केन्द्र सरकार से, राज्य सरकार से और अन्य संस्थाओं से जैसे वर्ल्ड बैंक से गरीबों के लिए योजना के नाम पर लिया जाता है, लेकिन उनको मकान न देकर संपन्न लोगों को मकान देने का काम किया जा रहा है।

एल0 डी0 ए0 में ही राजकीय निर्माण निगम से कार्य वापस कर लिये गये और व्यक्तिगत ठेकेदारों के माध्यम से काम को कराया जा रहा है जिसमें लाखों रुपयों का घोटाला का मामला प्रकाश में आ रहा है। नगर के विकास कार्यों की उपेक्षा हो रही है। समय-समय पर जो भवन बनाने की योजना पारित करायी गयी हैं उसका उदाहरण गोमती नगर की योजना आपके सामने है। अभी माननीया मंत्री जी बड़े जोर-शोर से कह रही थीं कि इस योजना में दसियों करोड़ रुपया वसूल लिया गया है लेकिन मैं कहता हूं कि आज तक वहां प्लाट के आवंटन की कोई योजना नहीं बन पायी है। बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई करने वाले ठेकेदारों ने दसियों करोड़ रुपये जमा किये हैं। लेकिन उनको अपना सामान ले जाने के लिए एक सड़क तक नहीं बनाई गयी। यहीं अलीगंज स्कीम बन गयी है तथा बन रही है 15 वर्षों से काम चल रहा है, सड़क टूटी फूटी है, कोई व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, सड़कें भी दयनीय स्थिति में हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अकेले एल0 डी0 ए0 में लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला इस हाउस में भी आया जिसमें आपकी पीठ से उसकी जांच करने का काम सौंपा गया। लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं कि ऐसा विकास प्राधिकरण जिसमें घोटाला ही घोटाला है। केवल एल0 डी0 ए0 ही नहीं प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण भी हैं, उनमें घोटालों के कारण से ही काम अवरुद्ध होता जा रहा है और आवासीय योजना का काम विकसित नहीं हो पा रहा है।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का मामला हाउस में आया था जिसमें ठेकेदारी के मामले में कम से कम 50 लाख रुपया गलत तरीके से पेमेन्ट कर दिया गया। एक एल0 डी0 ए0 के उपाध्यक्ष के द्वारा करोड़ों रुपये का गबन कर लेना और आवासीय योजना को सही ढंग से लागू न करने के कारण यहां मंत्री जी को माननीय सदस्यों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। माननीय मंत्री जी जब इस हाउस में चर्चा कर रही थीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के घोटाले के सम्बन्ध में उसकी चर्चा करती कि उसमें वह क्या कर रही हैं परन्तु घोटाले की चर्चा नहीं किया। इसलिए हमको शंका है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के घोटाले में कहीं न कहीं इनका भी हाथ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वाटर सप्लाई के सम्बन्ध में, माननीय मंत्री जी ने तो कहा ही और मैं आपसे कहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शत प्रतिशत गांवों को जो पानी देने की और नगरों

को पानी देने का जो प्राविधान है वह केवल जो उनकी योजना चल रही है उससे पूरा नहीं होगा। उनकी योजना है देहातों में हैण्ड पाइप लगाने की, एक हैण्ड पाइप के लगवाने में 18-19 हजार रुपये का खर्च आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

संक्षेप में कहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

और 24 सौ रुपया खर्च हो रहा है उसको पानी देने के लिए विकसित करने में। एक चबूतरा बनाने में 7 बोरी सीमेन्ट का प्राविधान है, ड़ेढ़ दो बोरी लगाते हैं और 5 बोरी ब्लैक कर दी जाती है। एक साधारण पम्प पर अगर 500 रुपया खर्च करके उसको लगाये जाते तो कम से कम 60 प्रतिशत गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाती। लेकिन इस तरह से महंगे हैण्ड पाइप लगाकर इस योजना को कम विकसित करने का काम किया गया। माननीय प्रेमवती तिवारी जी कह रही थीं जो जमीन ली जा रही है आवासीय हरिजनों के लिए उसका मुआवजा तुरन्त दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ के किसानों की महंगी जमीन 3 साल पहले ली गयी मास्टर प्लान के नाम पर 3 साल से वहां पर कोई योजना नहीं कार्यान्वित है, बिल्कुल जमीन खाली पड़ी है और किसानों को कोई मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है।

लैण्ड सीलिंग की बात आई है लैण्ड सीलिंग में उन्हीं लोगों को लाभ हुआ है जो बड़े-बड़े भूस्वामी थे उन्होंने सीलिंग के नाम पर करोड़ों रुपया कमाया है। वह अधिकारी जो सीलिंग में काम करते थे उन्होंने भी लाखों करोड़ों रुपया कमाया है। आपको पता होगा कि इसी हाउस में प्रश्न आया था पिछले साल विमला तिवारी ने किया था कि यहां सीलिंग वाली जमीन के मामले में तो उत्तर आया था कि एक साल में 2-3 मामले का निस्तारण ही होता है और यहां पर 200 फाइलें इसी सीलिंग कार्यालय में जला दी गयीं और उसका रिकार्ड नष्ट कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह से इनकी योजनाएं चालू रहेंगी तो निश्चित रूप से जिस आक्रोश का सामना माननीय मंत्री जी को करना पड़ा है वह करना ही पड़ेगा। अगर आप इससे बचना चाहती हैं, तो विभाग के भ्रष्टाचार को समाप्त करें। अगर भ्रष्टाचार नहीं मिटायेंगी तो इसका नतीजा यह होगा कि जो आवासीय योजना है, जो लाभ के लिए प्रारम्भ की गयी है, उससे प्रदेश के लोगों का भला नहीं होने वाला है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आवासीय योजना में खेतिहर जमीन को अधिगृहीत किया जा रहा है, तो मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि उत्पादक चीजों को लेकर अनुत्पादक चीजों में न लगावें। मान्यवर, सड़कों के विषय में बार-बार यहां पर कहा गया है कि सड़कें ठीक नहीं हैं, कमजोर हैं और वह टूट जाती हैं तथा उन पर सफाई कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं मांग करता हूं कि जो सड़कें नगरपालिका, नगरमहापालिका, टाउन एरिया या कन्टोनमेन्ट टाउन्स की हैं, उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाये, यह कार्य विकास

प्राधिकरण के करने की बात नहीं है। मान्यवर, नजूल की जमीन है, अगर गलत तरीके से कोई उस पर कब्जा करना चाहता है, तो उसके विरुद्ध सचिव के यहां पर वाद दायर करना पड़ता है, लेकिन उसका स्टे नहीं मिल पाता है और जब तक मुकदमा चलता है, वह मकान बन कर तैयार हो जाता है। इसमें सरकार का बहुत सा रुपया नष्ट हो जाता है। मान्यवर, उसी तरह का वाराणसी का एक मामला है, जहां पर लोगों को जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में आज भी मैले को सिर पर ढोने का काम चल रहा है। सरकार ने योजना बनायी है कि स्वच्छ शौचालय बनाये जायेंगे। शुष्क शौचालयों की जगह लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जाकर देखें उनकी स्थिति क्या है, उनकी रूपरेखा क्या है ? श्रीमन्, वह बिलकुल गन्दे हैं, उनमें पानी का अभाव है और पानी न होने के कारण बदबू आती है उनको कोई यूज नहीं करता है अगर आप अपनी योजना को लागू करना चाहती हैं और प्रदेश की जनता को सुख और सुविधा प्रदान करना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आप मास्टर प्लान के तहत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करावें।

श्रीमन्, अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, देहात में आप चले जायें सड़कों के किनारे, शर्म आती है कि हजारों की संख्या में औरतें बैठ जाती हैं, पाखाना करने और पेशाब करने वह तमाम अपनी इज्जत को सर को नीचे झुकाए हुए यह कार्य करती हैं। नगरों में तो आप स्वच्छ शौचालय बनाने जा रहे हैं मैं मांग करता हूं कि विश्व बैंक से पैसा लेकर आप गांवों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करें।

एक सदस्य—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य तेजी में हैं। इसलिए मैं 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे क्षेत्र में एक भी टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया नहीं है, इसलिए कटौती का प्रस्ताव रखने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में सहतवार, रेवती, बांसडीह, सियर, बेल्थरा रोड और रसड़ा में टाउन एरिया है और नगर बलिया में नगरपालिका है। लेकिन दुख की बात है कि जो यह आपके विभाग द्वारा परफारमेन्स की किताब बंटी है उसमें बलिया जनपद का नाम ही नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के समय लड़ाई में जिस बलिया ने अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर सहयोग दिया, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी और जो बलिया आजादी की घोषणा होने के 24 घन्टे पहले ही आजाद हो गया उसका नाम इस आपकी परफारमेन्स की किताब में नहीं है। इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या हो सकती है। वहां के लिए सीवर हेतु जो पैसा मिला उसे वहां के अधिकारियों ने सीवर की समस्या को हल न करके सड़क बना दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बलिया में 8-1 साल पहले लोगों से फार्म भरवाये आपके आवास विकास विभाग ने, कि हम तुम्हारे लिये

मकान बनाकर देंगे उस नाम पर पैसा भी जमा करा लिये लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

अब मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । जब यहां पर माननीय राम सिंह खन्ना जी स्वायत्त शासन के मंत्री थे तो उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत करते समय घोषणा की थी कि हम नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए उनके लिए एक वेतन आयोग गठित करेंगे लेकिन आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ न तो माननीय मंत्री जी ने उसकी घोषणा ही किया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम गोविन्द जी, कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आपके पास काफी समय था, उस समय बोल सकते थे . . .

श्री राम गोविन्द चौधरी—

श्रीमन्, आप अधिष्ठाता हैं । उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र और स्वायत्त शासन मंत्री श्री राम सिंह खन्ना दोनों ने सम्मिलित रूप से यह घोषणा की थी और मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र ने पेन्शनरों का एक सम्मेलन बुलाकर यह घोषणा की थी कि इस विभाग में पेन्शन योजना लागू की जायेगी । लेकिन वह आज भी खटाई में पड़ी है । यही नहीं, श्रीमन्, जब यहां पर माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं को भंग करने के विषय में एक सलाह इसी सदन में दी थी और यह कहा था कि इसके लिए एक कमेटी बना दी जाय जिसमें हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज हो, नेता विरोधी दल हों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के ऐसे सदस्य हों जिन पर कोई उंगली न उठा सके । उनकी एक कमेटी बना दी जाय और जब तक वे यह प्रस्ताव न करें कि चुने हुए लोगों ने कोई वित्तीय अनियमितता की है तब तक उनको भंग न किया जाय । लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं किया गया । मैं आपको तो नहीं कहता लेकिन माननीय खान गुफरान जाहिदी जो अध्यक्ष आवास विकास परिषद् हैं, जब वे बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं को भंग करने के लिए उन्होंने हम लोगों की तरफ इशारा किया और कहा कि जनता पार्टी ने भंग किया ऐसे प्रकांड विद्वान जो उस समय स्वयं जनता पार्टी में थे और जब हम सन् 77 में जनता पार्टी से चुनकर यहां आये तो एक वर्ष पहले ही इन नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो गया था 3 साल के बाद कांग्रेस की सरकार के बाद जब नारायण दत्त जी की सरकार पुनः सत्ता में आयी तब भी आज तक चुनाव नहीं हो रहे हैं । तो यह आप देख लें । क्यों ऐसा हो रहा है ?

अब मान्यवर, मैं अखबार की कुछ कतरने पढ़ना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता—

मैं अधिष्ठाता पीठ से कैसे आपकी बात का जवाब दूं । वहां होता तो जवाब देता ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

एक संपादकीय लेख में कहा गया है कि—"स्थानीय निकाय और कांग्रेस ।" उसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव

नहीं करा पा रही हैं इसलिए उसे जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। वह क्षमा मांगने के लायक भी नहीं हैं जो चुनाव आज तक नहीं करा पाये। (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त कीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

लखनऊ विकास प्राधिकरण में असंतोष की लहर। प्रोन्नति को लेकर विभाग में असन्तोष है। लाखों रुपयों का घोटाला प्रोन्नतियों में किया गया है। मान्यवर, शाहजहांपुर में एक कालोनी बनी उसका निर्माण कार्य पूरा होने के एक वर्ष के अन्दर वह कालोनी ढह गयी यह 1 जून 84 के नवजीवन में दिया है उसमें जो दूकानें बनीं वह एलाटमेन्ट से पहले टूट गयी।

अतिक्रमण कानून में संशोधन के संबंध में 19-1-84 के नवजीवन में आया है कि शासन इसमें संशोधन करने की आवश्यकता समझता है। मैं सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि सरकार की शह पर ही आज अतिक्रमण हो रहे हैं और लोग नजूल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सड़कें पटरी दुकानदार एवं अन्य लोगों के कारण जाम हो रही हैं।

नगरपालिका के इंजीनियरों के वेतन में असमानता है और उनकी प्रोन्नति और नियुक्ति में धांधलियां और गड़बड़ियां हो रही हैं। लखनऊ नगरमहापालिका में तीन सौ कर्मचारी बेकार हो गये हैं वहां पर कम्प्यूटर से काम किया जा रहा है। उनके लिए कहा गया कि ऐसे लोगों को दूसरे काम पर लगाया जायेगा लेकिन वे बेकार बैठे हैं लाखों रुपया उनके तनख्वाहों का रुपया बेकार में दिया जा रहा है। इसी तरह से बिना स्वीकृति के एल0 डी0 ए0 ने करोड़ों रुपये का वाहन क्रय कर लिये गये लाखों रुपया अनियमित रूप से खर्च कर दिया गया है वाहनों के खरीदने में।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

यह सरकार अपने को गरीबों का हितैषी कहती है। लखनऊ नगरमहापालिका ने चुंगी कर को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है जिसे सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

यह अमृत प्रभात की कटिंग है 20-7-85 की जिसमें लिखा है मुख्य मंत्री ने चुनाव कराने की बात कही है लेकिन चुनाव नहीं होंगे। मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, यह कई बार हो चुका है इसलिए चुनाव होना सम्भव नहीं है।

इसी सम्बन्ध में दो तीन बातें और कहना चाहता हूं चुने हुये प्रतिनिधियों के समय में नगरपालिकाओं को होने वाली आय का 60 परसेंट विकास कार्यों पर खर्च होता था लेकिन आज जब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं नगरपालिकायें घाटे में जा रही हैं। उनमें कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। आज हिन्दुस्तान में एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है हर आदमी चाहता है कि दो दिन में, दो माह में या साल भर में या पांच साल में वह करोड़पति हो जाय। यह कमजोरी तमाम लोगों में बढ़ती जा रही है और प्रशासन में बैठे हुए लोग इससे नहीं बचे हैं वे

दिन प्रतिदिन इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार नगरों का विकास नहीं हो रहा है बल्कि उसके चलते उसका विनाश हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह आपके आई0 एस0 एस0 या पी0 सी0 एस0 के लोग जो इनमें प्रशासक बने हुए हैं उनको विकास के कामों से कोई मतलब नहीं है वे तो केवल अपने परिवार की उन्नति और अपने ठाठ-बाट को बढ़ावा करने में लगे हुए हैं और इसके लिए संपत्ति बटोर रहे हैं।

श्रीमन्, यह सरकार संकल्पविहीन सरकार है, इसकी कोई इच्छाशक्ति नहीं है जिसके कारण विकास कार्यों का कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा करके समाप्त करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, हमारा तो लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास है इसलिए हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा सरकार कर रही है जिससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने जा रही है। अगर यही हालत रही तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला सर्वहारा वर्ग जो है वह क्रांति की अगवानी करेगा वह क्रान्ति खूनी क्रान्ति के रूप में वर्ग संघर्ष के रूप में देश के सामने आ सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस विभाग के मंत्री भी हैं, लेकिन आज बजट पेश हुआ और वह नहीं आये, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, मुख्य मंत्री की गलत नीतियों के कारण वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है, नगरों में सफाई नहीं है, सड़कें टूटी हैं, गंदगी का साम्राज्य है, नगर न तो नगर के तरह लगते हैं न तो गांव के तरह हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में यदि थोड़ी भी गैरत है और प्रदेश की जनता को आवासीय कष्ट से रक्षा करना चाहती है तो मैं मांग करता हूं और चाहता हूं कि नगरों को विकसित करने की योजनाएं लागू की जायं, पेयजल की समस्या हल की जाय और यदि सरकार यह नहीं कर सकती है तो यह सरकार तुरन्त इस्तीफा दे दे और दूसरी सरकार गठित हो जो इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में ईमानदारी से काम कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपके माध्यम से पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बहुमूल्य सुझाव दिये और मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्रीमती पद्मा सेठ—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों, पक्ष और विपक्ष, के जो अमूल्य विचार हमारे सामने आये हैं, मैं विश्वास दिलाती हूं कि उन सभी के ऊपर पूरी तरह से विचार करूंगी। मान्यवर, मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हम हर शहरी तथा ग्रामवासी को जरूरत की हर चीज मुहैय्या करें और साथ ही उनको मकान या जमीन जिसकी उन्हें जरूरत हो वह भी मुहैय्या करें। मान्यवर, हर इंसान की इच्छा होती है कि उसका अपना एक घर हो, उसके एक सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगी।

मान्यवर, यहां भ्रष्टाचार की बात आयी। मैं जानती हूं हमारे विभाग में काफी कमियां और कमजोरियां हैं और भ्रष्टाचार भी है लेकिन उसको मिटाने के लिये शासन पूरी तौर से प्रयत्नशील है और उसके लिये काफी कड़े कदम उठाये गये हैं और आगे भी उठायेगा।

श्रीमन स्थानीय निकायों की बात आयी जिसके संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं यहां सदन में कि चुनाव जल्द से जल्द करायेंगे, उसकी प्रक्रिया तो शुरू हो गयी है और इसी साल समाप्त होने के पहले प्रथम चरण के चुनाव हो जायेंगे और दूसरा चरण जल्द पूरा होगा, इसलिये चुनाव जल्द होंगे।

मान्यवर, इस शब्दों के साथ मैं अनुरोध करती हूं कि माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेकर इसको पास कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,50,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,71,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों की जांच के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी आज्ञा से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं । यह सदन दिनांक 7 अगस्त, 1985 का उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प से सहमत है—

(इस समय 6 बज कर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

यह सदन राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों की जांच के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के गठन के संबंध में यह संकल्प करता है कि :

(1) राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाय जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति कहलाए और जिसमें सभापति का शामिल करते हुए 35 सदस्य हों, जिसमें से 25 सदस्य विधान सभा के और 10 सदस्य विधान परिषद् के होंगे । उक्त सदस्य प्रत्येक सदन के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट) द्वारा निर्वाचित होंगे,

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नहीं होंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायं तो ऐसी नियुक्ति की तिथि में उनकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।

(2) इस समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों को तथा संतुलन पत्रों और लाभ एवं हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना जिन्हें तैयार करने की राज्यपाल ने अपेक्षा की हो या जो किसी विशेष सार्वजनिक उपक्रम या निगम के लिए वित्तीय व्यवस्था विनियमित करने वाले संविहित नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किये गये हों और उन पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की यदि कोई हो, जांच करना ।

(ख) उक्त उपक्रमों एवं निगमों की स्वायत्वता को ध्यान में रखते हुए उनकी दक्षता की जांच ऐसे दृष्टिकोण से करना कि क्या उनका प्रबन्ध ठोस व्यावसायिक सिद्धान्तों तथा व्यापारिक कर्य प्रणाली के अनुसार किया जा रहा है ।

(ग) उक्त उपक्रमों एवं निगमों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कर्त्तव्य जो अन्यथा लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के कार्य क्षेत्र में आते हों, जिन्हें विधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सभा के अध्यक्ष इस समिति को समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

(3) समिति निम्नलिखित मामलों की जांच नहीं करेगी—

(क) शासन की नीति के प्रमुख मामले जो सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों से भिन्न हों,

(ख) दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामले,

(ग) ऐसे मामले जो सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम/निगम की स्थापना करने वाले अधिनियम द्वारा किसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित किये जाने हों ।

(4) यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई विषय सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है अथवा नहीं, तो यह मामला अध्यक्ष विधान सभा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) उक्त समिति विधान मंडल के दोनों सदनों को समय समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगी ।

(6) उक्त समिति के सभापति की नियुक्ति विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी । समिति की बैठक करने के लिए गणपूरक संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी ।

(7) समिति का कार्यकाल वह वित्तीय वर्ष होगा जिसके लिए वह गठित की जाय परन्तु ऐसे कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भी वह उस समय तक बनी रहेगी और कार्य कर सकेगी जब तक कि नयी समिति गठित न हो जाय ।

(8) अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष विधान सभा द्वारा किये जायं ।

(9) इस संकल्प के अधीन उक्त संयुक्त समिति के गठन के दिनांक से विधान सभा एवं विधान परिषद् की तद्विषयक पृथक-पृथक समितियां समाप्त हो जायेंगी ।

यह सदन विधान सभा से यह सिफारिश करता है कि विधान सभा कृपया इस संकल्प पर अपनी सहमति प्रदान करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त संकल्प से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कौशिक रमाशंकर—

इसमें विरोध पक्ष का सभापति रहे । इसका महत्व पी0 ए0 सी0 कमेटी के बराबर ही है ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

इसमें कहां लिखा है कि सत्ता पक्ष का होगा ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

यह संकल्प है, जिसका फरमान अंश यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान

परिषद् द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प से सहमत हैं, तो यह इसी बात में संशोधन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब तो यह पारित हो गया है, इसके बारे में अब क्या कहना है आपको ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैं इस सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं । (श्री कौशिक रमा शंकर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कौशिक जी यह पारित हो गया है, तो अब क्या उठाना है ?

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मैं पूर्व परिपाटी से अलग नहीं जा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

यह पारित हो गया है, आप कृपया बैठें ।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जब यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित हो चुका है तो उसके बाद क्या इस पर चर्चा की जा सकती है ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

अभी कहां पारित हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

यह पारित हो गया है । माननीय कौशिक जी आप बैठिये ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

जब यह पास हो गया है तो विवाद क्यों करवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा, सीतापुर के विदेशी नागरिक होने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां सीतापुर से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये हैं । लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र "प्रतिदिन" के 18 जुलाई, 1985 के अंक में उनके विषय में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें उनकी भारतीय नागरिकता के बारे में संदेह प्रकट किया गया था । इस मामले को इस सदन में दो माध्यमों से उठाने का प्रयास किया गया है ।

पहली सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने दिनांक 19-7-85 को दी थी जिसमें उक्त समाचार पत्र के प्रकाशक के विरुद्ध सदन की अवमानना की बात उठायी गयी है । श्री वर्मा के अनुसार उक्त समाचार पत्र ने श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां को विदेशी नागरिक बताया है और प्रमाण सहित यह साबित करने की कोशिश की है कि उन्होंने साजिश करके मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है, जिससे इस सदन की अवमानना हुयी है ।

दूसरी सूचना औचित्य प्रश्न के माध्यम से श्री शतरुद्र प्रकाश ने दिनांक 22-7-85 को दी है। श्री शतरुद्र प्रकाश के अतिरिक्त इस मामले में माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, माननीय राजेन्द्र गुप्त, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा, माननीय गौरी शंकर भइया माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय माता प्रसाद पांडेय, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा तथा माननीय नेता विरोधी दल ने भी अपने विचार व्यक्त किये थे।

इस संबंध में यह कहना असंगत न होगा कि दिनांक 19-7-85 को इस मामले पर कुछ चर्चा विधान परिषद् में भी हुयी थी। इसके उपरांत दिनांक 6-8-85 को सदन में श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां ने नियम 291-क के तहत अपना स्पष्टीकरण भी दिया था। पूरे मामले को सुनने के बाद मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था जो अब दे रहा हूं।

इस मामले पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित बिंदु उठाये गये थे—

1—क्या विधान सभा के किसी सदस्य के सम्बन्ध में कोई चर्चा विधान परिषद् में की जा सकती है?

2—क्या श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां विदेशी नागरिक हैं और क्या वह इस सदन के सदस्य हो सकते हैं?

3—क्या श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां की सदस्यता का मामला संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत श्री राज्यपाल को भेजा जाना चाहिए?

जहां तक विधान परिषद् में चर्चा का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि विधान मंडल के दोनों सदनों का आपसी संबंध परम्परानुसार सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिए। दोनों सदन अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और किस विषय पर कब चर्चा करना है, इसका फैसला उसी सदन को करना चाहिये। एक सदन दूसरे सदन के निर्णयों पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करता। संसदीय परंपरा तो यह है कि एक सदन दूसरे सदन में कही गयी बातों के प्रति बहरा समझा जाता है। अतः इस प्रश्न पर विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि विधान परिषद् में यह मामला उठाया जा सकता था अथवा नहीं।

जहां तक माननीय सदस्य की विदेशी नागरिकता का सवाल है, श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 6-8-85 में यह स्पष्ट कहा है कि जन्म से आजतक वे भारतीय नागरिक रहे हैं और उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता कभी भी हासिल नहीं की। माननीय सदस्य ने पासपोर्ट की फोटो प्रतियां दाखिल की हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वे वर्ष 1959 से भारतीय नागरिक अंकित किये जाते रहे हैं। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि उनका मकान नंबर 96 है तथा मतदाता सूची में उनका नाम क्रम संख्या 1218 पर दर्ज है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस सदन का कोई माननीय सदस्य भारतीय नागरिक है अथवा नहीं और उसका निर्वाचन कानूनी तौर पर सही है अथवा नहीं, इस पर विचार करना इस सदन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अन्तर्गत जब नई विधान सभा गठित करने के प्रयोजन से सामान्य

निर्वाचन के उपरान्त निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाय तो उस विधान सभा की बाबत यह समझा जायेगा कि वह सम्यक् रूप से गठित हो गयी है। इतना ही नहीं उपरोक्त अधिनियम की धारा 80 में यह प्राविधान भी किया गया है कि किसी सदस्य के निर्वाचन को, एलेक्शन पेटीशन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से चुनौती नहीं दी जायेगी।

जहां तक संविधान के अनुच्छेद 192 का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग बनाम साका बेन्कटा (1953 एस0 सी0 आर0 1144) के मामले में यह निर्णय दे रखा है कि श्री राज्यपाल को उन्हीं दशाओं में कोई विवाद संदर्भित किया जा सकता है जहां डिस्क्वालिफिकेशन या अर्हता, निर्वाचन के उपरान्त हासिल की गयी हो। यदि कोई व्यक्ति चुनाव के पूर्व से ही अनर्ह है तो अनुच्छेद 192 लागू नहीं होता।

उपरोक्त परिस्थितियों में यह मामला नियम 300 की परिधि में नहीं आता और मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

दैनिक अखबार 'प्रतिदिन' के विरुद्ध उठाये गये सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

जहां तक श्री बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा दैनिक अखबार "प्रतिदिन" के विरुद्ध सदन की अवमानना का प्रश्न है, मैं उसे भी अस्वीकार करता हूं क्योंकि माननीय सदस्य की लिखित सूचना दिनांक 19-7-85 तथा उनके भाषण दिनांक 22-7-85 परस्पर विरोधी हैं। जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम 63 की रचना की गयी है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रश्नगत सूचना प्रस्तुत की गयी नहीं प्रतीत होती। समाचार पत्रों को अपनी बात कहने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाना मुनासिब नहीं प्रतीत होता। अतः श्री वर्मा को इस मामले को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मन्त्री श्री रघुवीर सिंह यादव के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय।

श्री अध्यक्ष—

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, सदस्य, विधान सभा, ने माननीय कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री रघुबीर सिंह यादव के विरुद्ध 17 मई, 1985 को विशेषाधिकार के हनन के प्रश्न की सूचना देते हुए कहा है कि उन्हें आबंटित दारुलसफा स्थित आवास संख्या 130-बी ब्लाक पर माननीय मंत्री जी के कुछ लोग कब्जा किये हुए हैं, और जब इस विषय में उन्होंने माननीय मंत्री जी से फ्लैट खाली करने हेतु अनुरोध किया तो उन्होंने उक्त आवास को खाली करने में असमर्थता व्यक्त की। माननीय सदस्य ने आगे कहा कि श्री रघुवीर सिंह यादव को बंगला मिला हुआ है, फिर उक्त आवास खाली न करके उनकी आवासीय सुविधा में बाधा उत्पन्न की गयी, जिसके फलस्वरूप श्री अंसारी को विधायी कार्य करने में दिक्कत उठानी पड़ी है।

प्रश्नगत विषय में मैंने माननीय मंत्री जी से जानकारी की। माननीय मंत्री ने

अपने पत्र दिनांक 23-7-85 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त आवास उन्होंने खाली कर दिया है। माननीय सदस्यों को जो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गयी है वह एक सुविधा मात्र है। इस सुविधा में यदि कोई अस्थायी अड़चन पैदा हो जाती है तो उससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अतः मैं इसे विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

खाद्य एवं रसद मंत्री श्री वासुदेव सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

फजलुल बारी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 20-7-85 को माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री श्री वासुदेव सिंह के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना देते हुए कहा है कि दिनांक 22-3-1984 को माननीय वासुदेव सिंह द्वारा सदन में कहे गये कतिपय वाक्यों से उनकी एवं सदन के अन्य सदस्यों की अवमानना हुई है।

इस मामले में मैंने माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री श्री वासुदेव सिंह से जानकारी की। माननीय श्री वासुदेव सिंह ने कहा है कि उन्होंने अभिव्यंजना की स्वतंत्रता के अधीन रहते हुए अपना भाषण दिया था। उनका आशय विचारों की अभिव्यक्ति था, किसी के अवमान अथवा असम्मान का नहीं तथा सदन के किसी सदस्य को उस समय और उसके पश्चात् अवमानना का आभास नहीं हुआ।

माननीय सदस्य की सूचना एवं इस संबंध में माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा दी गयी जानकारी से यह स्पष्ट है कि—

(1) माननीय सदस्य की प्रश्नगत सूचना लगभग 15 माह बाद दी गयी है, अतः अत्यधिक विलम्बित है।

(2) संविधान के अनुच्छेद 194(1) के अन्तर्गत सदन के सभी माननीय सदस्यों, जिनमें मंत्री सम्मिलित हैं, को सदन में आजादी से भाषण करने का अधिकार प्राप्त है, जब तक कोई असंसदीय बात न कही जाय, तथा

(3) माननीय श्री वासुदेव सिंह ने सदन अथवा उसके सदस्यों के प्रति 22-3-1984 को कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहे हैं।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं बनता है, और मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

डा0 के0 एस0 कपूर वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना, के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

अपने पत्र दिनांक 21-4-85 द्वारा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा सदस्य विधान सभा ने गोरखपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डा0 के0 एस0 कपूर के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि जब दिनांक 20-4-85 को उन्होंने परिवार के लिये दवा लाने हेतु अधिकार पत्र सहित एक आदमी को गोरखपुर सिविल अस्पताल भेजा तो

डा0 कपूर ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुये दवा देने से मना कर दिया। बाद में संयुक्त निदेशक डा0 खरे के कहने के बावजूद डा0 कपूर ने दवा देने में अनौचित्य का प्रदर्शन किया।

श्री ओझा के पत्र की प्रतिलिपि भेजकर मैंने स्वास्थ्य मंत्री से तथ्यों की जानकारी की। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 12-7-85 में जो स्थिति बताई है, वह इस प्रकार है—

1—जब श्री ओझा का आदमी दवा लेने गोरखपुर सिविल अस्पताल आया तो उसके पास डाक्टर का कोई पर्चा नहीं था और न उसने 50 पैसे की पर्ची ही बनवाई।

2—बाद में डा0 खरे के हस्तक्षेप पर 10 दवाओं में से 6 दवाएं लोकल परचेज के आधार पर उपलब्ध करा दी गईं।

3—चार दवायें जो नहीं दी गईं वे टानिक आदि थीं।

4—किसी डाक्टर द्वारा दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

पूरे मामले पर गौर करने के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है। यदि श्री ओझा का सभी तर्क अक्षरशः सत्य मान लिया जाय तो भी यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य दिनांक 20-4-85 को गोरखपुर सिविल अस्पताल सदन के अथवा उसकी किसी समिति के किसी कार्य से नहीं गये थे। सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन तभी होता है जब ऐसा सदस्य सदन के या उसकी समिति के कार्यों के लिये कहीं जाय और उसके कार्यों में बाधा पहुंचाई जाय।

वर्णित परिस्थितियों में इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। फिर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे चिकित्सा अधिकारियों का ध्यान इस ओर पुनः आकृष्ट कर दें कि वे माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टता का व्यवहार करें।

परिवहन मन्त्री राज कुमार संजय सिंह को प्रादेशिक डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 2 अगस्त, 1985 को माननीय रेवती रमण सिंह ने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह तर्क सदन में प्रस्तुत किया था कि परिवहन मंत्री राजकुमार संजय सिंह को प्रादेशिक डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो अनुचित है। इस प्रश्न पर श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राजेन्द्र गुप्त ने भी अपने विचार व्यक्त किये थे। इस सम्बन्ध में सदन में निम्नांकित मुद्दे उठाये गये थे—

1—माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया सम्बन्धी करण के पैरा 67 के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई थी। अतः प्रश्नगत नियुक्ति के मामले में उपरोक्त करण 67 का उल्लंघन किया गया है।

2—उपरोक्त नियुक्ति से उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है।

3—राजकुमार संजय सिंह की प्रश्नगत नियुक्ति "आफिस आफ प्राफिट" मानी जायगी और वे इस सदन की सदस्यता के लिए अनर्ह हो गये हैं।

जहां तक प्रथम बिन्दु का प्रश्न है, करण संख्या 67 में यह प्राविधान है कि जब कभी विधान सभा का कोई सदस्य सरकार द्वारा गठित किसी समिति की सदस्यता या अध्यक्षता हेतु आमंत्रित किया जाय तो उसे अध्यक्ष, विधान सभा की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। करण संख्या 67 का उल्लंघन उसी दशा में होगा जब कोई सदस्य सरकार द्वारा गठित किसी समिति की सदस्यता स्वीकार करे और ऐसी स्वीकृति के पूर्व वह अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त न करे। यदि समिति सरकार द्वारा गठित न की गई हो तो करण संख्या 67 के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक न होगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई सदस्य किसी विद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य या सभापति नियुक्त किया जाता है तो करण संख्या 67 के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक नहीं है। सरकार द्वारा गठित समिति तथा किसी अधिनियम के अन्तर्गत गठित समिति में अन्तर है। प्रश्नगत मामले में राज कुमार संजय सिंह की नियुक्ति सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29(4) के अन्तर्गत की गई थी। उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की गयी थी। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और चूंकि डेयरी फेडरेशन के प्रशासक तथा उसके अध्यक्ष की नियुक्ति रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है, इसलिए यह कहना उचित न होगा कि प्रश्नगत नियुक्ति सरकार द्वारा गठित समिति से संबंधित है।

इतना ही नहीं इस सदन की यह परम्परा रही है कि यदि शासन का कोई मंत्री किसी समिति का सदस्य या सभापति नियुक्त किया जाता है तो करण संख्या 67 लागू नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए वर्ष 1979 में प्रादेशिक हरिजन एवं पिछड़ी जाति कल्याण परिषद् की सदस्यता हेतु 21 माननीय सदस्यों के बारे में शासन से अनुमति मांगी गयी थी जिसमें तत्कालीन मंत्री श्री त्रिलोकचन्द्र तथा श्री देवराम भी शामिल थे। दिनांक 16 जून 1979 को तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद, जो संविधान के अनुच्छेद 180 के अन्तर्गत अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, ने यह निर्णय दिया था कि श्री त्रिलोकचन्द्र तथा श्री देवराम जो शासन के सदस्य थे के विषय में अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार दिनांक 5 जुलाई, 1979 को श्री अब्दुल रउफ लारी जो उस समय राज्य मंत्री थे, के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि नैतिक शिक्षा व्यायाम तथा योगासन संबंधी सरकारी समिति में कार्य करने हेतु माननीय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त परम्पराओं तथा प्रकरणों की पृष्ठभूमि में मैं इस मत का हूं कि प्रश्नगत मामले में करण संख्या 67 लागू नहीं होता। जहां तक मंत्रियों के वेतन भत्ता संबंधी अधिनियम संख्या 14 ,सन् 1981 का

प्रश्न है, उसकी धारा 10 में यह उल्लेख है कि कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान कोई वृत्ति या व्यापार नहीं करेगा और न कोई ऐसा नियोजन स्वीकार करेगा जिसमें मंत्री के कर्तव्यों से भिन्न कोई पारिश्रमिक मिलता हो। डेरी फेडरेशन की अध्यक्षता को वृत्ति या व्यापार की संज्ञा नहीं दी जा सकती और न इसे पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला नियोजन ही कहा जा सकता है।

जहां तक तीसरे बिन्दु का सवाल है यह सर्व विदित है कि संविधान के अनुच्छेद 191 के अन्तर्गत लाभकारी पद धारण करने वाला सदस्य इस सदन की सदस्यता के लिए तभी अनर्ह होता है जब लाभकारी पद पर उसकी नियुक्ति सदस्यता प्रारम्भ होने के बाद की गई हो। 1953 एस0 सी0 आर0 पृष्ठ 1144 में प्रतिवेदित सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्णय दिया है कि निर्वाचन के पूर्व की अनर्हता का मामला अनुच्छेद 191 की परिधि में नहीं आता। डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर राजकुमार संजय सिंह की नियुक्ति मार्च, 1985 के आम चुनावों के पूर्व की गयी प्रतीत होती है। अतः माननीय सदस्यों के तीसरे तर्क में भी बल प्रतीत नहीं होता।

मैं औचित्य के उपरोक्त प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक श्री बेनी प्रसाद वर्मा जो लखीमपुर खीरी में एक युवक की हत्या से संबंधित है वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है तथा दूसरी सूचना श्री त्रियुगी नारायण मिश्र, जो गोरखपुर कैन्ट थाने की पुलिस तथा आसामाजिक तत्वों द्वारा दैनिक आज के प्रबन्धक के आवास का सामान लूटे जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की है शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

बरेली के श्री राम नाथ यादव की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय। (सदन की अनुमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)—

[दिनांक 14-7-1985 को वादी श्री चन्द्रभान सिंह, पुत्र नागेश्वर सिंह, ग्राम पूरे गौहर सिंह मजरे गुमांवा, थाना शिवगढ़, जिला राय बरेली ने थाना कोतवाली हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर भा0 द0 वि0 की धारा 304ए के अन्तर्गत एक मु0 अ0 सं0-99/85 दर्ज किया गया। वादी द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी राम नाथ यादव तथा बृह्मा सिंह दिनांक 13-7-1985 को रात के लगभग 9 बजे शिवगढ़ से घर के लिये वापिस हैदरगढ़ होकर लौटे क्योंकि गाड़ी में डीजल कम था, हैदरगढ़ में डीजल डलवाया। उसके बाद हैदरगढ़ से घर के लिये रवाना हुये। गौहर पुरवा के पास जीप पहुंचते ही बृह्मा सिंह ने चलती जीप से कूदना चाहा किन्तु राम नाथ ने बृह्मा सिंह को पकड़ लिया। वादी

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ मान लिया गया।

ने जीप रोक ली । जीप रुकते ही बृह्मा सिंह जीप से उतरकर पीछे लाही की तरफ भागे और राम नाथ ने उसका पीछा किया । लाही के पास राम नाथ ने बृह्मा सिंह को पकड़ लिया । राम नाथ के पास वादी की एक नाली बन्दूक जो भरी थी, मौजूद थी । पकड़ धकड़ में बन्दूक दग गयी और राम नाथ को गोली लग गयी । राम नाथ वहीं पर गिर गया और बन्दूक भी अलग गिर गयी । बृह्मा सिंह बन्दूक लेकर भाग गये । वादी ने राम नाथ को उपचार हेतु उठाकर जीप में लादा और हैदरगढ़ की ओर चल दिया, मगर रास्ते में ही राम नाथ की मृत्यु हो गयी ।

2—मृतक राम नाथ यादवकी पत्नी के बयान से यह बात प्रकाश में आई है कि बृह्मा सिंह, चन्द्र भान सिंह व शफीक चिकवा व मृतक राम नाथ ने मत्स्य पालन के लिये एक तालाब लिया था जिसके पैसे के बंटवारे के संबंध में मृतक राम नाथ व विपक्षी बृह्मा सिंह, चन्द्र भान सिंह, व शफीक चिकवा से विवाद चल रहा था । अब तक की विवेचना से यह बात प्रकाश में आई है कि दिनांक 13-7-85 की रात्रि को जब उक्त तीनों व्यक्ति (बृह्मा सिंह, चन्द्र भान सिंह तथा मृतक राम नाथ) हैदरगढ़ से शिवगढ़ की ओर जा रहे थे तो हैदरगढ़ कोतवाली की सीमा से करीब एक किलोमीटर आगे कुछ बात हुई और दोनों लोगों ने वापिस हैदरगढ़ की सीमा में प्रवेश किया और लाही बाजार तथा हैदरगढ़-शिवगढ़ सीमा के बीच में सड़क पर यह घटना घटी जिसमें मृतक राम नाथ की हत्या हुई । मृतक राम नाथ को अपनी जीप में रखकर चन्द्र भान सिंह थाना कोतवाली हैदरगढ़ में आये और वहां प्रथम सूचना दर्ज कराई । मुकदमा दर्ज हो जाने के पश्चात लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया जो दिनांक 14 जुलाई 1985 को जिला चिकित्सालय बाराबंकी में किया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा विवेचना के आधार पर मामला हत्या का ज्ञात हुआ और इसलिये दिनांक 27 जुलाई, 1985 को मुकदमें की धारा 304-ए से परिवर्तित करके धारा 302/201 भा0 द0 वि0 की गयी और विवेचना प्रारम्भ कर दी गयी । मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है ।

3—यह सही नहीं है कि इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है । स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना संतोषजनक न होने के कारण ही इसे अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपा गया है । यह सही है कि इस अपराध के दो अभियुक्त चन्द्र भान सिंह व बृह्मा सिंह दिनांक 14-7-85 को प्रातः थाने पर उपस्थित हुए थे किन्तु इन्हें उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आये थे जिनसे यह मामला भा0 द0 वि0 की धारा 302 के अन्तर्गत आता हो ।]

(इस समय 7 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठता श्री राजेन्द्र गुप्त पीठासीन हुए)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आपने सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी करा दी इसलिये आप धन्यवाद

के पात्र हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि उस दरोगा के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे, क्योंकि यह मामला जब उनके संज्ञान में आ गया और जैसा कि आप जानते हैं कि यह नियम है कि अगर किसी लाश के साथ कोई भी व्यक्ति आये, चाहे वह परिचित हो या अपरिचित और मुजरिम हो या न हो, उसे डिटेन रखा जाता है, जब तक कि तथ्य सामने न आ जांय। दरोगा ने इस मामले के यहां पर उठने पर कार्यवाही की। उस दिन कार्यवाही नहीं की। तो क्या आप दरोगा के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, क्योंकि उसने जुर्म को मिनिमाइज करने की कोशिश की थी।

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य की बात को ध्यान में रखते हुए ही इन्क्वायरी के आदेश दिये गये हैं। उसके बाद जैसी स्थिति सामने आएगी, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जब थानाध्यक्ष के सम्बन्ध में यह बात प्रकाश में आ गयी कि दो आदमी उस समय उसे लाए थे और सारी बात प्रकाश में आ गयी और प्राग दर्शन में सिद्ध हो गया कि दरोगा ने लापरवाही की, तो क्या उस दरोगा को दण्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, इन सब चीजों पर जांच चल रही है और उसके बाद जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मंत्रीजी के इस वक्तव्य के अंतिम अनुच्छेद में लिखा है कि स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना संतोषजनक न होने के कारण ही इसे अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपा गया है। शासन ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि स्थानीय पुलिस ने विवेचना में संतोषजनक काम नहीं किया। या हमारे शब्दों में लापरवाही बरती, जानबूझ कर बरती और सारे मामले को मिनिमाइज करने की कोशिश की। इतना स्पष्ट हो गया है, पुलिस के विरुद्ध। तो शासन को क्या दिक्कत है, जब स्वयं कह रही है कि विवेचना संतोषजनक तरह से नहीं की, इसको शासन ने स्वीकार किया है तो उस दरोगा के खिलाफ कार्यवाही करने में हिचक क्यों है ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, चूंकि जांच चल रही है और यह मामला विचाराधीन है, अतः जैसे ही जांच पूरी हो जायगी, तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, इन्होंने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि यह घटना 13 तारीख की रात को नौ बजे की है। फिर 14 तारीख को एफ0 आई0 आर0 होती है,

अभियुक्त थाने में जाता है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। एक आदमी की हत्या हो गयी है बन्दूक की गोली से, अभियुक्त साथ में थाने में जा रहा है और 304(1) में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इससे सिद्ध है कि एस0 ओ0 उन लोगों को बचाने का प्रयत्न कर रहा है, इसीलिये इतने विलम्ब से एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी। इतना आपके वक्तव्य से स्पष्ट होने के बाद दरोगा के खिलाफ कार्यवाही करने में आपको क्या आपत्ति है। आप क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विवेचना के उपरान्त अभी 82-83 की कार्यवाही भी कर दी है और मैं समझता हूं कि वे बहुत जल्द ही गिरफ्तार होंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

शाही जी के उत्तर के संदर्भ में कहा कि कुर्की की कार्यवाही की गयी। दरोगा ने जो लापरवाही बरती उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, अगर लापरवाही सिद्ध होगी तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी। जांच रिपोर्ट आने पर, सारे तथ्य सामने आने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का जो सवाल था इसमें आपने स्वीकार किया है कि स्थानीय पुलिस की विवेचना संतोषजनक नहीं है। उस मुद्दे में आपको कुछ कहना है ?

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, विवेचना के आधार पर मामला हत्या का ज्ञात हुआ बाद में। इस पूरे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 को सौंप दी गयी है।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, शासन ने स्वीकार किया है कि स्थानीय पुलिस की विवेचना संतोषजनक नहीं है। मान्यवर, अगर पुलिस की विवेचना संतोषजनक ढंग से न करे, यह शांति व्यवस्था के लिये बहुत खतरे की बात है स्थानीय पुलिस की विवेचना संतोषजनक नहीं थी, इस आधार पर आप सी0 आई0 डी0 को जांच सुपुर्द कर रहे हैं। उस दरोगा के खिलाफ आपको कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह मान लिया कि विवेचना संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक किस आधार पर नहीं है यह स्टेटमेंट में है। जो 304 ए का मुकदमा दर्ज किया था, उसके आधार पर कार्यवाही चलती रही। बाद में जब पता चला कि मर्डर का केस है तो, इस बिना पर कि स्थानीय पुलिस उस गहराई से इस बात की छानबीन नहीं कर पायेगी, इस प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 को सौंपी गयी। सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आ जाये, सारे तथ्य सामने आ जाये दरोगा के खिलाफ जो कमी आयेगी, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कल दिनांक 19 अगस्त, 1985 को नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार की गयी सूचना को संशोधित किये जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अध्यक्ष के निवेदनानुसार मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं ।

कल सदन में मद संख्या 14 जब लिया गया तो माननीय अधिष्ठाता द्वारा भूल-वश बांदा में मसौनी पम्प कैनाल के अधूरे निर्माण से सैकड़ों एकड़ भूमि की बर-बादी विषयक सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार करने की घोषणा कर दी गई थी । वास्तव में उपरोक्त सूचना पहले ही स्वीकार हो चुकी थी और उस पर कल दिनांक 19-8-85 को ही मद संख्या 15 के अन्तर्गत वक्तव्य लगा हुआ था जिसके स्थगन हेतु माननीय सिंचाई मंत्री का अनु-रोध भी प्राप्त हुआ था ।

दिनांक 19-8-85 को नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं उनमें से जो सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार की जानी थी वह श्री राजेन्द्र गुप्त द्वारा दी गयी थी और वह बहराइच में एक पत्रकार की गिरफ्तारी के संबंध में थी । अतः श्री गुप्त की सूचना ही वक्तव्य के लिये स्वीकार समझी जायेगी ।

मैंने माननीय अध्यक्ष की ओर से यह सूचना सदन को दी है । मैं अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हूं राजेन्द्र गुप्त कोई सदस्य हैं, उनके बारे में यह कहा गया है ।

बाराबंकी के लोनी कटरा थाने के सिपाहियों द्वारा विकलांग एवं अनाथ युवती के साथ बलात्कार की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य ।

अधिष्ठाता—

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

वन राज्य मंत्री (श्री जाफर अली नकवी)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार 2/3 अगस्त, 1985 को कु0 कृष्णावती जो कि अनाथ है और अपंग भी है अपनी दस वर्षीय छोटी बहन के साथ घर में सो रही थी, दो कान्सटेबिल गांव भीटीपुरवा पहुंचे और नौमीलाल नामक व्यक्ति को जगाकर बीड़ी की दुकान के बारे में पूछा । नौमीलाल ने कु0 कृष्णा की दुकान बताई । एक सिपाही नौमीलाल को लेकर कु0 कृष्णा के दरवाजे पर पहुंचा, आवाज लगाकर नौमीलाल वापिस आ गया और अपने दर-वाजे पर आकर तख्त पर लेट गया । दूसरा सिपाही उसके पास बैठा रहा । पहले सिपाही ने कु0 कृष्णा से दरवाजा खुलवाया और कु0 कृष्णा द्वारा दरवाजा देर से खोलने पर गाली-गलौज भी किया और असभ्यता का व्यवहार करते हुए उसका कन्धा भी झटक दिया । उसके बाद वह बीड़ी लेकर वापिस आ गया और फिर दोनों सिपाही नौमीलाल के दरवाजे पर थोड़ी देर बैठने के बाद गश्त में चले गये ।

कु0 कृष्णावती के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो बलात्कार की घटना को प्रमाणित करता हो । दिनांक 4-8-85 को कु0 कृष्णावती की ओर से जो प्रार्थना पत्र एस0 ओ0 लोनी कटरा, बाराबंकी को दिया गया है उसमें भी बलात्कार की बात नहीं कही गयी है । डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट में भी

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बलात्कार के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है । डाक्टरी परीक्षण में चिकित्सा अधिकारी ने यह अंकित किया है कि कु0 कृष्णावती को सहवास का पूर्व अनुभव था । कु0 कृष्णावती के शरीर पर कोई गहरी चोटें भी डाक्टरी परीक्षण में नहीं पाई गयी हैं और न ही उसके गुप्तांगों में कोई चोटें पाई गई हैं । सामान्यतः बलात्कार के मामलों में ऐसी चोटें पाई जाती हैं ।

सन्देहात्मक स्थिति में कु0 कृष्णावती के घर जाकर उसका दरवाजा खुलवाने तथा उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में दोनों सम्बन्धित सिपाहियों को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गयी है । थानाध्यक्ष द्वारा सूचना न लिखने के संबंध में उन्हें कठोर चेतावनी दी गयी है ।

कु0 कृष्णावती द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 1985 को हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ में अंकित कराई गयी । सूचना के आधार पर भा0 द0 वि0 की धारा 376 के अन्तर्गत सम्बन्धित दोनों सिपाहियों के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 121 कायम किया गया है और इस मामले की विवेचना हैदरगढ़ के इंसपेक्टर को सौंप दी गई है ।

यह कहना सही नहीं है कि उपर्युक्त घटना को लेकर सम्बन्धित क्षेत्र में अथवा पूरे जनपद के लोगों में भय एवं असन्तोष की भावना व्याप्त हो गयी है । घटना के संबंध में पूरी छान-बीन की गयी है और जिन कर्मचारियों/अधिकारियों पर दोषी होने का संदेह मात्र भी है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही कर ली गयी है । क्षेत्र में स्थिति पूर्णतः सामान्य है ।]

*श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैंने यह सोचा था कि मैंने नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, मेरी सूचना के अनुसार शासन की तरफ से निष्पक्ष रूप से जांच होगी । लेकिन, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदरणीय सदन में जो वक्तव्य रखा गया, उसे देखकर बहुत तकलीफ हुई । और यहां यह भी तकलीफ हुई इस वक्तव्य को देखने से कि यह उन लोगों से तैयार कराया गया है जो 376 के मुल्जिम पहले से ही हैं । 7 तारीख को जो कुमारी कृष्णावती ने जो हजरतगंज कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई है, वह क्या है ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, रिपोर्ट बहुत लम्बी है । यदि आप इजाजत दें तो मैं इसे पढ़ देता हूं

श्री अवधेश प्रसाद—

"सेवा में श्रीमन कोतवाल साहेब कोतवाली हजरतगंज लखनऊ, महोदय निवेदन है कि प्रार्थिनी कृष्णावती पुत्री स्व0 श्री सुदर्शन ग्राम भीटी का पुरवा मजरे जौंरास थाना लोनीकटरा जिला बाराबंकी के अनाथ विकलांग 20 वर्षीय बेहला है जिसके माता पिता व कोई परिवारदार न होने के कारण छोटी-मोटी बीड़ी माचिस की दुकान गांव में अपने घर पर करके अपनी जीविका चलाती है । दिनांक 2 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि को 11 बजे जब प्रार्थिनी अपनी छोटी बहन रूपरानी के साथ दरवाजे छप्पर के नीचे सोई हुई तभी छबील चौकी थाना लोनीकटरा के दो सिपाही

गौतम और दूबे प्रार्थिनी के दरवाजे आये। एक के हाथ में लाइट थी जिससे उसने प्रार्थिनी के ऊपर लाइट किया और दूसरे ने प्रार्थिनी का हाथ पकड़ कर झिझकोरा जिस पर प्रार्थिनी ने परिचय पूछा तो सिपाहियों ने कहा हम छबील चौकी के सिपाही हैं। बीड़ी लेने आये हैं। जब प्रार्थिनी ने 11 बजे रात को बीड़ी देने से इन्कार किया तो दोनों सिपाही प्रार्थिनी को गाली दिया, मारा और धमकाया और जबरदस्ती दूकान खुलवाई। जब प्रार्थिनी दूकान खोलने गई तो एक सिपाही पड़ोस के नौमी-लाल मिस्त्री के पास जाकर बैठ गया। दूसरा सिपाही उसने विकलांग प्रार्थिनी को धक्का देकर गिरा दिया और सलवार का नारा खोल डाला। झिक्काझोरी में उसने कपड़े उतार कर प्रार्थिनी के साथ बुरा कर्म किया। प्रार्थिनी के रोने चिल्लाने और उसकी बहन के गुहार लगाने पर बलात्कारी सिपाही वहां से भाग गये। पुलिस के डर के मारे प्रार्थिनी का किसी ने साथ नहीं दिया। प्रातःकाल जब प्रार्थिनी ने अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए मथुरा प्रसाद यादव से सहयोग मांगा तो वे

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी बस, काफी हैं और माननीय सदस्य की बात आ गई ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि सिपाही उसके घर के अन्दर गये और उसके साथ गाली गलौज किया और उसके कन्धे को झिकझोरा। मान्यवर, 11 बजे का समय है। 20 साल की सयानी लड़की है। रात को उसके घर में जाने का क्या परपज था। क्या किसी रात की तलाशी का उनके पास वारन्ट था। क्या कोई निलम्बित करना ही काफी है। क्या इस अपराध के लिए ताजीरात हिन्द में और कोई जुर्म नही बनता है ? रात को 11 बजे सिपाही लोग कृष्णावती के घर क्यों गये थे ?

श्री जफर अली नकवी—

माननीय अधिष्ठाता जी रिपोर्ट में लिखा गया है कि बीड़ी लेने गये थे।

श्री विजय सिंह राणा—

यह घटना है 3/4 अगस्त की और रिपोर्ट लिखाई गई 4 या 7 को, मैं जानना चाहता हूं कि इसके बीच में जो अन्तर है, तो मेडिकल परीक्षण कब और कहां कराया गया ?

श्री जफर अली नकवी—

2/3 की घटना की रिपोर्ट 4 को लिखाई जिसमें कहीं पर बलात्कार का आरोप नहीं है। इसलिए मेडिकल का प्रश्न नहीं पैदा होता। जब हजरतगंज थाने के अन्दर रिपोर्ट लिखाई जिसमें बलात्कार की बात कही तो 10 को मेडिकल कराया गया।

श्री विजय सिंह राणा—

घटना 2/3 की और परीक्षण हुआ 10 को, तो इसके बीच में 8 दिन का अन्तर है, तो 8 दिन के बाद मेडिकल परीक्षण कराना तो झूठ-मूठ पता चलता है।

श्री जफर अली नकवी—

एक हफ्ते की बात कर रहे हैं तो बलात्कार की रिपोर्ट 7 की लिखाई गई और 10 को मेडिकल हो गया।

श्री कौशिक रमा शंकर—

पैरा 3 में मन्त्री जी ने कहा है कि उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित

की गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि धारा 376 के अन्तर्गत जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई ?

श्री जफर अली नकवी—

अभी इसकी विवेचना जारी है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई ?

श्री जफर अली नकवी—

यह विवेचनाधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह गिरफ्तारी करे या न करे ।

श्री किरन पाल सिंह—

जहां तक मेरा ख्याल है 56 में दिया गया था और माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री ने कहा था कि दरोगा के खिलाफ साजिश है सिपाहियों की । तो मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट लिखवाई गई लखनऊ हजरतगंज थाने में, तो मेडिकल कहां कराया गया ?

श्री जफर अली नकवी—

बाराबंकी में ।

श्री कल्याण सिंह—

मैं आधा मिनट लेना चाहता हूं । मान्यवर, इस पूरे प्रकरण के परिपेक्ष्य में विचार कीजियेगा । 2/3 अगस्त की रात्रि को घटना घटित होती है, लोनी कटरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है लेकिन दर्ज नहीं की जाती है, 7 अगस्त को लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज की जाती है और 7 तारीख के पश्चात् 10 को मेडिकल कराया जाता है । जबकि कायदा यह है कि जहां पर रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है वहीं पर मेडिकल कराया जाता है, तो इतना गैप लेना उचित नहीं था ।

दूसरी ओर शासन स्वीकार कर रहा है कि दोनों कांस्टेबिल्स ने जाकर जोर से दरवाजा खोला और गाली गलौज भी की, कन्धा भी झकझोरा और मारा भी, आपने उन्हें निलम्बित कर दिया । इन सारे तथ्यों को इकट्ठा करके यह लग नहीं रहा है कि इसमें निष्पक्षता से जांच हो पायगी । कुछ चीजें आप भी मान रहे हैं । क्या सारे मामले को सी0 आई0 डी0 को सौंपेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

सम्मानित सदस्य चाहते हैं, मुझे स्वीकार है ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

उसने 7 तारीख को दूसरी रिपोर्ट करायी और 10 तारीख को डाक्टरी मुआयना हुआ, डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट क्या है ?

श्री अधिष्ठाता—

डाक्टरी रिपोर्ट के विषय में वक्तव्य में दिया हुआ है ।

श्री राम सागर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान इस वक्तव्य के आखिरी पैरा ग्राफ की तरफ ले जाना चाहता हूं, घटना बिल्कुल सच है, आम जनता मान रही है इस घटना को । इसको लेकर पूरे क्षेत्र में असन्तोष व्याप्त है । मन्त्री जी ने सी0 आई0 डी0 को जांच दे दी, बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो लोग वहां पर इस घटना को लेकर समर्थन कर रहे थे कुमारी

कृष्णावती का और एक जनसभा भी हुई है सुन्दर लाल दीक्षित की अध्यक्षता में, उसमें 6000 आदमी थे, मैं भी था। मैं जानना चाहता हूं कि दरोगा जी, कुछ ऐसे व्यक्ति जो इस घटना में कृष्णावती को न्याय दिलाने के लिये उसका साथ दे रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप किया तो कार्यवाही करेंगे, तो क्या जांच के दौरान दरोगा जी का ट्रांसफर करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

इस पूरे प्रकरण की जांच करा ली जायगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

इन्होंने स्वीकार किया है कि थानाध्यक्ष द्वारा सूचना न लिखने पर कठोर चेतावनी दी गयी है। आम तौर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। उस गरीब की भी एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में क्या चेतावनी देना ही पर्याप्त है या और कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

एफ0 आई0 आर0 तो दर्ज हुई।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, विवेचना हो रही है कि बलात्कार हुआ या नहीं ? जो लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के बाद कोई न कोई दफा बनती है, आपने निलम्बित कर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि दफा 354 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने अभी बताया कि पूरे प्रकरण की जांच होगी।

श्री अधिष्ठाता—

यह बात नहीं है माननीय मन्त्री जी, वह जानना चाहते हैं कि रिपोर्ट लिखी गयी या नहीं ?

श्री किरन पाल सिंह—

सवाल यह नहीं है। सवाल तो यह है कि उस लड़की के साथ छेड़-छाड़ करने की बात आपने अपने वक्तव्य में मानी है तो 354 आई0 पी0 सी0 और घर में घुसने पर 452 इन दो दफाओं के तहत इन दोनों सिपाहियों के विरुद्ध कोई मुकदमा प्रस्तावित किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, 4 तारीख को प्रार्थना-पत्र दिया था उसके ऊपर विवेचना हुई। विवेचना के बाद जो बात कही गयी है वह साबित नहीं हुई।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूं। माननीय नकवी साहेब से मैं उसकी उम्मीद नहीं करता लेकिन मोटी तौर से आप ही बतला दें कि 354 और 452 दफा का क्या हुआ इसमें मुकदमा क्यों नहीं प्रस्तावित किया गया ?

श्री हुकुम सिंह—

पहले 4 तारीख को मामले की दरखास्त दी गयी। मान्यवर, आरोप यह है कि पहली दरखास्त के आधार पर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया। जब जानकारी उपलब्ध हुई इसके मिलते ही एस0 ओ0 ने एस0 आई0 को जांच के लिये मामला सौंप दिया और 376 में मुकदमा

कायम हो गया । इसके बाद 354 का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री भोपाल सिंह—

वक्तव्य में लिखा हुआ है कि उस लड़की के साथ छेड़-छाड़ के बाद 376 में मुकदमा कायम किया गया । लड़की के साथ छेड़-छाड़ का मुकदमा बनता है । यह मुकदमा कायम हुआ या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह—

मैंने पहले ही कहा था कि 452 की दफा में यह होता है कि कोई जुर्म करने के इरादे से, गलत प्रयास से घर में घुसे । इसलिये इसमें 452 की दफा का प्रश्न ही नहीं उठता है । जहां तक दफा 354 की बात है तो जो आपने कहा कि लड़की की तरफ से दरखास्त दी गयी कि फलां-फलां सिपाही ने यह कार्य किया । उसी के आधार पर एस0 ओ0 ने एस0 आई0 को इनडोर्स किया कि आप जांच करें । तो 376 में मुकदमा कायम हो गया । 354 के मुकाबिले में 376 ज्यादा गम्भीर है इसलिये 354 का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

वक्तव्य में लिखा है कि दूसरा सिपाही उसके पास बैठा रहा । पहले सिपाही ने कुमारी कृष्णा से दरवाजा खुलवाया और कुमारी कृष्णा द्वारा दरवाजा देर से खोलने पर गाली-गलौज भी किया और असभ्यता का व्यवहार करते हुए उसका कन्धा भी झटक दिया । मान्यवर, आप तो वकील हैं और आपको दफाओं का ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं तो वकील नहीं हूं परन्तु थोड़ा बहुत ज्ञान ही लिया है कि जब कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से जाये तो दफा 452 बनती है ।

यह क्या नुकसान नहीं था । जब सी0 आई0 डी0 को मामला चला गया उसके बाद भी आप कैसे मानते हैं कि नुकसान पहुंचाने के रूप से नहीं गया ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही सी0 आई0 डी0 को मामला देने की घोषणा तो आज हुई है और जब सी0 आई0 डी0 को मामला गया है तो इसका परीक्षण किया जायेगा कि पहले एफ0 आई0 आर0 की गयी कि नहीं की गयी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि 2/3 की रात को रिपोर्ट की उस लड़की ने उसके बाद एस0 आई0 को जांच सुपुर्द कर दी । पहले दरयाफ्तहाल में मुकदमा किया गया उसकी रिपोर्ट दर्ज करायी । तो एस0 आई0 ने जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर तो आपने कहा कि छेड़खानी की गयी तो उसके दरयाफ्तहाल में आपको मुकदमा 354 का दर्ज करना चाहिए था क्या उसको दंडित करेंगे ? 7 तारीख को मुकदमा रिपोर्ट होता है और उसके बाद वह लड़की पहुंची है तो 376 का मुकदमा दर्ज होता है । मैं जानना चाहता हूं कि 376 का मुकदमा न दर्ज करने का क्या कारण है अब उनको दंडित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री हुकुम सिंह—

घटना एक है दो नहीं है । वह 354 की हो सकती है या 376 की हो सकती

है। 376 की घटना है तो 354 की नहीं हो सकती है। वर्मा जी ने कहा कि दरयाफ्तहाल में जांच हो गयी 354 का मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ। मैंने यह कहा था कि दरयाफ्तहाल 354 का मुकदमा कायम हो गया उसके कायम होते 376 की जांच शुरू किया तो 354 का मुकदमा करने का सवाल ही नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आप ही विद्वान हैं, आप ही इसकी करायें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया है और कल्याण सिंह जी ने कहा, उस पर सी0 आई0 डी0 की जांच स्वीकार की गयी है। माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, इसमें लगता है कि इसके पीछे कोई कुमंत्रणा इस घटना के पीछे चली आ रही है तो पूरे प्रकरण की माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

इसकी घोषणा कर दी गयी।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, 452 के बनने की बात ही नहीं है, 354 की बात कही गयी है तो क्या इसके पीछे कोई कुमंत्रणा या कोई और बात है तो क्या सम्पूर्ण विषय पर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री अधिष्ठाता—

यह तो किया जा चुका है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो इस बात पर बड़ी आशंका व्यक्त की जा रही है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तथ्यों से अवगत कराऊं। माननीय वर्मा जी ने और नेता विरोधी दल ने प्रश्न पूछा है मैं 4 लाइन की प्रार्थना है उसको पढ़े देता हूं—श्रीमान एस0 ओ0 महोदय लोनी कटरा बाराबंकी, सेवा में निवेदन है कि प्रार्थिनी अपंग, लावारिस ग्राम भीटी का पुरवा मजरे जैरास की निवासिनी है। मेरी छोटी सी बीड़ी माचिस की दुकान है, शुक्रवार की रात को 2 गार्द वाले सिपाही समय 11 बजे पहुंचे और मुझे गाली दे रहे थे और बीड़ी देने को कह रहे थे तथा बदतमीजी की बातें कर रहे थे। मैं श्रीमान् जी से प्रार्थना करती हूं कि मेरी जानमाल की रक्षा की जाय और इसकी जांच की जाय। ये हैं और इसके आधार पर कोई 354 का मुकदमा नहीं बनता है। इस पर मान्यवर, इन्डोर्स किया एस0 ओ0 ने क्योंकि इसमें जानमाल की सुरक्षा की बात कही गयी थी जो कुछ कथन इसमें किया है उसकी जांच की जायें। "बाद जांच, रिपोर्ट दें और आवश्यक कार्यवाही करें", जांच होकर आती और तथ्य प्रकाश में आते तो 354 का मुकदमा बनता 376 का मुकदमा कायम कर दिया गया है। इस सारे प्रकरण की जांच चल रही है, तो उसमें यह तथ्य आ जायेगा कि 354 के मुकदमें को दर्ज करने में ढिलाई बरती गयी है।

श्री सरदार सिंह—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी गुमराह कर रहे हैं, एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी, हाउस ट्रेसपास का केस बनता है, एक भारतीय नारी से आप क्या उम्मीद

करते हैं, उसने बदतमीजी शब्द लिखा है और कहा कि कन्धा पकड़ लिया। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 376 की तो जांच होगी ही और सी0 आई0 डी0 से जांच होगी, तो हाउस ट्रेसपास जो किया है, तो धारा 447, 448 और 354 की इनक्वायरी करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

इसीलिये उनको सस्पेन्ड कर दिया गया है और जांच चल रही है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, अब सवाल पूछने की गुन्जाइश नहीं रह गयी है, माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि लड़की अनाथ और अपंग है। दोनों शब्द आपने प्रयोग किये हैं। मैं कहता हूं कि हमारी बहन बेटियों के रक्षक हम स्वयं हैं, उस लड़की का रक्षक कोई नहीं है और मान्यवर, पुलिस नाराज है लड़की से तो मैं जानना चाहता हूं कि जो स्टेटमेन्ट दिया गया है जो कहेंगे उसको मानना पड़ेगा, हमने सवाल उठा दिया, उससे ज्यादा हैसियत नहीं है। आप सी0 आई0 डी0 की जांच करा रहे हैं और जो अनाथ बालिका है उसके साथ इतना कर दें क्यों कि पुलिस उसके साथ ज्यादती करेगी तो क्या उस दरोगा का ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

लड़की अपंग है, अनाथ है और उसके साथ में हमारी सहानुभूति है और यह स्वाभाविक ही है, तो लड़की की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जायेगा। प्रकरण की जांच चल रही है, अगर दरोगा के खिलाफ होगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

इन हालात में मान्यवर, लड़की की इज्जत महफूज नहीं है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह दरोगा का ट्रान्सफर करने की कृपा करेंगे।

श्री हुकुम सिंह—

जिस एस0 ओ0 के ट्रान्सफर की बात कर रहे हैं, जैसे ही उसको सूचना मिली, उसने तुरन्त एस0 आई0 को आदेशित किया कि कार्यवाही करें। अब हम किस आधार पर कहें कि उसका ट्रान्सफर होना चाहिये, कोई आधार तो आवे।

श्री विजय सिंह राणा—

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी देखते हैं, पुलिस के रहते हुए एक सामान्य आदमी जो अच्छे स्तर का है, उसको गवाह लाने में मुश्किल पड़ जाती है। तो बेचारी अपंग लड़की को गवाह लाना और अपने पक्ष में गवाह प्रस्तुत करना कितना कठिन काम है। मान्यवर, यही नहीं, जहां भी ऐसी घटनायें घटी होंगी उन सब के बारे में आप सब जानते हैं तगड़े से तगड़ा आदमी भी पुलिस के खिलाफ गवाह नहीं जुटा पाता। इसलिये ऐसी परिस्थिति में उन पुलिस कर्मियों को दरोगा और सिपाहियों का स्थानान्तरण होना बहुत आवश्यक है। स्थानान्तरण कोई पनिशमेन्ट भी नहीं है। इसलिये मान्यवर, सदन की भावनाओं को ध्यान में रखकर सहानुभूतिपूर्वक आप उनका स्थानान्तरण नहीं करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मैं सम्मानित राणा साहब को बताना चाहता हूं कि इसमें दो सिपाही आरोपित हैं जो पहले ही निलम्बित किये जा चुके हैं। एस0 ओ0 के खिलाफ अभी तक किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आप दरोगा को, सिपाही को, दीवान को हमेशा चर्चा का विषय न बनायें। यह बात आप अलग से कह सकते हैं।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि थानेदार के खिलाफ कोई आरोप नहीं आयी। लेकिन आपने स्वीकार किया है कि दरोगा को रिपोर्ट न लिखने के लिये सख्त हिदायत कर दी गई है, यह आप स्वीकार करते हैं। सख्त हिदायत इसलिये दी गई कि उसने रिपोर्ट नहीं लिखी। और क्या आरोप हो सकता था ?

श्री हुकुम सिंह—

क्योंकि आपका आरोप था और उसी के आधार पर हमने हिदायत दी।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, दो कांस्टीबिल्स निलम्बित किये गये हैं तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि किस अधिकारी की जांच के उपरान्त इन दोनों कांस्टीबलों को निलंबित किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, प्रश्न सही पूछा माननीय सदस्य ने। मान्यवर, दोनों कांस्टीबिलों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, जांच चल रही है और जैसी आशंका व्यक्त की गई है, जांच चल रही थी इसलिये निलम्बित किया गया।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, उन्होंने यह पूछा था कि जिन दोनों सिपाहियों को निलम्बित किया गया तो किसी अधिकारी ने जांच रिपोर्ट दी होगी, वह कौन अधिकारी थे, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निलम्बित हुये।

श्री हुकुम सिंह—

इसकी जांच क्षेत्राधिकारी ने की थी।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, अब मेरा सवाल पैदा होता है कि एस0 ओ0 ने इसीलिये रिपोर्ट दर्ज नहीं की। यह शासन का दायित्व है कि वह हर नागरिक की जान-माल की सुरक्षा करे। यदि एस0 ओ0 इतना प्राम्प्ट होता तो रिपोर्ट दर्ज करा लेता। उसने दर्ज नहीं की और प्राम्प्ट होता तो कांस्टीबिल्स के आचरण के विरोध में रिपोर्ट देता। क्षेत्राधिकारी ने दोनों कांस्टीबुल्स के खिलाफ रिपोर्ट दी। इसका साफ-साफ यह मतलब है कि उसमें एस0 ओ0 की कोनाइवेन्स थी। तो माननीय मन्त्री जी, इसमें शासन की गरिमा बढ़ेगी, और जनमानस में शासन के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसलिये आप एस0 ओ0 को दूसरी जगह भेज दें। प्रमोशन पर ही भेज दें। हमें एतराज नहीं है। क्या आप इस बात पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी ने उन तथ्यों का उल्लेख किया है लेकिन आप कृपा करके यह भी

देखें कि दोनों सिपाही गश्त पर थे। वहीं उनसे यह अनियमितता हुई और गलती हुई। उसके बारे में एक दरोगा जो कि थाने पर बैठा हुआ है, यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि बिना जानकारी के उसकी इस मामले में कोनाइवेन्स हो सकती है। सी0 आई0 डी0 को यह मामला दिया है, यदि उसमें यह बात आती है तो उस पर हम विचार कर लेंगे।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, इसमें आप सदन की राय ले लें। मैं इसके बारे में प्रस्ताव करता हूं कि सदन की राय ले ली जाय।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें सवाल पूछ सकते हैं, प्रस्ताव की बात नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा—

317 के अन्तर्गत कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 की सूचना पर आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जब 4 तारीख को रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई जिस पर आपने सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट की बात कही है। यदि बलात्कार साबित हो गया तो निश्चित रूप से उस एस0 ओ0 के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसलिए वह तफतीश को प्रभावित करेगा क्योंकि उसका इससे लिंक बनेगा और उसके खिलाफ बाद में कार्यवाही होगी वह जानना है इसलिए वह निश्चित रूप से जांच को प्रभावित करेगा इसलिए दूरगामी प्रभाव को देखते हुए इस एस0 ओ0 को ट्रांसफर करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

दूरगामी प्रभाव को देखते हुए ही मैं कह रहा हूं जब जांच होगी और उसमें किसी प्रकार की बाधा पड़ेगी तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं बड़ी देर से माननीय संसदीय कार्य-मन्त्री जी को सुन रहा हूं। मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या वे उस दरोगा को जो शासन की नीतियों के अनुरूप कार्य कर रहा है इसलिए उसे बहादुरी का सम्मान प्रदान करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये।

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय मन्त्री जी ने सी0 आई0 डी0 की जांच बैठाई है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन शासन के मन में निष्पक्ष जांच कराने की मन्शा नहीं लगती है। जब एफ0 आई0 आर0 में साफ-साफ लिखा है कि दरोगा को सारी दास्तान बताई और उसने रिपोर्ट नहीं लिखी तो यह साफ-साफ एलीगेशन उसने लगाया है। तो जब जांच होगी तो वह दरोगा भी मुलजिम होगा और वह गवाही तोड़ेगा। इस लिए इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो उसको वहां से ट्रान्सफर करने में क्या कठिनाई है भले ही आप उसे आई0 जी0 बना कर भेज दें हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। उसे न हटाने से निष्पक्ष जांच नहीं होगी।

श्री हुकुम सिंह—

जो एलीगेशन लगाये हैं उनकी जांच होगी। अगर जांच होने के बाद कोई परिणाम निकलेगा या यह मालूम होगा कि जांच को प्रभावित कर रहा है तो वह दोषी पाया जायेगा तो मुकदमा भी किया जायेगा, निलम्बन भी किया जायेगा। ट्रान्सफर कोई सजा नहीं है। माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने जो बात कही नीति बनाने के सम्बन्ध में तो आपको ऐसा कभी मौका मिलेगा तो आप नीति बनायेंगे।

गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी पर करमैनी पनघटियां एवं बलेसर रिगौली बांध के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री हर्षवर्धन—

माननीय अधिष्ठाता जी जिस विषय पर आज यहां चर्चा करनी है वह इस बात का द्योतक है कि सरकार की नीति के अन्दर नौकरशाही के चलते गोरखपुर के गरीब मजदूर और किसानों को किस सीमा तक परेशान किया जाता है। गोरखपुर में राप्ती नदी पर करमैनी पनघटिया एवं बेलसर रिगौली बांध बना हुआ है। यह बांध 1977 में बनाया गया और आज 1985 हो गयी है लेकिन अभी तक वहां के गरीब किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है।

मान्यवर, जो दूसरा बेलसर रिगौली बांध बना है उसका 1981-82 से आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है जिसको दिलवाया जाये। मान्यवर, यह मुआवजा 1977 में चूंकि कृषि की जमीन किसानों की ली गयी थी इसलिये 1977 से मुआवजा दिलवायें और आज की दर से किसानों को मुआवजा दिलवायें यदि आज की दर से नहीं दिलवाते हैं तो मेरा निवेदन है कि जब उनकी जमीन 1977 में ली गयी थी तो उस समय जो रेट था उसके हिसाब से जितना रुपया होता है उस पर 1977 से लेकर आज तक ब्याज लगाकर पूरा धन किसानों को मुआवजा के रूप में दिलवाया जाये।

मान्यवर, बेलसर रिगौली बांध बनने से आज भी राप्ती के पानी से सम्बन्धित क्षेत्र सुरक्षित नहीं है क्योंकि कूड़ा नदी पर एक किलोमीटर गंगाधरपुर से उसका रेलवे पुल तक बांध नहीं बना है, इसमें भी मुख्य कारण मुआवजा है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बांध का पूरी तरह से सुदृढ़ीकरण किया जाये। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि बांध के रखरखाव पर पिछले 5 सालों से सिंचाई विभाग जो धन खर्च कर चुका है उससे भी बांध असुरक्षित है। इसलिये मैं चाहूंगा कि बांध को मजबूत बनाया जाये और किसानों को अविलम्ब मुआवजा दिलवायें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने अपना भाषण दिया है अब मन्त्री जी अपना भाषण दें।

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, करमैनी पनघटिया बांध गोरखपुर जनपद में 1974 में जो भयंकर बाढ़ आयी थी उसमें यह क्षतिग्रस्त हो गया था यह जमीं, दारी बांध हैं, इसके कारण वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों ने बहुत जोर दिया कि इन बांधों को सिंचाई विभाग में ले लिया

जाये तो लिया गया। जब विभाग ने बांध लिया 1977-78 में परियोजना बनायी गयी और उसके अनुसार जब काम हुआ तो पनघटिया बांध में 14 गांव प्रभावित हुये जिनके सम्बन्ध में सरकार की पहले ही से नीति है कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दें लेकिन कुछ ऐसी कठिनाई आ गयी जिसके कारण शीघ्र मुआवजा नहीं दिया जा सका उसका मुख्य कारण था कि यह गांव चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत थे और चकबन्दी का कार्य चल रहा था और जब तक वह चलता है तब तक भूमि का एक्वीजीशन करना कानूनन गलत होता है। लिहाजा अब यह हमारे पास 8 गांव में मामला क्लीयर होकर आ गया है और उनका प्रकाशन धारा 4 और 6 में करा दिया गया है। मान्यवर, शेष 6 गांवों में दो गांवों की चकबन्दी क्लियर हो गयी है और एक महीने के अन्दर केस बनाकर प्रकाशन करवा देंगे और 4 गांव जो रह गये हैं, का केस सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर से अन्तिम रूप से निस्तारित होने के पश्चात् बनाये जायेंगे और उनका प्रकाशन धारा 4 और 6 का करा देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं, भाषण नहीं हो रहा है, आप सवाल पूछेंगे स्पष्टीकरण के रूप में।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, यह जो बेलसर रिगौली बांध है, उसका उद्देश्य कूंडा नदी के बांये तट पर गंगाधरपुर तक बन्धा बनाने से पूरा होता है, यह मुआवजा जो रूका हुआ है, यह चकबन्दी के कारण नहीं रुका है। भूमि अध्याप्त अधिकारी चाहे वह बस्ती का हो, चाहे गोरखपुर का हो, ये सब के सब निकम्मे हैं। सिंचाई विभाग की भी लापरवाही है। मैंने इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बेलसर रिगौली बांध जिसके गंगाधरपुर तक न मिलने से सारा क्षेत्र बाढ़ से तबाह होता है, को गंगाधरपुर बांध में कब तक मिला देंगे, वह भी मुआवजे के बिना रुका हुआ है और यह भी बतायें कि उसका मुआवजा आप कब तक दिला देंगे ?

श्री भोलाशंकर मौर्य—

आपने रेलवे पुल की बात कही, यह प्रकरण माननीय सदस्य ने नहीं उठाया था, इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। अभी इस पर काम चल रहा है, अभी बांध तो पूरा नहीं हुआ है।

श्री विजय सिंह राणा—

जब वहां चकबन्दी हो रही थी, तो जो जमीन उसमें आ रही थी, तो उसको चकबन्दी में उसी समय क्यों नहीं छोड़ा गया। चकबन्दी में इसकी व्यवस्था है तो उसके अनुसार अगर वहां पर दफा 52 की कार्यवाही नहीं हुई है तो उसको चकबन्दी में छुड़वाने की कृपा करेंगे ? जिससे सारी कार्यवाही आसानी से पूरी समाप्त हो जाए।

श्री भोलाशंकर मौर्य—

यह जमींदारी बांध थे, नए नहीं थे। चकबन्दी प्रक्रिया जब शुरू हुई तो यह बना हुआ बांध मिला था। यह क्षतिग्रस्त हुआ था, इसलिए इसको ऊंचा बनाना था और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया। इसमें

अब कुछ एडिशनल कार्य करने की दृष्टि से हम जमीन ले रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं जानना चाहता हूं कि इसमें दो बांध का जो वर्णन किया गया है, क्या यह दोनों जमींदारी बांध थे या सिर्फ एक था ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

यह दोनों जमींदारी बांध थे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है कि किसानों की जहां जमीन इस प्रकार से अध्याप्त की जाए, वहां पर मार्केट वेल्यु से उसका मुआवजा अरेरा करके दिया जाए, तो क्या मन्त्री जी इसमें भी मुआवजा वर्तमान मार्केट मूल्य पर दिलाने की कार्यवाही करेंगे।

श्री भोला शंकर मौर्य—

नियमानुसार कार्यवाही होती है, सरकार नियमानुसार चलती है, इसमें भी नियमानुसार कार्यवाही होगी।

श्री अशोक बाजपेयी—

जो भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है, उसके मुआवजा देने में चकबन्दी विभाग कहां आड़े आता है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था, चकबन्दी विभाग का इसमें कोई सम्बन्ध नहीं है। चकबन्दी प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए जो रिकार्ड बनाए जाते हैं, तो चकबन्दी जब पूर्ण हो जाती है, तब ही बनाए जा सकते हैं। जब अभिलेख बन जाते हैं चकबन्दी के तो उसकी एक प्रक्रिया है। जब वह पूरी हो जाती है, और नोटिफिकेशन हो जाता है तो नए नम्बर के आधार पर मुआवजा बनाने का भूमि अभिलेख बनाकर केस तैयार कर दिये जाते हैं।

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, जिन 4 गांवों के लिये मन्त्री जी ने कहा है वह आश्वासन दे दें कि उस जमीन का मुआवजा कब तक दिला देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

मैं स्पष्ट कर दूं कि आखिरी वक्ता के रूप में आप बोल रहे हैं। आप जो बोलना चाहें बोल लें। उसके बाद माननीय मन्त्री जी का उत्तर होगा और चर्चा समाप्त हो जायगी।

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, यह जो करमैनी पनघटिया बांध है यह जमींदारी बांध नहीं था। यह बांध नया निर्माण हुआ है और किसानों की जमीन इसमें ली गयी थी। मान्यवर, वेलसर रिगौली बांध पुराना जमींदारी बांध है। इसका सुदृढ़ीकरण सिंचाई विभाग ने किया है तो गंगाधरपुर से रेलवे पुल तक बांध नहीं है जिससे राप्ती का पानी आकर गोरखपुर जनपद में बृजमनगंज विकास खण्ड के सैकड़ों गांवों और घानी विकास खण्ड के सैकड़ों गांवों को डुबो देता है। हर साल रिगौली बांध को मजबूर होकर किसान काटते हैं ताकि पानी निकल जाय। तो जब तक गंगाधरपुर से रेलवे पुल तक बांध नहीं बनेगा तब तक बंधे के सुदृढ़ीकरण से बाढ़ की समस्या का

निदान नहीं होने वाला है। जिन 4 गांवों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि चकबन्दी रिकार्ड नहीं बन पाये हैं तो जिन व्यक्तियों की जमीन ली गयी है वह रिकार्ड उपलब्ध हैं कि कितनी भूमि ली गयी है तो अब मुआवजा देने में रिकार्ड का प्रश्न कहां उठता है इसको स्पष्ट कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप उत्तर दे दें।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, यह जो पनघटिया करमैनी बांध है यह जमींदारी बांध है। दूसरा बांध भी जमींदारी बांध था। यह जो पत्रावली में जानकारी है उसके अनुसार कह रहा हूं कि यह दोनों जमींदारी बांध हैं। अब सवाल 4 गांवों का रह जाता है। मुआवजे का रहा जाता है। जो सहायक चकबन्दी अधिकारी हैं उनके यहां से कार्यवाही चल रही है। एक्वायर होने के बाद यह गांव नोटीफाइ हो जायेंगे। मान्यवर, इसमें सिर्फ 21.37 एकड़ भूमि के केस फाइनल होने बाकी रह गये हैं। हम शीघ्र इसको फाइनल करा देंगे और इसके साथ ही साथ मैं सदन को यह भी सूचना देता हूं कि हमने सिंचाई विभाग के इस काम के लिये 3.30 लाख रुपये भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर के यहां जमा कर दिया है। हमारे विभाग द्वारा कोई कोताही नहीं हो रही है लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें जो बाधायें आती हैं उनको शासन समय पर देखता है और पूरा करता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन सायं 8 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

20 अगस्त, 1985।

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्र0 सं0 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

परिशिष्ट

अनुशासनात्मक प्रकरणों के शीघ्र निपटारे हेतु समयबद्ध

प्रक्रिया

(1) औपचारिक कार्यवाही किये जाने के निर्णय की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जाय ।

(2) अपचारी कर्मचारी से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करने को कहा जायेगा । किसी भी हालत में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के लिए एक महीने से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा ।

(3) अपवादी कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर जांच पूरी कर ली जाय । जिसमें गवाहों की परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा भी सम्मिलित हैं ।

(4) जांच अधिकारी की रिपोर्ट, जहां वह स्वयं दण्डाधिकारी नहीं हैं, शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत की जाय । साधारणतया यह रिपोर्ट जांच समाप्त होने के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाय ।

(5) जहां दण्डन अधिकारी जांच अधिकारी से भिन्न हैं, दण्डन अधिकारी अन्तिम आदेश अविलम्ब जारी करें । अन्तिम आदेश जारी करने से पूर्व जहां:—

(क) लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक हैं, वहां जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अन्दर लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाय ।

(ख) लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं, जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अन्तिम आदेश जारी किया जाय ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर)

परिशिष्ट "क"

प्रदेश के शेष 52 जिलों के प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान (प्रति व्यक्ति आय) निम्न प्रकार हैं—

	प्रचलित भावों पर (रु0)	स्थायी भावों (1970-71) पर (रु0)
1 2	3	4
1—आगरा	685	286
2—अलीगढ़	889	383
3—बरेली	800	349
4—बिजनौर	983	466
5—बदायूं	855	356
6—बुलन्दशहर	989	430
7—एटा	842	367
8—इटावा	779	335
9—फर्रुखाबाद	759	297
10—मैनपुरी	816	345
11—मथुरा	1434	601
12—मेरठ	1143	509
13—गाजियाबाद	1427	600
14—मुरादाबाद	764	387
16—पीलीभीत	1018	498
16—पीलीभीट	1168	522
17—रामपुर	668	407
18—सहारनपुर	1074	509
19—शाहजहांपुर	826	362
20—बाराबंकी	821	331
21—फतेहपुर	805	332
22—हरदोई	643	282
23—कानपुर (नगर)		
24—कानपुर (देहात)	1030	360

विधान सभा सचिवालय

1	2	3	4
25—खीरी		861	372
26—लखनऊ		689	262
27—रायबरेली		774	316
28—सीतापुर		844	318
29—उन्नाव		696	290
30—इलाहाबाद		890	335
31—आजमगढ़		645	230
32—बहराइच		581	247
33—बलिया		595	238
34—बस्ती		563	256
35—देवरिया		694	277
36—फैजाबाद		612	244
37—गाजीपुर		649	233
38—गोण्डा		604	252
39—गोरखपुर		574	249
40—जौनपुर		535	215
41—मिर्जापुर		1000	356
42—प्रतापगढ़		707	252
43—सुल्तानपुर		577	241
44—वाराणसी		713	266
45—अल्मोड़ा		963	386
46—पिथौरागढ़		1396	498
47—देहरादून		765	304
48—गढ़वाल		984	333
49—चमोली		1508	476
50—नैनीताल		1420	577
51—टेहरी गढ़वाल		843	311
52—उत्तरकाशी		2020	696
शेष 52 जिलों में		816	339

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

किसान सहकारी चीनी मिल लि0 तिलहर (शाहजहांपुर) का लाभ/हानि लेखा विवरण वर्ष 1983-84

मद/आय	धनराशि
बिक्री से	4,01,20,596.88
इक्साइज ड्यूटी से छूट	8,88,441.00
परचेज टैक्स से छूट	निल
उर्वरक आदि की बिक्री से	1,23,441.40
अन्य	10,92,688.71
बढ़ती (+) कमी (—) चीनी के स्टाक में (—)	22,85,873.38
व्यय	3,99,39,294.61
गन्ना का क्रय	2,04,73,833.80
रसायन तथा अन्य निर्माण सामग्री	2,62,787.69
पैकिंग मैटेरियल	6,83,221.85
पावर एण्ड फ्यूल	6,81,385.78
पेमेन्ट्स टू एण्ड प्रोविजन्स फार इम्पलाइज	61,01,847.11
रिपेयर्स एण्ड मेन्टीनेन्स	15,44,847.89
इक्साइज ड्यूटी	54,49,283.40
शुगर स्टोरिंग एण्ड स्टैकिंग चार्जेज	59,069.47
बैगास बेलिंग एण्ड स्टैकिंग इक्सपेन्सेज	निल
इन्ट्रेस्ट एण्ड कमिटमेंट चार्जेज	1,00,84,570.14
इन्शोरेन्स	2,31,721.77
एडीमिनिस्ट्रेटिव इक्सपेन्सेज	7,90,832.08
सेलिंग एण्ड डिस्पैचिंग इक्सपेन्सेज	1,44,931.93
डिप्रीशियेशन	75,94,449.93
इनवेस्टमेंट एलाउन्सेज	निल
योग	5,41,02,782.84
लाभ/हानि इनकम टैक्स जोड़कर (—)	1,41,63,488.23

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित सं0 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 व 46 पर)

सूची "अ"

सूची "अ"

सर्वश्री—

1—इदरीश अहमद अंसारी
2—मोहम्मद फाजिल
3—चन्द्र भास्कर त्रिपाठी
4—प्रीतम सिंह (पि0 जाति)
5—वजीह अहमद फारूकी
6—जलील अहमद फारूकी
7—सुधीर कुमार
8—तनवीर बक्श
9—सुभाष चन्द्र गुप्त
10—नरेश चन्द्र गोयल
11—घूरा राम (पि0 जाति0)
12—मुरारी लाल अग्रवाल
13—कामोद प्रसाद सक्सेना
14—विजय कुमार धीमान (पि0 जा0)
15—कैलाश चन्द्र गुप्त
16—ओम शंकर तिवारी
17—शिव पाल सिंह
18—ओम प्रकाश गुप्त
19—जानबाज हुसैन रिजवी
20—अशोक कुमार गर्ग
21—उमेश कुमार मांगलिक
22—विशन लाल गौतम
23—जे0 एस0 पाण्डे
24—गोपेन्द्र नाथ
25—श्री भगवान अग्रवाल

सर्वश्री—

26—एस0 आर0 चतुर्वेदी
27—सी0 पी0 अग्रवाल
28—पी0 के0 चतुर्वेदी
29—राम ऊपरवल पांडे
30—सै0 सुहेल अहमद
31—एम0 एल0 शर्मा
32—ओंकार लाल
33—यतेन्द्र प्रकाश सिंघल
34—समशेर सिंह
35—एस0 सी0 शर्मा
36—जगदीश शरण शुक्ल
37—चन्द्र मोहन गुप्त
38—घनश्याम दास वर्मा (पि0 जा0)
39—घनश्याम दास खण्डेलवाल
40—मोहन लाल सिंघल
41—प्राण नाथ अरोरा
42—चन्द्र पाल सिंह
43—प्रेम चन्द्र गुप्त
44—प्रहलाद कुमार मित्तल
45—समीम अहमद
46—राजेन्द्र पाल बंसल
47—राम कुमार मिश्र
48—योगेन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ
49—ब्रह्म प्रकाश
50—योगेश कुमार

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

सूची "ब"

क्रमांक	अवर अभियन्ता का नाम	अवधि, जिससे संबंधित गोपनीय प्रतिवेदन जो अनुपलब्ध थे
1	2	3 4
	सर्वश्री—	
	1—अजीत सिंह जैन	75-76, 76-77, 77-78 की रिपोर्ट अप्राप्त ।
	2—हसनैन खां	इनकी सेवायें समाप्त की जा चुकी थी उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अब पुनः कार्यभार ग्रहण कर लिया हैं ।
	3—सुरेन्द्र नारायण	74-75 की पार्ट रिपोर्ट 75-76, 77-78 ।
	4—गिरिराज किशोर वार्ष्णेय	77-78 के सी0 आर0 में प्रतिकूल प्रविष्टि ।
	5—कैलाश नाथ उपाध्याय	74-75 एवं 75-76 के सी0 आर0 ।
	6—शिवाजी तिवारी	76-77 एवं 77-78 ।
	7—सै0 हसन अहमद	75-76 (पार्ट), 76-77, 77-78 ।
	8—लोकेन्द्र दत्त शर्मा	75-76, 76-77, 77-78 की प्रतिकूल प्रविष्टि ।
	9—राम अनूठा पाण्डेय	76-77 ।
	10—प्रकाश नारायण	76-77 ।
	11—उमेश चन्द्र	75-76 के प्रतिकूल प्रविष्टि ।
	12—शम्भू नाथ तिवारी	75-76, 76-77 की पार्ट रिपोर्ट ।
	13—श्रीकान्त पाण्डेय	75-76, 77-78, 76-77 की प्रतिकूल ।
	14—वीर कुमार जैन	76-77 एवं 77-78 की अप्राप्त 75-76 प्रति0 ।
	15—विजय प्रकाश मिठास	75-76 एवं 76-77 के प्रति ।
	16—पी0 के0 सक्सेना	1-4-76 के बाद गो0 प्र0 उपलब्ध नहीं हैं ।
	17—श्री राम यादव	76-77 एवं 77-78 ।
	18—राम कृपाल गुप्ता	75-76 के प्रतिकूल प्रविष्टि पर निर्णय तक ।
	19—मजहर अब्बास रिजवी	17-9-78 को त्याग-पत्र ।
	20—रामेन्द्र कुमार तिवारी	75-76, 76-77 एवं 77-78 ।
	21—राम कृपाल सिंह	75-76, 76-77 एवं 77-78 ।

1	2	3	4
सर्वश्री—			
22—इकबाल इमाम रिजवी		76-77 एवं 77-78 की पार्ट रिपोर्ट ।	
23—कृष्ण प्यारे मिश्रा		75-76, 76-77 ।	
24—विजय नाथ मिश्रा		76-77 ।	
25—कन्हैयालाल द्विवेदी		76-77 की प्रतिकूल प्रविष्टि ।	
26—गिरजा शंकर जोशी		8-2-79 को नियमितीकरण के संबंध में हुई चयन समिति की बैठक में इनको नियमितीकरण किये जाने की संस्तुति इस शर्त के अधीन कि वे दिनांक 25-1-77 से निलम्बित हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में निर्दोष पाये जायें ।	

सूची "स

क्रमांक	अवर अभियन्ता का नाम	अवधि जिससे संबंधित गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध थे ।	
सर्वश्री—			
1—जे0 पी0 सारस्वत		24-6-70, 31-3-71, प्रति0-1-4-71 से 18-71 प्रति0 19-6-71 से 31-3-72 1-1-74 से0 ग्रेड के लिये पिछले चयन समिति में उपयुक्त नहीं पाये गये ।	
2—चन्द्र शेखरु		77-78 1-4-77-30-9-77	78-79
3—गोपाल कृष्ण		76-77 1-4-76 19--9-76	78-79
4—प्रमोदानन्द पाण्डे		77-78 6-4-77-4-8-77	78-79
5—बिजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी		75-76 1-4-75-17-12-75 ।	
6—राम प्रसाद द्विवेदी		76-77 । 1-4-76-11-11-76 । 77-78,	
7—रोहित कुमार शर्मा		78-79, 75-76 । 1-11-75-31-3-76 । 77-78, 78-79 ।	
8—राम करण सिंह यादव		78-79 ।	
9—बजरंग सिंह वर्मा		78-79 ।	

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी च

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

क्रमांक	अवर अभियन्ता का नाम	उपयुक्त एवं अनुपयुक्त	अनुपयुक्तता का कारण
		अपर अभियन्ता (सिविल)	
		(दिनांक 22-4-85 की बैठक)	
1.	श्री श्याम मोहन श्रीवास्तव		पात्रता की तिथि के पूर्व सहायक अभियन्ता होने के कारण ।
2.	श्री सूर्य नारायण सिंह	अनुपयुक्त	
3.	श्री बलराम सिंह		त्यागपत्र देने के कारण
		अवर अभियन्ता (वि0/यां0)	
		(दिनांक 17-5-85 की बैठक)	
1.	श्री हसनैन खां	अनुपयुक्त	समिति ने इनके गोपनीय प्रतिवेदन तथा अन्य अभि-लेख देखे और सम्यक विचारोपरान्त इन्हें सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "छ"

(देखिये अता० प्र० सं० 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

संलग्नक

छठी पंच वर्षीय योजना 1980–85 के परिव्यय एवं व्यय तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–90 के परिव्यय के विवरण :

(करोड़ रु० में)

मद	छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85		सातवीं पंच वर्षीय योजना 1985–90	
	परि व्यय	अनुमानित व्यय	राज्य सरकार द्वारा योजना प्रारूप में प्रस्तावित परिव्यय	केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय
1	2	3	4	5
1––कृषि एवं संवर्गीय सेवायें	306.91	368.96	1184.05	771.52
2––ग्राम्य विकास	326.85	439.87	1288.77	647.20
3––सहकारिता	57.39	87.41	121.57	122.8 4
4––सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1578.00	1399.97	3201.30	2245.50
5––ऊर्जा	2153.23	1935.02	5038.50	3464.00
6––उद्योग एवं खनि कर्म	331.10	430.76	1085.00	626.73
7––यातायात एवं संचार	550.00	693.23	1538.71	1194.99
8––वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	3.75	5.24	64.80	15.00
9––सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	871.80	1104.56	3277.99	1866.88
10––आर्थिक सेवायें	14.30	22.58	28.56	29.21
11––अन्य सेवायें	6.67	6.07	13.35	16.13
योग ..	6200.00	6493.67	16842.60	11000.00

उत्तर प्रदेश संसदीय विधान मण्डल

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

संलग्नक

क्र0सं0	मांग	की गयी कार्यवाही
1	2	3
1	भैंसे की खुराकी का ठेका सफाई कर्मचारियों को दिया जाना	सदैव की भांति नये वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व भैंसों की आपूर्ति हेतु समाचार पत्र में मोहरबन्द निविदायें प्राप्त की गयी । निर्धारित अवधि के भीतर निविदाएं देने की सफाई कर्मचारियों को पूरी छूट रहती है । वर्ष 1985-86 का ठेका न्यूनतम दर वाले श्री मज्जन अंसारी को दिया गया है ।
2	सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण तथा उनकी सर्विस-बुक बनवाया जाना	तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है तथा उनकी सेवा-पुस्तिकाएँ बनी हुई हैं ।
3	बकाया वेतन का भुगतान तुरंत कराया जाय ।	टाउन एरिया की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा ।
4	सफाई कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी ।	विधिवत रूप से पदसृजित होने पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी ।
5	सफाई कर्मचारियों को एक निर्धारित तिथि पर वेतन का भुगतान किया जाय ।	सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की सात तारीख तक कर दिये जाने का निर्णय लिया गया है । धन की उपलब्धता पर वेतन का भुगतान सात तारीख से पूर्व भी कर दिया जाता है ।
6	श्रीमती कमला तथा श्री बाबू लाल को चिकित्सा अवकाश का वेतन दिया जाय ।	इन कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश का वेतन दिया जा चुका है ।
7	जिन कर्मचारियों को टाउन एरिया द्वारा रहने के लिए मकान दिया गया है उसकी मरम्मत कराना ।	प्रश्नगत मकानों की मरम्मत टाउन एरिया द्वारा वित्तीय स्थिति अच्छी होने पर करायी जावेगी ।

1	2	3
8	सफाई कर्मचारियों की हाजिरी वार्ड पर कराना	सफाई कर्मचारियों की हाजिरी वार्ड में ही लिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।
9	सफाई कर्मचारियों में से एक पद स्वीपर नायक को दिया जाए	उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के अनुसार स्वीपर नायक का कोई पद ही नहीं होता है।
10	ईद के पर्व को देखते हुए मई माह का वेतन 2 जून तक तथा जून माह का अग्रिम वेतन 20 जून तक दिया जाए	ईद का पर्व 20 जून को था। अतः माह मई का वेतन 5 जून, 1985 को तथा माह जून का वेतन 1 जुलाई 1985 को वितरित किया जा चुका है।
11	सफाई कर्मचारियों को तत्काल वर्दी दी जाए	सफाई कर्मचारियों को गर्मी के मौसम की सूती वर्दी नियमानुसार माह जनवरी 1985 में तथा जुलाई 1985 में वितरित की जा चुकी है।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

परिशिष्ट 'क'

जनपद बांदा में प्रस्तावित 4 नवीन थाना एवं 28 नवीन चौकियों की सूची

थाना

1—थाना कोतवाली देहात
2—थाना फतेहगंज
3—थाना जसपुरा
4—थाना चिल्ला

चौकी

1—चौकी ओरन
2— " खुरहन्ड
3— " बेदां
4— " सिंहपुर
5— " भरतपुर
6— " मारकुन्डी
7— " खपटिहा कला
8— " इटवा डुडेला
9— " सड़ा
10— " दांदों
11—,, पुकारी
12—चौकी मुइया रामीपुर
13— " अकबरपुर
14— " बिलगांव
15— " औंगाती
16— " सरधुवा
17— " खाईपार
18— " सरैया
19— " पुलिस लाइन
20— " कोटा कदैला
21— " रामनगर
22—,, पौहार
23— " बहेरी
24— " पचोखर
25— " रूकमाखुर्द
26— " टिटिहरा
27— " चिल्लीमल
28— " बड़ागांव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 94 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

भूतपूर्व विधायकों की सूची जिन्होंने अभी तक विधायक निवासों के कक्ष रिक्त नहीं किये हैं :—

क्रम सं0	विधायक का नाम
1	2
(1)	श्रीमती किशोरी शुक्ला
(2)	श्री मोती लाल देहलवी
(3)	श्री राम हर्ष राय
(4)	श्री तीरथ सिंह
(5)	श्री गजेन्द्र सिंह
(6)	श्री बच्चा पाठक
(7)	श्री हाशिमरजा आब्दी
(8)	श्रीमती महारानी देहरे
(9)	श्री दीना नाथ पाण्डे
(10)	श्रीमती प्रेमवती यादव
(11)	श्री हरबंश सहाय
(12)	श्री इकबाल हुसैन
(13)	श्री ध्रुव राय
(14)	श्री चन्द्रवली ब्रह्मचारी
(15)	श्री रामकृष्ण उपाध्याय
(16)	श्री प्रियदर्शी जेटली
(17)	श्रीमती सुनीता चौहान
(18)	श्री कैलाश यादव
(19)	श्री बी0 के0 मिश्रा
(20)	श्री भास्कर पाण्डेय
(21)	श्री कासिम हसन
(22)	श्री रामदेव दुबे
(23)	श्री आनन्देश्वर प्रसाद सिंह
(24)	श्री रामरतन सिंह
(25)	श्री मोहन सिंह
(26)	श्री मुन्शी लाल
(27)	श्री मुलायम सिंह यादव
(28)	श्री भीखा लाल
(29)	श्रीमती सुमनलता दीक्षित
(30)	श्री भोला नाथ पाण्डेय
(31)	श्री राम सिंह
(32)	श्री राजनाथ सिंह
(33)	श्री माण्डवी प्रसाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0 118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

संलग्नक

(1) कितने रुपयों के फर्जी चालान का लाभ करदाता को दिया गया ?

62,061-80 रुपये का लाभ फर्जी चालानों का प्रकरण प्रकाश में आने के पूर्व व्यापारी को दिया गया था जिसे बाद में धारा 22 के आदेश पारित करके संशोधित कर दिया गया था।

(2) कर निर्धारण के समय अधिकारी ने डी0 सी0 आर0 से प्रमाणित चालानों का ही लाभ क्यों नहीं दिया फर्जी चालानों का लाभ देकर क्या उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है ?

व्यापारी की कर निर्धारण पत्रावलियां डी0 सी0 आर0, ट्रेजरी शिड्यूल तथा बैंक के स्काल, पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान इंकाई कानपुर द्वारा काफी समय पूर्व अभिग्रहीत कर लिये गये। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि जिन चालानों का लाभ दिया गया था वे कहां से प्राप्त हुए थे। तदनुसार इस समय दायित्व निर्धारण भी सम्भव नहीं है।

(3) यदि नहीं तब उनके प्रति क्या कार्यवाही तारीख 31-3-85 तक की गई ?

(4) कितना ब्याज और अर्थदण्ड वसूला गया ?

न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित करने के कारण अर्थदण्ड और ब्याज की कार्यवाही नहीं की गयी थी। अब वाद प्रतिप्रेषित हो गये हैं। प्रति प्रेषित वाद के निस्तारण के समय अर्थदण्ड तथा ब्याज की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

(5) फर्जी चालानों के प्रयोग के लिये क्या करदाता के ऊपर फौजदारी अदालत में भी मुकदमा चलाया गया।

जी नहीं। व्यापारी के विरुद्ध दिनांक 17-5-80 को पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

(6) यदि हां, तब क्या परिणाम रहा यदि नहीं तब क्यों ?

अभी तक आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच की जा रही है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये अता0 प्र0 संख्या 158 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

1—फूलपुर—1—चार हजार रुपये से खड़ंजा निर्माण कार्य ।

2—3 जनता बायोगैस की स्थापना ।

3—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा केन्द्र की स्थापना

4—जल निकास हेतु नालों का निर्माण ।

2—सराय आलम—यह नियावा गांव का पुरवा है । नियावा ग्राम प्रश्नगत नहीं है इस पुरवे में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं—

1—आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत 46 परिवार चयनित किये गये हैं ।

2—जल निकास नाली का निर्माण ।

3—महौना-जापरगंज मार्ग जो 9.85 लाख लागत का खण्ड़जा स्तर तक स्वीकृत है उसका भाग इस पुरवे में भी है ।

4—प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्थापना ।

3—संगरौरा—1—15 परिवार आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत चयनित हैं ।

2—मत्स्य पालन हेतु तालाब का सुधार ।

4—दुलारीनगर—1—12000 रुपये से खड़न्जा निर्माण ।

2—आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत 26 परिवारों का लाभान्वित करना ।

3—प्रा0 पा0 का निर्माण ।

5—जलालपुर तिवारी—करीडीह ग्राम जलालपुर तिवारी का एक पुरवा है अतएव इस पूरे गांव हेतु निम्न कार्य प्रस्तावित हैं—

6—करीडीह—1—पक्की नाली 2.460 किलोमीटर ।

2—आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत 32 परिवारों को लाभान्वित किया जाना ।

3—प्रौढ़ शिक्षा योजनान्तर्गत एक पुरुष एवं 3 महिला शिक्षा केन्द्र की स्थापना ।

उत्तर प्रदेश सरकार